



**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित
सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों
का प्रतिवेदन
31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार
वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 1

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित
सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों
का प्रतिवेदन**

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

| | संदर्भ | |
|-------------|--------|--------------|
| | कंडिका | पृष्ठ संख्या |
| प्राक्कथन | | v |
| विहंगावलोकन | | vii |

भाग-अ

(सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

| अध्याय-I प्रस्तावना | | |
|---|-----|---|
| इस भाग के बारे में | 1.1 | 1 |
| लेखापरीक्षिती की रूपरेखा | 1.2 | 1 |
| लेखापरीक्षा की विस्तृत सूचना | 1.3 | 1 |
| लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया | 1.4 | 1 |
| अनुपालन लेखापरीक्षाएँ | 1.5 | 3 |
| पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई | 1.6 | 3 |
| अध्याय-II अनुपालन लेखापरीक्षा | | |
| स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग | | |
| दन्त चिकित्सा संस्थान, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची के लिए मशीनों, उपकरणों एवं उपस्करों के क्रय की लेखापरीक्षा | 2.1 | 5 |

भाग-ब
(राजस्व प्रक्षेत्र)

| अध्याय-I | | |
|--|------|----|
| सामान्य | | |
| प्रस्तावना | 1.1 | 27 |
| राजस्व की प्रवृत्ति | 1.2 | 27 |
| बकाये राजस्व का विश्लेषण | 1.3 | 31 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण - संक्षेपित स्थिति | 1.4 | 33 |
| लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया | 1.5 | 34 |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 1.6 | 35 |
| इस भाग का विस्तार | 1.7 | 35 |
| अध्याय-II | | |
| अनुपालन लेखापरीक्षा | | |
| वाणिज्य कर विभाग | | |
| कर प्रशासन | 2.1 | 37 |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 2.2 | 38 |
| वस्तु एवं सेवा कर रिफण्ड की लेखापरीक्षा | 2.3 | 39 |
| झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना | 2.4 | 54 |
| बढ़ाए गए आवर्त पर अर्थदण्ड/ब्याज का नहीं लगाया जाना | 2.5 | 55 |
| अस्वीकृत छूटों/ रियायतों पर ब्याज का अनारोपण | 2.6 | 56 |
| इनपुट कर क्रेडिट (आई.टी.सी.) की स्वीकृति में अनियमितताएँ | 2.7 | 57 |
| सकल आवर्त (स.आ.)/ करदेय आवर्त (क.दे.आ.) का गलत निर्धारण | 2.8 | 59 |
| कर के गलत दर का अनुप्रयोग | 2.9 | 60 |
| कर का अल्पारोपण | 2.10 | 61 |
| केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण | 2.11 | 62 |
| खान एवं भू-तत्व विभाग | | |
| झारखण्ड में खनन प्राप्तियों की स्थिति | 2.12 | 64 |
| कर प्रशासन | 2.13 | 65 |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 2.14 | 65 |
| स्वामिस्व की गलत दर लागू करना | 2.15 | 66 |

| | | |
|---|------|----|
| उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग | | |
| कर प्रशासन | 2.16 | 68 |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 2.17 | 68 |
| खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव | 2.18 | 69 |

भाग-स
(राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)

| | | |
|--|-------|----|
| अध्याय-I | | |
| राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कामकाज | 1.1 | 71 |
| सरकारी कंपनियों में निवेश | 1.1.2 | 73 |
| सरकारी कंपनियों से प्रतिफल | 1.1.3 | 78 |
| सरकारी कंपनियों की परिचालन दक्षता | 1.1.4 | 82 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा | 1.1.5 | 91 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति | 1.1.6 | 91 |
| झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे के साथ मिलान | 1.1.7 | 91 |
| एसपीएसई द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण | 1.1.8 | 92 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई | 1.1.9 | 94 |
| अध्याय II अनुपालन लेखापरीक्षा | | |
| वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | | |
| "झारखंड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा विपणन, बिक्री और इनवेंटरी प्रबंधन" की लेखापरीक्षा | 2.1 | 97 |

परिशिष्टियाँ (भाग अ)

| परिशिष्ट सं. | विवरण | संदर्भ | |
|--------------|--|--------|--------------|
| | | कंडिका | पृष्ठ संख्या |
| 2.1.1 | सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा गठित समिति के प्रमुख निष्कर्षों की सूची | 2.1.1 | 115 |
| 2.1.2 | डेंटल चेयर, डेंटल बैन और आरवीजी के भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियाँ | 2.1.6 | 116 |

| 2.1.3 | विलंब से आपूर्ति करने के लिए दंड आरोपित न करना दर्शाती हुई सूची | 2.1.7 | 119 |
|-----------------------------|--|--------|--------------|
| 2.1.4 | वर्ष 2014-19 के दौरान क्रय किए गए दन्त चिकित्सा उपकरणों की सूची, जिनकी प्रविष्टि भंडार पंजी में नहीं पाई गई | 2.1.8 | 121 |
| 2.1.5 | संयुक्त भौतिक निरीक्षण में नहीं पाए गए उपकरणों की सूची | 2.1.8 | 128 |
| 2.1.6 | उपकरणों के सेट की सूची जो भौतिक निरीक्षण के दौरान सेट के रूप में नहीं पाए | 2.1.8 | 129 |
| परिशिष्टियाँ (भाग स) | | | |
| परिशिष्ट सं. | विवरण | संदर्भ | |
| | | कंडिका | पृष्ठ संख्या |
| 1.1.1 | गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के नवीनतम वर्ष का सारांशित वित्तीय परिणाम, जिनके लेखाओं को अंतिम रूप दे दिया गया था | 1.1.2 | 130 |
| 1.1.2 | 31 मार्च 2019 को एसपीएसई (गैर-विद्युत क्षेत्र) से संबंधित अंश-पंजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति दर्शाता विवरण | 1.1.3 | 134 |

प्राक्कथन

प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में झारखण्ड सरकार के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र के विभागों; राजस्व प्रक्षेत्र के विभागों एवं इकाइयाँ तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उल्लेखनीय लेखापरीक्षा परिणाम शामिल हैं।

प्रतिवेदन में उल्लेखित दृष्टान्त वैसे हैं, जो 2019-20 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आये तथा वैसे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाये गए किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके। जहाँ कहीं आवश्यकता थी, 2019-20 की अवधि के बाद से संबंधित मामले भी सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों तथा लेखापरीक्षा व लेखा विनियमों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन तीन भागों में है:

भाग-अ झारखण्ड सरकार के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र के विभागों/इकाइयों के लेखापरीक्षा परिणाम से संबंधित है;

भाग-ब राजस्व प्रक्षेत्र के विभागों/इकाइयों के लेखापरीक्षा परिणाम से संबंधित है; तथा

भाग-स राज्य सार्वजनिक उद्यमों के लेखापरीक्षा परिणाम से संबंधित है।

भाग-अ: सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र

इस भाग में दो अध्याय हैं। प्रथम अध्याय लेखापरीक्षा की आयोजना तथा सीमा एवं लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों/ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया तथा इन पर की गई कार्रवाई दिखाता है। अध्याय-॥ दन्त चिकित्सा संस्थान, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची के लिए मशीनों, उपकरणों एवं उपस्करों के क्रय पर अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित है। प्रणालीक कमियों, हानि, बेकार/ निष्फल/ निष्क्रिय व्यय, परिहार्य अतिरिक्त व्यय, अनुचित पक्षपात, अधिक भुगतान आदि से आच्छादित इस भाग में सम्मिलित लेखापरीक्षा परिणामों का कुल धन मूल्य ₹ 29.15 करोड़ है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है। लेखापरीक्षा नमूनों का चयन सांख्यिकीय नमूनाकरण पद्धति पर किया गया है। अपनाई गई विशिष्ट लेखापरीक्षा पद्धति का उल्लेख अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में किया गया है। राज्य सरकार के मंतव्यों पर विचार करते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गए हैं तथा अनुशंसाएं की गई हैं। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे सारांशित किया गया है:

2.1 दन्त चिकित्सा संस्थान, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची के लिए मशीनों, उपकरणों एवं उपस्करों के क्रय पर अनुपालन लेखापरीक्षा

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची (रिम्स) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (विभाग) के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन झारखण्ड सरकार का एक स्वायत्त चिकित्सा संस्थान है। दन्त शल्य-चिकित्सा के स्नातक (बीडीएस) पाठ्यक्रम में वार्षिक 50 प्रवेशों की क्षमता के साथ एक दन्त चिकित्सा संस्थान, शैक्षणिक सत्र 2017-18 से, रिम्स में प्रारंभ किया गया, जिसके लिए ₹ 37.17 करोड़ मूल्य के 176 प्रकार के दन्त चिकित्सकीय उपकरणों का क्रय किया गया। विभागीय सचिव के आग्रह पर रिम्स में वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक दन्त चिकित्सा संस्थान, रिम्स के लिए क्रयित उपकरणों की लेखापरीक्षा जुलाई 2019 एवं मई 2020 के बीच यह आकलन करने के लिए की गई कि क्या निविदा की प्रक्रिया नियमानुकूल थी और उपकरण मितव्ययितापूर्वक क्रय किए गए थे। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे सारांशित हैं:

➤ दन्त चिकित्सा उपकरणों के क्रय हेतु ₹ 5.80 करोड़ के मूल प्रस्ताव, जैसा कि अधिशासी परिषद द्वारा अनुमोदित था, के विरुद्ध रिम्स निदेशक ने झारखण्ड सरकार को ₹ 9.29 करोड़ का विस्तृत बजट प्रस्तुत किया। हालांकि, रिम्स ने 2014-19 के

दौरान ₹ 37.17 करोड़ मूल्य के दन्त चिकित्सा उपकरणों का क्रय किया, जो बजट का 400 प्रतिशत था।

(कंडिका 2.1.2)

➤ जनवरी 2016 में आमंत्रित एक निविदा में, तकनीकी योग्यता एवं वित्तीय प्रस्ताव को भारांक देते हुए निविदा की शर्तों के अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन बिना कोई कारण दर्ज किए संयुक्त भारांक प्रतिरूप पर नहीं किए गए। क्रय एवं तकनीकी समितियों ने किसी भी चरण में कोई भारांक दिए बिना तकनीकी अर्हता प्राप्त बोलीकर्ताओं के उद्धृत दरों में से न्यूनतम दर को अनुमोदित कर दिया। इस निविदा से ₹ 18.52 करोड़ मूल्य के 20 उपकरण खरीदे गए।

(कंडिका 2.1.3.1)

➤ स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बावजूद रिम्स निदेशक ने ₹ 5.40 करोड़ के बकाया विपत्र भुगतान के पूर्व, न तो आरोपी अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुपालन की प्रति-जाँच की न ही समान प्रकार के उपकरणों के बाजार मूल्य अथवा अन्य संस्थानों द्वारा क्रयित क्रय मूल्य का सर्वेक्षण किया और आगे स्वास्थ्य मंत्री की मंजूरी लिए बिना ₹ 11.40 करोड़ मूल्य के उपकरण उसी आपूर्तिकर्ता से खरीद लिया।

(कंडिका 2.1.3.2)

➤ निविदाओं का निर्णय वित्त एवं लेखा समिति ने नहीं किया, जबकि रिम्स विनियमों के तहत यह आवश्यक था। बल्कि विनियम में बिना किसी परिभाषित भूमिका वाली दो समितियों (क्रय समिति एवं तकनीकी समिति) को रिम्स द्वारा निविदा निर्णय का कार्य सौंपा गया।

(कंडिका 2.1.3.3)

➤ ₹ 25.70 करोड़ मूल्य के मूल एवं उन्नत डेंटल चेयर, चलंत डेंटल वैन तथा 15 अन्य उपकरणों की खरीद के लिए एक बोलीकर्ता के पक्ष में तकनीकी अर्हता निर्णय में पक्षपात के अलावा बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन में समानता एवं पारदर्शिता का अभाव था।

(कंडिका 2.1.4)

➤ रिम्स ने दन्त चिकित्सा उपकरणों (चेयरों, चलंत डेंटल वैन तथा आरवीजी) पर, बजट अनुमानों में दिए दरों की तुलना में ₹ 14.25 करोड़ का अपरिहार्य व्यय किया।

(कंडिका 2.1.5)

➤ मूल डेंटल चेयरों, उन्नत डेंटल चेयरों तथा चलंत डेंटल वैन के संलग्नक एवं अनुषंगी-यंत्र या तो गायब थे या निम्न विशिष्टताओं वाले थे। दस में से दो रेडियोविजिओग्राफी प्रणाली अन्य मॉडल के थे। रिम्स विलंबित आपूर्ति के लिए ₹ 2.37 करोड़ का जुर्माना लगाने में भी विफल रहा।

(कंडिकाएं 2.1.6 और 2.1.7)

➤ दन्त चिकित्सा संस्थान को आपूर्ति किए गए ₹ 12.02 करोड़ मूल्य के उपकरण भंडार में दर्ज नहीं पाए गए थे और इस प्रकार इनके दुरुपयोग की आशंका थी।

(कंडिका 2.1.8)

➤ प्रयोगशाला एवं शल्य-क्रिया कक्ष (ओटी) के लिए खरीदे गए (अगस्त 2016) ₹ 1.94 करोड़ मूल्य के उपकरण भंडारों में बेकार पड़े थे, क्योंकि प्रयोगशालाएँ एवं ओटी मई 2020 तक स्थापित नहीं हुई थीं। ओटी में उपयोग हेतु अगस्त 2016 में खरीदे गए ₹ 17.85 लाख के कीटाणुनाशक कालातीत हो गए थे।

(कंडिका 2.1.8)

भाग-ब: राजस्व क्षेत्र

इस अनुभाग में व.एवं.से.क. रिफण्ड पर एक लेखापरीक्षा और वाणिज्य कर विभाग में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में राज्य उत्पाद और खनन एवं भूतत्व विभाग में खनन प्राप्तियों से सम्बंधित 10 कंडिकार्यें सम्मलित हैं। अनुभाग-ब का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 1,138.20 करोड़ है, जो वर्ष 2019-20 के कर एवं कर-भिन्न राजस्व का 4.46 प्रतिशत है। उपरोक्त में से, सम्बंधित विभागों ने ₹ 338.73 करोड़ के अवलोकनों को स्वीकार किया। कुछ प्रमुख निष्कर्षों के सार नीचे दिए गए हैं।

1.1 सामान्य

वर्ष 2019-20 में झारखण्ड सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 58,417.14 करोड़ थीं। राज्य सरकार ने कुल ₹ 25,521.43 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 43.69 प्रतिशत) राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 32,895.71 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 56.31 प्रतिशत) जिसमें विभाज्य संघीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 20,593.04 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 35.25 प्रतिशत) और सहायत अनुदान ₹ 12,302.67 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 21.06 प्रतिशत) था। 2018-19 की तुलना में 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा सृजित कर राजस्व में 13.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में गैर-कर राजस्व में 5.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(कंडिका 1.2)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहनों पर कर, राज्य उत्पाद, भू-राजस्व और खनन प्राप्तियों का राजस्व बकाया राशि ₹ 12,179.30 करोड़ था, जिसमें से ₹ 2,898.27 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था।

(कंडिका 1.3)

अनुपालन लेखापरीक्षा

वाणिज्य कर विभाग

व.एवं.से.क. रिफण्ड पर लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अवलोकन सम्मलित हैं: समुचित अधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया और 19 मामलों में रिफण्ड आवेदनों की अभिस्वीकृति, रिफण्ड आवेदन दाखिल करने के 15 दिनों की

निर्धारित अवधि के उपरान्त नौ से 246 दिनों के बीच के विलम्ब से जारी किए। इसके अलावा, 12 मामलों में अभिस्वीकृति आदिनांक जारी नहीं किए गए।

(कंडिका 2.3.6.1)

समुचित अधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया और 12 मामलों में प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ़.डी.-03 में कमियों को संप्रेषित करने के लिए, दावा दाखिल करने से 15 दिनों तक की निर्धारित अवधि का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप जापन जारी करने में तीन से 215 दिनों के बीच का विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.3.6.2)

रिफण्ड प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों की निगरानी के लिए प्रणाली के अभाव में, नौ मामलों में स्वीकृत ₹ 5.97 लाख की राशि का भुगतान दावेदारों को नहीं किया गया, जबकि 33 रिफण्ड मामलों में भुगतान 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा के उपरान्त विलम्ब से किया गया, परिणामस्वरूप विभाग ₹ 5.48 लाख के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

(कंडिका 2.3.6.3)

समुचित अधिकारी ने निर्धारित अवधि का पालन नहीं किया और आठ मामलों में औपबंधिक रिफण्ड, अभिस्वीकृति जारी करने की तिथि से सात दिनों की निर्धारित अवधि के उपरान्त सात से लेकर 99 दिनों के बीच के विलम्ब से स्वीकृत किया।

(कंडिका 2.3.6.4)

समुचित अधिकारी, विभाग के पास उपलब्ध जी.एस.टी.आर- 3ब में मासिक विवरणी की तिर्यक जाँच करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप दावेदार को ₹ 0.15 लाख की रिफण्ड का गलत अनुमत्य हुआ।

(कंडिका 2.3.6.5)

झा.व.एवं.से.क. अधिनियम और पूर्व में निरस्त किए गए अधिनियमों के बकाए राशियों को संक्रमिक करने के लिए तंत्र के अभाव में रिफण्ड दावे के दो मामलों से ₹ 0.42 लाख के बकाए को समायोजित नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 0.42 लाख के रिफण्ड का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 2.3.6.6)

1.2 अन्य अवलोकन

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण सम्पन्न करते समय व्यवसायियों द्वारा दी गई सूचना की जाँच नहीं की जिसके फलस्वरूप 39 व्यवसायियों द्वारा ₹ 3,271.08 करोड़ के आवर्त के छुपाए जाने का पता नहीं चला तथा परिणामस्वरूप ₹ 812.99 करोड़ के कर एवं शास्ति का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.4)

निर्धारण प्राधिकारियों ने बिक्रय छिपाए जाने के कारण नौ व्यवसायियों के आवर्त को बढ़ाया एवं ₹ 43.84 करोड़ का अतिरिक्त कर आरोपित किया परन्तु ₹ 131.51 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

(कंडिका 2.5)

14 वाणिज्य कर अंचलों के निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 2,264.96 करोड़ के छूटों, रियायतों या इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) के गलत समायोजन के दावों को अस्वीकृत किया। हालाँकि, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ₹ 102.24 करोड़ के ब्याज़ का आरोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 2.6)

निर्धारण प्राधिकारियों ने 29 व्यवसायियों के मामलों में कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान ₹ 85.70 करोड़ के बदले ₹ 109.51 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.81 करोड़ के अधिक आई.टी.सी. का अनुमत्य हुआ।

(कंडिका 2.7)

निर्धारण प्राधिकारियों ने सात व्यवसायियों के मामले में ₹ 2,407.40 करोड़ के बदले ₹ 1,962.03 करोड़ का स.आ./क.दे.आ. निर्धारित किया, परिणामस्वरूप ₹ 445.37 करोड़ कम स.आ. का निर्धारण हुआ और फलस्वरूप ₹ 22.33 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.8)

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान कर की गलत दरें आरोपित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.53 करोड़ के कर का अल्परोपण हुआ।

(कंडिका 2.9)

निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 92.59 करोड़ के आवर्त पर पाँच प्रतिशत के.बि.क. और झा.मू.व.क. के अंतर्गत 14 प्रतिशत आरोप्य कर की दरों के बदले दो प्रतिशत की रियायती दर से के.बि.क. आरोपित किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.64 करोड़ के.बि.क. का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.11)

1.3 खनन एवं भूतत्व विभाग

अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुसार स्वामिस्व की दर को सत्यापित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 15.42 करोड़ की स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.15)

1.4 उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

विभाग न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उठाव को सुनिश्चित करने हेतु कोई कारवाई नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप शराब का कम उठाव हुआ और उत्पाद शुल्क ₹ 2.07 करोड़ की हानि के समतुल्य अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.18)

भाग-स: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

यह भाग 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षा परिणामों से संबंधित है तथा इसे समय-समय पर संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19अ के तहत झारखण्ड सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस भाग में दो अध्याय हैं। अध्याय-I झारखण्ड की सरकारी कंपनियों के कामकाज से संबंधित है। अध्याय-II में "झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा विपणन, बिक्री और माल प्रबंधन" पर लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

1.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) का कामकाज

यह अध्याय झारखण्ड सरकार तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ सरकारी कंपनियों एवं सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सार प्रस्तुत करता है। इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) को वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को अंजाम देने तथा राज्य के आर्थिक विकास में योगदान करने हेतु स्थापित किया गया था।

एक सरकारी कंपनी अथवा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित कोई अन्य कंपनी सीएजी के लेखापरीक्षा का विषय है।

31 मार्च 2020 को झारखण्ड में 31 एसपीएसई (03 निष्क्रिय एसपीएसई सहित) थे। इस भाग में 31 अगस्त 2021 तक नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर तैयार किए गए एसपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन को शामिल किया गया है।

31 अगस्त 2021 तक नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार कार्यशील एसपीएसई ने ₹ 7,739.34 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया अर्थात् 2018-19 के विरुद्ध 2019-20 में 17.43 प्रतिशत की वृद्धि। यह टर्नओवर वर्ष 2019-20 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (₹ 3,28,598 करोड़) के 2.36 प्रतिशत के बराबर था। नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार कार्यशील एसपीएसई को ₹ 1,354.20 करोड़ की हानि हुई।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ढाँचा

किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा किसी भी औद्योगिक गतिविधि को संचालित करने हेतु एक प्रमुख घटक है। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) के विखंडन तथा जेएसईबी की परिसंपत्तियों, संपत्तियों, देनदारियों, दायित्वों, कार्यवाही और कर्मियों को ऊर्जा क्षेत्र की चार कंपनियों (यानी झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड और झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड) को हस्तांतरित करने के लिए राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य विद्युत सुधार स्थानांतरण योजना, 2013 (जेएसईआरटी 2013) तैयार की (06 जनवरी 2014)। ऊर्जा क्षेत्र की ये चार कंपनियाँ 06 जनवरी 2014 से अस्तित्व में आईं और जेएसईआरटी योजना, 2013 के प्रावधानों

के अनुसार राज्य सरकार की देनदारियों को छोड़कर जेएसईबी की सभी परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ इन कंपनियों में वितरित हुईं।

इन चार कंपनियों के अलावा, जेएसईआरटी योजना, 2013 से पूर्व चार अन्य ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ निगमित हुई थीं। उक्त चार कंपनियों में से एक कंपनी अर्थात् तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड एक ऊर्जा उत्पादन कंपनी है और अन्य तीन कंपनियाँ अर्थात् कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड, झारबिहार कोलियरी लिमिटेड तथा पतरातू एनर्जी लिमिटेड झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक कंपनियाँ हैं (नवंबर 1987 से अक्टूबर 2012)। इन आठ ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों में से तीन कंपनियाँ 2019-20 तक वाणिज्यिक गतिविधियाँ शुरू नहीं की थीं।

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ढाँचा

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) में 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार की कंपनियाँ, सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनियाँ और सहायक कंपनियाँ शामिल हैं, जो गैर-ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रही हैं। इनमें सभी कार्यशील सरकारी कंपनियाँ, एक कार्यशील अन्य सरकार-नियंत्रित कंपनी और एक कार्यशील सहायक कंपनी शामिल हैं।

(कंडिका 1.1.1)

सरकारी कंपनियों में निवेश

एसपीएसई में क्षेत्रवार सारांश के साथ कुल निवेश

2019-20 के लेखाओं अथवा एसपीएसई की सूचना के अनुसार 31 मार्च 2020 तक 31 एसपीएसई में ₹ 19,696.52 करोड़ का निवेश (पूँजीगत और दीर्घकालिक ऋण) था। इस कुल निवेश में 23.40 प्रतिशत चुकता पूँजी और 76.60 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण शामिल थे।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में निवेश

31 मार्च 2020 तक आठ ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में कुल निवेश (अंश-पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) ₹ 19,281.29 करोड़ था। निवेश में ₹ 4,244.02 करोड़ (22.01 प्रतिशत) अंश-पूँजी और ₹ 15,037.27 करोड़ (77.99 प्रतिशत) दीर्घकालिक ऋण शामिल थे।

2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में कुल निवेश 43.90 प्रतिशत तक बढ़ गयी थी।

झारखण्ड सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अंश-पूँजी के 92.06 प्रतिशत (₹ 4,244.02 करोड़) और ऋण के 99.67 प्रतिशत (₹ 15,037.27 करोड़) का मुख्य हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र में था।

एसपीएसई में निवेश (गैर-ऊर्जा क्षेत्र)

31 मार्च 2020 तक, गैर-ऊर्जा क्षेत्र के 23 एसपीएसई में कुल निवेश (अंश-पूँजी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 415.23 करोड़ था। निवेश में ₹ 365.84 करोड़ (88.11 प्रतिशत) अंश-पूँजी और ₹ 49.39 करोड़ (11.89 प्रतिशत) दीर्घकालिक ऋण शामिल थे।

(कंडिका 1.1.2)

सरकारी कंपनियों से प्रतिफल

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का प्रदर्शन

वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का निवल मूल्य धनात्मक था। संचित घाटे में वृद्धि के कारण 2015-16 में ₹ 2083.29 करोड़ का निवल मूल्य 2019-20 में उल्लेखनीय रूप से घटकर ₹ (-)4022.13 करोड़ हो गया।

एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का प्रदर्शन

पाँच-वर्ष की अवधि के दौरान कार्यशील एसपीएसई का संयुक्त निवल मूल्य धनात्मक था। शेयर पूँजी में वृद्धि के बावजूद वर्ष 2015-16 से 2019-20 में निवल मूल्य घट गई थी।

(कंडिका 1.1.3)

एसपीएसई द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

सभी ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा वर्ष 2019-20 की लेखाओं को 30 सितंबर 2020 तक प्रस्तुत करना था। किसी भी सरकारी कंपनी ने 30 सितंबर 2020 या उससे पहले वर्ष 2019-20 की अपनी लेखाओं को सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया। पाँच एसपीएसई ने वर्ष 2019-20 के लिए अपने वित्तीय विवरण 31 अगस्त 2021 तक जमा कर दिए थे। 01 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान, 23 एसपीएसई में से 11 ने 18 वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया, जिसमें वर्ष 2019-20 के लिए एक लेखे और पिछले वर्षों के 17 लेखाएँ शामिल थीं। इस प्रकार, 21 एसपीएसई के 66 लेखे बकाया थे।

वर्ष 2019-20 के साथ-साथ पूर्ववर्ती वर्षों के लेखाओं को अंतिमीकरण के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सका कि निवेश एवं व्यय का समुचित लेखाकरण किया गया था और राशि का निवेश जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसे प्राप्त कर लिया गया।

(कंडिका 1.1.8)

2.1 "झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा विपणन, बिक्री और माल प्रबंधन" पर लेखापरीक्षा

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग (विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में निगमित किया गया था। कंपनी की स्थापना वन उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने तथा वन-उत्पाद आधारित उद्योगों के विकास के उद्देश्य से की गई थी। इसके अलावा, अधिकतम वित्तीय लाभ हेतु इसे वन उत्पादन को बढ़ावा देना और लघु वन-उत्पाद (एमएफपी) के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन का व्यावसायिक प्रबंधन करना तथा वन उत्पादों का वैज्ञानिक दोहन करना था। कंपनी मुख्य रूप से केंदु-पत्ता (केएल) के विपणन का कार्य करती है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि को आच्छादित करते हुए "झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा विपणन, बिक्री

और माल प्रबंधन" पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई कि कंपनी में विपणन, विक्रय और माल प्रबंधन के लिए एक प्रभावी और कुशल प्रणाली मौजूद थी। प्रमुख लेखापरीक्षा परिणाम नीचे सारांशित हैं:

जेएसकेएलपी अथवा अन्य विधानों में केएल की मात्रा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठूठ काटने या अन्य उपयुक्त व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि कंपनी ने केंदु-पत्ता ऋतु 2008 के लिए केंदू झाड़ियों की ठूठ काटने हेतु निर्देश (फरवरी 2008) जारी किया था परंतु बाद में इसे जारी नहीं रखा जा सका। परिणामस्वरूप, 300 में से 232 (77 प्रतिशत) केएल लॉट की औसत उपज अधिसूचित उपज से कम थी जिसमें 123 ऐसे लॉट शामिल थे जहां वास्तविक उपज 30 से 89 प्रतिशत कम थी।

(कंडिका 2.1.2.1)

जुलाई 2021 तक केएल लॉट की अधिसूचित उपज की मात्रा को 36 वर्षों के उपरांत भी पुनराकलन नहीं किया गया। केएल ऋतु-वर्ष 2015 से 2019 के 1499 में से 495 केएल लॉट (33 प्रतिशत), जिसकी अधिसूचित उपज की मात्रा 12.63 लाख मानक बोरीयाँ (बोरी) थीं, बिना बिके रह गए। बिना बिके लॉटों का आरक्षित मूल्य ₹ 74.38 करोड़ था।

(कंडिका 2.1.2.1)

नमूना-जाँचित चार प्रमंडलों (डाल्टेनगंज, धालभूम, हजारीबाग एवं राँची) में, कंपनी ने केएल ऋतु-वर्ष 2015 से 2019 के दौरान ₹ 17.14 करोड़ की वसूलनीय राशि के विरुद्ध मात्र ₹ 8.57 करोड़ (अतिरिक्त संग्रहित मात्रा का 50 प्रतिशत) की वसूली की। इसके अलावा, ऋतु-वर्ष 2016 से 2019 के दौरान 1.01 लाख बोरी के अधिक संग्रहण के लिए ₹ 5.82 करोड़ की अतिरिक्त संग्रहण लागत प्राथमिक संग्राहकों (पीसी) को मार्च 2021 तक भुगतान नहीं किए गए थे।

(कंडिका 2.1.2.3 तथा 2.1.3.2)

केएल ऋतु-वर्ष 2016 से 2019 के दौरान, 8.52 लाख बोरी अधिसूचित उपज वाले 333 लॉट बिना बिके रह गए। विभागीय संग्रहण की सुगमता हेतु विभाग ने कंपनी को ₹ 61.93 करोड़ जारी नहीं किए, जबकि कंपनी द्वारा मांगे गए थे (अप्रैल 2016 एवं फरवरी 2019)। कंपनी ने इन लॉटों के लिए वास्तविक आधार पर निविदा आमंत्रित किए जाने की संभावनाएं भी नहीं तलाश की और इसलिए वे लॉट बिना कटाई किए रह गए और परिणामस्वरूप केएल व्यापार का प्राथमिक उद्देश्य अर्थात् पीसी के लिए आय सृजन, प्राप्त नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.1.3.1)

केएल ऋतु-वर्ष 2016 से 2018 के लिए 149 संग्राहक समितियां (सीसी) को विमुक्त किए गए ₹ 15.58 करोड़ की विकास निधि में से ₹ 15.16 करोड़ मार्च 2020 तक अप्रयुक्त रहे और सीसी के पास पड़े रहे।

(कंडिका 2.1.3.3)

39 गोदामों में से, सात गोदाम अच्छी स्थिति में थे, 23 में वृहत् मरम्मती की आवश्यकता थी तथा नौ जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे। राजस्व प्राप्ति का स्रोत होने के बावजूद कंपनी ने गोदामों की मरम्मती या नवीनीकरण की शुरुआत नहीं की, जबकि 2015-18 के दौरान किराया के रूप में ₹ 28.12 लाख की वसूली की गई थी।

(कंडिका 2.1.4.1)

वन उत्पादों पर आधारित उद्योगों के विकास के अलावा कंपनी का मुख्य उद्देश्य वन उत्पाद और उत्पादकता में तेजी लाकर परियोजनाओं और गतिविधियों को बढ़ावा देना, विकसित करना और जारी रखना था। कंपनी को लघु वन-उत्पादों (एमएफपी) के व्यावसायिक विक्रय एवं प्रसंस्करण को भी बढ़ावा देना तथा प्रबंधन करना था। कंपनी ने मार्च 2020 तक अपनी गतिविधियों का विस्तार नहीं किया था और अपनी आय बढ़ाने के साथ-साथ वनवासियों के लिए रोजगार सृजन का अवसर को भी जाने दी।

(कंडिका 2.1.5.2)

कंपनी ने ₹ 1.25 करोड़ के उपकर तथा टिम्बर बिक्री मूल्य की ₹ 42.14 करोड़ राशि को सरकारी खातों में प्रेषित नहीं किया।

(कंडिका 2.1.5.3 तथा 2.1.5.4)

भाग अ

सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र

अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1 इस भाग के बारे में

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश के अनुपालन में 2019-20 के दौरान आयोजित झारखण्ड सरकार के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों के तहत विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षाओं का परिणाम प्रतिवेदन के इस भाग में शामिल किया गया है।

इस भाग में निम्नलिखित अध्याय शामिल हैं :

अध्याय I: लेखापरीक्षित विभागों के बारे में सामान्य जानकारी

अध्याय II: दन्त चिकित्सा संस्थान, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची के लिए मशीनों, उपकरणों एवं उपस्करों के क्रय पर अनुपालन लेखापरीक्षा।

1.2 लेखापरीक्षिती की रूपरेखा

झारखण्ड में कुल 32 में से 27 विभाग सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों (सा.सा.आ.प्र.) के अंतर्गत आते हैं। इन विभागों का नेतृत्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव द्वारा किया जाता है, जो आयुक्त/ निदेशक तथा इनके अधीनस्थ पदाधिकारियों से सहायतित होते हैं।

1.3 लेखापरीक्षा का आच्छादन

2019-20 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड ने 17 विभागों के अंतर्गत योजनाबद्ध 367 इकाइयों में से 324 इकाइयों का लेखापरीक्षा किया। इसके अलावा, दन्त चिकित्सा संस्थान, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) के लिए मशीनों, उपकरणों एवं उपस्करों के क्रय पर भी एक अनुपालन लेखापरीक्षा की गई।

1.4 लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.)

27 विभागों को मार्च 2020 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से यह उद्घाटित हुआ कि 4,858 निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट 33,429 कंडिकाएँ समुचित अनुपालन के अभाव में निष्पादन हेतु 31 मार्च 2021 तक लंबित थीं। इनमें से, 3,576 नि.प्र. में अंतर्विष्ट 25,933 कंडिकाओं से संबंधित प्रारंभिक जवाब भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

तालिका 1.1: 31 मार्च 2021 को (31 मार्च 2020 तक जारी की गई) लंबित नि.प्र. तथा कंडिकाएँ

| क्र.सं. | अवधि | लंबित नि.प्र. की सं. | लंबित कंडिकाओं की सं. |
|---------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2019-20 | 357 | 2,750 |
| 2 | एक वर्ष से तीन वर्ष | 1,058 | 7,024 |
| 3 | 3 वर्ष से 5 वर्ष | 1,014 | 6,070 |
| 4 | 5 वर्ष से ज्यादा | 2,429 | 17,585 |
| कुल | | 4,858 | 33,429 |

लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली

लेखापरीक्षा के कहने पर, चार इकाइयों ने ₹ 2.85 करोड़ में से ₹ 2.85 करोड़ की वसूली की (सितंबर 2019 और मार्च 2021 के बीच) जैसा कि नीचे वर्णित है:

1. लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2019) कि देव से दियाजोरी सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के पूरा होने की निर्धारित तिथि को नवंबर 2017 से फरवरी 2018 तक बढ़ा दिया गया था। विस्तारित अवधि के लिए सकारात्मक मूल्य समायोजन (पीए) स्वीकार्य नहीं था। कार्यपालक अभियंता (ईई), पथ प्रमंडल (आरडी), गोड्डा ने, यद्यपि, विस्तार के अनुदान की प्रत्याशा में विस्तारित अवधि के लिए ₹ 84.88 लाख के पीए का भुगतान (मार्च 2019) कर दिया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (मार्च 2021) ईई ने ठेकेदार से ₹ 84.88 लाख की वसूली की (मार्च 2021)।

2. लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2021) कि कांद्रा-बेड़ो सड़क के पुनर्निर्माण में ईई, आरडी, खूँटी ने एक संवेदक को ₹ 41.65 करोड़ का भुगतान पीए को समायोजित किए बिना कर दिया (फरवरी 2019)। ₹ 1.75 करोड़ की वसूलनीय पीए की गणना हुई तथा माप पुस्तिका में दर्ज (अगस्त 2019) की गयी परन्तु वसूली नहीं हुई। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (मार्च 2021) ईई ने संवेदक से ₹ 1.86 करोड़ की वसूली/समायोजन (मार्च 2021) किया।

3. लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2018) कि एक सड़क कार्य में ईई, आरडी, राँची ने अलकतरा कीमत में अंतर होने के कारण अनुबंध के तहत आवश्यक ₹ 15.09 लाख की वसूली नहीं की। इंगित किए जाने पर, ईई ने ₹ 15.51 लाख संवेदक की जमानत राशि से समायोजित (फरवरी 2021) की।

4. लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2019) कि वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर के अधिकारियों द्वारा प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, शिक्षण शुल्क आदि के रूप में ₹ 10.45 लाख एकत्र किए गए थे। यह राशि रसीद-पुस्तिकाओं में तो दर्शायी गयी होती थी परन्तु यह न तो दैनिक संग्रह पंजिका में दर्ज की जाती थी और न ही बैंक खाते में जमा की जाती थी। इस संदिग्ध गबन को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (जुलाई 2019) किए जाने पर राशि विश्वविद्यालय के बैंक खाते में जमा कर दी गयी (सितम्बर 2019)। हालाँकि, विभाग को एक विस्तृत जाँच शुरू करनी चाहिए तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

1.5 अनुपालन लेखापरीक्षाएँ

दन्त चिकित्सा संस्थान, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची के लिए मशीनों, उपकरणों एवं उपस्करणों के क्रय पर अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रारूप प्रतिवेदन को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव को अग्रसारित (सितंबर 2021) किया गया था। हालाँकि, जवाब अप्राप्त है (अक्टूबर 2021)।

1.6 पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई

लोक लेखाओं की समिति के आंतरिक कार्यकलाप की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले.प्र.) में उद्धृत सभी लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रशासनिक विभाग द्वारा एकतरफा कार्रवाई शुरू करनी थी, भले ही लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा इनको जाँच के लिए लिया गया हो अथवा नहीं। विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जाँचित कृत-कार्यवाही टिप्पणी (कृ.का.टि.) प्रस्तुत करना था, जिसमें उनके द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई को दर्शाया गया हो। इसके अलावा, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, पटना द्वारा जारी (अगस्त 1993) निर्देशों के अनुसार, सरकारी विभागों को व्याख्यात्मक टिप्पणी तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं पर कार्रवाई की टिप्पणी (कृ.का.टि.) छः महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

वर्ष 2008-09 से 2018-19 तक के सा.सा.आ.प्र. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 214 कंडिकाएँ लंबित हैं। इनमें से 70 कंडिकाओं को लो.ले.स. ने चर्चा हेतु लिया तथा 2008-09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.3.6.1 के संदर्भ में एक अनुशंसा की। हालाँकि, इस उप-कंडिका पर कोई कृ.का.टि. प्राप्त नहीं हुई है।

इसके अलावा, 2000-01 से 2007-08 तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिन्हें आगे की कार्रवाई हेतु विभाग पर छोड़ दिया गया था, में 201 लंबित कंडिकाएँ थी, जिनमें से 94 कंडिकाओं को लो.ले.स. द्वारा चर्चा के लिए लिया गया। इसके विरुद्ध, लो.ले.स. ने सात कंडिकाओं तथा आठ उप-कंडिकाओं के संबंध में अनुशंसाएं की थीं जिनमें से दो कंडिकाओं तथा छः उप-कंडिकाओं से संबंधित कृ.का.टि. प्राप्त हुई, जैसा कि नीचे दी गयी तालिका 1.2 में वर्णित है:

तालिका 1.2: लो.ले.स. की चर्चा की स्थिति

| स्थिति | वर्ष 2000-01 से 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) | वर्ष 2008-09 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) |
|--|--|--|
| लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या | 201 | 214 |
| लो.ले.स. द्वारा चर्चा के लिए लिया गया | 94 | 70 |
| लो.ले.स. द्वारा चर्चा के लिए नहीं लिया गया | 107 | 139 |
| लो.ले.स. द्वारा की गई अनुशंसा | 07 कंडिकाएँ एवं 08 उप-कंडिकाएँ | 1 उप-कंडिका |
| प्राप्त कृ.का.टि. | 02 कंडिकाएँ एवं 06 उप-कंडिकाएँ | शून्य |
| विभाग द्वारा की गई कार्रवाई | 02 कंडिकाएँ एवं 06 उप-कंडिकाएँ | शून्य |

अध्याय II

अनुपालन लेखापरीक्षा

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

2.1 दन्त चिकित्सा संस्थान, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के लिए मशीनों, उपकरणों एवं उपस्करों के क्रय की लेखापरीक्षा

2.1.1 परिचय

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची¹ (रिम्स) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (विभाग) के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन झारखण्ड सरकार का एक स्वायत्त चिकित्सा संस्थान है। दन्त शल्य-चिकित्सा के स्नातक (बीडीएस) पाठ्यक्रम में वार्षिक 50 प्रवेशों की क्षमता के साथ एक दन्त चिकित्सा संस्थान, शैक्षणिक सत्र 2017-18 से, रिम्स में प्रारंभ किया गया, जिसके लिए ₹ 37.17 करोड़ मूल्य के 176 प्रकार के दन्त चिकित्सकीय उपकरणों का क्रय किया गया (मार्च 2016 एवं जून 2018 के बीच)। इन क्रयों के विरुद्ध, जाली दस्तावेजों के आधार पर निविदा का अनियमित निर्णय तथा दो आपूर्तिकर्ताओं² द्वारा चिकित्सकीय उपकरणों की उच्चतर दरों पर आपूर्ति संबंधी शिकायतें विभाग को मिली थीं। शिकायतों की जाँच हेतु विभाग ने एक समिति का गठन किया (अगस्त 2018), जिसने इन शिकायतों को सही पाया (**परिशिष्ट 2.1.1**) और इसकी विस्तृत जाँच किसी सक्षम संस्था से कराने की अनुशंसा की।

इससे पूर्व झारखण्ड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स निदेशक को उपकरणों के उपरोक्त दोनों अभिकरणों के आपसी मिलीभगत से आपूर्ति आदेश प्राप्त करने संबंधी शिकायतों की जाँच करने का निर्देश दिया था (सितम्बर 2016)। उन्होंने इन आपूर्तिकर्ताओं के पते को सत्यापित करने, उद्धृत एवं स्वीकृत मूल्यों को समान उपकरणों के लिए अन्य अस्पतालों/ चिकित्सा महाविद्यालयों/ दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों की लागतों से जांच करने का निर्देश भी दिया और यह सुझाव दिया कि इन अभिकरणों को आगे कोई क्रयादेश नहीं निर्गत किया जाय जबतक विस्तृत जाँच संपन्न नहीं हो जाती है। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्री के आदेश का पालन नहीं हुआ और रिम्स निदेशक ने इन कथित अभिकरणों को निविदाएं प्रदान कीं और क्रयादेश निर्गत किए, जैसा कि **कंडिका 2.1.3.2** में वर्णित है।

आगे, रिम्स में वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक मशीनों, उपकरणों एवं उपस्करों (इसके बाद 'उपकरण' कहा जाए) के क्रय हेतु आमंत्रित निविदाओं की लेखापरीक्षा हेतु विभागीय सचिव ने महालेखाकार से आग्रह किया (जून 2019)। तदनुसार, दन्त चिकित्सा संस्थान, रिम्स के लिए क्रयित उपकरणों की लेखापरीक्षा (जुलाई 2019 एवं मई 2020 के बीच)

¹ रिम्स की स्थापना वर्ष 2002 में एक अधिनियम द्वारा पूर्व के राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (स्थापित 1959) एवं नर्सिंग महाविद्यालय एवं नर्सिंग विद्यालय को विलय करके की गई थी।

² मेसर्स श्रीनाथ इंजीनियरिंग सेल्स एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता (मेसर्स श्रीनाथ) एवं मेसर्स डीके मेडिकल कोलकाता, (मेसर्स डीके)

यह आकलन करने के लिए की गई कि क्या निविदा की प्रक्रिया नियमानुकूल थी और उपकरण मितव्ययितापूर्वक क्रय किए गए थे। इसके लिए, लेखापरीक्षा ने निविदा एवं उससे संबंधित दस्तावेजों, उपकरणों के स्टॉक की जाँच की और क्रयित उपकरणों की अद्यतन स्थिति अभिनिश्चित करने हेतु संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन किया (सितंबर-अक्टूबर 2019 और मई 2020)।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर चर्चा करने के लिए विभाग के अपर सचिव के साथ एक निकास सम्मलेन आयोजित की गई (अक्टूबर 2021)। अपर सचिव ने कहा कि विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर समुचित कार्यवाही करने तथा सुधारात्मक उपायों को लागू करने हेतु रिम्स निदेशक को पहले ही निर्देशित किया गया है (फरवरी 2021)। अनुक्रिया में, रिम्स की वित्त एवं लेखा समिति की बैठक में (फरवरी 2021) लिए गए निर्णय के आलोक में रिम्स निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया (सितंबर 2021) है। अग्रेतर कार्रवाई अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने स्वीकृत बजट से विचलन, उच्चाधिकारी के आदेश की अवज्ञा करते हुए क्रयादेश का निर्गतन, निविदाओं का अनियमित अनुमोदन, निविदा मूल्यांकन में पारदर्शिता का अभाव, अत्यंत उच्च दरों पर उपकरण का क्रय, गलत अधिष्ठापन प्रमाणपत्र का निर्गतन, कम विशिष्टताओं वाली वस्तुओं एवं कम संख्या में वस्तुओं की आपूर्ति के दृष्टान्तों को पाया। ये सभी कतिपय आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचाने के अतिरिक्त रिम्स में एक प्रभावकारी आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अनुपस्थिति के द्योत्तक हैं। फलस्वरूप, ₹ 26.34 करोड़ मूल्य के 125 मूल और उन्नत डेंटल चेयर, एक चलन्त डेंटल वैन (एमडीवी) और 10 रेडियोविज़ियोग्राफी (आरवीजी) प्रणाली उच्च दरों पर खरीदे गए। इसके अलावा, रिम्स चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति में विलंब के लिए आपूर्तिकर्ताओं पर ₹ 2.37 करोड़ का जुर्माना लगाने में विफल रहा, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.1.2 निधियों का प्रबंधन

रिम्स अधिनियम, 2002 की धारा 7 और 12 के अनुसार, रिम्स के वार्षिक बजट के अनुमोदन के लिए अधिशासी परिषद जिम्मेदार है।

अपनी 34वीं बैठक (अगस्त 2013) में अधिशासी परिषद ने भारतीय दन्त परिषद (डीसीआई) के मानदंडों के अनुरूप दन्त चिकित्सा संस्थान, रिम्स के लिए दन्त चिकित्सा उपकरणों यथा- डेंटल चेयर, चलन्त डेंटल वैन, आरवीजी प्रणाली आदि के क्रय हेतु ₹ 5.80 करोड़ के परिव्यय की मंजूरी दी। हालांकि, रिम्स निदेशक ने झारखण्ड सरकार को ₹ 9.29 करोड़ का विस्तृत बजट प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2013), जिसमें प्रमुख मदों की कीमत शामिल थीं यथा- ₹ 2 लाख प्रत्येक की दर से 200 मूल डेंटल चेयर (बीडीसी), ₹ 4 लाख प्रत्येक की दर से 50 उन्नत डेंटल चेयर (एडीसी), ₹ 50 लाख की दर से एक एमडीवी और ₹ 2 लाख प्रत्येक की दर से तीन आरवीजी प्रणाली।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रिम्स ने ₹ 37.17 करोड़ (करों को छोड़कर) मूल्य के दन्त चिकित्सा उपकरणों का क्रय किया जिसमें ₹ 14.29 लाख की दर से 110 बीडीसी,

₹ 42.86 लाख की दर से 15 एडीसी, ₹ 1.48 करोड़ की दर से एक एमडीवी तथा ₹ 9.50 लाख की दर से 10 आरवीजी प्रणाली शामिल थे।

इस प्रकार, रिम्स दन्त चिकित्सा उपकरणों की खरीद में अपने स्वयं के बजट पर दृढ़ नहीं रहा। ₹ 27.88 करोड़ (400 प्रतिशत) का बजटीय विचलन इसलिए संभव हो सका क्योंकि विभाग ने निधियों को संकाय/विभाग-वार कर्णांकित किए बिना संपूर्ण रिम्स के विकास कार्यों के लिए समेकित निधि जारी की थी। क्रय प्रक्रिया में अनियमितता के आरोपों के बावजूद अधिशासी परिषद ने भी अपनी बैठकों में विचलन के कारणों पर चर्चा नहीं की।

रिम्स निदेशक ने बताया (जुलाई 2020) कि दन्त चिकित्सा संस्थान की प्रारंभिक योजना के दौरान डीसीआई मानदंडों के अनुरूप उपकरणों की आवश्यकताओं के आधार पर एक प्राक्कलन तैयार किया गया था, परन्तु बाद में डेंटल महाविद्यालयीय भवन के निरीक्षण के उपरांत, यह पाया गया कि निर्माण में कई बड़ी खामियां थीं और इसलिए उपकरणों का क्रय पाँच वर्ष की विस्तारित वारंटी के साथ टर्नकी आधार पर करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके फलस्वरूप अनुमानित बजट में वृद्धि हुई।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दन्त चिकित्सा संस्थान के भवन निर्माण में खामियां दर्शाने वाला कोई दस्तावेज न तो संबंधित संचिकाओं में उपलब्ध था और न ही उत्तर के साथ संलग्न था। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि डेंटल चेयर की स्थापना के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा केवल कम्प्रेसर कक्ष हेतु सिविल कार्य और पाईपलाइन एवं विद्युत कार्य किया गया था जो निविदा की शर्तों के अनुरूप था। पुनश्च, अनुवर्ती बजटों या अधिशासी परिषद की बैठकों के कार्यवृत्त में इस विचलन का कोई औचित्य दर्ज नहीं था।

2.1.3 निविदा मूल्यांकन

2.1.3.1 निविदा का मनमाना मूल्यांकन

झारखण्ड वित्तीय नियमावली (जेएफआर) का नियम 131 R(x) यह कहता है कि प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन निविदा दस्तावेजों में पहले से शामिल शर्तों के अनुसार ही किया जाना चाहिए और कोई भी नई शर्त, जो निविदा दस्तावेजों में शामिल नहीं थी, निविदा मूल्यांकन के लिए नहीं लानी चाहिए। इसके अलावा, इसी नियमावली का नियम 126(v) यह कहता है कि क्रय के प्रत्येक चरण में संबंधित क्रय करने वाला प्राधिकरण उन विचारों को संक्षेप में अवश्य दर्ज करेगा जो क्रय संबंधी निर्णय लेते समय भारित हुए थे। आगे, सीवीसी द्वारा जारी (जुलाई 2003 और अप्रैल 2014) दिशानिर्देशों के अनुसार, पूर्व-योग्यता मानदंड निविदा आमंत्रित करते समय ही स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए और किसी भी बोली की स्वीकृति/अस्वीकृति में मनमानी नहीं होनी चाहिए बल्कि निर्धारित मानदंडों के अनुरूप तर्कसंगत आधार पर होनी चाहिए।

रिम्स ने दन्त चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए एक निविदा आमंत्रित की (जनवरी 2016) जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन, तकनीकी योग्यता 60 प्रतिशत और

वित्तीय प्रस्ताव 40 प्रतिशत भारांक के साथ बद्ध था। तकनीकी भारांक उद्धृत उपकरणों की विशिष्टताओं एवं प्रदर्शन पर तय करना था तथा वित्तीय भारांक दिए गए दरों को न्यूनतम बोलीकर्ता के दर के सापेक्ष तय करना था। अंतिम निर्णय संयुक्त भारांक के आधार पर लिया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तकनीकी समिति ने भारांक आधारित मूल्यांकन पद्धति नहीं अपनायी और इसके विपरीत, विशिष्टताओं, दस्तावेजों और उपकरणों के प्रदर्शन के तुलनात्मक जाँच के आधार पर बोलीकर्ताओं को तकनीकी अर्हता प्राप्त/अनर्ह घोषित कर दिया। क्रय समिति ने भी दर अनुमोदन हेतु कोई संयुक्त तकनीकी एवं वित्तीय भारांक नहीं दिया और अर्हता प्राप्त बोलीकर्ताओं में से न्यूनतम दर को अनुमोदित कर दिया। मूल्यांकन प्रतिवेदनों में भारांक आधारित मूल्यांकन पद्धति नहीं अपनाने का कारण दर्ज नहीं था।

इस प्रकार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा निर्णयित नहीं हुई तथा ₹ 18.52 करोड़ मूल्य के 20 उपकरण इस निविदा के माध्यम से खरीदे गए। वित्तीय नियमों की अवहेलना कर निविदा के मनमाने मूल्यांकन के लिए क्रय समिति के सदस्य और रिम्स निदेशक, जिन्होंने समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार किया एवं क्रय को मंजूरी दी, जिम्मेवार हैं।

रिम्स निदेशक ने जवाब दिया कि बोलीकर्ताओं की योग्यता का निर्धारण तकनीकी एवं विशिष्टता मूल्यांकन के आधार पर किया गया था और अत्यंत जटिल उपकरणों के तकनीकी मूल्यांकन में अन्य बातों के साथ-साथ व्यवहारिक प्रदर्शन भी शामिल था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा शर्तों के अनुसार भारांक आधारित बोली मूल्यांकन नहीं किया गया और इस विचलन का कारण दर्ज नहीं किया गया।

2.1.3.2 कार्यों का अनियमित आवंटन

स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के अनुपालन में रिम्स निदेशक ने दोनों अभिकरणों से स्पष्टीकरण माँगा (सितंबर 2016) लेकिन केवल एक अभिकरण³ ने ही सभी आरोपों को नकारते हुए उत्तर दिया (सितंबर 2016)। हालांकि, निदेशक ने स्वास्थ्य मंत्री के सुझाव के अनुरूप अभिकरण के दावे तथा अन्य संस्थानों द्वारा क्रयित समान प्रकार के उपकरणों की कीमत अथवा उसका बाजार मूल्य को प्रतिपरीक्षण किए बिना अभिकरण को 36 बीडीसी की आपूर्ति के विरुद्ध ₹ 5.40 करोड़ के बकाया विपत्र का भुगतान किया (नवंबर 2016)। आगे, इसी आपूर्तिकर्ता को जनवरी 2017 और दिसंबर 2017 के बीच 50 और बीडीसी, पाँच एडीसी और दस आरवीजी प्रणाली के लिए क्रयादेश जारी किया गया तथा जुलाई 2017 और अगस्त 2018 के बीच ₹ 11.40 करोड़ का भुगतान किया गया। रिम्स निदेशक ने इस अभिकरण को और क्रयादेश निर्गत करने से पूर्व न तो जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया न ही स्वास्थ्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया।

³ मेसर्स श्रीनाथ इंजीनियरिंग सेल्स एवं सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता

इन दो बोलीकर्ताओं द्वारा बोली के साथ प्रस्तुत (जून 2015 और जनवरी 2016) आठ प्रकार⁴ के दस्तावेजों, उन उपकरणों के निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया, जहाँ केवल ये दो बोलीकर्ता ही तकनीकी अर्हता प्राप्त किए थे, इन अभिकरणों को भुगतान करने हेतु रिम्स द्वारा अधिष्ठापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए अंगीकृत प्रक्रिया और इन अभिकरणों द्वारा निविदा शर्तों के अनुपालन का लेखापरीक्षा ने विश्लेषण किया और निम्नलिखित अनियमितताएं पाईं:

- (क) सेवा-कर पंजीकरण प्रमाणपत्रों में दोनों आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दर्ज लैंडलाइन नंबर समान थे।
- (ख) मेसर्स डीके के वर्ष 2014-15 और 2015-16 के आयकर विवरणी में मालिक का पता वही था जो मेसर्स श्रीनाथ के सभी दस्तावेजों में उसका पता दर्ज था।
- (ग) झारखण्ड वाणिज्य-कर पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित मेसर्स डीके का स्थानीय पता खोजने योग्य नहीं था क्योंकि उसमें प्लॉट संख्या अथवा भवन/मकान संख्या समाविष्ट नहीं था। हालाँकि, मेसर्स श्रीनाथ का स्थानीय पता खोजने योग्य था।
- (घ) एमडीवी की बोली के लिए मेसर्स डीके और मेसर्स श्रीनाथ ने एक ही निर्माता या अधिकृत डीलर का प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था।
- (ङ.) मेसर्स डीके ने उसके दर अनुमोदित (दिसंबर 2015) होने के बाद भी बीडीसी की आपूर्ति नहीं की और अंततः ये वस्तुएँ दूसरी निविदा के माध्यम से मेसर्स श्रीनाथ से खरीदी (सितंबर 2016 और फरवरी 2018 के बीच) गईं।
- (च) दोनों निविदाओं (जून 2015 और जनवरी 2016) में, 275 वस्तुओं में से 22 वस्तुएँ, जिनमें अधिकांश लागते समाहित थीं, केवल मेसर्स श्रीनाथ और मेसर्स डीके ने अर्हता प्राप्त की और अंततः निविदा मेसर्स श्रीनाथ को प्रदान की गई।
- (छ) आगे, लेखापरीक्षा द्वारा बोली के तकनीकी मूल्यांकन में अनियमितता (कंडिका 2.1.4), उच्चतर दरों का अनुमोदन (कंडिका 2.1.5) तथा कमियों के बावजूद मेसर्स श्रीनाथ के पक्ष में जारी अधिष्ठापन प्रमाणपत्र (कंडिका 2.1.6) के मामले पाए गए।

इस प्रकार, इन दो आपूर्तिकर्ताओं के बीच मिलीभगत और रिम्स द्वारा एक विशेष आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ प्रदान करने से इंकार नहीं किया जा सकता।

जवाब (जुलाई 2020) में, रिम्स निदेशक ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि केवल समान पता होना, समान दूरभाष संख्या होना और समान मंजिल होना आदि एक बोलीकर्ता, जिसे खुली निविदा हेतु कानूनी इकाई की मान्यता प्राप्त है, की भागीदारी को रोकने का एक कारण नहीं हो सकता है, यदि वह बोलीकर्ता सभी प्रक्रियाओं का अनुसरण

⁴ निविदा प्रपत्र, सतर्कता अनापत्ति एवं इस तथ्य का आश्वासन संबंधी शपथ पत्र कि निविदा में दिए गए मूल्य से कम मूल्य पर निवेदक द्वारा कहीं अन्यत्र आपूर्ति नहीं की जा रही है, वाणिज्यकर विभाग का पंजीकरण प्रमाणपत्र, आयात एवं निर्यात प्रमाणपत्र, पेशा-कर पंजीकरण प्रमाणपत्र, आयकर विवरणी, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे तथा सेवा-कर पंजीकरण प्रमाणपत्र।

करता है। यह भी कहा गया कि सभी वैध कागजात रखने तथा सभी निविदा शर्तों का पालन करने वाली कंपनी पात्र है। एक परिसर में कई कंपनियाँ मौजूद हो सकती हैं और एक दूरभाष संख्या का इस्तेमाल कई कंपनियाँ कर सकती हैं, इसका मतलब मिलीभगत नहीं होता है। यह भी कहा गया कि बोलीकर्ता ने कर पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था जो सत्यापन सहित सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही जारी किया जाता है। इसके अलावा, सीवीसी ने पूरे भारत में कई डीलरों को अधिकृत करने से कभी भी किसी निर्माता को नहीं रोका है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोलीकर्ताओं का एक ही दूरभाष संख्या और एक ही पता होने के साथ-साथ एकसमान बोली लगाने तथा निविदा की शर्तों से परे निविदा के तकनीकी मूल्यांकन में एकरूपता की अनुपस्थिति, गैर-पारदर्शिता और मनमानी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों बोलीकर्ताओं को अनुचित लाभ हुआ जैसा कि कंडिका 2.1.4 में वर्णित है, मिलीभगत और बोली में भाव बढ़ाने का संदेह उत्पन्न करता है। निविदा प्रक्रिया में मिलीभगत को विभागीय समिति ने भी उजागर किया था। इसके अलावा, माननीय मंत्री द्वारा इन मुद्दों को उठाने के बावजूद अन्य संस्थानों द्वारा खरीदे गए समान वस्तुओं की कीमतों या बाजार कीमतों का पता लगाने के लिए रिम्स द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया।

2.1.3.3 रिम्स विनियमों का उल्लंघन करते हुए निविदा मूल्यांकन

रिम्स विनियम, 2014 के अनुच्छेद 6 के अनुसार विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली वित्त एवं लेखा समिति⁵ निविदा के निस्तारण के लिए जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रिम्स की अधिशासी परिषद ने निर्णय लिया (अगस्त 2004) कि विशेष उपकरणों या मशीनों, दवाओं और रसायनों के मामले में बोलियों के तकनीकी अनुमोदन के लिए, संबंधित विभागाध्यक्ष (एचओडी) निविदा समिति के सदस्य होंगे। हालांकि, रिम्स ने वर्ष 2006 में बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए एक अलग तकनीकी समिति का गठन किया। रिम्स निदेशक द्वारा समिति का पुनर्गठन किया गया (जून 2014), जिसमें चिकित्सा अधीक्षक अध्यक्ष और सात विभागों⁶ के विभागाध्यक्ष सदस्यों के रूप में थे। तकनीकी समिति ने बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन किया और बोलीकर्ताओं को अर्हता प्राप्त अथवा अनर्ह घोषित किया। तत्पश्चात क्रय समिति⁷ ने अर्हता प्राप्त बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोली खोलकर दर निर्णय किया। इस प्रकार, निविदा प्रक्रिया में बिना किसी परिभाषित भूमिका अथवा सीमित भूमिका वाली

⁵ (i) विभाग के सचिव (अध्यक्ष); (ii) रिम्स के निदेशक (सदस्य सचिव); (iii) रिम्स के आंतरिक वित्तीय सलाहकार; (iv) वित्त विभाग के सचिव या उनके प्रतिनिधि; (v), चिकित्सा-शिक्षा, स्वास्थ्य निदेशालय के निदेशक; (vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि (vii) अधिशासी परिषद का एक चिकित्सा विशेषज्ञ और (viii) विभाग के तकनीकी प्रकोष्ठ के तकनीकी अधिकारी (कार्यकारी अभियंता), इसके सदस्य के रूप में।

⁶ नेत्र, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, स्त्री रोग, पैथोलॉजी, संबंधित विभाग और रेडियोलॉजी।

⁷ रिम्स विनियम, 2014 का अनुच्छेद 6(vi) एक भण्डार और क्रय समिति का, इसकी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को परिभाषित किए बिना, प्रावधान करता है।

समितियों को निविदा निर्णय का कार्य सौंपा गया। निविदा प्रक्रिया में वित्त एवं लेखा समिति बिल्कुल भी शामिल नहीं थी, जबकि विनियमों के अनुसार वही निविदा निर्णयों के लिए जिम्मेदार थी। इस प्रकार, रिम्स ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि निविदाओं के निर्णय उसके लिए नामित निकाय द्वारा किए जाएँ।

रिम्स निदेशक ने कहा (जुलाई 2020) कि तकनीकी समिति द्वारा तकनीकी विशिष्टताओं का निर्धारण और निविदाओं का मूल्यांकन, वर्ष 2006 से एक नियमित प्रक्रिया रही है। उन्होंने आगे कहा कि क्रय समिति ने निविदाओं का अनुमोदन तकनीकी समिति के साथ मिलकर एक संयुक्त बैठक में किया था।

उत्तर यह पुष्टि करता है कि जो प्रथा क्रय प्रणाली में अन्तर्निहित थी और रिम्स द्वारा अपनाई जा रही थी, विनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। जैसा कि विनियम के तहत अपेक्षित था, निविदा प्रक्रिया में वित्त एवं लेखा समिति को शामिल नहीं करने के बारे में उत्तर मौन था।

2.1.4 अनियमित तकनीकी मूल्यांकन

लेखापरीक्षा ने निविदा की शर्तों से परे बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन में एकरूपता का अभाव, अपारदर्शिता और मनमानापन पाया। उदाहरण उत्तरवर्ती कंडिकाओं में दिए गए हैं।

मूल डेंटल चेर (प्रथम निविदा)

जून 2015 में आमंत्रित निविदा में छः में से दो बोलीकर्ताओं को अर्हता प्राप्त घोषित (अक्टूबर 2015) किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- तीन बोलीकर्ताओं⁸ को उन टिप्पणियों के साथ अनर्ह घोषित कर दिया गया था कि प्रस्तुत कैटलॉग निविदा में निर्धारित चेर की विशेषताएं नहीं दर्शाती थीं। हालांकि, एक अन्य बोलीकर्ता (मेसर्स डीके) को अर्हता प्राप्त घोषित किया गया जबकि उसने अपनी बोली में न तो चेर का मॉडल विनिर्दिष्ट किया था और न ही कोई कैटलॉग प्रस्तुत किया था।
- एक बोलीकर्ता⁹ को "अपूर्ण जानकारी" के कारण अनर्ह घोषित किया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा इस टिप्पणी की सत्यता की जाँच नहीं कर सका क्योंकि मूल्यांकन प्रतिवेदन में यह विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था कि तकनीकी समिति द्वारा कौन सी जानकारी सत्यापित नहीं की जा सकी थी।

रिम्स निदेशक ने उत्तर दिया कि बोलीकर्ताओं का चयन और अस्वीकृति किसी एक कारण से नहीं था, बल्कि इस प्रक्रिया में कई प्रमुख कारकों का योगदान था। इन कारकों में अन्य बातों के अलावा प्रदत्त तकनीकी सूचना, यूएस एफडीए मानदंडों का अनुपालन,

⁸ मेसर्स कॉन्फिडेंट डेंटल इक्विपमेंट लिमिटेड, कोलकाता, मेसर्स कैलाश सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड, राँची और मेसर्स ओशन इंटरप्राइजेज, जमशेदपुर।

⁹ मेसर्स श्रीनाथ

स्थल भ्रमण, विभिन्न स्थलों पर बोलीकर्ता द्वारा पहले से किए गए समरूप अधिष्ठापनों की संख्या, व्यावहारिक प्रदर्शन करने की क्षमता, पश्च-अधिष्ठापन सहयोग आदि शामिल थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चयन और अस्वीकृति के संबंध में रिम्स निदेशक द्वारा बताए गए कारण निविदा के दायरे में नहीं थे। उत्तर में उल्लेखित अन्य कारणों के संबंध में लेखापरीक्षा ने स्थल भ्रमण अथवा व्यावहारिक प्रदर्शन की अनिच्छा दर्शाता अनर्ह बोलीकर्ताओं का कोई असम्मति-पत्र नहीं पाया। सफल बोलीकर्ताओं के संबंध में भी स्थल भ्रमण और व्यावहारिक प्रदर्शन पर तकनीकी समिति के निष्कर्ष, अभिलेखों में नहीं थे। असफल बोलीकर्ताओं के पास यूएस एफडीए प्रमाणन नहीं होने का कारण भी स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निविदा के अनुसार एफडीए, सीई, यूएल या बीआईएस में से उत्पाद का कोई भी प्रमाणीकरण स्वीकार्य था। इसके अलावा, सफल बोलीकर्ताओं में से एक (मेसर्स डीके) ने अपनी बोली में न तो चेरर के मॉडल को विनिर्दिष्ट किया न ही उत्पाद का कोई एफडीए प्रमाणन प्रस्तुत किया वहीं एक अन्य सफल बोलीकर्ता (मेसर्स विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता) ने सीई-प्रमाणित चेरर की पेशकश की और एफडीए-प्रमाणित चेरर की नहीं।

मूल डेंटल चेरर (द्वितीय निविदा)

निविदा जनवरी 2016 में आमंत्रित किए गए थे जिसमें तीन में से दो बोलीकर्ताओं को मार्च 2016 में अर्हता प्राप्त घोषित किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- जैसा कि कंडिका 2.1.3.1 में चर्चा की गई है, निविदा का निर्णय भारांक विन्यास के आधार पर किया जाना था। निविदा के अनुसार प्रमुख वस्तुओं का स्थल पर व्यावहारिक प्रदर्शन भी तकनीकी समिति द्वारा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रिम्स निदेशक ने तकनीकी समिति को निर्देश दिया (17 मार्च 2016) कि वे स्थल पर व्यावहारिक प्रदर्शन करने हेतु सभी तीन बोलीकर्ताओं से परामर्श करें और तकनीकी मूल्यांकन समाप्त करें। हालांकि, तकनीकी समिति ने केवल व्यावहारिक प्रदर्शन के आधार पर बोलीकर्ताओं की तकनीकी क्षमताओं का मूल्यांकन किया (28 मार्च 2016) और भारांक आधारित तकनीकी मूल्यांकन को नहीं अपनाया और इस प्रकार एक विषयपरक मूल्यांकन की उपेक्षा की। आगे जाँच से पता चला कि एक बोलीकर्ता¹⁰ को इस टिप्पणी के साथ अनर्ह घोषित कर दिया गया था कि बोलीकर्ता उपकरण का प्रदर्शन करने में विफल रहा और सूचित किया कि उसने भारत में कोई अधिष्ठापन नहीं की है। हालांकि, तकनीकी समिति के इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज अभिलेख में नहीं था। इसके अलावा, दो सफल बोलीकर्ताओं का उनके द्वारा अधिष्ठापन तथा स्थल पर व्यावहारिक प्रदर्शन की व्यवस्था का विवरण संबंधी कोई अनुक्रिया अभिलेख में नहीं पाया गया। सफल बोलीकर्ताओं द्वारा वर्तमान में अधिष्ठापित चेररों के व्यावहारिक

¹⁰ मेसर्स कैलाश सर्जिकल प्रा. लिमिटेड, राँची।

प्रदर्शन के संबंध में तकनीकी समिति के निष्कर्ष भी, यदि कोई हों, अभिलेख में नहीं पाए गए।

- दो तकनीकी अर्हता प्राप्त बोलीकर्ताओं¹¹ ने आवश्यक उत्पाद के मूल निर्माता (ओईएम) का प्राधिकरण पत्र, प्रस्तावित चेयरों के साहित्यिक पर्ची और कैटलॉग प्रस्तुत नहीं किए थे, जबकि निविदा के अनुसार तकनीकी क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए ये दस्तावेज अनिवार्य थे। इसके बजाय, उन्होंने वितरक से प्राप्त प्राधिकरण पत्र जमा किए थे जिन्हें तकनीकी समिति द्वारा वैध माना गया था।
- सफल बोलीकर्ताओं में से एक (मेसर्स डीके) ने पिछली निविदा (जून 2015) में भी भाग लिया था, जहां क्रय समिति द्वारा उसे ₹ 4.25 लाख प्रति चेयर की बोली के साथ न्यूनतम बोलीकर्ता घोषित किया गया था (दिसंबर 2015)। बाद में, बोलीकर्ता ने निर्माता कंपनी के देश (फिनलैंड) में बाढ़ एवं अनिश्चित काल के लिए चेयर निर्माण को निलंबित करने के कारण चेयरों की आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता जतायी (11 जनवरी 2016)। हालांकि, रिम्स ने इस बोलीकर्ता को 25 चेयरों की आपूर्ति के लिए क्रय-आदेश (15 जनवरी 2016) जारी किया। चूंकि आपूर्तिकर्ता क्रय-आदेश का अनुपालन करने में विफल रहा था, उसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए था। इसके बजाय, आपूर्तिकर्ता ने दूसरी निविदा में भाग लिया और उसे अर्हता प्राप्त घोषित भी किया गया (मार्च 2016), जबकि वह, जिसके विरुद्ध क्रय-आदेश जारी हुआ था, निविदा की शर्त के अनुसार संविदा-भंग करने के लिए काली सूची में डालने और किसी भी अन्य निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित करने योग्य था।

रिम्स निदेशक ने कहा (जुलाई 2020) कि दोनों सफल बोलीकर्ताओं ने व्यावहारिक प्रदर्शन के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी। तकनीकी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके बाद बोलीकर्ताओं का चयन किया गया। प्राधिकार के संबंध में, यह कहा गया कि निर्माता कंपनी के भारतीय चैनल साझेदार द्वारा मुख्य निर्माता कंपनी से पश्च-विक्रय सुविधा वाले व्यवस्था-पत्र के साथ प्राधिकार प्रदान किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यावहारिक प्रदर्शन पर तकनीकी समिति का उक्त प्रतिवेदन न तो अभिलेख में पाया गया और न ही रिम्स द्वारा उत्तर के साथ संलग्न किया गया था। भारांक आधारित मूल्यांकन नहीं करने तथा सफल बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित चेयरों की साहित्यिक पर्ची और कैटलॉग को प्रस्तुत न करने के बारे में भी उत्तर मौन था। आगे, भारतीय चैनल साझेदार का प्राधिकरणपत्र और ओईएम (ऑलसेन) का व्यवस्था-पत्र न तो निविदा के साथ संलग्न पाया गया और न ही उत्तर के साथ प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा, निविदा के अनुसार ओईएम का प्राधिकरणपत्र आवश्यक था और अन्य कोई भी अंगीकृत प्रक्रिया निविदा की शर्तों से विचलन था।

¹¹ मेसर्स श्रीनाथ और मेसर्स डीके

उन्नत डेंटल चेयर (एडीसी)

जून 2015 में आमंत्रित निविदा में, छः में से दो बोलीकर्ताओं को अर्हता प्राप्त घोषित (अक्टूबर 2015) किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- चार बोलीकर्ताओं को कार्यात्मक विवरण और परिचालन आवश्यकता के विवरण की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए तकनीकी रूप से अनर्ह घोषित किया गया था, जबकि ये सब लेखापरीक्षा द्वारा बोली की तालिका 4ए में निविदा के तहत आवश्यक पाए गए थे।
- आगे की जाँच से पता चला कि एक सफल बोलीकर्ता (मेसर्स श्रीनाथ) ने निविदा में माँगी गई तालिका 4ए में जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी जो विशिष्टताओं के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए आवश्यक थी। बल्कि, उसने अपने प्रस्ताव-पत्र में भिन्न विशिष्टताएं प्रस्तुत की थीं, जो निर्धारित प्रारूप में नहीं थे तथा 90 प्रतिशत से अधिक विशिष्टताएं तुलनीय नहीं थीं।
- एक बोलीकर्ता (मेसर्स विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता) को इस आधार पर असफल घोषित कर दिया गया था कि उसकी बोली में वर्णित कम्प्रेसर आवश्यक मानदंड को पूरा नहीं करता था। यह देखा गया कि बोलीकर्ता ने दोनों प्रकार के चेयरों (मूल और उन्नत) की निविदाओं में भाग लिया था और दोनों बोलियों की तालिका 4ए में यह उल्लेख किया था कि निविदा के तहत आवश्यक विशिष्टता (1200 से 1500 आरपीएम) कम्प्रेसर का गुण नहीं था। उसे एक ही तकनीकी समिति द्वारा एक ही दिन बीडीसी की निविदा में अर्हता प्राप्त और एडीसी की निविदा में असफल घोषित किया गया।

रिम्स निदेशक ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि बोलीकर्ताओं के चयन या अस्वीकृति के कई कारण थे, जैसा कि बीडीसी के मामले में बताया गया था। यह भी कहा गया कि मेसर्स कैलाश सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड, राँची ने यूएस एफडीए प्रमाणन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया था और इस प्रकार, विशिष्टताएं निविदा शर्तों से मेल नहीं खा रही थीं।

उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि निविदा में यह उल्लेख है कि पूरी प्रणाली यूएस एफडीए, सीई, यूएल या बीआईएस में से किसी से अनुमोदित होनी चाहिए। तकनीकी समिति ने भी एफडीए प्रमाणीकरण प्रस्तुत नहीं करने को अपने मूल्यांकन प्रतिवेदन में अयोग्यता के कारण के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया था। बोलीकर्ताओं को अर्हक/अनर्ह घोषित करने का आधार निविदा के दायरे में होना चाहिए न कि मूल्यांकन समिति के विवेक पर और मूल्यांकन प्रतिवेदन में इसे विस्तार से दर्ज किया जाना चाहिए। विशिष्टताओं का विवरण, जो आवश्यक मानदंड से मेल नहीं खाते थे, को भी समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्ज करना चाहिए था। आगे, निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन प्रतिवेदन में निविदा की शर्तों से विचलन का औचित्य का प्रलेखन किया जाना चाहिए था।

चलन्त डेंटल वैन (एमडीवी)

जून 2015 में आमंत्रित निविदा में तीन बोलीकर्ताओं में से दो को अर्हता प्राप्त घोषित (अक्टूबर 2015) किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- भारतीय दन्त परिषद (डीसीआई) द्वारा जारी दन्त शल्य चिकित्सा स्नातक (बीडीएस) पाठ्यक्रम रेगुलेशन, 2007 के अनुसार, एमडीवी में 15 से 20 लोगों के बैठने की क्षमता होनी चाहिए और दो डेंटल चेयर इकाई¹² एवं 11 अन्य डेंटल उपकरणों¹³ से लैस होना चाहिए। हालाँकि, रिम्स निदेशक ने डीसीआई मानदंडों के अनुरूप वैन की क्षमता एवं अन्य आवश्यकताओं को विनिर्दिष्ट किए बिना निविदा आमंत्रित की (जून 2015), जिसमें बोलीकर्ता अपनी स्वयं की विशिष्टताएं और वाहन के बॉडी फेब्रिकेशन, विद्युतीय पुर्जे, जल-प्रणाली और उपकरणों संबंधी विवरण प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो सफल बोलीकर्ताओं (मेसर्स डीके और मेसर्स श्रीनाथ) द्वारा प्रस्तावित एमडीवी एक जैसे थे और उनमें डीसीआई मानदंडों के तहत आवश्यक दो डेंटल चेयर की सुविधा और 15 से 20 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता नहीं थी। आगे, सफल बोलीकर्ताओं ने 11 में से चार¹⁴ दन्त चिकित्सा उपकरणों की पेशकश नहीं की थी और 400 लीटर के बजाय 150 लीटर के पानी-टंकी की पेशकश की गई थी, जिसे डीसीआई ने दिसंबर 2018 में अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में भी इंगित किया था। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य सामान जैसे आरबीजी प्रणाली, कंप्यूटर एवं रंगीन प्रिंटर, युवी क्लीनर और हस्त उपकरणों का एक पूरा सेट, जो मंहगे थे और डीसीआई मानदंडों के अनुसार आवश्यक नहीं थे, एमडीवी के साथ पेश किए गए थे। प्रस्तावित उपकरणों के मेक और मॉडल भी बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट नहीं थे। इस प्रकार, एमडीवी की खरीद में रिम्स ने डीसीआई मानदंडों का पालन नहीं किया।

- सफल बोलीकर्ताओं ने मेक 'फोर्स मोटर्स', मॉडल 'ट्रैवलर टीडी बीएस 3' के चेसिस वाले एमडीवी के साथ ओईएम अर्थात् फोर्स मोटर के प्राधिकार, जो निविदा के तहत

¹² हाइड्रॉलिक रूप से संचालित पीकदान संलग्नक के साथ, 2 तीव्रता वाले हैलोजन लाइट, एयर-वेंचुरी सक्शन, एयर-रोटर, सूक्ष्म-मोटर, 3 वे-स्केलर और लाइट क्योर, एक्स-रे दृश्यक, ओजार-ट्रे, शल्य-क्रिया स्टूल।

¹³ एक आटोकलेव, एक इंटर-ओरल सुवाहय एक्स-रे मशीन, एक ग्लास बीड विसंक्रमित्र, एक कम्प्रेसर, वॉश बेसिन के साथ एक मेटल कैबिनेट, दो सुवाहय डेंटल चेयर (एयर-रोटर, सूक्ष्म-मोटर, स्केलर और कम्प्रेसर के साथ सूटकेस इकाई वाले) 4 केवी का एक स्टेबलाइजर, 4 केवी का एक जनरेटर, 400 लीटर वाली एक पानी-टंकी और एक ऑक्सीजन सिलेंडर। दो अन्य वस्तुओं यथा- एक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और डीसीआई मानदंडों के तहत आवश्यक एक प्रदर्शन मॉडल के लिए अलग से निविदा आमंत्रित की गई थी।

¹⁴ एक ग्लास बीड विसंक्रमित्र, दो सुवाहय डेंटल चेयर (एयर-रोटर के साथ सूटकेस इकाई, सूक्ष्म-मोटर, स्केलर और कम्प्रेसर), 4 केवी का एक स्टेबलाइजर और एक ऑक्सीजन सिलेंडर।

आवश्यक था, के बजाय फोर्स मोटर के वितरक/ डीलर का प्राधिकार की पेशकश की।

- एक सफल बोलीकर्ता (मेसर्स श्रीनाथ) ने वैन में 'सुची' मेक डेंटल चेयर लगाने की पेशकश की थी। हालांकि, उसी निविदाकर्ता द्वारा उसी निविदा में प्रस्तावित बीडीसी के लिए वही चेयर उसी दिन तकनीकी समिति द्वारा तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं पाई गई थी। इस प्रकार, तकनीकी रूप से अव्यवहार्य वस्तु को स्वीकार कर बोलीकर्ता को अनुचित लाभ दिया गया।

रिम्स निदेशक ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि एमडीवी के लिए डीसीआई मानदंड व्यावहारिक नहीं थे क्योंकि इसके लिए एक बड़े वाहन की आवश्यकता पड़ती जिससे सुदूर क्षेत्रों में आवागमन में कठिनाई होती और तकनीकी समिति ने डीसीआई के अन्य प्रासंगिक विशिष्टताओं को यथावत रखते हुए एकल चेयर वाली एक छोटी वैन खरीदने का निर्णय लिया। बाद में, दन्त चिकित्सा संस्थान के पूर्व प्राचार्य के अनुरोध पर और आपूर्तिकर्ता के प्रयासों से, बिना किसी अतिरिक्त कीमत के एक अतिरिक्त चेयर, एक सुवाह्य जैव-शौचालय और चिकित्सकों हेतु सुवाह्य परामर्श कक्ष को शामिल करके डीसीआई मानदंडों को पूरा करने का एक व्यावहारिक समाधान किया गया था। तथापि, आपूर्तिकर्ता ने उच्च संस्करण के उच्च गुणवत्ता वाले दो चेयर प्रदान किए। शेष कमियाँ (डीसीआई द्वारा इंगित) को ठीक कर दिया गया था, जिसके लिए नई निविदा आमंत्रित की गई थी। आगे यह कहा गया कि प्राधिकार फोर्स मोटर द्वारा प्रदान किया गया था जो निर्माण और फेब्रिकेशन के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित कंपनी है।

उत्तर यह इंगित करता है कि डीसीआई मानदंडों के अनुरूप महत्वपूर्ण संशोधन और परिवर्धन, जिन पर क्रय के समय विचार नहीं किया गया, या तो किए गए थे या प्रक्रियारत थे। संशोधनों के लिए डीसीआई का अनुमोदन लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। आगे, विशिष्टताओं के बगैर निविदा आमंत्रण द्वारा उपकरणों के गुणों का मानकीकरण संभव नहीं था और तकनीकी समिति किसी भी मॉडल को चुनने के लिए स्वतंत्र थी। आपूर्तित चेयर भी न्यून संस्करण के थे जैसा कि कंडिका 2.1.6 में चर्चा की गई है। उत्तर इस संबंध में मौन था कि अपर्याप्त दन्त-चिकित्सा उपकरणों और अतिरिक्त व मंहगी वस्तुओं के साथ वाले प्रस्ताव तकनीकी समिति द्वारा क्यों स्वीकार किए गए। प्राधिकार के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों सफल बोलीकर्ताओं ने फोर्स मोटर्स के वितरक का प्राधिकार प्रस्तुत किया था न कि निर्माता (फोर्स मोटर्स) का।

अन्य उपकरण

- जनवरी 2016 में आमंत्रित निविदा में 15 वस्तुओं¹⁵ की आपूर्ति शामिल थी। बोलीकर्ताओं को वस्तुओं का मेक एवं मॉडल उद्धृत करना था तथा कैटलॉग के साथ

¹⁵ ग्लास बीड विसंक्रमित्र, वेल्डर, हाइड्रो सोल्डर, प्रेशर मोल्डिंग मशीन, सोल्डरिंग अटैचमेंट के साथ वेल्डर, न्यूमेटिक छेनी, माइक्रो सर्वेयर, क्योरिंग प्रेसर पाँट, पल्प टेस्टर, मैकेनिकल प्रेस, सैंड ब्लास्टिंग मशीन, फ्लास्क प्रेस, वैक्स हीटर, वैक्स कार्वर और सुई बर्नर।

साहित्यिक पर्ची, निर्माता द्वारा जारी निर्माण प्रमाणपत्र या प्राधिकार प्रमाणपत्र और बोली की तालिका 4ए में विस्तृत विशिष्टताएं प्रस्तुत करने थे। निविदा में 15 में से आठ¹⁶ वस्तुओं की विशिष्टताएं दी गयी थीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि दो बोलीकर्ताओं (मेसर्स श्रीनाथ और मेसर्स डीके) ने इन वस्तुओं के लिए बोली लगाई लेकिन अपनी बोली में वस्तुओं के मेक एवं मॉडल का उल्लेख नहीं किया और न ही उन्होंने आवश्यक पर्ची, कैटलॉग, निर्माण या प्राधिकार प्रमाणपत्र जमा किए। उन्होंने बोली के साथ तालिका 4ए में विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि, तकनीकी समिति ने इन दोनों बोलीकर्ताओं को आहर्ता प्राप्त घोषित किया और जून 2017 में ₹ 36.05 लाख के उपकरण खरीदे।

जवाब में, रिम्स निदेशक ने कहा कि खरीदे गए उपकरण अत्यधिक विशिष्ट प्रकार के नहीं थे, बल्कि वे बाजार की वस्तुएँ थीं। प्राधिकार के साथ-साथ उपकरणों का एएमसी वितरक द्वारा प्रदान किया गया।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक बार निर्धारित होने के बाद निविदा की शर्त की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, भले ही उपकरण अत्यधिक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता हो। आगे, किसी उपकरण की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है यदि उपकरण किसी विशेष मेक एवं मॉडल विनिर्दिष्ट किए बिना ही पेशकश की जाती है और बोलीकर्ता को घटिया उपकरण आपूर्ति करने का अवसर दिया गया। इसके अलावा, रिम्स निदेशक द्वारा उद्धृत प्राधिकार न तो अभिलेख में पाया गया और न ही उत्तर के साथ प्रस्तुत किया गया।

2.1.5 उच्च दरों पर एवं आवश्यकता से अधिक खरीद

जेएफआर का नियम 126 (iv) यह उपबंधित करता है कि क्रय प्राधिकारी को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि चयनित प्रस्ताव की कीमत उचित है और आवश्यक गुणवत्ता के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बजट अनुमानों से परे उच्चतर दरों पर और पूर्व की बोलियों में प्रस्तावित दरों को संदर्भित या बाजार दरों का सर्वेक्षण किए बिना दन्त चिकित्सा उपकरणों की खरीद हुई, जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

मूल डेंटल चेयर

रिम्स ने विभाग को प्रस्तुत (अक्टूबर 2013) अपने बजट में एक बीडीसी की दर प्रति इकाई ₹ 2 लाख अनुमानित की थी। निविदा करने पर (जून 2015) क्रय समिति ने मूल कीमत (कर रहित) ₹ 4.25 लाख प्रति इकाई अनुमोदित (दिसंबर 2015) किया। हालांकि, प्रथम निविदा में बोलीकर्ता द्वारा चेयर की आपूर्ति न करने के पूर्वानुमान में रिम्स ने समान विशिष्टताओं वाले बीडीसी के लिए पुनः निविदा आमंत्रित की (09 जनवरी 2016)।

¹⁶ ग्लास बीड विसंक्रमित्र, प्रेशर मोल्डिंग मशीन, सोल्डरिंग अटैचमेंट के साथ वेल्डर, न्यूमेटिक छेनी, माइक्रो सर्वेयर, पल्प टेस्टर, सैंड ब्लास्टिंग मशीन और सुई बर्नर।

दूसरी निविदा के आधार पर, रिम्स ने मूल कीमत प्रति ईकाई ₹ 14.28 लाख (कर रहित) पर 110 बीडीसी खरीदा (सितंबर 2016 और फरवरी 2018 के बीच), जो रिम्स द्वारा जानबूझकर उच्चतर दरों पर समान चेयर की खरीद का संकेत करता है।

लेखापरीक्षा ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या क्रय मितव्ययितापूर्वक किए गए थे, विभिन्न दरों का विश्लेषण किया। यह देखा गया कि प्रथम निविदा (जून 2015) में द्वितीय न्यूनतम बोलीकर्ता (एल2) द्वारा प्रस्तावित दर ₹ 6.25 लाख प्रति चेयर था। लेखापरीक्षा ने तीन सरकारी संस्थानों¹⁷ से डेंटल चेयरों के क्रय/अनुबंध दरों को भी एकत्र किया जो प्रति चेयर ₹ 2.35 लाख और ₹ 3.35 लाख के बीच था। आगे, डीसीआई मानदंडों को पूरा करने वाले डेंटल चेयर का इंटरनेट/ जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध (मार्च 2020) मूल्य ₹ 2 से ₹ 4.35 लाख के बीच था। इस प्रकार, रिम्स द्वारा प्रदत्त प्रति इकाई दर ₹ 14.28 लाख से काफी कम दरों पर चेयर उपलब्ध थे।

पूर्व निविदा में द्वितीय न्यूनतम उद्धृत मूल्य प्रति चेयर ₹ 6.25 लाख की तुलना में 110 मूल चेयरों की खरीद पर ₹ 8.83 करोड़ एवं कर अधिक व्यय किए गए (सितंबर 2016 और फरवरी 2018)।

रिम्स निदेशक ने कहा कि कीमत विभिन्न कारकों यथा- लादना, विन्यास, अनुषंगी-यंत्र, संलग्नक, टर्नकी कार्य, वारंटी, गुणवत्ता प्रमाणन और स्थायित्व पर आधारित थी। प्रथम निविदा में उद्धृत ₹ 6.25 लाख की एल2 कीमत बिना अनुषंगी-यंत्र के थी और अनुषंगी-यंत्र की कीमत अलग से उद्धृत की गई थी। कुल मिलाकर अंतिम कीमत, बोली में उद्धृत मूल्य से बहुत अधिक हो जाती। यह भी कहा गया कि आपूर्तिकर्ता ने सम्पूर्ण डेंटल महाविद्यालयीय भवन के प्रमुख टर्नकी कार्य¹⁸ का जिम्मा लिया है। यह जोर दिया गया कि उपरोक्त को एक नवनिर्मित अस्पताल का कुल टर्नकी कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि मूल चेयर की एक साधारण क्रय के रूप में।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चेयरों के सफल अधिष्ठापण के लिए टर्नकी कार्यों सहित दोनों निविदाओं में विशिष्टताएं तथा अन्य संबंधित कार्य एकसमान थे। बोलीकर्ताओं को सभी अनुषंगी-यंत्र सहित संपूर्ण प्रणाली का टर्नकी कार्य के रूप में दर उद्धृत करना था।

¹⁷ बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना: ₹ 3.35 लाख; दन्त स्वास्थ्य सेवा, हिमाचल प्रदेश के निदेशक: ₹ 2.35 लाख; और राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर: ₹ 2.88 लाख।

¹⁸ शामिल (1) प्रत्येक विभाग के लिए अलग विद्युत लाइनें और उच्च श्रेणी की सर्वो स्टेबलाइजर के साथ चेयर और बस-बार (2) पानी की पाइपलाइन और जल निकासी की सम्पूर्ण प्रणाली (3) एयर सक्शन गैस पाइपलाइन (4) विद्युत फिटिंग (5) छद्म छत लाइट्स के साथ छद्म छत (6) सभी विभागों में विशेष निदानालय का निर्माण (7) भंडारण के लिए मॉड्यूलर फर्नीचर के साथ बंद ग्रेनाइट-फिनिश विसंक्रमण क्षेत्र का निर्माण (8) कम्प्रेसर रूम का सिविल निर्माण। (9) दो अदद उच्च श्रेणी के केंद्रीकृत आयातित कम्प्रेसर। (10) चौबीस घंटे सर्विसिंग और प्रदर्शन के लिए समर्पित कर्मचारियों की स्थायी तैनाती।

उन्नत डेंटल चेयर (एडीसी)

बजट अनुमान में एडीसी की दर प्रति चेयर ₹ 4 लाख अनुमानित की गई थी। इंटरनेट पर उपलब्ध (मार्च 2020) डीसीआई मानदंडों को पूरा करने वाले उसी प्रकार के चेयरों की कीमत ₹ 6.5 लाख और ₹ 15 लाख के बीच थी। क्रय समिति ने प्रति चेयर ₹ चार लाख के अपने ही अनुमान की उपेक्षा की तथा उस समय बाजार मूल्य का सर्वेक्षण नहीं किया और प्रत्येक चेयर के लिए ₹ 42.86 लाख की कीमत को अनुमोदित (दिसंबर 2015) किया। आगे, निविदा के अनुसार, बीडीसी की तुलना में एडीसी में छः अतिरिक्त विशेषताएं¹⁹ थीं। लेखापरीक्षा द्वारा इन अतिरिक्त विशेषताओं का विश्लेषण एडीसी (₹ 42.86 लाख प्रत्येक) और बीडीसी (₹ 14.29 लाख प्रत्येक) की अनुमोदित दर में भारी अंतर का औचित्य जाँचने के लिए किया गया। भौतिक सत्यापन (सितंबर और अक्टूबर 2019) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि छः अतिरिक्त विशेषताओं में से चार²⁰ आपूर्ति एडीसी के साथ उपलब्ध नहीं थे जबकि दो अतिरिक्त विशेषताएं²¹ आंशिक रूप से उपलब्ध थीं। इस प्रकार, बीडीसी से तीन गुणा कीमत पर खरीदे गए एडीसी लगभग बीडीसी के ही समान थे।

इस प्रकार 15 एडीसी की खरीद (अप्रैल 2016 और जून 2018) पर, रिम्स ने बीडीसी के अनुमोदित मूल्य (₹ 14.29 लाख) की तुलना में ₹ 4.29 करोड़²² (कर रहित) का अतिरिक्त व्यय किया।

रिम्स निदेशक ने कहा कि बीडीसी की खरीद के लिए दिखाये गए कारण एडीसी पर समान रूप से लागू होते हैं। इसके अलावा, रिम्स ने पूर्ण टर्नकी परियोजना के साथ पूर्ण सुसज्जित उन्नत दन्त चिकित्सा इकाइयों की मांग की थी। अतिरिक्त विशेषताओं की अनुपस्थिति के संबंध में यह कहा गया कि आपूर्तिकर्ताओं ने प्रस्ताव पत्र के अनुरूप वितरण किया था जिसे तकनीकी तथा क्रय समितियों द्वारा अनुमोदित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीडीसी के मामले के समान ही बताए गए सभी अतिरिक्त कार्य निविदा के दायरे में थे। आगे, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान अनुपस्थित अतिरिक्त विशेषताएं संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित था। यह दावा कि आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्ताव पत्र के अनुरूप वितरण किया गया, भी अस्वीकार्य है क्योंकि

¹⁹ (1) स्थल की आवश्यकतानुसार सिंक और नल के साथ मॉड्यूलर फर्नीचर (12x2 वर्ग फुट) (2) स्थापित पीजोन एलईडी (फाइबर ऑप्टिक) पराश्रव्य स्केलर (आवृत्ति 28-36 kHz) 4 स्केलर युक्तियों के साथ और पेरीओक्यूरेट टिप्स का एक सेट (3) गर्म पानी की सिरिंज (4) एलईडी आधारित एक्स-रे दृश्यक (5) एलईडी ओपीजी दृश्यक और (6) आरवीजी के लिए 17 इंच का मॉनिटर (कंपनी का मूल उत्पाद)।

²⁰ एलईडी आधारित एक्स-रे दृश्यक, एलईडी ओपीजी दृश्यक, आरवीजी के लिए 17 इंच मॉनिटर और गर्म पानी की सिरिंज।

²¹ पीजोन एलईडी फाइबर ऑप्टिक पराश्रव्य स्केलर (लेकिन चार स्केलर टिप्स के बजाय दो टिप्स के साथ और बिना पेरीओक्यूरेट टिप्स के) और सिंक एवं नल के साथ मॉड्यूलर फर्नीचर (12x2 वर्ग फुट) (15 चेयरों के लिए केवल पाँच प्रदान किए गए)।

²² (₹ 42.86 लाख - ₹ 14.29 लाख) x 15)

आपूर्तिकर्ता ने स्वयं रिम्स निदेशक को प्रस्तुत स्पष्टीकरण (जुलाई 2019) में चेयरों के साथ उन्नत विशेषताओं की अनापूर्ति स्वीकार किया था।

चलन्त डेंटल वैन

रिम्स ने स्वयं अपने बजट अनुमान (जून 2013) में एमडीवी की कीमत का पूर्वानुमान ₹ 50 लाख किया था। हालांकि, अन्य दन्त चिकित्सा संस्थानों²³ से एकत्र सूचना से पता चला कि सफल बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तावित एमडीवी की तुलना में उच्च व्हीलबेस वाले एमडीवी की कीमत ₹ 29 लाख और ₹ 41 लाख के बीच थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रिम्स ने अनुषंगी-यंत्र एवं उपकरणों के साथ एमडीवी ₹ 1.48 करोड़ में खरीदी (फरवरी 2018)। इस प्रकार, क्रय समिति ने दिसम्बर 2015 में दर अनुमोदन से पूर्व स्वयं अपने ₹ 50 लाख के अनुमान पर विचार या बाजार मूल्य का सर्वेक्षण नहीं किया।

जवाब में यह बताया गया (जुलाई 2020) कि क्रय समिति ने पाँच वर्षों के रख-रखाव के साथ पूर्ण सुसज्जित एमडीवी खरीदी थी। वाहन के विभिन्न पुर्जे जैसे बॉडी, टायर, विद्युतीय पुर्जे, बैटरी, लुब्रिकेंट आदि कंपनी की वारंटी के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु इसे विक्रेता को वहन करना है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्य दन्त चिकित्सा संस्थानों द्वारा खरीदे गए एमडीवी की पूरी रेंज भी पूर्ण सुसज्जित थी। इसके अलावा, पाँच वर्षों के रखरखाव की लागत, एमडीवी की कीमत को 300 से 400 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाएगी।

रेडियोविजियोग्राफी प्रणाली (आरवीजी)

बजट अनुमान में आरवीजी प्रणाली की दर प्रति इकाई ₹ 2 लाख अनुमानित की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2020) कि इंटरनेट पर लगभग समान विशिष्टताओं वाले एक ही मेक की आरवीजी प्रणाली की कीमत ₹ 1.80 लाख और ₹ 1.90 लाख के बीच थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निदेशक, दन्त स्वास्थ्य सेवा, हिमाचल प्रदेश ने एक कंप्यूटर और एक यूपीएस सहित उसी निर्माता के आरवीजी (सिरोना एक्सआईओएस-एक्सजी सेलेक्ट) के लिए ₹ 1.75 लाख में पाँच साल की वारंटी के साथ दर-अनुबंध को मंजूरी दी थी (अक्टूबर 2016) .

यह देखा गया कि आरवीजी प्रणाली की खरीद को प्रति इकाई ₹ 7.95 लाख के मूल कीमत पर अनुमोदित (दिसंबर 2015) किया गया था परन्तु आपूर्तिकर्ता के अनुरोध (11 जनवरी 2016) के बावजूद कभी क्रय-आदेश जारी नहीं किया गया। उसी निविदा (जून 2015) में सिरोना (एक्सआईओएस-एक्सजी सुप्रीम) मेक आरवीजी प्रणाली के लिए द्वितीय न्यूनतम दर ₹ 8.10 लाख थी। हालांकि, समान विशिष्टताओं के आरवीजी प्रणाली के लिए रिम्स द्वारा एक और निविदा आमंत्रित की गई (9 जनवरी 2016), जिसके आधार पर प्रति इकाई ₹ 9.50 लाख के मूल कीमत को मंजूरी दी गई (अगस्त

²³ स्नातकोत्तर दन्त-चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक, हरियाणा (राज्य सरकार का संस्थान):

□ 29 लाख और बाफना हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड (बीएचपीएल), फरीदाबाद: □ 40.41 लाख।

2016) और 10 आरवीजी प्रणाली (सिरोना एक्सआईओएस-एक्सजी सुप्रीम) खरीदे गए। इस प्रकार, बजट या बाजार मूल्य की अनदेखी करते हुए वही आरवीजी प्रणाली उच्चतर मूल्य पर खरीदे गए। पूर्ववर्ती निविदा में उद्धृत दर को ध्यान में रखते हुए भी वही आरवीजी प्रणाली ₹ 1.40 लाख के उच्चतर मूल्य पर खरीदे गए, जिसके कारण ₹ 14.40 लाख का अधिक व्यय हुआ।

रिम्स निदेशक ने कहा कि शुरू में आरवीजी की निविदा को डेंटल चेयरों की निविदा के साथ रद्द कर दिया गया था क्योंकि बोलीकर्ता ने चेयरों की आपूर्ति के आदेश को निष्पादित करने में असमर्थता व्यक्त की थी और पुनर्निविदा आमंत्रित की गई थी। आगे यह कहा गया कि पूर्ववर्ती बोली में मूल्य केवल आरवीजी के लिए उद्धृत किया गया था। परवर्ती निविदा में, मूल्य अनुषंगी-यंत्र के साथ उद्धृत तथा अनुमोदित किया गया था जिसमें परिष्कृत कंप्यूटर, मॉनिटर एवं यूपीएस और कंप्यूटर टेबल जैसे फर्नीचर शामिल थे।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोलीकर्ता ने कभी भी आरवीजी प्रणाली प्रदान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त नहीं की थी। इसके अलावा, दोनों निविदाओं में आरवीजी प्रणाली की संबद्ध अनुषंगी-यंत्र के साथ विशिष्टताएं समान थीं।

2.1.6 निम्न विशिष्टताओं वाली वस्तुओं की आपूर्ति

भौतिक सत्यापन (सितंबर-अक्टूबर 2019) के दौरान, यह देखा गया कि आपूर्ति के लिए अनुमोदित बीडीसी/ एडीसी और एमडीवी के आवश्यक संलग्नक एवं अनुषंगी-यंत्र या तो गायब थे या निम्न विशिष्टताओं वाले थे (*परिशिष्ट 2.1.2*)। आपूर्ति किए गए 110 पराश्रव्य स्केलर में से ₹ 3.36 लाख मूल्य के 56 स्केलर गायब थे और रिम्स ने प्रति इकाई ₹ 2.29 लाख की दर से अनुषंगी-यंत्र के साथ 20 पराश्रव्य स्केलर खरीदे (अप्रैल 2016)। आपूर्ति किए गए 10 आरवीजी में से दो आरवीजी अनुमोदित मॉडल (एक्सआईओएस-एक्सजी सुप्रीम) से भिन्न (एक्सआईओएस-एक्सजी सेलेक्ट) थे। इन कमियों के बावजूद, विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, दन्त चिकित्सा संस्थान, रिम्स द्वारा संतोषजनक आपूर्ति और अधिष्ठापन प्रमाणपत्र जारी किया गया जिसके आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान जारी किया गया।

रिम्स निदेशक ने आरवीजी प्रणाली के संबंध में टिप्पणियों को स्वीकार किया परन्तु चेयरों के संबंध में इंगित कमियों के बारे में वे मौन रहे। यह भी कहा गया कि मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक क्रय किए गए थे।

स्केलर के क्रय के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 41 स्केलर आपूर्ति किए जाने के बाद से 30 से 48 महीनों (अगस्त 2020) तक भंडार में बेकार पड़े हुए थे और केवल लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद निर्गत किए गए।

2.1.7 रुचि के अन्य बिंदु

➤ रिम्स ने एक आपूर्तिकर्ता को 10 एडीसी, एक सर्वदृश्यक एक्स-रे तथा हड्डी पट्टीकरण व अन्य प्रमुख शल्य चिकित्सा हेतु दो उपकरणों के लिए स्वीकृत ₹ 5.02

करोड़ के मूल कीमत का भुगतान प्रोफार्मा बीजक (फरवरी 2016) पर अग्रिम के रूप में किया था (फरवरी 2016)। आपूर्ति के पश्चात (अप्रैल और अगस्त 2016) आपूर्तिकर्ता ने ₹ 25.09 लाख के वैट सहित ₹ 5.27 करोड़ का कर-बीजक प्रस्तुत किया परन्तु जुलाई 2020 तक वैट का भुगतान नहीं किया गया था।

रिम्स निदेशक ने कहा (जुलाई 2020) कि कर-बीजक के अनुसार भुगतान किया जाएगा। उत्तर युक्तिपरक नहीं है क्योंकि चार वर्षों से अधिक समय में भी आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का दावा न करना कर-बीजक की प्रमाणिकता पर संदेह उत्पन्न करता है।

➤ रिम्स निदेशक ने मेसर्स श्रीनाथ को प्रति इकाई ₹ 42.86 लाख के स्वीकृत मूल कीमत पर पाँच एडीसी की आपूर्ति का क्रय-आदेश जारी किया (10 अक्टूबर 2017)। इन चेयरों को जून 2018 में अधिष्ठापित किया गया और ₹ 2.40 करोड़ का भुगतान किया गया (अगस्त 2018)। लेखापरीक्षा ने पाया कि ये पाँचों चेयर 'डेंट्सप्लाई सिरोना' (सिरोना का डेंट्सप्लाई में विलय) कंपनी के *इंटेंगो* मॉडल के थे जबकि तकनीकी और क्रय समितियों ने सिरोना *सी8+* मॉडल के खरीद की मंजूरी दी थी। इन चेयरों के क्रय-आदेश आपूर्तिकर्ता के अनुरोध (जनवरी 2018) पर जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि वह उस विशेष मॉडल के बंद हो जाने के कारण अनुमोदित चेयरों की आपूर्ति करने में असमर्थ था। बोलीकर्ता ने उसी कंपनी के उच्चतर संस्करण के दूसरे मॉडल की आपूर्ति करने की पेशकश की। परन्तु, रिम्स निदेशक ने इस खरीद के लिए विशिष्टताओं और दरों पर निविदा समितियों का अनुमोदन सुनिश्चित नहीं किया।

उत्तर में यह बताया गया कि पाँचों एडीसी शेष विभागाध्यक्षों के उपयोग के लिए खरीदे गए थे। खरीदे गए चेयर उच्चतर संस्करण की हैं और स्वीकृत संस्करण के चेयरों के नियमों और शर्तों पर ही वितरित की गई हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को आकलन करने हेतु कोई अभिलेख नहीं मिला कि आपूर्तित चेयर उच्चतर संस्करण के थे। इसके अलावा, पाँच में से एक चेयर संस्थान के भूतल पर बेकार पड़ी मिली (मई 2020)।

➤ लेखापरीक्षा ने पाया कि उपकरणों की आपूर्ति निर्धारित समय-सीमा से विलंब से हुई थी, हालांकि, रिम्स के अधिकारी व्यतिक्रमी आपूर्तिकर्ताओं पर ₹ 2.37 करोड़ (परिशिष्ट 2.1.3) का जुर्माना लगाने में विफल रहे।

रिम्स निदेशक ने टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा कि इस अनुच्छेद का कड़ाई से पालन नहीं किया गया क्योंकि उपकरणों के अधिष्ठापन के लिए आवश्यक अवसंरचना प्रदान करने में रिम्स भी विफल रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चेयरों के अधिष्ठापन के सिवा अन्य उपकरणों के लिए अतिरिक्त अवसंरचना प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि 110 में से 50 बीडीसी को ससमय आपूर्तित और अधिष्ठापित कर दिया गया था। आगे, आपूर्तिकर्ताओं ने किसी भी मामले में समय-विस्तार की मांग नहीं की थी जो आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधा प्रदान करने में रिम्स की ओर से विलंब को न्यायसंगत ठहराता।

2.1.8 माल प्रबंधन

लेखापरीक्षा ने पाया कि दन्त चिकित्सा संस्थान को आपूर्ति किए गए (मई 2016 और जून 2018 के बीच) ₹ 12.02 करोड़ के उपकरण भंडार में दर्ज नहीं किए गए थे और इस प्रकार इनके दुरुपयोग की आशंका थी (परिशिष्ट 2.1.4)। भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 9.00 लाख के उपकरण (परिशिष्ट 2.1.5) और पेडो चेयरों²⁴ के साथ आपूर्ति छ: लघु प्रतिपक्षी कोणीय हस्त पीस गायब थे। आगे, अप्रैल 2016 में खरीदे गए ₹ 2.87 करोड़ (परिशिष्ट 2.1.6) के हस्त-उपकरण सेटों की विशिष्टताओं और संख्याओं को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि कार्य-आदेश, वितरण चालान, विपत्रों या भंडार पंजी में इन सेटों के पूर्ण विवरण दर्ज नहीं किए गए थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान भंडार कक्ष में इन उपकरणों के पैकेट खुले कार्टन पेटियों में पाए गए।

➤ दन्त चिकित्सा संस्थान में शल्य-क्रिया कक्ष (ओटी) के लिए ₹ 71.91 लाख के उपकरण²⁵ खरीदे गए (अगस्त 2016)। यद्यपि, दन्त चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष ने 'अधिष्ठापन और संतोषजनक कार्यपद्धति प्रमाणपत्र' जारी किया था (10 अगस्त 2016), तथापि संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई 2020) के दौरान पाया गया कि ओटी स्थापित नहीं किया गया था। प्रस्तावित ओटी में, एलईडी ओटी लाइट का फ्रेम लटका हुआ पाया गया और कक्ष पर सुरक्षा कर्मियों का कब्जा था, जैसा कि नीचे तस्वीर में दिखाया गया है:



04 अक्टूबर 2019 को ली गयी तस्वीर जिसमें दन्त चिकित्सा संस्थान के प्रस्तावित शल्य-क्रिया कक्ष और ओटी लाइट के अधूरे अधिष्ठापन को दिखाया गया है।

ओटी में उपयोग हेतु अगस्त 2016 में खरीदे गए ₹ 17.85 लाख के कीटाणुनाशक कालातीत हो गए थे। शेष ओटी उपकरण भंडार में डब्बा-बंद पड़े पाए गए।

²⁴ कार्यदेश क्रमांक 223 दिनांक 15/01/16, चालान दिनांक 20/04/16 के माध्यम से क्रयित लघु प्रतिपक्षी कोणीय हस्त पीस का अलग कीमत चालान/ बोली प्रस्ताव में नहीं दर्शाया गया।

²⁵ एक उच्च श्रेणी इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक ओटी मेज (₹ 16.48 लाख), अनुषंगी-यंत्र सहित दो मल्टी-पैरा-मॉनिटर-बेनिव्यू टी8 (₹ 29.74 लाख) और एक एलईडी ओटी लाइट (₹ 25.69 लाख)।

- आगे, तीन विभागों²⁶ में ₹ 1.22 करोड़ मूल्य के अप्रैल 2016 से जून 2017 के बीच खरीदे गए 115 प्रयोगशाला उपकरण विभागीय भंडारों में बेकार पड़े थे (मई 2020), क्योंकि प्रयोगशालाएँ स्थापित नहीं हुई थीं।



प्रोस्थोडॉटिक्स विभाग में बेकार पड़े उपकरणों को दर्शाती 24/09/2019 को ली गयी तस्वीर।



ओर्थोडॉटिक्स विभाग में बेकार पड़े उपकरणों को दर्शाती 26/09/2019 को ली गयी तस्वीर।



भंडार के भूतल में बेकार पड़े उपकरणों को दर्शाती 11/05/2020 को ली गयी तस्वीर।



प्रोस्थोडॉटिक्स विभाग के समीप दूसरी मंजिल पर भंडार में बेकार पड़े उपकरणों को दर्शाती 04/10/2019 को ली गयी तस्वीर।

2.1.9 निष्कर्ष और अनुशंसा

लेखापरीक्षा ने पाया कि दन्त चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए प्रस्तावित बजट से लगभग 400 प्रतिशत का विचलन हुआ। बोलीकर्ताओं के बीच संदिग्ध मिलीभगत की जाँच किए बिना ही क्रय-आदेश जारी किए गए। बोलियाँ रिम्स विनियम के प्रावधानों के अनुरूप मनोनीत निकाय द्वारा निर्णायित नहीं हुईं और बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन में मनमानी पाई गई। ₹ 26.34 करोड़ मूल्य के 125 बीडीसी और एडीसी, एक एमडीवी और 10 आरवीजी का क्रय बजट अनुमानों की अनदेखी करते हुए एवं बाजार दरों का सर्वेक्षण किए बिना उच्चतर कीमतों पर किए गए। रिम्स विलंबित आपूर्ति के लिए ₹ 2.37 करोड़ का जुर्माना लगाने में विफल रहा। निम्न विशिष्टताओं वाले उपकरणों की आपूर्ति के साथ-साथ उपकरणों की कम संख्या में आपूर्ति हुई। ओटी तथा प्रयोगशाला-उपकरण बेकार पड़े थे क्योंकि ओटी तथा प्रयोगशाला स्थापित किया जाना अभी बाकी था।

²⁶ प्रोस्थोडॉटिक्स, कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉटिक्स

अनुशंसाएँ:

- विभाग को निविदा, क्रय तथा माल प्रबंधन में अनियमितताओं के लिए दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए;
- रिम्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोलियों का मूल्यांकन केवल मनोनीत वित्त एवं लेखा समिति द्वारा किया जाय और बोली मूल्यांकन के दौरान लिए गए सभी निर्णय औचित्य के साथ दर्ज किए जाएं;
- बाजार सर्वेक्षण, इंटरनेट सर्वेक्षण और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा किए गए समरूप क्रयों को संदर्भित करने के उपरांत ही उपकरणों के क्रय मूल्य का निर्धारण करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण उचित दरों पर क्रय किए गए हैं; तथा
- माल प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ किया जाना चाहिए कि क्रय किए गए सभी उपकरण भंडार पंजी में दर्ज हैं जिसमें भविष्य में पता लगाने तथा भौतिक सत्यापन हेतु ऐसे उपकरणों का पूर्ण विवरण दर्ज हो।

भाग ब
राजस्व प्रक्षेत्र

अध्याय-1: सामान्य

1.1 प्रस्तावना

इस अध्याय में झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित प्राप्तियों और लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध बकाया करों के लंबित संग्रहण का विहंगावलोकन प्रस्तुत है।

1.2 राजस्व की प्रवृत्ति

1.2.1 2019-20 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त हुए राज्यों को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल प्राप्ति में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े तालिका-1.1 में उल्लिखित हैं।

तालिका-1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति


(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व | | | | | |
| | • कर राजस्व | 11,478.95 | 13,299.25 | 12,353.44 | 14,752.04 | 16,771.45 |
| | पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता | 10.91 | 15.86 | (-) 7.11 | 19.42 | 13.69 |
| | • कर-भिन्न राजस्व | 5,853.01 | 5,351.41 | 7,846.67 | 8,257.98 | 8,749.98 |
| | पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता | 35.02 | (-) 8.57 | 46.63 | 5.24 | 5.96 |
| | कुल | 17,331.96 | 18,650.66 | 20,200.11 | 23,010.02 | 25,521.43 |
| 2 | भारत सरकार से प्राप्तियाँ | | | | | |
| | • विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश | 15,968.75 | 19,141.92 | 21,143.63 | 23,906.16 | 20,593.04 |
| | • सहायता अनुदान | 7,337.64 | 9,261.35 | 11,412.29 | 9,235.52 | 12,302.67 |
| | कुल | 23,306.39 | 28,403.27 | 32,555.92 | 33,141.68 | 32,895.71 |
| 3 | राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (1 एवं 2) | 40,638.35 | 47,053.93 | 52,756.03 | 56,151.70 | 58,417.14 |
| 4 | 1 से 3 का प्रतिशतता | 43 | 40 | 38 | 41 | 44 |

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 25,521.43 करोड़) कुल राजस्व प्राप्ति का 44 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 के दौरान शेष 56 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से प्राप्त हुईं। 2018-19 की तुलना में 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर-भिन्न राजस्व में क्रमशः 13.69 एवं 5.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

प्रतिशतता के संदर्भ में वर्ष 2019-20 के लिये राज्य की राजस्व प्राप्तियों का विघटन चार्ट-1.1 में दिखाया गया है।



1.2.2 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान सृजित कर राजस्व का विवरण तालिका-1.2 में दिया गया है।


तालिका-1.2: कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 की तुलना में 2019-20 में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशतता |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 1 | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 8,998.95 | 10,549.25 | 5,714.69 | 3,474.96 | 3,996.33 | (+) 15.00 |
| 2 | राज्य वस्तु एवं सेवा कर | 0.00 | 0.00 | 4,123.88 | 8,200.84 | 8,417.72 | (+) 2.64 |
| 3 | राज्य उत्पाद | 912.47 | 961.68 | 840.81 | 1,082.82 | 2,009.27 | (+) 85.56 |
| 4 | मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क | 531.64 | 607.00 | 469.34 | 451.04 | 560.33 | (+) 24.23 |
| 5 | वाहनों पर कर | 632.59 | 681.52 | 778.37 | 863.94 | 1,128.98 | (+) 30.68 |
| 6 | विद्युत पर कर एवं शुल्क | 125.68 | 151.89 | 183.50 | 209.07 | 236.24 | (+) 13.00 |
| 7 | भू-राजस्व | 164.35 | 240.26 | 156.01 | 389.38 | 337.98 | (-) 13.20 |
| 8 | पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर | 82.88 | 67.69 | 73.98 | 78.61 | 83.93 | (+) 6.77 |
| 9 | अन्य | 30.39 | 39.95 | 12.86 | 1.38 | 0.67 | (-) 51.45 |
| | कुल | 11,478.95 | 13,299.25 | 12,353.44 | 14,752.04 | 16,771.45 | (+) 13.69 |

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

वर्ष 2019-20 के लिये कर राजस्व का विघटन चार्ट-1.2 में दिखाया गया है।



कर राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों में 2018-19 की तुलना में 2019-20 की प्राप्तियों में परिवर्तन के कारण निम्न थे:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर और राज्य वस्तु एवं सेवा कर: विभाग द्वारा 6.32 प्रतिशत की वृद्धि का कारण पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट की दर में वृद्धि एवं बेहतर कर प्रशासन बताया गया (सितम्बर 2021)।

राज्य उत्पाद: विभाग द्वारा 85.56 प्रतिशत की वृद्धि का कारण 2018-19 की तुलना में 2019-20 में दुकानों की संख्या में वृद्धि और नई खुदरा उत्पाद नीति का लागू किया जाना बताया गया (दिसम्बर 2020)।

मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क: विभाग द्वारा 24.23 प्रतिशत की वृद्धि का कारण सर्किल रेट में भूमि के न्यूनतम मूल्य में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी बताया गया (सितम्बर 2021)।

वाहनों पर कर: विभाग ने 30.68 प्रतिशत वृद्धि का कारण नए कर ढांचे को लागू किया जाना (जनवरी 2019), प्रमादी वाहन स्वामियों से बकाये कर की वसूली एवं नए वाहनों का पंजीकरण में वृद्धि बताया गया (नवम्बर 2020)।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: विभाग द्वारा 13 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बेहतर कर प्रशासन बताया गया (सितम्बर 2021)।

भू-राजस्व: विभाग द्वारा 13.20 प्रतिशत की कमी का कारण 2019 में लोक सभा एवं झारखण्ड विधान सभा निर्वाचन बताया गया (सितम्बर 2021)।


1.2.3 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान सृजित कर-भिन्न राजस्व का विस्तृत विवरण तालिका-1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.3
कर-भिन्न राजस्व का विवरण

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 की तुलना में 2019-20 में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशतता |
|----------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 1 | अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग | 4,384.43 | 4,094.25 | 5,941.36 | 5,934.64 | 5,461.36 | (-) 7.97 |
| 2 | वानिकी एवं वन्य जीवन | 4.13 | 4.48 | 4.44 | 14.79 | 17.59 | (+) 18.93 |
| 3 | ब्याज प्राप्तियाँ | 122.44 | 121.34 | 168.88 | 47.20 | 309.51 | (+) 555.74 |
| 4 | सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 3.73 | 36.79 | 135.78 | 8.46 | 84.61 | (+) 900.12 |
| 5 | अन्य ¹ | 1,338.28 | 1,094.55 | 1,596.21 | 2,252.89 | 2,876.91 | (+) 27.70 |
| | कुल | 5,853.01 | 5,351.41 | 7,846.67 | 8,257.98 | 8,749.98 | (+) 5.96 |

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

वर्ष 2019-20 के लिए कर-भिन्न राजस्व का विघटन चार्ट-1.3 में दिखाया गया है।



2018-19 की तुलना में 2019-20 में राजस्व प्राप्तियों में परिवर्तन का कारण निम्न बताया गया:

अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग: विभाग द्वारा 7.97 प्रतिशत की कमी का कारण वैधानिक स्वीकृतियाँ जैसे वाणिकी स्वीकृति, पर्यावर्णीय स्वीकृति, संचालन की सहमति इत्यादि नहीं मिलने के कारण नये खनन पट्टों का संचालन नहीं होना,

¹ अन्य में सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं शामिल हैं।

न्यायालय द्वारा राजस्व उगाही पर रोक एवं मानव शक्ति और आधार भूत संरचनाओं की कमी बताया गया (जनवरी 2021)।

अन्य विभागों द्वारा बार-बार निवेदन के बावजूद 2018-19 की तुलना में 2019-20 में राजस्व में परिवर्तन का कारण नहीं बताया गया।

ब्याज प्राप्तियाँ: विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 में ब्याज प्राप्तियों में 555.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष के दौरान रोकड़ शेष निवेश पर वसूल की गई ब्याज में 2018-19 की तुलना में ₹238.85 करोड़ की वृद्धि हुई।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण: सामाजिक सुरक्षा और कल्याण शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 में 900.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस वृद्धि का मुख्य कारण सहायता अनुदान की अव्ययित शेष राशि को गलत तरीके से लघु शीर्ष '913- सहायता अनुदानों की अव्ययित शेष राशि की वसूली' में राज्य के राजस्व प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया।

1.3 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2020 को राजस्व के पाँच प्रमुख शीर्षों से संबंधित राजस्व के बकाये की राशि ₹ 12,179.30 करोड़ थी, जिसमें ₹ 2,898.27 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया था, जैसा कि तालिका-1.4 में वर्णित है।

तालिका-1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | 31 मार्च 2020 को बकाया राशि | 31 मार्च 2020 को पाँच वर्षों से अधिक से बकाया राशि | अभ्युक्तियाँ |
|----------|---------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 6,081.95 | 1,881.27 | ₹ 6,081.95 करोड़ में से ₹ 1,182.88 करोड़ माँग की वसूली के लिये भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्र वाद दायर किये गये। ₹ 1,007.76 करोड़ एवं ₹ 457.03 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों/अन्य अपीलीय प्राधिकारियों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 83.47 करोड़ की माँग पर क्रमशः सुधार/पुनर्विचार आवेदन के कारण रोक लगायी गयी और डीलरों के दिवालिया होने के कारण ₹ 67.95 करोड़ राशि की वसूली बाधित रहा। शेष ₹ 3,282.86 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (जनवरी 2022)। |

तालिका-1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | 31 मार्च 2020 को बकाया राशि | 31 मार्च 2020 को पाँच वर्षों से अधिक से बकाया राशि | अभ्युक्तियाँ |
|----------|-----------------|-----------------------------|--|--|
| 2 | वाहनों पर कर | 119.12 | 0.00 | ₹ 119.12 करोड़ में से ₹ 54.94 करोड़ माँग की वसूली के लिये भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्र वाद दायर किये गये। शेष ₹ 64.18 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (जनवरी 2022)। |
| 3 | राज्य उत्पाद | 46.13 | 30.03 | ₹ 46.13 करोड़ में से ₹ 18.03 करोड़ माँग की वसूली के लिये भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्र वाद दायर किये गये। ₹ 7.65 करोड़ एवं ₹ 6.90 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों/अन्य अपीलीय प्राधिकारियों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 10.56 लाख की माँग पर क्रमशः सुधार/पुनर्विचार आवेदन के कारण रोक लगायी गयी और ₹ 16.08 लाख राशि की अपलेखन की संभावना है। शेष ₹ 20.12 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (जनवरी 2022)। |
| 4 | भू-राजस्व | 320.02 | 249.23 | बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (जनवरी 2022)। |
| 5 | खनिज प्रप्तियाँ | 5,612.08 | 737.74 | ₹ 5,612.08 करोड़ में से ₹ 3,713.68 करोड़ माँग की वसूली के लिये भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्र वाद दायर किये गये। ₹ 1,243.62 करोड़ एवं ₹ 2.44 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों/अन्य अपीलीय प्राधिकारियों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 8.31 करोड़ एवं ₹ 2.44 करोड़ की माँग पर क्रमशः सुधार/पुनर्विचार आवेदन के कारण रोक लगायी गयी एवम् पट्टाधारियों के दिवालिया होने के कारण और ₹ 12.12 करोड़ राशि की अपलेखन की संभावना है। शेष ₹ 631.89 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (जनवरी 2022)। |
| कुल | | 12,179.30 | 2,898.27 | |

लेखापरीक्षा द्वारा सक्रिय अनुसरण के बाबजूद अन्य विभागों द्वारा 31 मार्च 2020 तक राजस्व लंबित संग्रह के बकाया की स्थिति उपलब्ध नहीं करायी गयी (जनवरी 2022)।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण - संक्षेपित स्थिति

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यों के प्रक्रिया के नियमानुसार, प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उद्धृत लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः संज्ञान लेना है, भले ही लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा इसकी जाँच की गयी है हो या नहीं। विभागों को लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण कराकर कार्रवाई की टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करना है, जिसमें उनके द्वारा की गयी या की जाने वाली सुधारात्मक कार्यवाई इंगित किया गया हो। अग्रेत्तर, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, पटना द्वारा जारी (अगस्त 1993) निर्देशों के अनुसार, सरकारी विभागों को तीन महीने के अन्दर लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना आवश्यक है और समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर कार्रवाई की टिप्पणी (ए.टी.एन.) छह महीने के अन्दर विभागों द्वारा प्रस्तुत किये जाने चाहिये। तथापि, मार्च 2015 और सितंबर 2020 के बीच राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 को समाप्त हुए वर्षों के लिए नि.म.ले.प. के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रदर्शित 118 कण्डिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) के संबंध में तीन माह के औसत विलम्ब के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विभागों के उत्तर) को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण विलम्ब देखा गया। विभिन्न विभागों² से संबंधित लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण तालिका-1.5 में दिया गया है।

तालिका-1.5: लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

| क्र. सं. | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समाप्ति का वर्ष | विधान मंडल में प्रस्तुतीकरण की तिथि | कण्डिकाओं की संख्या | कण्डिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुई | कण्डिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई |
|----------|--|-------------------------------------|---------------------|---|--|
| 1 | 2014 | 26.03.2015 | 28 | 20 | 8 |
| 2 | 2015 | 15.03.2016 | 32 | 4 | 28 |
| 3 | 2016 | 02.02.2017 | 32 | 14 | 18 |
| 4 | 2017 | 20.07.2018 | 17 | 4 | 13 |
| 5 | 2018 | 21.09.2020 | 9 | 1 | 8 |
| कुल | | | 118 | 43 | 75 |

वर्ष 2019-20 तक, लो.ले.स. ने वर्ष 2012-13 से 2017-18 के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित 28 कण्डिकाओं पर चर्चा की है। 2019-20 के दौरान, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2013-14 और 2016-17 से संबंधित 11 कण्डिकाओं पर दूसरी या उत्तरोत्तर बार चर्चा की गई। परन्तु, उन कण्डिकाओं पर कोई सिफारिश नहीं की गयी थी।

² वाणिज्य कर (33 कण्डिकाएँ), उत्पाद एवं मद्य निषेध (6 कण्डिकाएँ), परिवहन (21 कण्डिकाएँ), राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार (9 कण्डिकाएँ) और खनन एवं भू-तत्व (6 कण्डिकाएँ)।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात, लेखापरीक्षा संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) तथा उसकी प्रतियाँ उनके उच्च पदाधिकारियों को सुधारात्मक कार्रवाई और अनुश्रवण के लिये निर्गत करती है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों के प्रमुखों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

वर्ष 2008-09 से 2019-20 तक के लिये निर्गत नि.प्र. की समीक्षा में उदघटित हुआ कि 1,004 नि.प्र. के संबंध में 9,274 कण्डिकार्यें सितम्बर 2021 के अंत तक लंबित थी। इन नि.प्र. में बताये गये वसूली योग्य संभावित राजस्व ₹ 17,176.92 करोड़ के बराबर है जबकि 2019-20 में राज्य का कुल राजस्व प्राप्त ₹ 25,521.43 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से संबंधित विभागवार विवरण तालिका-1.6 में दिया गया है।

तालिका-1.6: निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग का नाम | प्राप्तियों की प्रकृति | लंबित नि.प्र. की संख्या | लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या | सन्निहित राशि |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | वाणिज्य कर | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 250 | 5,003 | 7,835.76 |
| | | प्रवेश कर | 5 | 5 | 9.54 |
| | | विद्युत पर कर एवं शुल्क | 12 | 55 | 93.65 |
| 2 | उत्पाद एवं मद्य निषेध | राज्य उत्पाद | 157 | 775 | 820.49 |
| 3 | राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग | भू-राजस्व | 98 | 491 | 4,281.57 |
| 4 | परिवहन | मोटर वाहनों पर कर | 164 | 1,202 | 542.81 |
| 5 | राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग | मुद्रांक एवं निबंधन फीस | 140 | 642 | 36.73 |
| 6 | खनन एवं भू-तत्व | अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग | 178 | 1,101 | 3,556.37 |
| कुल | | | 1,004 | 9,274 | 17,176.92 |

2008-09 से निर्गत किये गये 156 नि.प्र. के प्रथम उत्तर भी जिसे नि.प्र. निर्गत होने की तिथि से एक महीने के अन्दर कार्यालयों प्रमुखों से प्राप्त होना है, प्राप्त नहीं हुए।

1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान संचालित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा में राज्य सरकार के पाँच विभागों³ को शामिल किया गया था और 2019-20 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, वाहनों पर कर और खनिज प्राप्तियों से संबंधित लेखापरीक्षा योग्य 590 इकाइयों में से 103 इकाइयों (17.46 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। इन पाँच विभागों ने, 2018-19 के दौरान ₹ 20,397.62 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया गया था, जिनमें से 103 लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 12,422.22 करोड़ (60.90 प्रतिशत) संग्रहित किये। 103 लेखापरीक्षित इकाइयों में, लेखापरीक्षा ने 74,878 मामलों में ₹ 3,838.60 करोड़ (इकाइयों द्वारा संग्रहित राजस्व का 30.90 प्रतिशत) के अवनिर्धारण, कर/ब्याज/जुर्माना का अनारोहण/अल्पारोपण, राजस्व की हानि इत्यादि पाया। लेखापरीक्षा ने व.एवं.से.क. रिफण्ड पर लेखापरीक्षा किया, जिसमें ₹ 11.57 लाख की अनियमितता उद्घटित हुआ। सम्बंधित विभागों ने अवनिर्धारण/ और अन्य अनियमितताओं से सम्बंधित 74,119 मामलों में ₹ 755.44 करोड़ (कुल लेखापरीक्षा अवलोकण का 19.68 प्रतिशत) को स्वीकार किया और 231 मामलों में ₹ 13.30 करोड़ वसूल किया।

1.7 इस अनुभाग का विस्तार

इस अनुभाग में चयनित 10 कण्डिकायें जो इस वर्ष के स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान एवं पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पाये गये लेखापरीक्षा अवलोकनों, जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, और व.एवं.से.क. रिफण्ड पर लेखापरीक्षा शामिल हैं, जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 1,138.20 करोड़ है।

विभाग/सरकार ने ₹ 338.73 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और ₹ 1.60 करोड़ वसूली की।

बतायी गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। अतः विभाग/सरकार सभी इकाइयों की गहन समीक्षा यह जाँच करने के लिए करे कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा एक प्रणाली, जो इस तरह के त्रुटियाँ/चूकों को रोक सके, को स्थापित करने के लिए व्यापक पुनरीक्षण कर सकती है।

³ वाणिज्य कर, उत्पाद एवं मद्य निषेध, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार, परिवहन और खान एवं भू-तत्त्व विभाग।

अध्याय-11: अनुपालन लेखापरीक्षा

वाणिज्य कर विभाग

2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/ मूल्यवर्द्धित कर और केन्द्रीय बिक्री कर का आरोपण और संग्रहण झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (झा.मू.व.क.) अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमावलियों द्वारा शासित होते हैं। 01 जुलाई 2017 से, राज्य में झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (झा.व.एवं.से.क.) अधिनियम 2017 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। राज्य कर प्रधान/मुख्य आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग (वा.क.वि.) में इन अधिनियमों और नियमावलियों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें राज्य कर अपर आयुक्त और संयुक्त आयुक्तों (सं.आ.रा.क.), अन्य राज्य कर उप/सहायक आयुक्तों के साथ राज्य कर संयुक्त आयुक्तों अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.), सतर्कता और निगरानी का सहयोग प्राप्त होता है।

राज्य पाँच वाणिज्य कर प्रमंडलों¹, प्रत्येक संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के प्रभार में एवं 28 अंचलों², प्रत्येक राज्य कर उपायुक्त/ सहायक आयुक्त (रा.क.उ.आ./रा.क.स.आ.) के प्रभार में विभाजित है। अंचल के रा.क.उ.आ./रा.क.स.आ., जो सरकार को देय कर का आरोपण और संग्रहण के अलावे सर्वेक्षण के लिए भी उत्तरदायी हैं उन्हें राज्य कर पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है। राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को सहयोग करने के लिए प्रत्येक प्रमंडल में एक उपायुक्त अ.ब्यू. पदस्थापित होते हैं और प्रत्येक प्रमंडल में, मुख्यालय के नियंत्रण में एक रा.क.उ.आ. (सतर्कता और निगरानी) पदस्थापित होते हैं और करदाताओं के गोदाम या मालखानों के निरीक्षण, वस्तुओं या दस्तावेजों की जाँच एवं जब्ती, वस्तुओं के आवागमन का निरीक्षण एवं इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के कार्य का निर्वहन करते हैं।

¹ धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

² आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची स्पेशल, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019-20 के दौरान, वाणिज्य कर विभाग के लेखापरीक्षा योग्य 44 इकाइयों में से 22 इकाइयों³ (50 प्रतिशत) के अभिलेखों का नमूना जाँच किया। लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि के दौरान राज्य में कुल 2,28,771 करदाता निबंधित थे, जिनमें से 89,294 करदाता नमूना जाँच किये गये अंचलों में निबंधित थे तथा लेखापरीक्षा के द्वारा 2,247 कर निर्धारण अभिलेखों का जाँच किया गया। इसके अलावा "व.एवं.से.क. रिफण्ड" पर एक लेखापरीक्षा भी किया गया। विभाग ने 2018-19 के दौरान ₹ 11,675.96 करोड़ (बिक्री, व्यापार आदि पर कर: ₹ 3,474.96 करोड़ और राज्य वस्तु एवं सेवा कर: ₹ 8,200.84 करोड़) राजस्व का संग्रहण किया, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 10,931.09 करोड़ (94 प्रतिशत) संग्रहण किया। लेखापरीक्षा ने 534 मामलों में सन्निहित ₹ 1,827.67 करोड़ के अनियमितताओं की पहचान किया, जैसा कि तालिका-2.1 में वर्णित है।

तालिका-2.1

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | श्रेणियाँ | मामलों की संख्या | राशि |
|----------|---|------------------|----------|
| 1 | व.एवं.से.क. रिफण्ड | 1 | 0.12 |
| 2 | आवर्त के छिपाव के कारण कर का नहीं/कम अधिरोपण | 150 | 1,051.51 |
| 3 | ब्याज का नहीं/कम लगाया जाना | 97 | 307.10 |
| 4 | कर से छूट की अनियमित स्वीकृति | 77 | 149.45 |
| 5 | ब्याज/अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना | 17 | 128.25 |
| 6 | गलत आवर्त निर्धारण के कारण कर का नहीं/कम लगाया जाना | 25 | 64.13 |
| 7 | इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत स्वीकृति | 80 | 56.82 |
| 8 | कर की गलत दरों का अनुप्रयोग | 40 | 23.76 |
| 9 | अन्य मामले | 47 | 46.53 |
| कुल | | 534 | 1,827.67 |

विभाग ने 81 मामलों (15 प्रतिशत) में ₹ 335.76 करोड़ (18 प्रतिशत) कर के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

व.एवं.से.क. रिफण्ड से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को कण्डिका 2.3 में दर्शाया गया है। इसके अलावा, मूल्य वर्धित कर (मू.व.क.) और केन्द्रीय बिक्री कर से संबंधित ₹ 1,120.59 करोड़ के 157 मामलों के अनियमितताओं को कण्डिका 2.4 से 2.11 में दर्शाया गया है। सदृश मामलों जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरंतर प्रतिवेदित रहीं, का विवरण तालिका-2.2 में वर्णित है।

³ कार्यालय राज्य कर उपायुक्त, आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, पाकुड़, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिण, राँची स्पेशल, राँची पश्चिमी, सिंहभूम और तेनुघाट; और राज्य कर सचिव-सह-आयुक्त।

तालिका-2.2

(₹ करोड़ में)

| अवलोकनों की प्रकृति | 2014-15 | | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | | कुल | |
|---|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|-------|--------|
| | मामले | राशि | मामले | राशि | मामले | राशि | मामले | राशि | मामले | राशि | मामले | राशि |
| क्रय/विक्रय आवर्त का छिपाव | 69 | 169.03 | 18 | 284.10 | 108 | 405.37 | 1 | 1.10 | 3 | 25.99 | 199 | 885.59 |
| बढ़ाये गए आवर्त पर ब्याज/अर्धदण्ड नहीं लगाया जाना | 17 | 60.73 | 15 | 53.14 | - | - | 2 | 3.93 | 2 | 1.60 | 36 | 119.40 |
| अस्वीकृत छूटों/रियायतों पर ब्याज का अनारोपण | 52 | 72.58 | 19 | 119.92 | 62 | 142.00 | 6 | 10.95 | 2 | 3.97 | 141 | 349.42 |
| इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति में अनियमितताएँ | 24 | 8.35 | 11 | 5.76 | 26 | 3.36 | - | - | - | - | 61 | 17.47 |
| सकल/करदेय आवर्त का गलत निर्धारण | 6 | 4.39 | 18 | 10.22 | 24 | 41.20 | - | - | - | - | 48 | 55.81 |
| कर के गलत दर का अनुप्रयोग | 22 | 6.96 | 22 | 15.44 | 21 | 11.07 | - | - | 1 | 4.39 | 66 | 37.86 |
| कर का अल्पारोपण | 13 | 6.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6.27 |
| केन्द्रीय बिक्री कर का अवनियमितताएँ | - | - | 5 | 0.52 | 1 | 0.35 | - | - | - | - | 6 | 0.87 |

यद्यपि वाणिज्य कर विभाग ने निर्धारण प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया (मई 2015) कि समान प्रकार के लेखापरीक्षा अवलोकनों की पुनरावृत्ति न हो एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों पर समुचित कारवाई करने का आश्वासन दिया (अगस्त 2016), यह पाया गया कि समान प्रकार की अनियमितताएँ कायम रहीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार और वाणिज्य कर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष प्रति वर्ष बताये गये निरंतर घटित अनियमितताओं को दूर करने के लिये कोई उपाय नहीं किया है।

2.3 वस्तु एवं सेवा कर रिफण्ड की लेखापरीक्षा

2.3.1 प्रस्तावना

समयोचित रिफण्ड तंत्र कर प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कार्यशील पूंजी तथा मौजूदा व्यवसाय के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए अवरुद्ध निधि जारी करके व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। वस्तु एवं सेवा कर (व.एवं.से.क.) नियमावली के अंतर्गत रिफण्ड से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य व.एवं.से.क. व्यवस्था के तहत रिफण्ड प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित एवं मानकीकरण करना है। सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रिफण्ड मॉड्यूल की अनुपलब्धता के कारण, 26 सितम्बर 2019 के पूर्व दाखिल किए गए रिफण्ड आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक-सह-मैनुअल प्रक्रिया में संसाधित किया गया था, जहाँ आवेदकों को सामान्य पोर्टल पर प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-01ए में रिफण्ड आवेदन दाखिल कर, उसका एक प्रति सभी सहायक दस्तावेजों के साथ संलग्न कर क्षेत्राधिकार कर कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना था। तदन्तर, इन रिफण्ड आवेदनों का प्रसंस्करण, जैसे अभिस्वीकृति जारी करना, कमियों का जापन जारी करना, औपबंधिक/अंतिम रिफण्ड आदेश पारित करना, संदाय सलाह आदि का कार्य मैनुअल

रूप से किया जाता था। 26 सितम्बर 2019 या उसके उपरांत दाखिल किए गए आवेदनों के लिए, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, जिसे रिफण्ड प्रक्रिया का स्वचालन भी कहा जाता है, जहाँ आवेदन जमा करने से लेकर उसके प्रसंस्करण तक के सभी चरणों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा रहा है।

2.3.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (झा.व.एवं.से.क.) अधिनियम के तहत रिफण्ड मामलों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए किया गया था कि:

- अधिनियम, नियमावली, रिफण्ड प्रदान करने के संबंध में जारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता;
- कर प्राधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की प्रभावशीलता; तथा
- क्या रिफण्ड आवेदनों के निपटान में विभागीय अधिकारियों के निष्पादन की जाँच के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद है।

2.3.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए:

- झा.व.एवं.से.क. अधिनियम, 2017 की धारा 54 से 58 और धारा 77;
- झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 89 से 97ए;
- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15, 16 और 19; तथा
- विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना एवं परिपत्र, कार्यकारी एवं विभागीय आदेश एवं निर्देश।

2.3.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और विस्तार

जुलाई 2017 से जुलाई 2020 की अवधि से सम्बंधित "व.एवं.से.क. रिफण्ड" का लेखापरीक्षा नवम्बर 2020 और जुलाई 2021 के बीच संचालित किया गया। उक्त अवधि के लिए अखिल भारतीय रिफण्ड के आँकड़े वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) से प्राप्त किया गया। 26 सितम्बर 2019 के पूर्व दाखिल रिफण्ड आवेदनों को करदाताओं द्वारा दावा की गई रिफण्ड राशि के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया गया और उन्हें चार चतुर्थक में विभाजित किया गया, प्रत्येक चतुर्थक से 60 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और पाँच प्रतिशत मामलों का चयन करके नमूना तैयार किया गया। 26 सितम्बर 2019 या उसके उपरान्त दाखिल किए गए आवेदनों के लिए, दावा किए गए रिफण्ड की राशि (60 प्रतिशत महत्व), रिफण्ड की स्वीकृति देने में विलम्ब (15 प्रतिशत महत्व), रिफण्ड स्वीकृत/रिफण्ड दावा अनुपात (10 प्रतिशत महत्व) और कमियों का ज्ञापन निर्गत (15 प्रतिशत महत्व) जैसे जोखिम मापदंडों का

उपयोग करके एक समग्र जोखिम स्कोर तैयार किया गया। तदनुसार, 25 वाणिज्य कर अंचलों⁴ में संसाधित 144 रिफण्ड मामलों (26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल 74 मामले और 26 सितम्बर 2019 या उसके उपरान्त दाखिल किए गए 70 मामले) का चयन किया गया।

2.3.5 लेखापरीक्षा प्रणाली

लेखापरीक्षा प्रणाली में प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-01ए में रिफण्ड आवेदन दाखिल करने, जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-02 / जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-03 में अभिस्वीकृति/ कमियों का ज्ञापन जारी करने, जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-04 में औपबंधिक रिफण्ड जारी करने, जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-06 में रिफण्ड की स्वीकृति/अस्वीकृति से संबंधित आदेश, जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-05 में संदाय सलाह, दावे की शुद्धता का पता लगाने के लिए दावे के समर्थन से सम्बंधित अभिलेखों⁵ की जाँच और रिफण्ड दावे को संसाधित एवं रिफण्ड का दावा जमा करने में अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा⁶ का पालन किया जाना का पता लगाया जाना सम्मिलित किया गया। इसके अलावा, 26 सितम्बर 2019 के उपरान्त दाखिल किए गए रिफण्ड दावों की जाँच के लिए जी.एस.टी.एन. के बैकएंड प्रणाली को भी मुल्यांकित किया गया। लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं विस्तार और लेखापरीक्षा प्रणाली पर चर्चा करने के लिए 22 जुलाई 2021 को सचिव, वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ एक आरंभिक बैठक आयोजित किया गया था। बहिर्गमन सम्मेलन सचिव, वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ 04 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा के परिणामों, निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर विस्तार से चर्चा की गयी। सरकार/विभाग के विचारों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

आभारोक्ति

आवश्यक जानकारी और अभिलेख प्रदान करने में वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार के सहयोग के लिए भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग आभार व्यक्त करता है।

⁴ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

⁵ बीजकों की संख्या और दिनांक का विवरण, शिपिंग बिलों/निर्यात बिलों की संख्या और दिनांक का विवरण, प्रमाण सहित भुगतान का विवरण, स्व-घोषणा, झा.व.एवं.से.क. नियमावली के नियम 89 के तहत, संलग्न साक्ष्य के रूप में निर्धारित संबंधित दावे के समर्थन में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

⁶ प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-01ए - दो वर्षों की समाप्ति के पूर्व, जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-02/03 - दावा दाखिल करने के 15 दिनों के अन्दर, जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-04 - अभिस्वीकृति जारी होने के 07 दिनों के अन्दर, जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-05/06 - दावा दाखिल करने के 60 दिनों के अन्दर।

2.3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने रिफण्ड दावों के प्रसंस्करण की प्रणाली का मूल्यांकन किया और झा.व.एवं.से.क. अधिनियम/नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन में मैनुअल रूप से संसाधित साथ ही साथ स्वचालित रूप से संसाधित रिफण्ड आवेदनों में अनियमितताओं के परिणामस्वरूप रिफण्ड आवेदन की अभिस्वीकृति जारी करने में विलम्ब, कमियों का ज्ञापन जारी करने में विलम्ब, रिफण्ड की स्वीकृति/अस्वीकृति में विलम्ब, रिफण्ड आवेदन की स्वीकृति में देरी के कारण ब्याज की देयता, गलत रिफण्ड का अनुमत्य, बकाया के सत्यापन के बिना रिफण्ड का अनुमत्य आदि का अवलोकन किया। इन अनियमितताओं का कारण शीर्ष स्तर पर निगरानी का न होना और रिफण्ड दावों के सत्यापन के लिए जाँच सूची का सूत्रीकरण न होना था, जिसका समुचित अधिकारियों⁷ द्वारा समान रूप से उपयोग किया गया।

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित किए गए रिफण्ड मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए अनियमितताओं का विवरण तालिका-2.3 में दर्शाया गया है।

तालिका- 2.3

(₹ लाख में)

| लेखापरीक्षा निष्कर्ष की प्रकृति | लेखापरीक्षा नमूना | | पाए गए अनियमितताओं की संख्या | | नमूने के प्रतिशत में अनियमितताएँ |
|--|-------------------|----------|------------------------------|------|----------------------------------|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | |
| अभिस्वीकृति जारी करने में विलम्ब | 144 | 3,152.90 | 19 | 0 | 13.19 |
| अभिस्वीकृति जारी नहीं किया जाना | 144 | 3,152.90 | 12 | 0 | 8.33 |
| प्रपत्र जी.एस.टी.आर.एफ.डी.-03 में कमियों का ज्ञापन संप्रेषित करने में विलम्ब | 144 | 3,152.90 | 12 | 0 | 8.33 |
| रिफण्ड आवेदन की स्वीकृति में विलम्ब और फलस्वरूप ब्याज की देयता | 144 | 3,152.90 | 33 | 5.48 | 22.92 |
| रिफण्ड आवेदन की अस्वीकृति में विलम्ब | 144 | 3,152.90 | 12 | 0 | 8.33 |
| औपबंधिक रिफण्ड के मामले में अंतिम रिफण्ड स्वीकृत नहीं किया जाना | 48 | 362.70 | 7 | 5.01 | 14.58 |
| स्वीकृत रिफण्ड दावों का भुगतान नहीं किया जाना | 144 | 3,152.90 | 2 | 0.51 | 1.39 |
| औपबंधिक रिफण्ड की स्वीकृति में विलम्ब | 48 | 362.70 | 8 | 0 | 16.67 |
| रिफण्ड का गलत अनुमत्य | 144 | 3,152.90 | 1 | 0.15 | 0.69 |
| बकाए की जाँच के बिना रिफण्ड दावों की स्वीकृति | 144 | 3,152.90 | 2 | 0.42 | 1.39 |

⁷ समुचित अधिकारी का अर्थ है आयुक्त या राज्य कर का अधिकारी, जिसे आयुक्त द्वारा यह कार्य सौंपा गया है। ₹ 2 लाख से अधिक के रिफण्ड मामलों में उपायुक्त और ₹ 2 लाख तक के रिफण्ड मामलों में सहायक आयुक्त को आयुक्त द्वारा समुचित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, लेखापरीक्षा ने 13 प्रतिशत मामलों में अभिस्वीकृति जारी करने में विलम्ब, आठ प्रतिशत मामलों में अभिस्वीकृति जारी नहीं किया जाना, आठ प्रतिशत मामलों में प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-03 में कमियों का ज्ञापन सूचित करने में विलम्ब और एवं 23 प्रतिशत मामलों में रिफण्ड आवेदन स्वीकृति में विलम्ब के फलस्वरूप ब्याज की देयता को पाया। तदन्तर, लेखापरीक्षा ने अधिनियमों और नियमावलियों के प्रावधानों से अन्य विचलनों को भी पाया जिसके परिणामस्वरूप 15 प्रतिशत मामलों में औपबंधिक रिफण्ड के मामले में अंतिम रिफण्ड स्वीकृत नहीं किए गए और 17 प्रतिशत मामलों में औपबंधिक रिफण्ड की स्वीकृति में विलम्ब हुए। इन मामलों के आधार पर पाए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं चिन्हित किए गए खामियों को अनुवर्ती कण्डिकाओं में शामिल किया गया है।

2.3.6.1 प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-02 में अभिस्वीकृति जारी करने में कमियाँ

समुचित अधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया और 19 मामलों में रिफण्ड आवेदनों की अभिस्वीकृति, रिफण्ड आवेदन दाखिल करने के 15 दिनों की निर्धारित अवधि के उपरांत नौ से 246 दिनों के बीच के विलम्ब से जारी किए। इसके अलावा, 12 मामलों में अभिस्वीकृति आदिनांक जारी नहीं किए गए।

झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 90 (1) और (2) यह प्रावधानित करता है कि जब आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही (इ.रो.ब.) से रिफण्ड के दावे से संबंधित हो, तब प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-02 में एक अभिस्वीकृति, जिसमें रिफण्ड के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख और रिफण्ड आवेदन के प्रसंस्करण के लिए निर्धारित 60 दिन समय अवधि स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो, सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। इ.रो.ब. के अलावा अन्य रिफण्ड के सम्बंध में आवेदन दाखिल करने के 15 दिनों की अवधि के अन्दर समुचित अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा जो इसकी पूर्णता की जाँच करेगा। रिफण्ड आवेदन दाखिल करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर आवेदक को, सामान्य पोर्टल के माध्यम से, प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-02 में अभिस्वीकृति उपलब्ध कराई जाएगी। अभिस्वीकृति में आवेदन दाखिल करने की तारीख और रिफण्ड आवेदन के प्रसंस्करण के लिए निर्धारित 60 दिन की समय अवधि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। तदन्तर, परिपत्र संख्या 17/17/2017-व.एवं.से.क. दिनांक 15 नवम्बर 2017 के साथ पठित झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 90 (3) में प्रावधानित है कि यदि रिफण्ड आवेदन में कोई कमी पाया जाता है, तो समुचित अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामान्य पोर्टल के माध्यम से आवेदक को प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-03 में कमियों की सूचना 15 दिनों के अन्दर देगा तथा उसे ऐसी कमियों के सुधार के बाद एक नया रिफण्ड आवेदन दाखिल करने का निर्देश देगा।

लेखापरीक्षा ने 144 चयनित रिफण्ड मामलों (74 मामलें, 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल और 70 मामलें 26 सितम्बर 2019 या उसके उपरान्त दाखिल) की जाँच किया

और अभिस्वीकृति जारी करने में अनियमितताएँ पाया जिसकी चर्चा अनुवर्ती कण्डिकाओं में की गई है।

अभिस्वीकृति जारी करने में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल 74 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों की जाँच किया और यह पाया कि चार वाणिज्य कर प्रमंडलों⁸ में अवस्थित पाँच वाणिज्य कर अँचलों⁹ के 14 रिफण्ड मामलों में अभिस्वीकृति जारी करने में आवेदन दाखिल करने से 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा के उपरान्त, नौ से 246 दिनों तक का विलम्ब हुआ। इनमें से छः मामलों में एक से तीन महीनों और आठ मामलों में तीन महीनों से अधिक का विलम्ब हुआ।

तदन्तर, लेखापरीक्षा ने (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) 26 सितम्बर 2019 या उसके उपरान्त दाखिल 70 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों का जाँच किया और यह पाया कि चार वाणिज्य कर प्रमंडलों¹⁰ में अवस्थित पाँच वाणिज्य कर अँचलों¹¹ के पाँच रिफण्ड मामलों (सितम्बर 2019 और जून 2020 के बीच दाखिल) में प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-02 में अभिस्वीकृति जारी (अक्टूबर 2019 और जुलाई 2020) करने में, आवेदन दाखिल करने से 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा के उपरान्त तीन से 87 दिनों का विलम्ब हुआ। इनमें से पाँच मामलों में एक से तीन महीने का विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप, झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 90 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित अंचलों को अभिस्वीकृति जारी करने में विलम्ब से बचने के लिए समुचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

अभिस्वीकृति जारी नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल 74 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) किया और तीन वाणिज्य कर प्रमंडलों¹² में अवस्थित छः वाणिज्य कर अँचलों¹³ के 12 रिफण्ड मामलों (नवम्बर 2018 और जुलाई 2019 के बीच दाखिल) में यह पाया कि प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-02 में अभिस्वीकृति, जो रिफण्ड दावा दाखिल करने के 15 दिनों के अन्दर जारी किया जाना आवश्यक था, आदिनांक (जुलाई 2021) तक जारी नहीं किया गया।

⁸ धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

⁹ आदित्यपुर, झरिया, कोडरमा, पलामू और राँची दक्षिणी।

¹⁰ धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

¹¹ बोकारो, चाईबासा, धनबाद नागरीय, गिरीडीह और राँची दक्षिणी।

¹² धनबाद, जमशेदपुर और राँची।

¹³ चाईबासा, चिरकुंडा, धनबाद नागरीय, लोहरदगा, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

परिणामस्वरूप, झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 90 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित अंचलों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अभिस्वीकृति जारी करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

2.3.6.2 प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-03 में कमियों का ज्ञापन संप्रेषित करने में विलम्ब

समुचित अधिकारियों ने, 12 मामलों में प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-03 में कमियों को संप्रेषित करने के लिए, दावा दाखिल करने से 15 दिनों तक की निर्धारित अवधि का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ज्ञापन जारी करने में तीन से 215 दिनों के बीच का विलम्ब हुआ।

परिपत्र सं. 17/17/2017-व.एवं.से.क. दिनांक 15 नवम्बर 2017 के साथ पठित झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 90 (3) प्रावधानित करता है कि यदि रिफण्ड आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो समुचित अधिकारी आवेदक को 15 दिनों के अन्दर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से, प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-03 में कमियों का ज्ञापन संप्रेषित करेगा तथा उसे उन कमियों को सुधारने के बाद एक नया रिफण्ड आवेदन दाखिल करने को निर्देशित करेगा।

लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल 74 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) किया और तीन वाणिज्य कर प्रमंडलों¹⁴ में अवस्थित छः वाणिज्य कर अंचलों¹⁵ के 12 रिफण्ड मामलों (अक्टूबर 2018 और सितम्बर 2019 के बीच दायर) में पाया कि प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-03 में कमियों का ज्ञापन के सम्प्रेषण में, रिफण्ड आवेदन दाखिल करने से 15 दिनों तक की निर्धारित अवधि के बाद, तीन से 215 दिनों के बीच का विलम्ब हुआ। इनमें से, 11 मामलों में एक से तीन महीनों और एक मामले में तीन महीनों से अधिक का विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप, झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 90 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित अंचलों को, उन रिफण्ड मामलों जिनमें समुचित अधिकारियों द्वारा कमी पाए गए हों, के लिए कमियों का ज्ञापन जारी करने में निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

¹⁴ धनबाद, जमशेदपुर और राँची।

¹⁵ आदित्यपुर, चिरकुंडा, धनबाद, जमशेदपुर नागरीय, पलामू और राँची पूर्वी।

2.3.6.3 रिफण्ड दावों की स्वीकृति/अस्वीकृति/भुगतान में अनियमितताएँ

रिफण्ड प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों की निगरानी के लिए प्रणाली के अभाव में, नौ मामलों में स्वीकृत ₹ 5.97 लाख की राशि का भुगतान दावेदारों को नहीं किया गया, जबकि 33 रिफण्ड मामलों में भुगतान 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा के उपरान्त विलम्ब से किया गया, परिणामस्वरूप विभाग ₹ 5.48 लाख के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

झा.व.एवं.से.क. अधिनियम, 2017 की धारा 54 (7) यह प्रावधानित करता है कि समुचित अधिकारी रिफण्ड आवेदन सभी तरह से पूर्ण होने पर, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के अन्दर रिफण्ड का आदेश जारी करेगा। झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 92 यह उपबन्धित करता है कि रिफण्ड आवेदन प्राप्त होने पर अधिकारी जाँच करेगा, यदि आवेदक को रिफण्ड का दावा देय एवं भुगतान्य है तो वह आवेदन प्राप्त के 60 दिनों के अन्दर रिफण्ड की राशि को स्वीकृत करते हुए प्रपत्र जी.एस.टी .आर.एफ.डी.-06 में उसे औपबन्धिक आधार पर रिफण्ड की गई राशि का उल्लेख करते हुए, एक आदेश करेगा।

तदन्तर, झा.व.एवं.से.क. अधिनियम, 2017 की धारा 56 यह प्रावधानित करता है कि यदि आवेदन प्राप्त की तिथि से 60 दिनों के अन्दर कर की राशि का रिफण्ड नहीं किया गया, तो आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के समाप्त होने से लेकर रिफण्ड भुगतान होने की तिथि तक, छः प्रतिशत तक की दर से ब्याज देय होगा।

लेखापरीक्षा ने 25 वाणिज्य कर अँचलों में 144 चयनित रिफण्ड मामलों (74 मामले, 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल और 70 मामले, 26 सितम्बर 2019 या उसके उपरान्त दाखिल) का जाँच किया और 54 मामलों में स्वीकृति/अस्वीकृति और ₹ 11.45 लाख रिफण्ड और ब्याज का भुगतान नहीं होने की अनियमितताएँ पाई गयी, जो कि अनुवर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गई है।

रिफण्ड आवेदन की स्वीकृत में विलम्ब और फलस्वरूप ब्याज की देयता

लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल किए गए 74 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और चार वाणिज्य कर प्रमंडलों¹⁶ में अवस्थित 10 वाणिज्य कर अँचलों¹⁷ के 20 रिफण्ड मामलों (नवम्बर 2018 और सितम्बर 2019 के बीच दायर) में यह पाया कि ₹ 1.51 करोड़ की राशि को रिफण्ड के रूप में दावा किया गया था। समुचित अधिकारियों ने इन दावों की जाँच कर उक्त राशि स्वीकृत किया (मार्च और नवम्बर 2019 के बीच) और प्रपत्र जी.एस.टी आर.एफ.डी.-06 जारी किया; हालाँकि, इन स्वीकृत रिफण्ड दावों का भुगतान

¹⁶ धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

¹⁷ आदित्यपुर, चाईबासा, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कोडरमा, लोहरदगा, राँची दक्षिणी और राँची विशेष।

(अप्रैल 2019 से नवम्बर 2020 के बीच) रिफण्ड आवेदन दाखिल करने की तिथि से 60 दिनों की निर्धारित अवधि के उपरान्त एक से 445 दिनों तक के विलम्ब से किया गया था। इनमें से सात मामलों में एक से तीन माह और 13 मामलों में तीन माह से अधिक का विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप, झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 92 के साथ पठित झा.व.एवं.से.क. अधिनियम, 2017 की धारा 54 (7) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और फलस्वरूप, विभाग दावेदारों को ₹ 3.85 लाख के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित अंचलों को, समुचित कारवाई करने एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दावों को स्वीकृत करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

भुगतान के तंत्र और भुगतान में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि:

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.एवं.से.क.) का दावा

20 मामलों में से जमशेदपुर और कोडरमा वाणिज्य कर अंचलों के सात मामलों में, रिफण्ड दावे के रा.व.एवं.से.क. हिस्से का भुगतान, रिफण्ड दावों की स्वीकृति की तिथि से 10 दिनों से लेकर 239 दिनों के बीच के विलम्ब से किया गया था। विलम्ब के कारणों का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि समुचित अधिकारियों द्वारा समय सीमा का अनुपालन नहीं किया जाना साथ ही साथ शीर्ष स्तर पर, निर्धारित अवधि के अंतर्गत दावों के प्रसंस्करण के निगरानी के लिए तंत्र की अनुपस्थिति विलम्ब के लिए जिम्मेदार थे। समुचित अधिकारी द्वारा निधि के आवंटन के लिए अनुरोध स्वीकृति की तिथि से 149 दिनों तक के विलम्ब से किया गया और वा.क.वि. द्वारा निधि का आवंटन अनुरोध करने की तिथि से आठ से लेकर 19 दिनों के विलम्ब से किया गया था। इस प्रकार, शीर्ष और अंचल स्तरों पर तत्परता की कमी के परिणामस्वरूप रिफण्ड के भुगतान के लिए निर्धारित अवधि का पालन करने में विफलता हुई। तदन्तर, दावेदारों को रिफण्ड का भुगतान निधि के आवंटन की तिथि से 30 से लेकर 82 दिनों के बीच के विलम्ब से किया गया था।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (के.व.एवं.से.क.)/ एकिकृत वस्तु एवं सेवा कर (ए.व.एवं.से.क.) दावे

के.व.एवं.से.क./ ए.व.एवं.से.क. दावों के 20 मामलों में, यह पाया गया कि के.व.एवं.से.क. भाग का भुगतान रिफण्ड दावे की स्वीकृति की तिथि से 28 दिनों से लेकर 419 दिनों के बीच के विलम्ब से किया गया था। विलम्ब का आगे विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि:

- 12 मामलों में, रा.व.एवं.से.क. नोडल अधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश प्रतिपक्ष के.व.एवं.से.क. नोडल अधिकारी को रिफण्ड की स्वीकृति की तिथि से 14 से लेकर 205 दिनों के बीच के विलम्ब से सूचित किया गया था, यद्यपि, परिपत्र सं. 24/24/2017

व.एवं.से.क. दिनांक 21 दिसंबर 2017 के अनुसार प्रतिपक्ष कर अधिकारियों को स्वीकृति आदेश भेजने के लिए, रिफण्ड की स्वीकृति की तिथि से सात कार्य दिवस की अवधि निर्धारित थी।

- शेष आठ मामलों में, यद्यपि स्वीकृति आदेश रा.व.एवं.से.क. नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत भेजे गए थे, के.व.एवं.से.क. अधिकारियों द्वारा भुगतान रिफण्ड की स्वीकृति से 25 से लेकर 419 दिनों के बीच के विलम्ब और रिफण्ड आवेदन दाखिल करने से 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा से नौ से लेकर 411 दिनों के बीच के विलम्ब से किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित अवधि के अनुसार रिफण्ड दावों के प्रत्येक चरण की पर्याप्त निगरानी के लिए तंत्र के अभाव में, विभाग रिफण्ड दावों के निपटान में हो रहे विलम्ब से अनजान रहा।

अनुशंसा:

विभाग शीर्ष स्तर पर रिफण्ड आवेदनों के प्रसंस्करण की निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार कर सकता है ताकि समुचित अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

- लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 या उसके उपरान्त दाखिल 70 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया (दिसम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और सभी पाँच प्रमंडलों¹⁸ में अवस्थित नौ वाणिज्य कर अंचलों¹⁹ के 13 रिफण्ड मामलों (अक्टूबर 2019 और मार्च 2020 के बीच दाखिल) में यह पाया कि ₹ 1.52 करोड़ की राशि को रिफण्ड के रूप में दावा किया गया था। समुचित अधिकारियों इन दावों की जाँच, उक्त राशि की स्वीकृति और भुगतान; रिफण्ड आवेदन दाखिल करने की तिथि से 60 दिनों की निर्धारित अवधि के उपरान्त चार से लेकर 221 दिनों के विलम्ब से (फरवरी और जुलाई 2020 के बीच) किया। तदन्तर, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित अवधि के उपरान्त भुगतान होने पर, प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-05 में संदाय सलाह में, ब्याज की राशि को स्वतः निर्धारित करने के लिए विभाग के बैकएंड प्रणाली के रिफण्ड मॉड्यूल में कोई तंत्र नहीं था। परिणामस्वरूप झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 92 के साथ पठित झा.व.एवं.से.क. अधिनियम, 2017 की धारा 54(7) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और फलस्वरूप विभाग दावेदारों को ₹ 1.63 लाख के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित अंचलों को, उचित कार्रवाई करने एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दावों को स्वीकृत करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

¹⁸ धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर एवं राँची।

¹⁹ आदित्यपुर, देवघर, धनबाद नागरीय, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, साहिबगंज एवं सिंहभूम।

रिफण्ड आवेदन के अस्वीकृति में विलम्ब किया जाना

लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल 74 रिफण्ड मामलों का नमूना जाँच किया (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और पाया कि जमशेदपुर और राँची प्रमंडलों में अवस्थित पाँच वाणिज्य कर अंचलों²⁰ के 12 रिफण्ड मामलों (नवम्बर 2018 और अगस्त 2019 के बीच दाखिल) में ₹ 46.59 लाख की राशि को रिफण्ड के रूप में दावा किया गया था। इन दावों को समुचित अधिकारियों ने अभिलेख पर विलम्ब का कारण बताए बिना, स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए 60 दिनों की निर्धारित अवधि से 45 से लेकर 256 दिनों के बीच के विलम्ब से अस्वीकृत (सितम्बर 2019 और जनवरी 2020 के बीच) किया क्योंकि दावे संबंधित अधिनियम/नियमों के अनुसार नहीं थे। परिणामस्वरूप, झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 92 के साथ पठित झा.व.एवं.से.क. अधिनियम, 2017 की धारा 54(7) के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ। वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित वाणिज्य कर अंचलों को, उचित कार्रवाई करने एवं रिफण्ड दावों का प्रसंस्करण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

औपबंधिक रिफण्ड के मामले में अंतिम रिफण्ड स्वीकृत नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल 74 रिफण्ड मामलों का नमूना जाँच किया (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और राँची प्रमंडल अवस्थित राँची पश्चिमी वाणिज्य कर अंचल के सात रिफण्ड मामलों (दिसम्बर 2018 में दाखिल) में यह पाया कि ₹ 50.09 लाख ए.व.एवं.से.क. के भुगतान के विरुद्ध आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बाँड/ वचन-पत्र के अंतर्गत किए गए शून्य दर पर आपूर्ति के आधार पर रिफण्ड का दावा किया था और कुल दावे का 90 प्रतिशत यथा ₹ 45.08 लाख का औपबंधिक रिफण्ड प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-04 में स्वीकृत और भुगतान किया गया था (जनवरी 2019); हालाँकि, शेष 10 प्रतिशत अंतिम रिफण्ड ₹ 5.01 लाख आदिनांक (जुलाई 2021) न तो स्वीकृत किया गया और न ही अस्वीकार किया गया। तदन्तर, लेखापरीक्षा ने पाया कि शीर्ष/प्रमंडल स्तर पर रिफण्ड आवेदनों के प्रसंस्करण की निगरानी के लिए तंत्र के अभाव के फलस्वरूप, अंतिम रिफण्ड दावे को स्वीकृत नहीं किए जाने का पता नहीं चल पाया। परिणामस्वरूप झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 92 के साथ पठित झा.व.एवं.से.क. अधिनियम, 2017 की धारा 54 (7) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और फलस्वरूप विभाग, जुलाई 2020 तक अंतिम रिफण्ड के भुगतान नहीं करने के कारण ₹ 5.01 लाख के अंतिम रिफण्ड के साथ ₹ 0.45 लाख के ब्याज की देयता के लिए उत्तरदायी था।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित वाणिज्य कर अंचल को, उचित कार्रवाई करने एवं करदाताओं को अंतिम रिफण्ड स्वीकृत करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

²⁰ आदित्यपुर, चाईबासा, जमशेदपुर नागरीय, राँची दक्षिणी एवं राँची विशेष।

स्वीकृत रिफण्ड दावों का भुगतान नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल 74 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और धनबाद और जमशेदपुर प्रमंडलों में अवस्थित धनबाद नागरीय और सिंहभूम वाणिज्य कर अंचलों के दो मामलों में पाया कि हालाँकि, राज्य कर विभाग के समुचित अधिकारियों द्वारा ए.व.एवं.से.क./ के.व.एवं.से.क. से संबंधित ₹ 0.51 लाख के रिफण्ड दावों को स्वीकृत (मई और सितम्बर 2019 के बीच) कर दिया गया था, परन्तु दावेदारों को दावे का भुगतान जुलाई 2021 तक नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्वीकृति आदेशों को, रा.व.एवं.से.क. नोडल अधिकारी द्वारा समकक्ष के.व.एवं.से.क. नोडल अधिकारी को प्रेषित नहीं किया गया, परिणामस्वरूप रिफण्ड का भुगतान नहीं हो पाया। तदन्तर, रिफण्ड दावों के प्रसंस्करण की निगरानी के लिए एक तंत्र के अभाव में विभाग, रा.व.एवं.से.क. नोडल अधिकारी द्वारा प्रावधानों के अनुपालन नहीं किए जाने से अनजान रहा।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित वाणिज्यकर अंचलों को, इन स्वीकृत रिफण्ड दावों का भुगतान करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

2.3.6.4 औपबंधिक रिफण्ड की स्वीकृति में विलम्ब

समुचित अधिकारी ने निर्धारित अवधि का पालन नहीं किया और आठ मामलों में औपबंधिक रिफण्ड, अभिस्वीकृति जारी करने से तिथि से सात दिनों की निर्धारित अवधि के उपरान्त सात से लेकर 99 दिनों के बीच के विलम्ब से स्वीकृत किया।

झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 का नियम 91 (2) यह प्रावधानित करता है कि समुचित अधिकारी, आवेदन और प्रस्तुत साक्ष्य की जाँच पर, प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर, अभिस्वीकृति की तारीख से सात दिनों की अवधि के अन्दर, प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-04 में देय रिफण्ड राशि का एक औपबंधिक आदेश करेगा, जो कि कुल रिफण्ड दावे के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल 74 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और हजारीबाग और राँची प्रमंडलों में अवस्थित गिरिडीह और राँची पश्चिमी वाणिज्य कर अंचलों के आठ मामलों (नवम्बर और दिसम्बर 2018 के बीच दाखिल) में पाया कि औपबंधिक रिफण्ड बिना कोई कारण बताए, अभिस्वीकृति जारी करने से सात दिनों की निर्धारित अवधि से सात से लेकर 99 दिनों के विलम्ब से स्वीकृत (जनवरी और मार्च 2019 के बीच) किया गया था। परिणामस्वरूप झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 91(2) के साथ पठित झा.व.एवं.से.क. अधिनियम, 2017 की धारा 54(6) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित वाणिज्य कर अंचलों को, उचित कार्रवाई करने एवं अनंतिम रिफण्ड दावों को स्वीकृत करते समय निर्धारित समय सीमा का पालन करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

2.3.6.5 रिफण्ड का गलत अनुमत्य

समुचित अधिकारी, विभाग के पास उपलब्ध *जी.एस.टी.आर- 3ब* में मासिक विवरणी की तिर्यक जाँच करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप दावेदार को ₹ 0.15 लाख की रिफण्ड का गलत अनुमत्य हुआ।

झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 89 (1) और (2)(के) में यह प्रावधानित है कि कोई व्यक्ति, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र *जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-01*, में किसी भी कर, ब्याज, अर्थदण्ड, शुल्क या उसके द्वारा भुगतान किए गए राशि के रिफण्ड का दावा करते हुए आवेदन दाखिल कर सकता है, उक्त आवेदन के साथ अधिक भुगतान किये जाने के फलस्वरूप किया गया दावा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न होगा; ताकि यह स्थापित किया जा सके कि आवेदक को रिफण्ड देय है।

लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 या उसके उपरान्त दाखिल 70 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और पाया कि धनबाद प्रमण्डल अवस्थित धनबाद नागरीय वाणिज्य कर अंचल के एक करदाता ने सितम्बर 2019 के महीने के लिए कर का अधिक भुगतान किए जाने के कारण ₹ 0.15 लाख की राशि के रिफण्ड का दावा (जनवरी 2020) किया था। दावा स्वीकृत (अप्रैल 2020) किया गया और प्रपत्र *जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-05* में संदाय सलाह जारी किया गया था (अप्रैल 2020)। तदन्तर, सितम्बर 2019 माह के *जी.एस.टी.आर.-3ब* की जाँच से यह पता चला कि पूर्तिकर्ता द्वारा कर का अधिक भुगतान नहीं किया था, बल्कि बकाये का दायित्व था। लेखापरीक्षा ने पाया कि रिफण्ड प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं एवं जाँच किए जाने वाले दस्तावेजों को समाहित करते हुए एक जाँच-सूची तैयार नहीं किए गए थे; परिणामस्वरूप, समुचित अधिकारी तथ्य का तिर्यक जाँच करने में विफल रहे, फलस्वरूप करदाता को ₹ 0.15 लाख की राशि का गलत रिफण्ड हुआ।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित वाणिज्य कर अंचल को उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

2.3.6.6 बकाए की जाँच के बिना रिफण्ड दावों की स्वीकृति

झा.व.एवं.से.क. अधिनियम और पूर्व में निरस्त किए गए अधिनियमों के बकाए राशियों को संक्रमिक करने के लिए तंत्र के अभाव में रिफण्ड दावे के दो मामलों से ₹ 0.42 लाख के बकाए को समायोजित नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 0.42 लाख के रिफण्ड का अधिक भुगतान हुआ।

झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 92 में कहा गया है कि रिफण्ड के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, समुचित अधिकारी यह जाँच करेगा कि दावा किया गया रिफण्ड, दावेदार को देय और भुगतये है तब वह आवेदन प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर रिफण्ड की राशि को स्वीकृत करते हुए प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-06 में एक आदेश देगा। तदन्तर, इस अधिनियम या किसी पूर्ववर्ती अधिनियमों के अंतर्गत बकाए रह गए राशियों को दावा किए गए रिफण्ड से समायोजित किया जाना है और शेष राशि ही रिफण्ड होने योग्य है। हालांकि, ऐसे मामलों में, जब रिफण्ड की राशि बकाया राशि से पूरी तरह से समायोजित हो जाए, तब समायोजन प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-07 के भाग-ए में जारी किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 या उसके उपरान्त दाखिल 70 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों का नमूना जाँच (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) किया और दुमका और धनबाद प्रमंडलों में अवस्थित गोड्डा और बोकारो वाणिज्य कर अंचलों के दो रिफण्ड मामलों में यह पाया कि, दो करदाताओं ने (नवम्बर 2019 और फरवरी 2020 के बीच) रोकड़ बही में अत्यधिक शेष होने के कारण ₹ 2.87 लाख के रिफण्ड का दावा किया था। समुचित अधिकारियों ने दावे को स्वीकृत किया और प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-05 में संदाय सलाह (फरवरी और जुलाई 2020 के बीच) जारी किया। तदन्तर, बोकारो वाणिज्य कर अंचल के एक मामले में अभिलेखों की जाँच से पता चला कि ₹ 0.40 लाख के रिफण्ड दावे के विरुद्ध झा.व.एवं.से.क. अधिनियम 2017 के अंतर्गत ₹ 1.40 लाख की बकाया देनदारी थी, तदनुसार दावा स्वीकार्य नहीं था। तदन्तर, गोड्डा वाणिज्य कर अंचल के मामले में ₹ 2.47 लाख के दावे के विरुद्ध झारखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ₹ 1,500 की बकाया देनदारी थी, जिसे समायोजित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि व.एवं.से.क. के अंतर्गत देय रिफण्ड से पूर्ववर्ती बकायों को समायोजित करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित वाणिज्य कर अंचल को उचित कार्रवाई करने एवं रिफण्ड दावों के प्रसंस्करण के दौरान शेष बकाए की जाँच करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

अनुशंसा:

विभाग, रिफण्ड प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं एवं जाँच किए जाने वाले दस्तावेजों को समाहित करते हुए एक जाँच-सूची तैयार कर सकता है।

2.3.7 आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन

आंतरिक नियंत्रणों का प्रयोजन कानून, नियमावलियों और विभागीय निर्देशों के उचित पालन का तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करना है। ये धोखे एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और बचाव में भी मदद करते हैं। आंतरिक नियंत्रण शीघ्र एवं दक्ष सेवाओं के लिए और करों और शुल्कों के अपवंचन के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिए विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रबंधन सूचना प्रणालियों के सृजन में भी मदद करते हैं। अतः एक उचित आंतरिक नियंत्रण संरचना की स्थापना, समीक्षा और इसे प्रभावी रखने के लिए यह समय-समय पर अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करना विभाग का दायित्व है। आंतरिक नियंत्रणों के मूल्यांकन के दौरान, निम्नलिखित विसंगतियां पायी गयी जिनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिका में की गई है:

2.3.7.1 शीर्ष स्तर पर रिफण्ड दावों की निगरानी नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग में निर्धारित अवधि के अनुसार रिफण्ड दावों के प्रत्येक चरण की पर्याप्त निगरानी करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। अतः विभाग भी रिफण्ड दावों के निष्पादन में हो रहे विलम्ब से अनभिज्ञ रहा। विभाग ने कहा (जुलाई 2021) कि रिफण्ड आवेदनों को दाखिल और प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया अंचल स्तर पर निष्पादित की जाती है। अंचल स्तर पर समुचित अधिकारी द्वारा समय सीमा का अनुपालन एवं रिफण्ड प्रक्रिया के समापन की निगरानी/जांच के लिए शीर्ष स्तर पर अंचलों में दाखिल और स्वीकृत/अस्वीकृत किए गए रिफण्ड मामलों का एक आवधिक (तिमाही, वार्षिक) प्रतिवेदन प्राप्त करना आवश्यक था।

तदन्तर, यह पाया गया कि उपरोक्त समय सीमा के अनुपालन की निगरानी के लिए प्रमण्डल या शीर्ष स्तर पर कोई तंत्र नहीं था।

2.3.8 निष्कर्ष

वा.क.वि. ने रिफण्ड आवेदनों के प्रसंस्करण की निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार नहीं किया, परिणामस्वरूप, वह रिफण्ड दावों के निष्पादन में हो रहे विलम्ब से अनजान रहा, फलस्वरूप नौ मामलों में ₹ 5.97 लाख के रिफण्ड दावों की स्वीकृति/भुगतान नहीं हो पाया।

रिफण्ड आवेदनों की अभिस्वीकृति, जो कि दावा दाखिल करने के 15 दिनों के अन्दर जारी/सूचित किया जाना आवश्यक था, नौ से लेकर 246 दिनों के बीच विलम्ब से जारी किया गया। इसके अलावा, 12 रिफण्ड मामलों में अभिस्वीकृति लेखापरीक्षा की तारीख तक जारी नहीं की गयी थी और औपबंधिक रिफण्ड, जो कि अभिस्वीकृति जारी होने के सात दिनों के अन्दर स्वीकृत किया जाना आवश्यक था, सात से लेकर 99 दिनों के बीच के विलम्ब से स्वीकृत किया गया था।

समुचित अधिकारियों द्वारा अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने और संदाय सलाह में ब्याज की राशि को स्वतः निर्धारित करने के तंत्र के

अभाव के परिणामस्वरूप 33 मामलों में रिफण्ड पर ₹ 5.48 लाख की राशि का ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

अन्य अवलोकन

2.4 झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण सम्पन्न करते समय व्यवसायियों द्वारा दी गई सूचना की जाँच नहीं की जिसके फलस्वरूप 39 व्यवसायियों द्वारा ₹ 3,271.08 करोड़ के आवर्त के छुपाए जाने का पता नहीं चला तथा परिणामस्वरूप ₹ 812.99 करोड़ के कर एवं शास्ति का अवनिर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम 2005, की धारा 40(1) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के ठोस कारण हैं कि व्यवसायी ने आवर्त के ब्यौरे को जानबूझ कर छिपाया, छोड़ा या दर्शाने में विफल रहा है अथवा ऐसे आवर्त का गलत ब्यौरा दाखिल किया है, जिससे विवरणित राशि वास्तविक राशि से कम है, तो उक्त प्राधिकारी वैसे आवर्त पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा। तदन्तर, अधिनियम निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्रा.) को छिपाए गए आवर्त पर निर्धारित कर के अतिरिक्त, निर्धारित अतिरिक्त कर की राशि के तीन गुना राशि के समतुल्य अर्थदण्ड अधिरोपण का अधिकार देता है।

लेखापरीक्षा ने 15 वाणिज्य कर अंचलों²¹ में निबंधित 66,822 व्यवसायियों में से 1,610 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) और पाया कि 39 व्यवसायियों ने 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान आवधिक विवरणियों और प्रपत्र मू.व.क.-409 में मू.व.क. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के द्वारा ₹ 38,165.20 करोड़ के क्रय/विक्रय आवर्त दर्शाया था, जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया था (मई 2016 और मार्च 2019 के बीच)। तदन्तर, लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों²² की जाँच से यह पता चला कि वास्तविक क्रय/विक्रय आवर्त ₹ 41,436.28 करोड़ था। इस प्रकार, अभिलेखों में उपलब्ध प्रासंगिक सूचना के साथ विवरणियों का तिर्यक जाँच करने में नि.प्रा. की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3,271.08 करोड़ के आवर्त का छुपाव हुआ। फलस्वरूप ₹ 609.42 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 812.99 करोड़ कर का अवनिर्धारण हुआ।

मामलों को बताये जाने (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) पर आठ वाणिज्य कर अंचलों²³ के नि.प्रा. ने 17 मामलों में ₹ 243.71 करोड़ के अतिरिक्त माँग सृजित

²¹ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, कतरास, कोडरमा, पाकुड़, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

²² वार्षिक विवरणियाँ, ट्रेडिंग खाते, व्यवसायी द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को दायर प्रपत्र ई.आर-1, मू.व.क. 506 एवं वार्षिक लेखापरीक्षित खाते।

²³ आदित्यपुर, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, कतरास, राँची विशेष, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

किया (फरवरी 2020 और सितम्बर 2021 के बीच) एवं शेष नि.प्रा. ने कहा (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) कि मामलों की समीक्षा की जाएगी।

मामले को सरकार/विभाग को (अगस्त 2021) प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2022)।

2.5 बढ़ाए गए आवर्त पर अर्थदण्ड/ब्याज का नहीं लगाया जाना

नि.प्रा. ने बिक्रय छिपाए जाने के कारण नौ व्यवसायियों के आवर्त को बढ़ाया एवं ₹ 43.84 करोड़ का अतिरिक्त कर आरोपित किया परन्तु ₹ 131.51 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 40(2) के प्रावधानों के अनुसार, यदि निर्धारण प्राधिकारी किसी कार्यवाही के दौरान या किसी सूचना के आधार पर, जो उसे कर निर्धारण के पूर्व या अन्यथा प्राप्त हुई हो, यह संतुष्ट है कि निबंधित व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि को कम करने की उद्देश्य से किसी क्रय या विक्रय को छुपाया गया है, तो विहित प्राधिकारी अप्रकट या छिपाये गए आवर्त पर निर्धारित अतिरिक्त कर के साथ-साथ निर्धारित अतिरिक्त कर के तिगुने राशि के समतुल्य अर्थदण्ड का भुगतान करने का निर्देश देगा।

लेखापरीक्षा ने छः वाणिज्य कर अंचलों²⁴ में निबंधित 28,165 व्यवसायियों में से 663 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (सितम्बर 2019 और फरवरी 2020 के बीच) और पाया कि नौ व्यवसायियों ने 2014-15 और 2015-16 की अवधि के लिए सकल आवर्त ₹ 4,995.52 करोड़ दर्शाया था। नि.प्रा. ने कर निर्धारण के दौरान (मार्च 2018 और मार्च 2019 के बीच) व्यवसायियों द्वारा कर अपवंचना की मंशा से छिपाए गए आवर्त के लिए सकल आवर्त को बढ़ाकर ₹ 5,863.76 करोड़ किया। तथापि, नि.प्रा. ने आवर्त में ₹ 868.24 करोड़ की वृद्धि की और ₹ 43.84 करोड़ का अतिरिक्त कर का निर्धारण किया परन्तु उन्होंने, बिना कारण बताए, बढ़ाए गए आवर्त पर निर्धारित अतिरिक्त कर पर आरोप्य ₹ 131.51 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया।

मामलों को बताए जाने (सितम्बर 2019 और फरवरी 2020 के बीच) पर तीन वाणिज्य कर अंचलों²⁵ के नि.प्रा. ने पाँच मामलों में ₹ 2.47 करोड़ के अतिरिक्त माँग सृजित किया (अक्टूबर 2020 और सितम्बर 2021 के बीच) एवं शेष नि.प्रा. ने कहा कि मामलों की समीक्षा की जाएगी।

मामले को सरकार/ विभाग को अगस्त 2021 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2022)।

²⁴ बोकारो, चाईबासा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और राँची पश्चिमी।

²⁵ चाईबासा, हजारीबाग, और कोडरमा।

2.6 अस्वीकृत छूटों/ रियायतों पर ब्याज का अनारोपण

14 वाणिज्य कर अंचलों के नि.प्रा. ने ₹ 2,264.96 करोड़ के छूटों, रियायतों या इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) के गलत समायोजन के दावों को अस्वीकृत किया। हालाँकि, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ₹ 102.24 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं किया गया।

झा.मू.व.क. अधिनियम 2005, इस अधिनियम, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम या उनके अंतर्गत बनाये गए नियमावली के अधीन आवश्यक साक्ष्य से समर्थित नहीं होने के कारण अस्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट, छूटों एवं कटौतियाँ और कोई अन्य छूट/ रियायतों पर ब्याज अधिरोपित करने का प्रावधान करता है। तदन्तर, अधिनियम निर्धारित अतिरिक्त कर के भुगतान में विलंब होने पर विलंब होने की तिथि से जब तक उक्त कर के भुगतान में निर्धारित द्वाारा विलंब किया जाता रहे, प्रति माह दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा ने 14 वाणिज्य कर अंचलों²⁶ में निबंधित 58,045 व्यवसायियों में से 1,464 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) और पाया कि नि.प्रा. ने 40 व्यवसायियों के वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के मामलों में ₹ 2,195.65 करोड़ के छूटों और रियायतों एवं ₹ 69.31 करोड़ के आई.टी.सी. के समायोजन के दावों को अस्वीकृत किया (जुलाई 2016 एवं मार्च 2019 के बीच)। उपरोक्त अस्वीकृत आवर्त पर नि.प्रा. द्वारा आई.टी.सी. सहित ₹ 152.81 करोड़ के अतिरिक्त कर आरोपित किया गया। हालाँकि, नि.प्रा. अस्वीकृत दावों पर ₹ 102.24 करोड़ की राशि का दण्डात्मक ब्याज लगाने में विफल रहे। तदन्तर, यह पाया गया कि कर निर्धारण के दौरान, आई.टी.सी. के समायोजन के अस्वीकृत दावों पर ब्याज का आरोपण समान रूप से उपरोक्त अंचलों में नहीं किया जा रहा था।

मामलों को बताए जाने पर (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) 10 वाणिज्य कर अंचलों²⁷ के नि.प्रा. ने 26 मामलों में ₹ 52.33 करोड़ के अतिरिक्त माँग सृजित किया (जून और सितम्बर 2021 के बीच) एवं शेष वाणिज्य कर अंचलों के नि.प्रा. ने कहा (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) कि मामलों की समीक्षा की जाएगी।

मामले को सरकार/विभाग को अगस्त 2021 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2022)।

²⁶ बोकारो, चाईबासा, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, पाकुड़, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

²⁷ चाईबासा, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, कतरास, कोडरमा, पाकुड़, राँची दक्षिणी, राँची विशेष और तेनुघाट।

2.7 इनपुट कर क्रेडिट (आई.टी.सी.) की स्वीकृति में अनियमितताएँ

नि.प्रा. ने 29 व्यवसायियों के मामलों में कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान ₹ 85.70 करोड़ के बदले ₹ 109.51 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.81 करोड़ के अधिक आई.टी.सी. का अनुमत्य हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 18(8) (xv) के प्रावधानों के अंतर्गत, निबंधित व्यवसायियों द्वारा क्रय किए गए वस्तुओं को उसी रूप में बिक्री या अन्य सामग्रियों के निर्माण में उपयोग कर उनकी बिक्री केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप-धारा (2) के अंतर्गत होने वाले अंतर-राज्यीय व्यापार में किए जाने पर इनपुट कर क्रेडिट (आई.टी.सी.) की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदन्तर, राज्य के बाहर वस्तु के भण्डार अंतरण के मामले में, तैयार वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त ऐसी सामग्री जिन पर पाँच प्रतिशत से अधिक कर का भुगतान किया गया हो, पर आई.टी.सी. आनुपातिक रूप से अनुमत्य होगा। इस अधिनियम की धारा 18(8) में खण्ड (xviii) को दिनांक 23 सितम्बर 2015 की अधिसूचना के द्वारा सम्मिलित किया गया था, जिसमें यह प्रावधानित किया गया है कि विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान खपत हो गए या जल गए वस्तु जिनका अस्तित्व स्थानांतरित या तैयार वस्तु में मौजूद नहीं हो, के संबंध में आई.टी.सी. की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्तर्स्थापित प्रावधान को 01 अप्रैल 2015 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया था। हालांकि, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक घोषणा के अनुसार प्रावधान अधिसूचना जारी होने की तिथि, जो कि 23 सितम्बर 2015 थी, से प्रभावी था। साथ ही, झा.मू.व.क. नियमावली के नियम 26(6)(ब) के अनुसार, कर योग्य बिक्री कुल आवर्त के पाँच प्रतिशत या उससे कम होने पर कोई आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं है।

लेखापरीक्षा ने 14 वाणिज्य कर अंचलों²⁸ में निबंधित 59,500 व्यवसायियों में से 1,346 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) और पाया कि 29 व्यवसायियों ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि के लिए ₹ 127.03 करोड़ के आई.टी.सी. का दावा किया। नि.प्रा. ने कर निर्धारण के दौरान (जनवरी 2017 और मार्च 2019 के बीच) साक्ष्यों²⁹ से समर्थित होने के आधार पर इन व्यवसायियों को ₹ 109.51 करोड़ आई.टी.सी. की अनुमति प्रदान की। यद्यपि, जाँच करने पर, जैसा कि निम्न वर्णित है, यह पाया गया कि ये व्यवसायी वास्तव में केवल ₹ 85.70 करोड़ की राशि के आई.टी.सी. के हकदार थे। परिणामस्वरूप ₹ 23.81 करोड़ के अधिक आई.टी.सी. अनुमत्य हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है:

²⁸ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, गिरीडीह, कतरास, पाकुड़, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी, सिंहभूम और तेनुघाट।

²⁹ झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 35 (2), 35 (3) और 35 (4) के अंतर्गत कर योग्य वस्तु के क्रय के समय क्रेता व्यवसायी द्वारा कर के भुगतान का साक्ष्य निबंधित विक्रेता व्यवसायी द्वारा जारी प्रपत्र झा.मू.व.क. 404 में घोषणा।

- आठ वाणिज्य कर अंचलों³⁰ के नि.प्रा. ने 11 व्यवसायियों के मामले में वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए ₹ 29.61 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति दी हालाँकि इन व्यवसायियों ने के.बि.क. अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत अनिबंधित व्यवसायियों को ₹ 314.00 करोड़ की अंतर-राज्यीय बिक्री की थी जिस पर नि.प्रा. द्वारा ₹ 29.61 करोड़ का आई.टी.सी. आनुपातिक नहीं किया गया था। अनुपात करने के उपरांत, स्वीकार्य आई.टी.सी. ₹ 27.84 करोड़ था। परिणामस्वरूप ₹ 1.77 करोड़ के अधिक आई.टी.सी. का अनुमत्य हुआ।
- पाँच वाणिज्य कर अंचलों³¹ के नि.प्रा. ने 11 व्यवसायियों के मामले में 2014-15 और 2016-17 की अवधि के लिए ₹ 24.27 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति प्रदान की। इन व्यवसायियों ने ₹ 5,347.41 करोड़ मूल्य के वस्तु का भण्डार अंतरण किया था, जिस पर नि.प्रा. द्वारा आई.टी.सी. का नहीं/गलत तरीके से आनुपातिक किया गया था। अनुपात करने के उपरांत, स्वीकार्य आई.टी.सी. ₹ 20.94 करोड़ था। परिणामस्वरूप ₹ 3.33 करोड़ के अधिक आई.टी.सी. का अनुमत्य हुआ।
- तीन वाणिज्य कर अंचलों³² के नि.प्रा. ने पाँच व्यवसायियों के मामले में 2015-16 और 2016-17 की अवधि के लिए ₹ 53.36 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति प्रदान की। हालाँकि, यह पाया गया कि आई.टी.सी. की अनुमति उन सामग्रियों की क्रय पर दी गई थी जो निर्माण प्रक्रिया के दौरान जल गई और तैयार वस्तु में स्थानांतरित नहीं हुई। इन सामग्रियों की क्रय पर आई.टी.सी. को अस्वीकार करने के उपरांत, स्वीकार्य आई.टी.सी. ₹ 34.82 करोड़ था। परिणामस्वरूप ₹ 18.53 करोड़ के अधिक आई.टी.सी. का अनुमत्य हुआ।
- वाणिज्य कर अंचल, देवघर के नि.प्रा. ने एक व्यवसायी के मामले में 2015-16 की अवधि के लिए ₹ 2.36 लाख की आई.टी.सी. की अनुमति दी। हालाँकि, यह देखा गया कि व्यवसायी का कर योग्य बिक्री कुल आवर्त के पाँच प्रतिशत से कम थी, अतः अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आई.टी.सी. के लिए व्यवसायी हकदार नहीं था। तदन्तर, वाणिज्य कर अंचल, रामगढ़ के नि.प्रा. ने एक व्यवसायी के मामले में 2015-16 की अवधि के लिए ₹ 1.78 करोड़ की आई.टी.सी. की अनुमति दी, हालाँकि, व्यवसायी वास्तव में केवल ₹ 1.62 करोड़ के आई.टी.सी. के हकदार था क्योंकि व्यवसायी द्वारा उपस्थापित ₹ 15.84 लाख के आई.टी.सी. से संबंधित घोषणा प्रपत्र झा.मू.व.क. 404, पूर्व की अवधि का था। परिणामस्वरूप दो व्यवसायियों के मामले में ₹ 18.20 लाख के अधिक आई.टी.सी. का अनुमत्य हुआ।

मामलों को बताये जाने (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) पर आठ वाणिज्य कर अंचलों³³ के नि.प्रा. ने 18 मामलों में ₹ 2.95 करोड़ का अतिरिक्त माँग सृजित

³⁰ आदित्यपुर, चाईबासा, देवघर, धनबाद, पाकुड़, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

³¹ आदित्यपुर, बोकारो, कतरास, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

³² बोकारो, गिरिडीह और राँची पूर्वी।

³³ आदित्यपुर, चाईबासा, देवघर, कतरास, पाकुड़, राँची पश्चिमी, सिंहभूम और तेनुघाट।

किया (जनवरी और सितम्बर 2021 के बीच) एवं शेष वाणिज्य कर अंचलों के नि.प्रा. ने कहा कि मामलों की समीक्षा की जाएगी।

मामले को सरकार/ विभाग को अगस्त 2021 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2022)।

2.8 सकल आवर्त (स.आ.)/ करदेय आवर्त (क.दे.आ.) का गलत निर्धारण

नि.प्रा. ने सात व्यवसायियों के मामले में ₹ 2,407.40 करोड़ के बदले ₹ 1,962.03 करोड़ का स.आ./क.दे.आ. निर्धारित किया, परिणामस्वरूप ₹ 445.37 करोड़ के स.आ. का कम निर्धारण हुआ और फलस्वरूप ₹ 22.33 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 2 (xxv) के प्रावधानों के अंतर्गत सकल आवर्त एक व्यवसायी द्वारा प्राप्त या प्राप्य विक्रय राशि का कुल योग है। तदन्तर, करदेय आवर्त का तात्पर्य उस निर्धारित आवर्त से है जिस पर एक व्यवसायी अपने सकल आवर्त से ऐसी कटौती करने के बाद कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। झा.मू.व.क. नियमावली के नियम 25 के उप-नियम 4 में यह प्रावधान है कि कोई निबंधित मू.व.क. व्यवसायी अपनी क्रय या लागत मूल्य, जैसा भी मामला हो, से कम पर अपनी वस्तु का विक्रय नहीं करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाँच वाणिज्य कर अंचलों³⁴ में निबंधित 16,449 व्यवसायियों में से 553 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (नवम्बर 2019 और मार्च 2020 के बीच) और पाया कि नि.प्रा. ने 2014-15 से 2016-17 की अवधि के लिए सात व्यवसायियों का स.आ./क.दे.आ. ₹ 1,962.03 करोड़ निर्धारित किया। हालाँकि, यह पाया गया कि नि.प्रा. ने स.आ. का निर्धारण करने के दौरान प्रपत्र-झा.मू.व.क 409 में लेखापरीक्षित लेखों में दर्शाए गए निर्यात प्रोत्साहन से प्राप्ति और क्रय या लागत मूल्य से कम में वस्तु की बिक्री, ₹ 445.37 करोड़ के आवर्त पर विचार नहीं किया, जबकि अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार यह सकल आवर्त का हिस्सा था। इस प्रकार, इन व्यवसायियों का वास्तविक स.आ./क.दे.आ. ₹ 2,407.40 करोड़ था। परिणामस्वरूप स.आ./क.दे.आ. का गलत निर्धारण हुआ और फलस्वरूप ₹ 22.33 करोड़ कर का अवनिर्धारण हुआ।

मामलों को बताए जाने पर (नवम्बर 2019 और मार्च 2020 के बीच) चार वाणिज्य कर अंचलों³⁵ के नि.प्रा. ने छः मामलों में ₹ 21.42 करोड़ का अतिरिक्त माँग सृजित किया (जुलाई 2020 और सितम्बर 2021 के बीच) एवं देवघर वाणिज्य कर अंचल के नि.प्रा. ने कहा कि मामलों की समीक्षा की जाएगी।

³⁴ देवघर, धनबाद, पाकुड़, तेनुघाट और राँची दक्षिणी।

³⁵ धनबाद, पाकुड़, राँची दक्षिणी और तेनुघाट।

मामले को सरकार/ विभाग को अगस्त 2021 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

2.9 कर के गलत दर का अनुप्रयोग

नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान कर की गलत दरें आरोपित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.53 करोड़ के कर का अल्परूपण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की अनुसूची-॥ भाग डी के प्रावधानों के अनुसार, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एच.ई.एम.एम.) के स्पेयर पार्ट्स 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य थे। तदन्तर, झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (2) के अनुसार जब किसी संविदा में श्रम, सेवा, भाड़ा प्रभार एवं अन्य सभी सदृश प्रभार की राशि अभिनिश्चित करने के अयोग्य है, तब उक्त प्रभारों की राशि कुल प्राप्त/प्राप्य के 30 प्रतिशत (असैनिक कार्यों के मामले में) के रूप में गणना की जाएगी, तथा इसके बाद प्राप्त करदेय आवर्त 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होंगे। तदन्तर, अप्रैल 2015 में जारी अधिसूचना के साथ पठित मार्च 2016 में जारी अधिसूचना के अनुसार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) के द्वारा विनिर्माण में प्रयुक्त पिग आयरन, स्टील स्ट्रैप, फेरो एलॉय और स्पंज आयरन की बिक्री पर, क्रेता एम.एस.एम.ई. द्वारा जारी घोषणा-पत्र प्रपत्र 'अ' में प्रस्तुत करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होगा। नवम्बर 2016 में जारी अधिसूचना के अनुसार, लौह और इस्पात की बिक्री पर कर की दर नवम्बर 2016 से पाँच प्रतिशत से संशोधित कर 5.5 प्रतिशत कर दी गई है।

लेखापरीक्षा ने पाँच वाणिज्य कर अंचलों³⁶ में निबंधित 23,632 व्यवसायियों में से 577 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (जुलाई और दिसम्बर 2019 के बीच) और पाया कि:

- तीन वाणिज्य कर अंचलों³⁷ के नि.प्रा. ने पाँच व्यवसायियों के मामले में 2014-15 और 2015-16 की अवधि के लिए कर निर्धारण संपन्न करने (दिसम्बर 2017 और मार्च 2019) के दौरान दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण, श्रम एवं अन्य सदृश प्रभारों के मद में कुल प्राप्त का 30 प्रतिशत राशि स्वीकृत किया। हालाँकि, इसके उपरांत निर्धारित ₹ 147.76 करोड़ के करदेय आवर्त पर नियमावली के प्रावधानों के अनुसार आरोप्य 14 प्रतिशत के बदले पाँच प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। परिणामस्वरूप ₹ 13.30 करोड़ के कर का अल्परूपण हुआ।
- हजारीबाग वाणिज्य कर अंचल में नि.प्रा. ने एक व्यवसायी के मामले में कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान ₹ 1.27 करोड़ के एच.ई.एम.एम. के स्पेयर पार्ट्स की बिक्री पर पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 6.34 लाख का कर आरोपित किया। हालाँकि,

³⁶ गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, सिंहभूम और तेनुघाट।

³⁷ कोडरमा, सिंहभूम और तेनुघाट।

14 प्रतिशत की दर से ₹ 17.76 लाख की राशि का कर आरोप्य था। परिणाम स्वरूप ₹ 11.42 लाख कर का अल्पारोपण हुआ।

- हजारीबाग वाणिज्य कर अंचल के नि.प्रा. ने एक व्यवसायी के 2015-16 की अवधि के लिए कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान (मार्च 2019) एम.एस.एम.ई. को ₹ 23.59 करोड़ की बिक्री पर 2.5 प्रतिशत की दर से ₹ 58.97 लाख कर का आरोपण किया। हालाँकि, बिक्री वांछित घोषणा प्रपत्र 'ए' द्वारा समर्थित नहीं था और अतः उपरोक्त आवर्त पर पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 1.18 करोड़ कर आरोप्य था। परिणाम स्वरूप ₹ 58.97 लाख कर का अल्पारोपण हुआ।

- गिरिडीह वाणिज्य कर अंचल के नि.प्रा. ने तीन व्यवसायियों के मामले में 2016-17 की अवधि के लिए कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान (दिसम्बर 2018 और मार्च 2019 के बीच) नवम्बर 2016 और मार्च 2017 के बीच लौह और इस्पात के ₹ 106.31 करोड़ की बिक्री पर पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 5.32 करोड़ कर आरोपित किया। हालाँकि, इन वस्तुओं पर आरोप्य कर की दर नवम्बर 2016 के प्रभाव से पाँच प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत संशोधित की गई थी। अतः इनके विक्रय पर ₹ 5.85 करोड़ का कर आरोप्य था, परिणामस्वरूप ₹ 53.16 लाख कर का अल्पारोपण हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नि.प्रा. द्वारा अधिनियम, नियमावली और सरकारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों को लागू करने में तत्परता की कमी के कारण कर की गलत दर आरोपित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 14.53 करोड़ का अल्पारोपण हुआ।

मामलों को बताये जाने पर (सितम्बर और दिसम्बर 2019 के बीच) पाँच वाणिज्य कर अंचलों³⁸ के नि.प्रा. ने छः मामलों में ₹ 10.34 करोड़ का अतिरिक्त माँग सृजित किया (सितम्बर 2021) एवं कहा कि शेष मामलों की समीक्षा की जाएगी।

मामले को सरकार/विभाग को अगस्त 2021 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

2.10 कर का अल्पारोपण

दो अंचलों के नि.प्रा. ने तीन व्यवसायियों के मामले में कर देय आवर्त ₹ 3,757.22 करोड़ निर्धारित किया। हालाँकि, भूलवश ₹ 3,706.45 करोड़ के करदेय आवर्त पर कर आरोपित किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 2.54 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

निर्धारण प्राधिकारी को के.बि.क./झा.मू.व.क. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अत्यंत सावधानी और दक्षता के साथ कर निर्धारण को संपन्न करना है। नि.प्रा. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर की गणना शुद्धता से की गई है।

³⁸ गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, सिंहभूम और तेनुघाट।

लेखापरीक्षा ने हजारीबाग और जमशेदपुर नागरीय वाणिज्य कर अंचलों में निबंधित 11,236 व्यवसायियों में से 200 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (जुलाई और नवम्बर 2019 के बीच) और पाया कि तीन व्यवसायियों के मामले में नि.प्रा. ने 2014-15 और 2015-16 की अवधि के लिए कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान (मार्च 2018 और मार्च 2019 के बीच) करदेय आवर्त ₹ 3,757.22 करोड़ निर्धारित किया। हालाँकि, भूलवश कर का आरोपण ₹ 3,706.45 करोड़ के आवर्त पर किया गया था। अतः ₹ 50.77 करोड़ के आवर्त पर कर आरोपित नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 2.54 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

मामलों को बताये जाने पर (जुलाई और नवम्बर 2019 के बीच) हजारीबाग और जमशेदपुर नागरीय वाणिज्य कर अंचलों के नि.प्रा. ने उपरोक्त तीनों मामलों में ₹ 2.54 करोड़ का अतिरिक्त माँग (अगस्त 2019 और जून 2021 के बीच) सृजित किया।

मामले को सरकार/ विभाग को अगस्त 2021 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

2.11 केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण

नि.प्रा. ने ₹ 92.59 करोड़ के आवर्त पर पाँच प्रतिशत के.बि.क. और झा.मू.व.क. के अंतर्गत 14 प्रतिशत आरोप्य कर की दरों के बदले दो प्रतिशत की रियायती दर से के.बि.क. आरोपित किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.64 करोड़ के.बि.क. का अवनिर्धारण हुआ।

के.बि.क अधिनियम, 1956 की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत, किसी वस्तु के क्रय या विक्रय को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई मानी जाएगी यदि क्रय या विक्रय के दौरान वस्तु की आवाजाही एक राज्य से दूसरे राज्य में होती है। के.बि.क नियमावली, 1957 के नियम 12(1) और 12(4) के साथ पठित धारा 6(2) यह प्रावधानित करता है कि अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी भी वस्तु का विक्रय इस अधिनियम के अंतर्गत करदेयता से मुक्त होगी यदि व्यवसायी, निर्धारित प्राधिकारी को विक्रेता व्यवसायी द्वारा जारी प्रपत्र ई। या ई॥ में एक प्रमाण पत्र और वस्तु की अनुवर्ती क्रेता व्यवसायी द्वारा जारी घोषणा प्रपत्र सी प्रस्तुत करे। तदन्तर, धारा 8(1) और 8(4) और नियम 12(4) यह प्रावधानित करता है कि प्रत्येक व्यवसायी अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान निबंधित व्यवसायी को वस्तु विक्रय करता है, क्रेता व्यवसायी द्वारा जारी घोषणा प्रपत्र 'सी' को प्रस्तुत करने पर अपने आवर्त पर दो प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने हजारीबाग एवं जमशेदपुर वाणिज्य कर अंचलों में निबंधित 18,145 व्यवसायियों में से 250 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (जुलाई एवं अक्टूबर 2019 के बीच) और निम्न उद्घाटित किया।

- वाणिज्य कर अंचल, हजारीबाग में नि.प्रा. ने 2015-16 की अवधि के लिए एक व्यवसायी के द्वारा प्रपत्र 'सी' के प्रस्तुत किए जाने पर ₹ 265.16 करोड़ के आवर्त पर दो प्रतिशत की रियायती दर से कर आरोपित किया (मार्च 2019)। हालाँकि, सभी प्रपत्र 'सी' में कर की राशि सम्मिलित थी। जाँच से उद्घाटित हुआ कि ₹ 5.21 करोड़ की कर की राशि के कटौती के उपरांत प्रपत्र का शुद्ध मूल्य ₹ 259.96 करोड़ था। चूंकि ₹ 5.21 करोड़ का आवर्त प्रपत्र 'सी' द्वारा समर्थित नहीं था, अतः उक्त आवर्त पर दो प्रतिशत की रियायती दर के बदले पाँच प्रतिशत का कर आरोप्य था।

- वाणिज्य कर अंचल, जमशेदपुर में नि.प्रा. ने एक व्यवसायी के मामले में 2013-14 और 2014-15 की अवधि के लिए ₹ 87.39 करोड़ के आवर्त को प्रपत्र 'सी' के प्रस्तुत करने के आधार पर राज्य के अंदर बिक्री के बदले, अंतर-राज्यीय बिक्री मानते हुए दो प्रतिशत की रियायती दर पर के.बि.क. का आरोपण किया (फरवरी 2017 और मार्च 2018 के बीच), जबकि प्रपत्र प्राप्त करने वाले व्यवसायी (विक्रेता) और जारी करने वाले व्यवसायी (क्रेता) दोनों इसी राज्य से सम्बंधित थे। ऐसे में उक्त आवर्त पर झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत 14 प्रतिशत की दर से कर आरोप्य था।

परिणामस्वरूप ₹ 92.59 करोड़ के आवर्त पर कर के रियायती दर का गलत आरोपण हुआ और फलस्वरूप ₹ 10.64 करोड़ के के.बि.क. का अवनिर्धारण हुआ।

मामलों को बताये जाने पर (जुलाई और अक्टूबर 2019 के बीच) नि.प्रा. ने कहा कि मामलों की समीक्षा की जाएगी।

मामले को सरकार/विभाग को फरवरी 2020 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

खान एवं भू-तत्व विभाग

2.12 झारखण्ड में खनन प्राप्तियों की स्थिति

झारखण्ड एक खनिज समृद्ध राज्य है। राज्य के पास देश के कुल खनिज संसाधनों का 40 प्रतिशत है और राज्य में 30 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राज्य कोयला के भण्डार में पहला, लौह अयस्क के भण्डार में दूसरा, तांबा अयस्क के भण्डार में तीसरा, बॉक्साइट अयस्क के भण्डार में सातवां स्थान रखता है और प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है।

खान एवं भू-तत्व विभाग वृहद खनिजों के लिए केंद्रीय कानूनों, जैसे खान और खनिज (विकास और विनियमन) (खा.ख.वि.वि.) अधिनियम, 1957, खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियमावली, 2016 और खनिज संरक्षण और विकास नियमावली (एम.सी.डी.आर.), 1988 को प्रशासित करता है। विभाग लघु खनिजों के लिए झारखण्ड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 को भी प्रशासित करता है।

विभाग के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों/सूचना के अनुसार सितम्बर 2021 तक राज्य के खनन पट्टों की स्थिति तालिका-2.4 में दर्शाई गई है।

तालिका-2.4

खनन पट्टों का अंचल-वार स्थिति

| अंचलों का नाम | वृहद खनिजों के पट्टे | | | लघु खनिजों के पट्टे | | |
|---------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | कुल पट्टों की संख्या | कार्यरत पट्टों की संख्या | अकार्यरत पट्टों की संख्या | कुल पट्टों की संख्या | कार्यरत पट्टों की संख्या | अकार्यरत पट्टों की संख्या |
| धनबाद | 138 | 61 | 77 | 519 | 124 | 395 |
| दुमका | 19 | 3 | 16 | 1,314 | 270 | 1,044 |
| हजारीबाग | 52 | 20 | 32 | 538 | 65 | 473 |
| कोल्हान | 97 | 11 | 86 | 429 | 86 | 343 |
| पलामू | 20 | 7 | 13 | 210 | 78 | 132 |
| राँची | 58 | 19 | 39 | 671 | 85 | 586 |
| | 384 | 121 | 263 | 3,681 | 708 | 2,973 |

तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य में वृहत्त खनिजों के कुल 384 पट्टे और लघु खनिजों के 3,681 पट्टे हैं। इनमें से वृहत्त और लघु खनिजों के क्रमशः 263 और 2,973 पट्टे अकार्यरत पट्टे हैं। पट्टों के अकार्यशील होने का कारण पूछे जाने (सितम्बर 2021) पर भी विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।

2.12.1 खान एवं भू-तत्व विभाग द्वारा 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान प्राप्त राजस्व का विवरण तालिका-2.5 में दिया गया है।

तालिका- 2.5
खनन प्रप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | प्राप्तियाँ | पिछले वर्षों की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+) या कमी (-) |
|---------|-------------|---|
| 2015-16 | 4,384.43 | (+) 17.40 |
| 2016-17 | 4,094.25 | (-) 6.62 |
| 2017-18 | 5,941.36 | (+) 45.11 |
| 2018-19 | 5,934.64 | (-) 0.11 |
| 2019-20 | 5,461.36 | (-) 7.97 |

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, राज्य की खनन प्राप्तिर्यों में निरंतरता नहीं थी। पिछले पाँच वर्षों के दौरान गैर-कर प्राप्तिर्यों में खनन प्राप्तिर्यों का सर्वाधिक योगदान (72 प्रतिशत) रहा है और राज्य द्वारा सृजित राजस्व में दूसरा सबसे बड़ा योगदान कर्ता (25 प्रतिशत) रहा है।

2.13 कर प्रशासन

राज्य में स्वामिस्व का आरोपण एवं संग्रहण खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957, खनिज रियायत नियमावली, 1960 तथा झारखण्ड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 द्वारा शासित होता है।

सरकार के स्तर पर, सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग तथा निदेशालय स्तर पर, खान निदेशक अधिनियमों एवं नियमावलियों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। खान निदेशक को मुख्यालय स्तर पर एक अतिरिक्त खान निदेशक (अ.खा.नि.) और खान उप-निदेशक (खा.उ.नि.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राज्य को छः अंचलों³⁹ में विभाजित किया गया है, प्रत्येक एक खा.उ.नि. के प्रभार में है। अंचलों को पुनः 24 जिला खनन कार्यालयों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक एक जिला खनन पदाधिकारी (जि.ख.प.)/सहायक खनन पदाधिकारी (स.ख.प.) के प्रभार में है। जि.ख.प./स.ख.प. स्वामिस्व और अन्य खनन देय राशियों के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें खान निरीक्षकों (खा.नि.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जि.ख.पदा. और खा.नि. पट्टाधारित क्षेत्रों का निरीक्षण करने और खनिजों के उत्पादन और प्रेषण की समीक्षा करने के लिए अधिकृत हैं।

2.14 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2019-20 के दौरान, लेखापरीक्षा ने खान एवं भू-तत्व विभाग की 51 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 17⁴⁰ के (33 प्रतिशत) अभिलेखों की नमूना जाँच किया। नमूना

³⁹ चाईबासा, डाल्टनगंज, धनबाद, दुमका, हजारीबाग और राँची।

⁴⁰ खान निदेशक, राँची; जिला खनन कार्यालय, चाईबासा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, राँची, साहिबगंज और सरायकेला-खरसावां; अभ्रक लेखा निरीक्षक, कोडरमा।

जाँच किये गए इकाइयों में 1,424 खनन पट्टों (वृहत खनिजों के 275 और लघु खनिजों के 1,149) में से लेखापरीक्षा ने 272 खनन पट्टों (वृहत खनिजों के 59 और लघु खनिजों के 213) के अभिलेखों की जाँच किया। वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग की प्राप्तियाँ ₹ 5,934.64 करोड़ थी जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 4,517.38 करोड़ (76 प्रतिशत) एकत्र किया। लेखापरीक्षा ने 160 मामलों में ₹ 1,519.32 करोड़ की अनियमितताओं को देखा जैसा कि तालिका-2.6 में वर्णित है।

तालिका- 2.6

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | श्रेणियाँ | मामलों की संख्या | राशि |
|----------|--|------------------|----------|
| 1 | अवैध खनन के लिए अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना (मामले न्यायालय में लम्बित) | 9 | 832.37 |
| 2 | स्वामिस्व का कम आरोपण | 9 | 64.11 |
| 3 | नियत लगान और ब्याज का उद्ग्रहण नहीं होना | 14 | 13.68 |
| 4 | ईट भट्टों के अवैध संचालन के लिए अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना | 9 | 10.50 |
| 5 | मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करने पर अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना | 9 | 0.62 |
| 6 | बकाये माँग की वसुली नहीं होना | 2 | 0.11 |
| 7 | अन्य मामले | 108 | 597.93 |
| कुल | | 160 | 1,519.32 |

विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताये एक मामले में ₹ 90.35 लाख अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

खनन प्राप्तियों से संबंधित ₹ 15.42 करोड़ मूल्य के अनियमितताओं के आठ मामले नीचे दर्शाया गया है।

2.15 स्वामिस्व की गलत दर लागू करना

अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुसार स्वामिस्व की दर को सत्यापित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 15.42 करोड़ की स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के प्रावधानों के तहत, खनन पट्टाधारी, पट्टे क्षेत्र से हटाये गए या उपभुक्त खनिज पर खा.ख.वि.नि. अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, उस समय के लिए, दिए गए दर से स्वामिस्व का भुगतान करेगा। कोयले पर स्वामिस्व की दर विपत्र में प्रदर्शित कोयले की कीमत का 14 प्रतिशत है, जबकि एल्यूमीनियम धातु के निष्कर्षण में प्रयोग हेतु प्रेषित बॉक्साइट अयस्क पर स्वामिस्व, अयस्क में निहित एल्यूमीनियम की मात्रा पर का लंदन मेटल

एक्सचेंज के मूल्य का शून्य दशमलव छः प्रतिशत है। जनवरी 2017 में जारी मूल्य अधिसूचना के अनुसार, वाशड प्राइम कोकिंग कोल जिसमें गारंटीकृत राख की मात्रा 19 प्रतिशत हो, का आधार मूल्य ₹ 13,187 प्रति टन था। इस अधिसूचित आधार मूल्य में अधिलाभ/शास्ति की भी उपधारा है कि यदि गारंटीकृत राख की मात्रा अर्थात्, 19 प्रतिशत से राख मात्रा से 0.11 प्रतिशत की वृद्धि/कमी होती है तो आधार मूल्य 0.23 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा/घटेगा। तदन्तर, खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 13(1) प्रावधान करता है कि खनन पट्टाधारी नियम 9 के उप-नियम (2) के अधीन निर्धारित शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना या नियम 10 के अधीन संशोधन, यदि कोई हो या नियम 11 या 12 के अधीन अनुमोदित खनन योजना या योजना, जैसा भी मामला हो, के अनुसार खनन कार्य करेगा।

लेखापरीक्षा ने तीन जिला खनन कार्यालयों⁴¹ में 128 वृहत खनिज पट्टों में से 24 के मासिक विवरणियों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की नमूना जाँच किया (अक्टूबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच) और पाया कि खनिजों के निष्कर्षण में लगे आठ पट्टेधारियों ने अप्रैल 2016 और मार्च 2019 के बीच 35.60 लाख टन खनिजों (33.77 लाख टन कोयला और 1.83 लाख टन बॉक्साइट) का प्रेषण किया था। यद्यपि, ₹ 119.18 करोड़ स्वामिस्व देय था, पट्टेधारियों ने गलत दरों पर ₹ 103.76 करोड़ का भुगतान किया, जिसे विभाग द्वारा अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुसार दरों को सत्यापित किए बिना स्वीकार कर लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.42 करोड़ स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

मामलों को बताये जाने (अक्टूबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच) पर जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2020) और सूचित किया कि माँग पत्र जारी किया गया है। जबकि, जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद एवं लोहरदगा ने कहा (अक्टूबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच) कि उचित सत्यापन के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तदन्तर, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2022)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2020); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2022)।

⁴¹ धनबाद, हजारीबाग और लोहरदगा।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

2.16 कर प्रशासन

उत्पाद कर का आरोपण एवं संग्रहण झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों/निर्गत अधिसूचनाओं से शासित होता है। सरकार के स्तर पर, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव, राज्य उत्पाद नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आयुक्त उत्पाद (आ.उ.) विभाग के प्रमुख हैं और राज्य सरकार की उत्पाद नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं प्रशासन के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेवार हैं। उन्हें मुख्यालय स्तर पर एक संयुक्त आयुक्त उत्पाद, उपायुक्त उत्पाद एवं सहायक आयुक्त उत्पाद का सहयोग प्राप्त होता है। तदन्तर, झारखण्ड राज्य तीन उत्पाद प्रमंडलों⁴² में विभक्त है, प्रत्येक उपायुक्त उत्पाद के नियंत्रणाधीन है। प्रमंडलों को पुनः 24 उत्पाद जिलों में विभक्त किया गया है, प्रत्येक के प्रभारी एक सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद (स.आ.उ./अ.उ.) होते हैं।

2.17 लेखापरीक्षा के परिणाम

2019-20 के दौरान, लेखापरीक्षा ने विभाग के 31 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 11⁴³ (35 प्रतिशत) का नमूना जाँच किया। वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य में अप्रैल से जुलाई 2017 तक की अवधि में 1,111 खुदरा उत्पाद दुकानों का नवीनीकरण किया गया था। उसके बाद, 679 दुकानों को विभागीय स्तर से संचालित कराया गया था। 2018-19 में, 734 खुदरा उत्पाद दुकानों को विभागीय स्तर से संचालित कराया गया था। नमूना जाँच किये गए जिलों में, लेखापरीक्षा द्वारा शत प्रतिशत खुदरा दुकानों अर्थात्, 2017-18 के दौरान, अप्रैल से जुलाई 2017 तक नवीकृत कराये गए 232 खुदरा उत्पाद दुकानों और विभागीय स्तर से संचालित 142 दुकानों तथा 2018-19 के दौरान, विभागीय स्तर से संचालित 455 दुकानों की जाँच किया गया।

विभाग ने 2018-19 के दौरान ₹ 1,082.82 करोड़ राजस्व संग्रहित किया, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों के द्वारा ₹ 858.44 करोड़ (79.28 प्रतिशत) संग्रहित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने 534 मामलों में ₹ 186.54 करोड़ की अनियमितताओं को पाया जैसा कि तालिका-2.7 में वर्णित है।

⁴² उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग; दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची एवं संथाल परगना प्रमंडल, दुमका।

⁴³ सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रामगढ़ और राँची; अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, चाईबासा, देवघर, दुमका और गिरीडीह एवं सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, राँची।

तालिका-2.7

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | श्रेणियाँ | मामलों की संख्या | राशि |
|----------|---|------------------|--------|
| 1 | स्थानीय निकायों को अधिभार की राशि का स्थानान्तरण नहीं किया जाना | 123 | 37.13 |
| 2 | उत्पाद परिवहन कर का आरोपण नहीं किया जाना | 234 | 8.42 |
| 3 | अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली | 11 | 4.25 |
| 4 | खुदरा अनुमोदित/ दुकानों का संचालन नहीं किया जाना | 44 | 3.08 |
| 5 | खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव | 26 | 2.07 |
| 6 | खुदरा दुकानों के लिए जे.बी.एस.सी.एल. से अनुज्ञा शुल्क की वसूली नहीं किया जाना | 13 | 0.91 |
| 7 | अन्य मामले | 83 | 130.68 |
| कुल | | 534 | 186.54 |

विभाग 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा बताये गए सभी अवलोकनों को स्वीकार किया और जुलाई 2021 तक 231 मामलों में सम्मिलित ₹ 4.18 करोड़ की वसूली किया।

कण्डिका 2.18 में 26 मामलों में सन्निहित ₹ 2.07 करोड़ के अनियमितताओं को दर्शाया गया है। इस प्रकार की अनियमितताएँ लगातार पिछले पाँच वर्षों से प्रतिवेदित की जा रही है जैसा कि तालिका- 2.8 में वर्णित है।

तालिका- 2.8

(₹ करोड़ में)

| अनियमितताओं की प्रकृति | 2014-15 | | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | | कुल | |
|---|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|------|---------|-------|-------|-------|
| | मामले | राशि | मामले | राशि | मामले | राशि | मामले | राशि | मामले | राशि | मामले | राशि |
| खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव | 542 | 4.67 | 447 | 5.57 | 695 | 23.20 | 132 | 2.86 | 496 | 22.46 | 2,312 | 58.76 |

2.18 खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव

विभाग न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उठाव को सुनिश्चित करने हेतु कोई कारवाई नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप शराब का कम उठाव हुआ और उत्पाद शुल्क ₹ 2.07 करोड़ की हानि के समतुल्य अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

झारखण्ड उत्पाद (शराब की खुदरा अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती) नियमावली, 2009 के नियम 17 के साथ पठित बिक्री अधिसूचना की शर्त संख्या 20 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक खुदरा उत्पाद दुकान अनुज्ञप्तिधारी, विभाग द्वारा खुदरा दुकान के लिए, शराब की प्रत्येक प्रकार के लिए, निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू.प्र.मा.) के उठाव के लिए बाध्य है, विफल होने पर सरकार को उत्पाद राजस्व की हुई क्षति के समतुल्य राजस्व वसूलनीय होगी।

लेखापरीक्षा ने सहायक आयुक्त उत्पाद, रामगढ़ के अभिलेखों की नमूना जाँच किया (अक्टूबर 2019) और पाया कि 29 बंदोबस्त दुकानों (खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु प्रदत्त अनुज्ञप्ति) में से 26 खुदरा उत्पाद दुकानों के द्वारा अप्रैल 2016 और जूलाई 2017 के बीच झारखण्ड राज्य विवेरज निगम लिमिटेड से 18.63 लाख बल्क लीटर (बी.एल.) बीयर का उठाव किया जाना था। तथापि, इन उत्पाद दुकानों ने मात्र 11.72 लाख बल्क लीटर (बी.एल.) बीयर का ही उठाव किया। यह देखा गया कि खुदरा उत्पाद दुकानों हेतु न्यू.प्र.मा. का निर्धारण वार्षिक आधार पर किया गया था, जिसको बारह भागों में विभाजित किया गया था एवं खुदरा दुकानों के विक्रेताओं ने आवश्यकतानुसार शराब का मासिक उठाव किया। उत्पाद जिलों ने दुकानवार माह में निर्धारित न्यू.प्र.मा., माह के दौरान शराब के उठाव एवं माह तक शराब के उठाव से सम्बंधित प्रतिवेदन तैयार किया था एवं प्रतिवेदन को आयुक्त उत्पाद को अग्रसारित किया था। हालाँकि, विभाग ने कम उठाई गई शराब को अनुवर्ती महीनों में उठाव सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की, ताकि वर्ष के अंत में शराब की कुल निर्धारित न्यू.प्र.मा. का उठाव हो जाए। इसके परिणामस्वरूप 6.91 लाख बी.एल. बीयर का कम उठाव हुआ साथ ही उत्पाद शुल्क ₹ 2.07 करोड़ की हानि के समतुल्य अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं से वसूलनीय अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ। विभाग अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं अर्थदण्ड की वसूली करने में विफल रहा।

मामलों को बताये जाने (अक्टूबर 2019) पर, सरकार/विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2021) कि सम्बंधित अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिभूति राशि से ₹ 1.60 करोड़ की वसूली की जा चुकी है एवं शेष राशि की वसूली के लिए निलामपत्र वाद दायर किया गया है। शेष राशि की वसूली से सम्बंधित सूचना प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

भाग स

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

अध्याय I

1.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) का कामकाज

1.1.1 सामान्य

यह अध्याय झारखण्ड सरकार तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ सरकारी कंपनियों एवं सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सार प्रस्तुत करता है। इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) को वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को अंजाम देने तथा राज्य के आर्थिक विकास में योगदान करने हेतु स्थापित किया गया था।

अध्याय में, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) शब्द में सरकारी कंपनियाँ, जिनमें झारखण्ड सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है, और उनकी सहायक कंपनियाँ शामिल हैं। झारखण्ड में कोई वैधानिक निगम नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी वैसी कंपनी है जिसमें प्रदत्त अंशपूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार/सरकारों, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त होती है। इसमें वैसी कंपनी भी शामिल है, जो ऐसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। इसके अलावा, एक सरकार-नियंत्रित कंपनी केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित कोई अन्य कंपनी है।

अधिदेश

एक सरकारी कंपनी अथवा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित कोई अन्य कंपनी सीएजी के लेखापरीक्षा का विषय है।

एसपीएसई की संख्या

31 मार्च 2020 को झारखण्ड में 31 एसपीएसई (03 निष्क्रिय एसपीएसई सहित) थे। इस खंड में 31 अगस्त 2021 तक नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर तैयार किए गए एसपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन को शामिल किया गया है। 31 अगस्त 2021 तक नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार कार्यशील एसपीएसई ने ₹ 7,739.34 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया अर्थात् 2018-19¹ के विरुद्ध 2019-20 में 17.43 प्रतिशत की वृद्धि। यह टर्नओवर वर्ष 2019-20 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (₹ 3,28,598 करोड़) के 2.36 प्रतिशत के बराबर था। नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के

¹ दिसंबर 2019 तक अपने नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार कार्य कर रहे एसपीएसई का टर्नओवर ₹ 6,590.43 करोड़ था।

अनुसार कार्यशील एसपीएसई को ₹ 1,354.20 करोड़ की हानि हुई। यहाँ तीन एसपीएसई² प्रारम्भ से ही निष्क्रिय हैं जिनमें पूँजी (₹ 1.10 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹ 50.81 करोड़) पर ₹ 51.91 करोड़ का निवेश है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि निष्क्रिय एसपीएसई में निवेश राज्य के आर्थिक विकास में योगदान नहीं करता है। पतरातू एनर्जी लिमिटेड और झारबिहार कोलियरी लिमिटेड को समेटने की प्रक्रिया की शुरुआत उनके बोर्डों³ द्वारा अनुमोदित है।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ढाँचा

किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा किसी भी औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु एक प्रमुख घटक है। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) के विखंडन तथा जेएसईबी की परिसंपत्तियों, संपत्तियों, देनदारियों, दायित्वों, कार्यवाही और कर्मियों को ऊर्जा क्षेत्र की चार कंपनियों (यानी झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड और झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड) को हस्तांतरित करने के लिए राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य विद्युत सुधार स्थानांतरण योजना, 2013 (जेएसईआरटी 2013) तैयार की (06 जनवरी 2014)। ऊर्जा क्षेत्र की ये चार कंपनियाँ 06 जनवरी 2014 से अस्तित्व में आईं और जेएसईआरटी योजना, 2013 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार की देनदारियों को छोड़कर जेएसईबी की सभी परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ इन कंपनियों में वितरित हुईं। राज्य सरकार ने नवंबर 2015 में जेएसईआरटी योजना को संशोधित किया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि उत्पादन परिसंपत्तियों के क्रियाकलाप, व्यवसाय, अधिकार, दायित्व, अस्तियाँ एवं देनदारियाँ राज्य सरकार में निहित रहेगी एवं यह राज्य सरकार द्वारा पतरातू ताप विद्युत् केंद्र (पीटीपीएस) के माध्यम से प्रशासित होगा।

इन चार कंपनियों के अलावा, जेएसईआरटी योजना, 2013 से पूर्व चार⁴ अन्य ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ निगमित हुई थीं। उपरोक्त चार कंपनियों में से एक कंपनी अर्थात् तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (26 नवंबर 1987 को स्थापित) एक ऊर्जा उत्पादन कंपनी है और अन्य तीन कंपनियाँ अर्थात् कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड (19 सितंबर 2008 को स्थापित), झारबिहार कोलियरी लिमिटेड (18 जून 2009 को स्थापित) तथा पतरातू एनर्जी लिमिटेड (26 अक्टूबर 2012 को स्थापित) झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक कंपनियाँ हैं। झारबिहार कोलियरी लिमिटेड एवं पतरातू एनर्जी लिमिटेड जिनमें स्थापना के बाद ₹ 24.38 करोड़ का (अंशपूँजी- ₹ 1.05 करोड़ और ऋण- ₹ 23.33 करोड़) निवेश है, उत्पादन शुरू किए बिना ही बंद होने की प्रक्रिया में

² कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड (केइएल), पतरातू एनर्जी लिमिटेड (पेल) और झारबिहार कोलियरी लिमिटेड (जेसीएल)

³ केइएल: 5^{वाँ} एजीएम (15 सितंबर 2017), जेसीएल: 15^{वाँ} बैठक (15 मई 2016) और 16^{वाँ} बैठक (2 फरवरी 2018)

⁴ तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड, कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड, झारबिहार कोलियरी लिमिटेड और पतरातू एनर्जी लिमिटेड

है। ऊर्जा क्षेत्र की इन आठ कंपनियों में से तीन⁵ कंपनियाँ 2019-20 तक वाणिज्यिक गतिविधियाँ शुरू नहीं की थीं। 31 मार्च 2020 तक झारखण्ड में आठ ऊर्जा-क्षेत्र के एसपीएसई थे। आठ में से केवल पाँच ऊर्जा-क्षेत्र के एसपीएसई कार्यशील थे।

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ढाँचा

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) में 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार की कंपनियाँ, सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनियाँ और सहायक कंपनियाँ शामिल हैं, जो गैर-ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रही हैं। इनमें सभी कार्यशील सरकारी कंपनियाँ, एक कार्यशील अन्य सरकार-नियंत्रित कंपनी और एक कार्यशील सहायक कंपनी शामिल हैं।

एसपीएसई का विनिवेश एवं पुनर्गठन

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान एसपीएसई में कोई विनिवेश, पुनर्गठन अथवा निजीकरण नहीं किया गया।

1.1.2 एसपीएसई में निवेश

झारखण्ड सरकार द्वारा निवेश

एसपीएसई में झारखण्ड सरकार की उच्च वित्तीय हिस्सेदारी है, जो मुख्यतः तीन प्रकार की हैं:

- **अंश-पूँजी और ऋण-** अंश-पूँजी योगदान के अलावा, झारखण्ड सरकार एसपीएसई को समय-समय पर ऋण के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता-** आवश्यकता पड़ने पर झारखण्ड सरकार एसपीएसई को अनुदान एवं सब्सिडी के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- **प्रत्याभूति-** झारखण्ड सरकार एसपीएसई द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए ब्याज सहित ऋणों के पुनर्भुगतान की प्रत्याभूति भी देता है।

एसपीएसई में क्षेत्रवार सारांश के साथ कुल निवेश

2019-20 के लेखाओं अथवा एसपीएसई की सूचना के अनुसार (परिशिष्ट-1.1.1) 31 मार्च 2020 तक 31 एसपीएसई में ₹ 19,696.52 करोड़ का निवेश (पूँजीगत और दीर्घकालिक ऋण) था। इस कुल निवेश में 23.40 प्रतिशत चुकता पूँजी और 76.60 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण शामिल थे। 31 मार्च 2020 तक एसपीएसई में निवेश का क्षेत्रवार सारांश तालिका 1.1 में दिया गया है:

तालिका 1.1: एसपीएसई में क्षेत्रवार निवेश

| क्षेत्र का नाम | सरकारी कंपनियाँ | | कुल | निवेश (₹ करोड़ में) | | |
|----------------|-----------------|-----------|-------------|---------------------|---------------|-------------|
| | कार्यशील | निष्क्रिय | | अंशपूँजी | दीर्घकालिक ऋण | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6) | (7)=(5)+(6) |
| ऊर्जा | 5 | 3 | 8 | 4,244.02 | 15,037.27 | 19281.29 |
| वित्त | 1 | 0 | 1 | 1.01 | 0 | 1.01 |

⁵ कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड, झारबिहार कोलियरी लिमिटेड और पतरातू एनर्जी लिमिटेड

| | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| सेवा | 8 | 0 | 8 | 49.33 | 43.96 | 93.29 |
| आधारभूत संरचना | 6 | 0 | 6 | 241.14 | 0 | 241.14 |
| अन्य | 8 | 0 | 8 | 74.36 | 5.43 | 79.79 |
| कुल | 28 | 3 | 31 | 4,609.86 | 15,086.66 | 19,696.52 |

(स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदत्त सूचना तथा 2019-20 के प्राप्त लेखाओं से संकलित)

झारखण्ड सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अंश-पूँजी के 92.06 प्रतिशत (₹ 4,244.02 करोड़) और ऋण के 99.67 प्रतिशत (₹ 15,037.27 करोड़) का मुख्य हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र में था।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में निवेश

31 मार्च 2020 तक ऊर्जा क्षेत्र के उद्यमों में निवेश का गतिविधि-वार सारांश तालिका 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में गतिविधि-वार निवेश

| गतिविधि | ऊर्जा क्षेत्र एसपीएसई की संख्या | निवेश (₹ करोड़ में) | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | अंश-पूँजी | दीर्घकालीन ऋण | कुल |
| ऊर्जा उत्पादन | 2 | 145.13 | 715.90 | 861.03 |
| ऊर्जा संचरण | 1 | 975.06 | 3,735.22 | 4,710.28 |
| ऊर्जा वितरण | 1 | 3,111.03 | 10,529.55 | 13,640.58 |
| अन्य ⁶ | 4 | 12.80 | 56.60 | 69.40 |
| कुल | 8 | 4,244.02 | 15,037.27 | 19,281.29 |

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त सूचना)

31 मार्च 2020 तक आठ ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में कुल निवेश (अंश-पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) ₹ 19,281.29 करोड़ था। निवेश में ₹ 4,244.02 करोड़ (22.01 प्रतिशत) अंश-पूँजी और ₹ 15,037.27 करोड़ (77.99 प्रतिशत) दीर्घकालिक ऋण शामिल था।

2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में कुल निवेश 43.90 प्रतिशत से बढ़ गयी थी। चुकता पूँजी स्थिर थी और केवल दीर्घकालिक ऋण बढ़ गए थे। इसके परिणामस्वरूप 2015-16 से 2019-20 के बीच ऋण-अंशपूँजी अनुपात 2.16:1 से 3.54:1 तक बढ़ गया था, जैसा कि तालिका 1.3 में दिखाया गया है।

तालिका 1.3: ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ऋण-अंशपूँजी अनुपात

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ऋण | 9,155.12 | 10,419.84 | 12,218.40 | 14,561.42 | 15,037.27 |
| अंश-पूँजी | 4,244.02 | 4,244.02 | 4,244.02 | 4,244.02 | 4,244.02 |
| ऋण-अंशपूँजी अनुपात | 2.16:1 | 2.46:1 | 2.88:1 | 3.43:1 | 3.54:1 |

एसपीएसई में निवेश (गैर-ऊर्जा क्षेत्र)

⁶ झारखण्ड उर्जा विकास निगम लिमिटेड, कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड, झारखण्ड कोलियरी लिमिटेड और पतरातू एनर्जी लिमिटेड

31 मार्च 2020 तक सभी एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) में क्षेत्रवार निवेश निम्नवत है:

तालिका 1.4: एसपीएसई में क्षेत्रवार निवेश (गैर-ऊर्जा क्षेत्र)

| क्षेत्र | एसपीएसई की संख्या | निवेश (₹ करोड़ में) | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | अंशपूँजी | दीर्घकालीन ऋण | कुल |
| सामाजिक क्षेत्र | 9 | 32.36 | 49.21 | 81.57 |
| प्रतिस्पर्धी वातावरण वाले एसपीएसई | 12 | 318.48 | 0.18 | 318.66 |
| अन्य | 2 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| कुल | 23 | 365.84 | 49.39 | 415.23 |

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

* इसमें चुकता पूँजी, शेयर आवेदन की राशि और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों सहित अन्य से ऋण का मूलधन राशि का गैर-वर्तमान घटक शामिल है।

31 मार्च 2020 तक, गैर-ऊर्जा क्षेत्र के 23 एसपीएसई में कुल निवेश (अंश-पूँजी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 415.23 करोड़ था। निवेश में ₹ 365.84 करोड़ (88.11 प्रतिशत) अंश-पूँजी और ₹ 49.39 करोड़ (11.89 प्रतिशत) दीर्घकालिक ऋण शामिल था, जैसा कि परिशिष्ट 1.1.1 में दिखाया गया है।

एसपीएसई को बजटीय सहायता

झारखण्ड सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में एसपीएसई को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के संबंध में मार्च 2020 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की अंश-पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, बट्टे खाते में डाले गए ऋण तथा वर्ष के दौरान अंश-पूँजी में परिवर्तित कार्यशील कंपनियों के ऋण हेतु बजटीय व्यय का विस्तृत सारांश तालिका 1.5 में निम्नवत है:

तालिका 1.5: ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण ⁷ | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | |
|---------|----------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | | एसपीएसई की संख्या | राशि | एसपीएसई की संख्या | राशि | एसपीएसई की संख्या | राशि |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| (i) | अंश-पूँजी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ii) | ऋण | 2 | 1776.88 | 2 | 1461.77 | 2 | 453.22 |
| (iii) | अनुदान/सब्सिडी | 1 | 3000 | 1 | 1250 | 1 | 600 |
| (iv) | कुल व्यय (i+ii+iii) | 2 | 4776.88 | 2 | 2711.77 | 2 | 1053.22 |
| (v) | ऋण चुकौती बट्टे खाते में डाली गई | - | - | - | - | - | - |
| (vi) | ऋण अंश-पूँजी में परिवर्तित | - | - | - | - | - | - |
| (vii) | गारंटी ⁸ जारी | - | - | 1 | 450 | - | - |
| (viii) | प्रतिबद्ध ⁹ गारंटी | - | - | 1 | 450 | - | - |

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त सूचना)

* कुछ एसपीएसई को एक से अधिक श्रेणी के तहत राज्य के बजट से सहायता प्राप्त हुई।

⁷ केवल राज्य बजट से निर्गमित राशि

⁸ किसी विशेष वर्ष के दौरान एसपीएसई को जारी की गई सरकारी गारंटी

⁹ किसी विशेष वर्ष के अंत में एसपीएसई के संदर्भ में सरकार की गारंटी का अंतिम शेष

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की वार्षिक बजटीय सहायता 2017-18 के ₹ 4,776.88 करोड़ से घटकर 2019-20 में ₹ 1,053.22 करोड़ हो गई थी। वर्ष 2019-20 की बजटीय सहायता में ₹ 453.22 करोड़ एवं ₹ 600 करोड़ क्रमशः ऋण एवं अनुदान के रूप में शामिल थे।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(1) के तहत झारखण्ड सरकार गारंटी प्रदान करती है। वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने हेतु जेबीवीएनएल झारखण्ड सरकार से ₹ 450 करोड़ की गारंटी प्रतिबद्धता प्राप्त की। वर्ष 2019-20 के दौरान कोई नई गारंटी जारी नहीं की गई थी।

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के संबंध में मार्च 2020 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की अंश-पूँजी, ऋण, अनुदान/ सव्बिसिडी, बट्टे खाते में डाले गए ऋण तथा वर्ष के दौरान अंश-पूँजी में परिवर्तित कार्यशील कंपनियों के ऋण हेतु बजटीय व्यय का विस्तृत सारांश तालिका 1.6 में निम्नवत है

तालिका 1.6: एसपीएसई को बजटीय सहायता का विवरण (गैर-ऊर्जा क्षेत्र)

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण ¹⁰ | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | |
|---------|-------------------------------|-------------------|------|-------------------|-------|-------------------|------|
| | | एसपीएसई की संख्या | राशि | एसपीएसई की संख्या | राशि | एसपीएसई की संख्या | राशि |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| (i) | अंश-पूँजी | 2 | 70 | 3 | 67.08 | 1 | 0.92 |
| (ii) | ऋण | | 0 | | 0 | | 0 |
| (iii) | अनुदान/सव्बिसिडी | | 0 | | 0 | | 0 |
| (iv) | कुल व्यय (i+ii+iii) | 2 | 70 | 3 | 67.08 | 1 | 0.92 |
| (v) | ऋण चुकौती बट्टे खाते में डाली | - | - | - | - | - | - |
| (vi) | ऋण अंश-पूँजी में परिवर्तित | - | - | - | - | - | - |
| (vii) | गारंटी जारी | - | - | - | - | - | - |
| (viii) | प्रतिबद्ध गारंटी | - | - | - | - | - | - |

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त सूचना)

* कुछ एसपीएसई को एक से अधिक श्रेणी के तहत राज्य के बजट से सहायता प्राप्त हुई।

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की वार्षिक बजटीय सहायता 2017-18 के ₹ 70.00 करोड़ से घटकर 2019-20 में ₹ 0.92 करोड़ हो गई।

एसपीएसई के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण

कंपनियों द्वारा सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए एसपीएसई के दीर्घकालिक ऋण, जो वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान प्रभावी सुविधा थी, का विश्लेषण किया गया। इसका आकलन ब्याज कवरेज अनुपात तथा ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

¹⁰ केवल राज्य बजट से निर्गमित राशि

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी एसपीएसई के बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना एसपीएसई के ब्याज एवं कर (इबीआईटी) से पूर्व आय को उसी अवधि का ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, एसपीएसई की ऋण पर ब्याज भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से नीचे का ब्याज कवरेज अनुपात यह इंगित करता है कि एसपीएसई अपने ब्याज पर खर्च को पूरा करने हेतु पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहा है। 2015-16 से 2019-20 की अवधि में ब्याज भार वाले ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का विवरण तालिका 1.7 में दिया गया है:

तालिका 1.7: ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | ब्याज एवं कर पूर्व आय (इबीआईटी) | ब्याज | कंपनियों की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं वित्तीय संस्थान के ऋण का दायित्व था | कंपनियों की संख्या जिनका ब्याज कवरेज अनुपात 1 से कम था |
|---------|---------------------------------|--------|---|--|
| 2015-16 | -1,066.28 | 250.28 | 3 | 3 |
| 2016-17 | -1,656.84 | 310.94 | 3 | 3 |
| 2017-18 | -138.49 | 645.85 | 3 | 3 |
| 2018-19 | -1,028.70 | 687.17 | 3 | 3 |
| 2019-20 | -1,514.60 | 793.59 | 3 | 3 |

(स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए एसपीएसई के नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर संकलित)

2019-20 के दौरान सरकार के साथ-साथ बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देनदारी वाले सभी पाँच ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात ऋणात्मक था क्योंकि वे घाटे में चल रहे हैं।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ऋण टर्नओवर अनुपात

पिछले पाँच वर्षों¹¹ के दौरान, ऋण की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 0.55 प्रतिशत थी जबकि ऊर्जा क्षेत्र के पाँच कार्यशील एसपीएसई के टर्नओवर का सीएजीआर 0.11 प्रतिशत था। परिणामस्वरूप, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के विरुद्ध ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ऋण-टर्नओवर अनुपात 2015-16 से 2017-18 तक में जो बढ़ती प्रवृत्ति में था, 2018-19 के दौरान घटा और 2019-20 में और गिर गया, जैसा कि तालिका 1.8 में दिखाया गया है:

तालिका 1.8: ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| सरकार तथा अन्य (बैंक तथा वित्तीय संस्थानों) से ऋण | 9155.12 | 10419.84 | 12218.4 | 14561.42 | 15037.3 |
| टर्नओवर | 3,717.16 | 3,816.87 | 4,140.02 | 5,055.10 | 6,229.20 |
| ऋण-टर्नओवर अनुपात | 2.46:1 | 2.73:1 | 2.95:1 | 2.88:1 | 2.41:1 |

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

¹¹ आधार वर्ष 2014-15 - ऋण: 1,688.51 करोड़, टर्नओवर: 3,620.31 करोड़ रुपये

ऋण-टर्नओवर अनुपात ग्राहकों को दिए गए उधार के प्रबंधन एवं संग्रहण में किसी फर्म की दक्षता को मापता है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान ऋण-टर्नओवर अनुपात 2.41 और 2.95 के बीच रहा, जो उच्चतर स्तर पर था।

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा आरम्भ से कोई सब्याज ऋण नहीं लिया गया था।

1.1.3 सरकारी कंपनियों से प्रतिफल

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का प्रदर्शन

30 दिसंबर 2020 तक के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, ऊर्जा क्षेत्र की सात (चार कार्यशील एवं तीन गैर-कार्यशील) एसपीएसई की वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणाम *परिशिष्ट-1.1.2* में वर्णित है।

किसी कंपनी के प्रदर्शन का आकलन पारंपरिक रूप से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पर टर्नओवर का प्रतिशत, निवेश पर प्रतिफल, अंश-पूँजी पर प्रतिफल तथा नियोजित पूँजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है।

जीएसडीपी पर टर्नओवर का प्रतिशत

मार्च 2020 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि का ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के अनुसार टर्नओवर तथा झारखण्ड के जीएसडीपी का विस्तार *तालिका 1.9* में दिखाया गया है:

तालिका 1.9: झारखण्ड के जीएसडीपी के विरुद्ध ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के टर्नओवर | 3717.16 | 3816.87 | 4140.02 | 5055.10 | 6229.20 |
| पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत में टर्नओवर परिवर्तन | 2.68 | 2.68 | 8.47 | 22.10 | 23.23 |
| झारखण्ड का जीएसडीपी | 2,06,613 | 2,36,250 | 2,69,816 | 2,97,204 | 3,28,598 |
| पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत में जीएसडीपी परिवर्तन | -5.45 | 14.34 | 14.21 | 10.15 | 10.56 |
| झारखण्ड के सकल घरेलू उत्पाद में टर्नओवर का प्रतिशत | 1.80 | 1.62 | 1.53 | 1.70 | 1.90 |

(स्रोत: एसपीएसई और जीएसडीपी के आँकड़ों के आधार पर संकलित पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वित्त लेखा, खंड-1, 2019-20, झारखण्ड सरकार के जानकारी के अनुसार)


वर्ष 2019-20 में जीएसडीपी के सापेक्ष एसपीएसई का टर्नओवर 1.90 प्रतिशत था और यह पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रमशः बढ़ी थी। पिछले पाँच वर्षों के दौरान जीएसडीपी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 8.50 प्रतिशत थी, जबकि उसी अवधि में ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के टर्नओवर में 11.46 प्रतिशत का सीएजीआर दर्ज किया गया।

निवेश पर प्रतिफल

संबंधित वर्षों के 30 सितंबर तक अंतिमीकृत नवीनतम लेखाओं के अनुसार, वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ/हानि¹² की संपूर्ण स्थिति नीचे चार्ट 1.1 में दर्शायी गयी है:

चार्ट 1.1: ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वित्तीय वर्षों के बाद 30 सितंबर तक नवीनतम लेखाओं के अनुसार)

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान ₹ 6,029.99 करोड़ की कुल हानि उठाई गयी थी।

निवल मूल्य/ पूँजी का अपक्षरण

निवल मूल्य का अर्थ कंपनी की प्रदत्त पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानियाँ एवं स्थगित राजस्व व्यय है। वास्तव में यह, शेयरधारकों के लिए एक कंपनी कितनी मूल्यवान है, की एक माप है तथा यह अंशधारक कोष के रूप में भी संदर्भित होता है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि शेयरधारकों द्वारा किया गया समस्त निवेश संचित हानियाँ एवं स्थगित राजस्व व्यय में समाप्त हो चुका है। नीचे दी गई तालिका 1.10 वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कार्यशील ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की कुल चुकता पूँजी, कुल निर्बंध आरक्षित निधियाँ, कुल अधिशेष, कुल संचित हानि और निवल मूल्य दर्शाती है:

तालिका 1.10 : कार्यशील ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | एसपीएसई की संख्या | प्रदत्त पूँजी | निर्बंध आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष | संचित लाभ (+)/ हानि (-) | निवल मूल्य |
|---------|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 2015-16 | 7 | 4,131.42 | 0 | -2,048.12 | 2,083.29 |
| 2016-17 | 7 | 4,131.42 | 0 | -3,904.92 | 226.5 |
| 2017-18 | 7 | 4,131.52 | 0 | -5,658.41 | -1,526.89 |
| 2018-19 | 7 | 4,131.52 | 0 | -7,014.83 | -2,883.31 |
| 2019-20 | 7 ¹³ | 4,131.52 | 0 | -8,153.65 | -4,022.13 |

¹² आँकड़े संबंधित वर्षों के नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार हैं।

¹³ तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के प्राप्त हुए हैं इसलिए केवल सात एसपीएसई को लिया गया है।

(स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर संकलित)

जैसा कि देखा जा सकता है, वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान कार्यशील ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का संयुक्त निवल मूल्य धनात्मक था। संचित घाटे में वृद्धि के कारण 2015-16 में ₹ 2083.29 करोड़ का निवल मूल्य 2019-20 में उल्लेखनीय रूप से घटकर ₹ (-)4022.13 करोड़ हो गया।

लाभांश का भुगतान

झारखण्ड सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की। ऊर्जा क्षेत्र के किसी भी एसपीएसई ने लाभ अर्जित नहीं की और इसीलिए निगमित होने के बाद से लाभांश की घोषणा नहीं की थी।

एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का प्रदर्शन

30 दिसंबर 2020 तक अन्तिमीकृत उनके नवीनतम लेखाओं के अनुसार 23 एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) की वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम **परिशिष्ट-1.1.2** में विस्तृत हैं।

31 मार्च 2020 को समाप्त पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के प्रत्येक वर्ष 30 दिसंबर तक अन्तिमीकृत एसपीएसई के नवीनतम लेखाओं से उनके प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया एवं इसके बाद उसकी चर्चा की गई है।

किसी कंपनी के प्रदर्शन का आकलन पारंपरिक रूप से राज्य के जीडीपी पर टर्नओवर का प्रतिशत, निवेश पर प्रतिफल, अंश-पूँजी पर प्रतिफल तथा नियोजित पूँजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है।

राज्य के जीडीपी पर टर्नओवर का प्रतिशत

तालिका 1.11 मार्च 2020 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि के लिए एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का टर्नओवर और झारखण्ड के जीएसडीपी का विवरण दिखाती है:

तालिका 1.11 : झारखण्ड के जीएसडीपी के विरुद्ध गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के टर्नओवर का विवरण
(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| टर्नओवर | 1349.21 | 1431.3 | 1502.24 | 1535.33 | 1510.14 |
| पिछले वर्ष के सापेक्ष टर्नओवर में प्रतिशत परिवर्तन | 9.49 | 6.08 | 4.96 | 2.20 | -1.64 |
| झारखण्ड का जीएसडीपी | 206613 | 236250 | 269816 | 297204 | 328598 |
| पिछले वर्ष के सापेक्ष जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन | -5.45 | 14.34 | 14.21 | 10.15 | 10.56 |
| झारखण्ड के सकल घरेलू उत्पाद में टर्नओवर का प्रतिशत | 0.65 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.46 |

(स्रोत: एसपीएसई और जीएसडीपी के आँकड़ों के आधार पर संकलित पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वित्त लेखा, खंड-1, 2019-20, झारखण्ड सरकार के जानकारी के अनुसार)


उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 में जीएसडीपी के सापेक्ष एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का टर्नओवर 0.46 प्रतिशत था और यह 2015-16 से 2019-20 तक क्रमशः घटती प्रवृत्ति में दिखाई दी। पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य जीएसडीपी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 8.50 प्रतिशत थी। उसीप्रकार, उसी वित्तीय वर्ष में गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के टर्नओवर का सीएजीआर 4.15 प्रतिशत था।

निवेश पर प्रतिफल

निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर, कुल निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) पर लाभ या हानि का प्रतिशत है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान सभी 23 एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) द्वारा अर्जित लाभ/ हानि की संपूर्ण स्थिति चार्ट 1.2 में नीचे दर्शाई गई है:

चार्ट 1.2 : एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) द्वारा इन वर्षों के दौरान अर्जित/उपगत लाभ/ हानि

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वित्तीय वर्षों के 30 सितंबर तक के नवीनतम लेखाओं के अनुसार)

वर्ष 2015-16 में इन एसपीएसई द्वारा ₹ 35.89 करोड़ का अर्जित लाभ 2019-20 में घटकर ₹ 21.12 करोड़ रह गया था।

निवल मूल्य/ पूँजी का अपक्षरण

निवल मूल्य का अर्थ कंपनी की प्रदत्त पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानियाँ एवं स्थगित राजस्व व्यय है। वास्तव में यह, शेयरधारकों के लिए एक कंपनी कितनी मूल्यवान है, की एक माप है तथा यह अंशधारक कोष के रूप में भी संदर्भित होता है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि शेयरधारकों द्वारा किया गया समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय में समाप्त हो चुका है। गैर-ऊर्जा क्षेत्र में 13 कार्यशील एसपीएसई की कुल चुकता पूँजी (शेयर आवेदन राशि सहित) और निर्बंध आरक्षित निधियाँ और अधिशेष उनके नवीनतम लेखाओं¹⁴ के अनुसार क्रमशः ₹ 322.96 करोड़ और ₹ 26.04 करोड़ थे जबकि संचित हानि ₹ शून्य थी जिसके परिणाम में सकारात्मक निवल मूल्य ₹ 349.00 करोड़ था। प्रत्येक एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का निवल मूल्य **परिशिष्ट 1.1.2** में दिया गया है।

नीचे दी गई **तालिका 1.12** वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कार्यशील एसपीएसई की कुल चुकता पूँजी, कुल निर्बंध आरक्षित निधियाँ, अधिशेष, संचित हानि और निवल मूल्य दर्शाती है:

¹⁴ आँकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं जिसके लिए एसपीएसई के खातों को अंतिम रूप दिया जाता है।

तालिका 1.12 : गैर-ऊर्जा क्षेत्र के कार्यशील एसपीएसई का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | एसपीएसई की संख्या* | प्रदत्त पूँजी (शेयर आवेदन शुल्क सहित) | निर्बंध आरक्षित निधियाँ | अधिशेष | संचित हानि | निवल मूल्य |
|---------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 7=(3)+(4)+(5)-(6) |
| 2015-16 | 12 | 85.82 | 0 | 283.31 | 0 | 369.13 |
| 2016-17 | 13 | 151.15 | 0 | 106.38 | 0 | 257.53 |
| 2017-18 | 13 | 169.16 | 0 | 135.57 | 0 | 304.73 |
| 2018-19 | 13 | 154.02 | 0 | 52.05 | 0 | 206.07 |
| 2019-20 | 13 | 322.96 | 0 | 26.04 | 0 | 349.00 |

(स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर संकलित)

* एसपीएसई जिन्होंने स्थापना के बाद से अपना पहला खाता प्रस्तुत नहीं किया था, को बाहर रखा गया है।

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, पाँच-वर्ष की अवधि के दौरान कार्यशील एसपीएसई का संयुक्त निवल मूल्य धनात्मक था। शेयर पूँजी में वृद्धि के बावजूद वर्ष 2015-16 से 2019-20 में निवल मूल्य घट गई थी।

अंश-पूँजी पर लाभांश भुगतान

झारखण्ड सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की। गैर-ऊर्जा क्षेत्र के 23 कार्यशील एसपीएसई में से कोई भी गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई निगमन के बाद लाभांश की घोषणा नहीं की थी, जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान दो गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई ने लाभ अर्जित किया था।

1.1.4 सरकारी कंपनियों की परिचालन दक्षता

किसी एसपीएसई की लाभप्रदता तीन अनुपातों के माध्यम से पता लगाया जाता है, यथा- निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर), अंश-पूँजी या अंशधारक कोष पर प्रतिफल की दर तथा नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की दर जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का लाभप्रदता

निवेश की ऐतिहासिक लागत आधारित वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)
निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर, कुल निवेश के ऐतिहासिक या वर्तमान मूल्य (पीवी) पर लाभ या हानि का प्रतिशत है। आरओआरआर की गणना के लिए झारखण्ड सरकार, भारत सरकार एवं अन्य द्वारा कार्यशील ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में कुल निवेश का आँकड़ा अंश-पूँजी, ब्याज मुक्त ऋण और परिचालन एवं प्रबंधन के प्रयोजन हेतु अनुदान के साथ-साथ सब्सिडी को लेते हुए निकाला गया है।

31 मार्च 2020 तक इन सात एसपीएसई में झारखण्ड सरकार, भारत सरकार और अन्य की अंश-पूँजी कुल मिलाकर ₹ 4,131.42 करोड़ थी। अतः ऐतिहासिक लागत के आधार पर इन एसपीएसई में कुल निवेश ₹ 14,532.86 करोड़ का था। वर्ष 2015-16

से 2019-20 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश पर वास्तविक लाभ की दर तालिका 1.13 में दी गई है:

तालिका 1.13 : निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक लाभ की दर

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | वर्ष के लिए कुल आय | ऐतिहासिक लागत के आधार पर परिचालन और प्रबंधन व्यय के लिए अंश-पूँजी, ब्याज-रहित ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में निवेश | | | | निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक लाभ की दर (प्रतिशत में) |
|---------|--------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|--|
| | | झारखण्ड सरकार द्वारा | भारत सरकार द्वारा | अन्य द्वारा | कुल निवेश | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)+(4)+(5) | (7)={(2)/(6)}*100 |
| 2015-16 | -1256.60 | 8482.86 | 0 | 0 | 8482.86 | -14.81 |
| 2016-17 | -1872.18 | 9682.86 | 0 | 0 | 9682.86 | -19.33 |
| 2017-18 | -576.84 | 12682.86 | 0 | 0 | 12682.86 | -4.55 |
| 2018-19 | -970.17 | 13932.86 | 0 | 0 | 13932.86 | -6.96 |
| 2019-20 | -1354.2 | 14532.86 | 0 | 0 | 14532.86 | -9.32 |

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सभी पाँच वर्षों अर्थात् वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश पर वास्तविक लाभ की दर ऋणात्मक था।

निवेश के वर्तमान मूल्य आधारित निवेश पर प्रतिफल

केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारंपरिक गणना मुद्रा के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। पीवी के आधार पर आरओआरआर की गणना निवेश पर प्रतिफल के मूल्यांकन हेतु एक अधिक पर्याप्त विधि है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के सभी एसपीएसई का निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक था। इसलिए, निवेश पर प्रतिफल की गणना वर्तमान मूल्य के आधार पर नहीं की जा सकी।

अंश-पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)

किसी कंपनी की अंशधारक कोष की गणना शेयर आवेदन राशि सहित चुकता पूँजी और संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय सहित शुद्ध निर्बंध आरक्षित निधियाँ निधि को जोड़कर की जाती है। शेयरधारकों की निधि को अंश-पूँजी के रूप में भी जाना जाता है। एक धनात्मक अंशधारक कोष का अर्थ है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त अस्तियाँ हैं जबकि ऋणात्मक अंशधारक कोष का अर्थ है कि देनदारियाँ अस्तियों से अधिक हैं।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई, जिन्होंने अपने नवीनतम वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ अर्जित की अथवा हानि उठाई है, के संबंध में संगणित आरओई तालिका 1.14 में वर्णित है:

तालिका 1.14 : ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के लाभ एवं हानि वार अंश-पूँजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

| | वर्ष | ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की संख्या | शुद्ध लाभ /हानि | अंशधारक कोष | आरओई (प्रतिशत में) |
|-----------------|---------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)={(3)/(4)}*100 |
| हानि उठाने वाली | 2015-16 | 7 | -1256.60 | 2083.29 | -- |
| | 2016-17 | 7 | -1872.18 | 226.5 | -- |
| | 2017-18 | 7 | -576.84 | -5565.14 | -- |

| | वर्ष | ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की संख्या | शुद्ध लाभ /हानि | अंशधारक कोष | आरओई (प्रतिशत में) |
|--|---------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)={(3)/(4)}*100 |
| | 2018-19 | 7 | -970.17 | -2885.41 | -- |
| | 2019-20 | 7 | -1354.2 | -4024.23 | -- |

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित)

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के अंश-पूँजी पर प्रतिफल की गणना नहीं की गई थी क्योंकि या तो उनका शुद्ध-लाभ अथवा अंशधारक कोष ऋणात्मक था।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कंपनी, जिससे उसकी पूँजी नियोजित है, की लाभप्रदता और दक्षता को मापता है। आरओसीई की गणना किसी कंपनी की ब्याज एवं कर पूर्व आय को नियोजित पूँजी¹⁵ से विभाजित करके की जाती है।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान लाभ अर्जित करने अथवा हानि उठाने वाली सभी एसपीएसई के कुल आरओसीई का विवरण तालिका 1.15 में दिया गया है:

तालिका 1.15 : ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की नियोजित पूँजी पर लाभ और हानि-वार प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

| | वर्ष | एसपीएसई की संख्या | ईबीआईटी | नियोजित पूँजी पर प्रतिफल | आरओसीई (प्रतिशत) |
|-----------------|---------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)={(3)/(4)}*100 |
| हानि उठाने वाली | 2015-16 | 7 | -1005.5 | 19145.93 | -5.25 |
| | 2016-17 | 7 | -1560.7 | 17379.12 | -8.98 |
| | 2017-18 | 7 | 73.12 | 21344.51 | 0.34 |
| | 2018-19 | 7 | -283 | 21036.76 | -1.35 |
| | 2019-20 | 7 | -560.61 | 25273.61 | -2.22 |

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित)

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का आरओसीई (-)8.98 प्रतिशत से 0.34 प्रतिशत के बीच था।

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की लाभप्रदता

निवेश की ऐतिहासिक लागत आधारित वास्तविक प्रतिफल की दर

निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर) की गणना के लिए झारखण्ड सरकार, भारत सरकार एवं अन्य द्वारा कार्यशील गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में कुल निवेश का आँकड़ा अंश-पूँजी, ब्याज मुक्त ऋण और परिचालन एवं प्रबंधन के प्रयोजन हेतु अनुदान के साथ-साथ सब्सिडी को लेते हुए निकाला गया है।

¹⁵ नियोजित पूँजी = चुकता शेयर पूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियाँ - स्थगित राजस्व व्यय।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत आधारित निवेश पर वास्तविक प्रतिफल (आरआरओआई) की क्षेत्रवार दर तालिका 1.16 में दी गई है:

तालिका 1.16 ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर वास्तविक लाभ की क्षेत्र-वार दर

(₹ करोड़ में)

| वर्ष-वार/ क्षेत्र-वार विच्छेद | वर्ष के लिए कुल आय | ऐतिहासिक लागत आधारित अंश-पूँजी, ब्याज-रहित ऋण और परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान/ सब्सिडी के रूप में निवेश | | | | ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल (%) |
|-------------------------------|--------------------|---|-------------|-------------|---------------|--|
| | | झारखण्ड सरकार | भारत सरकार | अन्य | कुल | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 6=(3)+(4)+(5) | 7={(2)/(6)}*100 |
| 2015-16 | | | | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 31.94 | 73.76 | 0 | 0 | 73.76 | 43.30 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | -0.79 | 134.64 | 0 | 0 | 134.64 | -0.59 |
| अन्य | 4.74 | 2 | 0 | 0 | 2 | 237.00 |
| कुल | 35.89 | 210.40 | 0 | 0 | 210.40 | 17.06 |
| 2016-17 | | | | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 10.12 | 80.76 | 0 | 0 | 80.76 | 12.53 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 11.95 | 209.64 | 0 | 0 | 209.64 | 5.70 |
| अन्य | 6.02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 301.00 |
| कुल | 28.09 | 292.4 | 0 | 0 | 292.4 | 9.61 |
| 2017-18 | | | | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 26.75 | 85.77 | 0 | 0 | 85.77 | 31.19 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | -0.19 | 279.64 | 0 | 0 | 279.64 | -0.07 |
| अन्य | 4.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 216.50 |
| कुल | 30.89 | 367.41 | 0 | 0 | 367.41 | 8.41 |
| 2018-19 | | | | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | -0.29 | 96.94 | 0 | 0 | 96.94 | -0.30 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 21.3 | 290.64 | 0 | 0 | 290.64 | 7.33 |
| अन्य | 4.81 | 15 | 0 | 0 | 15 | 32.07 |
| कुल | 25.82 | 402.58 | 0.00 | 0.00 | 402.58 | 6.41 |
| 2019-20 | | | | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 0.73 | 97.86 | 0 | 0 | 97.86 | 0.75 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 21.11 | 290.64 | 0 | 0 | 290.64 | 7.26 |
| अन्य | -0.2 | 15 | 0 | 0 | 15 | -1.33 |
| कुल | 21.64 | 403.50 | 0.00 | 0.00 | 403.50 | 5.36 |

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जब वर्ष 2018-19 में सामाजिक क्षेत्र में एसपीएसई का ऋणात्मक प्रतिफल था, वहीं प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में वर्ष 2015-16 तथा 2017-18 में ऋणात्मक प्रतिफल था और 'अन्य' क्षेत्र में भी 2019-20 में ऋणात्मक प्रतिफल था।

इन 23 एसपीएसई में पाँच¹⁶ कार्यशील एसपीएसई शामिल थे जिन्होंने सितंबर 2020 तक प्रथम लेखा भी प्रस्तुत नहीं किया था। 23 कार्यशील एसपीएसई में से 22 सरकारी कंपनियाँ और एक सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनी थीं।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारंपरिक गणना मुद्रा के वर्तमान मूल्य (पीवी) की उपेक्षा करती है। पीवी के आधार पर आरओआरआर की गणना निवेश पर प्रतिफल के मूल्यांकन हेतु एक अधिक पर्याप्त विधि है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के सभी एसपीएसई का निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक था। इसलिए, निवेश पर प्रतिफल की गणना वर्तमान मूल्य के आधार पर नहीं की जा सकी।

समग्र रूप से इन 23 गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर धनात्मक थी। कार्यशील एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) में कुल निवेश के पीवी की गणना निम्नलिखित अवधारणाओं पर की गई:

- निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की गणना के लिए व्याप्त अंश-पूँजी घटाव विनिवेश को निवेश माना गया था। आगे, ब्याज-रहित दीर्घकालिक ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में सहायता को निवेश व्याप्तिकरण हेतु लिया गया था। एसपीएसई द्वारा ऋण वापसी या उनके अंश-पूँजी/सब्याज ऋण में परिवर्तन के मामलों में पीवी की गणना उस अवधि में ब्याज रहित ऋण के घट-शेष पर की गयी।
- वर्तमान मूल्य निकालने हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष¹⁷ के लिए सरकारी ऋणों पर औसत ब्याज की दर को चक्रवृद्धि दर के रूप में लिया गया, क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश पर लागत को दर्शाता है और इसलिए यह निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में विचारित होता है।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पाँच वर्षों के लिए ऐतिहासिक लागत और वर्तमान मूल्य पर निधि पर प्रतिफल की क्षेत्रवार तुलना तालिका 1.17 में दी गई है:

¹⁶ झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड संचार नेटवर्क लिमिटेड, आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर लिमिटेड, अटल बिहारी इनोवेशन लैब और राँची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड

¹⁷ सरकारी ऋण पर औसत ब्याज दर संबंधित वर्ष के राज्य वित्त (झारखण्ड सरकार) पर सीएजी के प्रतिवेदनों से अपनाया गया था, जिसमें औसत भुगतित ब्याज दर = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देनदारियाँ + चालू वर्ष की राजकोषीय देनदारियाँ)/2]*100

तालिका 1.17 में ऐतिहासिक लागत और वर्तमान मूल्य पर निधियों पर प्रतिफल की क्षेत्रवार तुलना

(₹ करोड़ में)

| वर्ष-वार/ क्षेत्र-वार विच्छेद | वर्ष के लिए कुल आय | ऐतिहासिक लागत आधारित अंश- पूँजी, आईएफएल और परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान/ सब्सिडी के रूप में कुल निवेश | ऐतिहासिक लागत आधारित आरआरओआई (प्रतिशत में) | वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | निवेश के वर्तमान मूल्य आधारित निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में) |
|----------------------------------|-----------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | $4=(2)/(3)*100$ | 5 | $6=(2)/(5)*100$ |
| 2015-16 | | | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 31.94 | 73.76 | 43.30 | 121.33 | 26.32 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | -0.79 | 134.64 | 0.00 | 181.74 | 0.00 |
| अन्य | 4.74 | 2 | 237 | 5.99 | 79.13 |
| कुल | 35.89 | 210.4 | 17.06 | 309.07 | 11.61 |
| 2016-17 | | | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 10.12 | 80.76 | 12.53 | 137.01 | 7.39 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 11.95 | 209.64 | 5.70 | 274.10 | 4.36 |
| अन्य | 6.02 | 2 | 301 | 6.40 | 94.06 |
| कुल | 28.09 | 292.4 | 9.61 | 417.50 | 6.73 |
| 2017-18 | | | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 26.75 | 85.77 | 31.19 | 151.93 | 17.61 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | -0.19 | 279.64 | 0.00 | 368.12 | 0.00 |
| अन्य | 4.33 | 2 | 216.50 | 6.85 | 63.21 |
| कुल | 30.89 | 367.41 | 8.41 | 526.89 | 5.86 |
| 2018-19 | | | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | -0.29 | 96.94 | 0.00 | 173.36 | 0.00 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 21.3 | 290.64 | 7.33 | 402.96 | 5.29 |
| अन्य | 4.81 | 15 | 32.07 | 21.09 | 22.81 |
| कुल | 25.82 | 402.58 | 6.41 | 597.41 | 4.32 |
| 2019-20 | | | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 0.73 | 97.86 | 0.75 | 185.33 | 0.39 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 21.11 | 290.64 | 7.26 | 428.51 | 4.93 |
| अन्य | -0.2 | 15.00 | 0.00 | 22.43 | 0.00 |
| कुल | 21.64 | 403.5 | 5.36 | 636.27 | 3.40 |

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान ऐतिहासिक लागत आधारित कुल निवेश और वर्तमान मूल्य पर अर्जित प्रतिफल धनात्मक था और क्रमशः 5.36 से 17.06 प्रतिशत एवं 3.40 से 11.61 प्रतिशत के बीच था।

अंशपूँजी पर प्रतिफल

अंशपूँजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय प्रदर्शन की एक माप है, यह आकलन करने के लिए कि प्रबंधन अंशधारक कोष का उपयोग लाभ अर्जित करने हेतु कितना प्रभावी ढंग से कर रहा है और इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात्, करों के बाद शुद्ध लाभ) को अंशधारक कोष से विभाजित करके की जाती है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

किसी कंपनी की अंशधारक कोष की गणना शेयर आवेदन राशि सहित चुकता पूँजी और संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय सहित शुद्ध निर्बंध आरक्षित निधियाँ निधि को जोड़कर की जाती है। एक धनात्मक अंशधारक कोष का अर्थ है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त अस्तियाँ हैं जबकि ऋणात्मक अंशधारक कोष का अर्थ है कि देनदारियाँ अस्तियों से अधिक हैं। इसे निवल मूल्य के रूप में भी जाना जाता है।

सभी गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के संबंध में उनके नवीनतम वार्षिक वित्तीय लेखाओं के अनुसार क्षेत्रवार आरओई की गणना तालिका 1.18 में की गई है

तालिका 1.18: क्षेत्र-वार अंशपूँजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

| वर्ष वार/ क्षेत्र वार विच्छेद | कर रहित शुद्ध लाभ /हानि | अंशधारक कोष | लाभांश (प्रतिशत में) |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4)={(2)/(3)}*100 |
| 2015-16 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 31.94 | 265.37 | 12.04 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | -0.79 | 73.32 | -1.08 |
| अन्य | 4.74 | 35.41 | 13.39 |
| कुल | 35.89 | 374.1 | 9.59 |
| 2016-17 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 10.12 | 65.48 | 15.46 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 11.95 | 148.64 | 8.04 |
| अन्य | 6.02 | 41.43 | 14.53 |
| कुल | 28.09 | 255.55 | 10.99 |
| 2017-18 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 26.75 | 91.5 | 29.23 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | -0.19 | 167.47 | -0.11 |
| अन्य | 4.33 | 45.76 | 9.46 |
| कुल | 30.89 | 304.73 | 10.14 |
| 2018-19 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | -0.29 | 12.91 | -2.25 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 21.3 | 200.46 | 10.63 |
| अन्य | 3.47 | 49.14 | 7.06 |
| कुल | 24.48 | 262.51 | 9.33 |
| 2019-20 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 0.73 | 14.71 | 4.96 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 21.11 | 282.44 | 7.47 |
| अन्य | -0.20 | 17.87 | -1.12 |
| कुल | 21.64 | 315.02 | 6.87 |

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान, अंश-पूँजी पर कुल प्रतिफल 6.87 प्रतिशत (2019-20) और 10.99 प्रतिशत (2016-17) के बीच रहा।

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के कार्यशील एसपीएसई के संबंध में, जिन्होंने अपने नवीनतम वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ अथवा हानि अर्जित की है, संगणित आरओई तालिका 1.19 में विस्तृत है:

तालिका 1.19 : कार्यशील एसपीएसई के लाभ अर्जन/हानि की अंश-पूँजी पर प्रतिलाभ

(₹ करोड़ में)

| | वर्ष | एसपीएसई की संख्या | कर रहित शुद्ध लाभ /हानि | अंशधारक कोष | आरओई (प्रतिशत में) |
|-----------------|---------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)={(3)/(4)}*100 |
| लाभ कमाने वाली | 2015-16 | 10 | 42.35 | 390.98 | 10.83 |
| | 2016-17 | 9 | 28.81 | 191.87 | 15.02 |
| | 2017-18 | 7 | 47.88 | 217.1 | 22.05 |
| | 2018-19 | 7 | 41.86 | 267.26 | 15.66 |
| | 2019-20 | 6 | 38.20 | 308.88 | 12.37 |
| हानि उठाने वाली | 2015-16 | 2 | -6.46 | -16.88 | - |
| | 2016-17 | 3 | -0.72 | 16.29 | - |
| | 2017-18 | 6 | -16.99 | 89.23 | - |
| | 2018-19 | 5 | -17.38 | -4.75 | - |
| | 2019-20 | 5 | -16.56 | 6.14 | - |
| कुल* | 2015-16 | 12 | 35.89 | 374.1 | 9.59 |
| | 2016-17 | 12 | 28.09 | 208.16 | 13.49 |
| | 2017-18 | 13 | 30.89 | 306.329 | 10.08 |
| | 2018-19 | 12 | 24.48 | 262.51 | 9.33 |
| | 2019-20 | 11 | 21.64 | 315.02 | 6.87 |

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

* एसपीएसई जिन्होंने स्थापना के बाद से अपना पहला खाता जमा नहीं किया था, को बाहर रखा गया है। 2019-20 तक के पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष लाभ कमाने वाली एसपीएसई का अंशपूँजी पर प्रतिफल (आरओई) धनात्मक और 10.83 प्रतिशत (2015-16) से 22.05 प्रतिशत (2017-18) के बीच था।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कंपनी, जिससे उसकी पूँजी नियोजित है, की लाभप्रदता और दक्षता को मापता है। आरओसीई की गणना किसी कंपनी की ब्याज एवं कर पूर्व आय (इबीडीटी) को नियोजित पूँजी से विभाजित करके की जाती है।

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान 13¹⁸ गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के संबंध में क्षेत्रवार आरओसीई का विवरण तालिका 1.20 में दिया गया है:

18 केवल उन्हीं एसपीएसई को शामिल किया गया है जिनके वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष 2015-16 तक प्राप्त हुए थे। झारखण्ड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, झारखण्ड शहरी अवसंरचना विकास कंपनी लिमिटेड, झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना विकास तथा क्रय निगम लिमिटेड, झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, झारखण्ड रेलवे अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड, झारखण्ड चलचित्र विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड सिल्क वस्त्र एवं हस्तकला विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट), झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड और झारखण्ड शहरी यातायात निगम लिमिटेड।

तालिका 1.20: गैर-ऊर्जा क्षेत्र के 13 एसपीएसई का नियोजित पूँजी पर क्षेत्रवार प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

| क्षेत्र वार विच्छेद | ईबीआईटी | नियोजित पूँजी | आरओसीई(प्रतिशत में) |
|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4)={(2)/(3)}*100 |
| 2015-16 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 55.58 | 361.95 | 15.36 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 0.96 | 261.67 | 0.37 |
| अन्य | 6.86 | 35.41 | 19.37 |
| कुल | 63.4 | 659.03 | 9.62 |
| 2016-17 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 14.99 | 158.21 | 9.47 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 17.43 | 1181.35 | 1.48 |
| अन्य | 8.72 | 41.43 | 21.05 |
| कुल | 41.14 | 1380.99 | 2.98 |
| 2017-18 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 40.09 | 212.56 | 18.86 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 7.2 | 1883.55 | 0.38 |
| अन्य | 5.98 | 45.76 | 13.07 |
| कुल | 53.27 | 2141.87 | 2.49 |
| 2018-19 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | -0.28 | 13.62 | -2.06 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 36.98 | 2250.89 | 1.64 |
| अन्य | 4.81 | 49.14 | 9.79 |
| कुल | 41.51 | 2313.65 | 1.79 |
| 2019-20 | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | 0.74 | 25.42 | 2.91 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र | 35.99 | 2274.29 | 1.58 |
| अन्य | -0.19 | 438.41 | -0.04 |
| कुल | 36.54 | 2,738.12 | 1.33 |

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल 1.33 प्रतिशत (2019-20) और 9.62 प्रतिशत (2015-16) के बीच था।

2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कार्यशील एसपीएसई(गैर-ऊर्जा) का अर्जित लाभ और हानि पर कुल आरओसीई का विवरण तालिका 2.21 में दिया गया है:

तालिका 1.21: गैर- ऊर्जा क्षेत्र के कार्यशील एसपीएसई के लाभ/हानि का आरओसीई

(₹ करोड़ में)

| | वर्ष | एसपीएसई की संख्या | ईबीआईटी | नियोजित पूँजी | आरओसीई(प्रतिशत में) |
|----------------|---------|-------------------|---------|---------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)={(3)/(4)}*100 |
| लाभ कमाने वाली | 2015-16 | 10 | 71 | 639.9 | 11.10 |
| | 2016-17 | 9 | 41.86 | 1362 | 3.07 |
| | 2017-18 | 7 | 70.26 | 1952.35 | 3.60 |
| | 2018-19 | 7 | 58.89 | 2238.16 | 2.63 |
| | 2019-20 | 6 | 53.09 | 2,231.20 | 2.38 |

| | वर्ष | एसपीएसई की संख्या | ईबीआईटी | नियोजित पूँजी | आरओसीई(प्रतिशत में) |
|-----------------|---------|-------------------|---------|---------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)={((3)/(4))*100} |
| हानि उठाने वाली | 2015-16 | 2 | -7.6 | 19.13 | -39.73 |
| | 2016-17 | 3 | -0.72 | 18.99 | -3.79 |
| | 2017-18 | 6 | -16.99 | 189.52 | -8.96 |
| | 2018-19 | 5 | -17.38 | 75.49 | -23.02 |
| | 2019-20 | 5 | -16.55 | 506.92 | -3.26 |
| कुल* | 2015-16 | 12 | 63.4 | 659.03 | 9.62 |
| | 2016-17 | 12 | 41.14 | 1381 | 2.98 |
| | 2017-18 | 13 | 53.27 | 2141.87 | 2.49 |
| | 2018-19 | 12 | 41.51 | 2313.65 | 1.79 |
| | 2019-20 | 11 | 36.54 | 2738.12 | 1.33 |

(स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

* एसपीएसई जिन्होंने स्थापना के बाद से अपना पहला खाता जमा नहीं किया था, को बाहर रखा गया है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक, गैर-ऊर्जा क्षेत्र के कार्यशील एसपीएसई की नियोजित पूँजी (आरओसीई) पर प्रतिफल समग्र रूप से धनात्मक और 1.33 प्रतिशत (2019-20) से 9.62 प्रतिशत (2015-16) के बीच था।

1.1.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 और 143 के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा 5 या उप-धारा 7 के अंतर्गत आने वाली किसी भी कंपनी के मामले में, सीएजी एक आदेश द्वारा ऐसी कंपनी की लेखाओं पर नमूना लेखापरीक्षा आयोजित कर सकता है, यदि ऐसा आवश्यक समझता है। ऐसी लेखापरीक्षा पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होंगे। 31 मार्च 2014 तक के वित्तीय वर्षों से संबंधित किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी।

1.1.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

अधिनियम की धारा 139 (5) या 139 (7) के प्रावधानों के अनुसार, सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जो सीएजी के अधिनियम की धारा 143(5) के तहत वित्तीय स्थिति सहित अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करेंगे। अधिनियम की धारा 143 (6) के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर ये वित्तीय विवरण सीएजी द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं।

1.1.7 झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे के साथ मिलान

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार अंश-पूँजी, ऋण और बकाया गारंटी से संबंधित आँकड़े झारखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं में प्रदर्शित आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आँकड़े मेल नहीं खाते हैं तो संबंधित एसपीएसई और वित्त विभाग को अंतरों का समाधान करना चाहिए।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई

इस संबंध में 31 मार्च 2020 तक ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की स्थिति तालिका 1.22 में वर्णित है:

तालिका 1.22 : वर्ष 2019-20 का झारखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं के विरुद्ध एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार अंश-पूँजी, ऋण और बकाया गारंटी

(₹ करोड़ में)

| बकाया | वित्त लेखाओं के अनुसार राशि | एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार राशि | वर्ष 2019-20 में कुल अंतर |
|-------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) = (2)-(3) |
| पूँजी | 5.00 | 4242.92 | -4237.92 |
| ऋण | 12736.63 | 13806.38 | -1069.75 |

(स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रस्तुत सूचना और समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट मार्च 2020)

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई

इस संबंध में 31 मार्च 2020 तक गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की स्थिति तालिका 1.23 में वर्णित है:

तालिका 1.23 : वर्ष 2019-20 का झारखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं के विरुद्ध एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार अंश-पूँजी, ऋण और बकाया गारंटी

(₹ करोड़ में)

| बकाया | वित्त लेखाओं के अनुसार राशि | एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार राशि | वर्ष 2019-20 में कुल अंतर |
|-------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) = (2) - (3) |
| पूँजी | 225.80 | 333.20 | -107.40 |
| ऋण | 0 | 49.21 | -49.21 |

(स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रस्तुत सूचना और समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट मार्च 2020)

आँकड़ों में यह अंतर पिछले कई वर्षों से बना हुआ है। अंतरों के समाधान का मामला समय-समय पर एसपीएसई/विभाग के साथ भी उठाया गया था।

1.1.8 एसपीएसई द्वारा लेखाओं को जमा करना

31 मार्च 2020 तक सीएजी के दायरे में आठ ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई थे। एसपीएसई द्वारा लेखा तैयार करने में अपनाई गई समय-सीमा की स्थिति नीचे दी गई है:

लेखा प्रस्तुतीकरण के बकाया का वर्षवार विश्लेषण

सभी ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा वर्ष 2019-20 की लेखाओं को 30 सितंबर 2020 तक प्रस्तुत करना था। हालांकि, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रचलित महामारी संबंधी प्रतिबंधों को देखते हुए सभी कंपनी के निबंधकों को वार्षिक आम बैठक आयोजित करने हेतु, जिसमें लेखापरीक्षित लेखाओं को स्वीकार किया जाता है, कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के विरुद्ध 31 दिसंबर 2020 तक विस्तार अनुमोदन करने के लिए उदार रहने का निर्देश दिया था। किसी भी सरकारी कंपनी ने 30 सितंबर 2020 या उससे पहले वर्ष 2019-20 की अपनी लेखाओं को सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए

प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि, पाँच¹⁹ एसपीएसई ने वर्ष 2019-20 के लिए अपने वित्तीय विवरण 31 अगस्त 2021 तक जमा कर दिए थे।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा लेखा तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2020 को समाप्त पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के 30 सितंबर तक ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के लेखाओं को प्रस्तुतीकरण में बकाया का विवरण तालिका 1.24 में दिया गया है:

तालिका 1.24: ऊर्जा क्षेत्र के कार्यशील एसपीएसई द्वारा लेखाओं को जमा करने की स्थिति

| क्र.सं | विवरण | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 ²⁰ |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | एसपीएसई की संख्या | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2. | चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं के संख्या | 5 | 19 | 17 | 7 | 5 |
| 3. | चालू वर्ष के दौरान लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले एसपीएसई की संख्या | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4. | चालू वर्ष में अंतिम रूप दिये गए पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या | 5 | 18 | 14 | 7 | 5 |
| 5. | बकाया लेखे वाले एसपीएसई की संख्या | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 |
| 6. | बकाया लेखाओं की संख्या | 33 | 23 | 14 | 15 | 18 |
| 7. | बकाया होने की समय-सीमा | 1 से 8 वर्ष | 1 से 8 वर्ष | 1 से 5 वर्ष | 1 से 4 वर्ष | 1 से 5 वर्ष |

(स्रोत: अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 की अवधि के दौरान प्राप्त एसपीएसई के लेखाओं के आधार पर)

01 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई ने पाँच वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया, जिसमें 2019-20 के लिए शून्य तथा पिछले वर्षों के पाँच लेखाएँ शामिल थीं। बकाया लेखाओं के संबंध में झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव को त्रैमासिक रूप से सूचित किया जाता है।

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा लेखा तैयार करने में समयबद्धता

23 सरकारी कंपनियों में से एक कंपनी ने वर्ष 2019-20 की लेखाओं को 31 दिसंबर 2020 को या उससे पहले सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया। इसके अलावा, 31 मार्च 2020 को समाप्त पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के 31 दिसंबर तक गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई के लेखाओं को प्रस्तुतीकरण में बकाया का विवरण तालिका 1.25 में दिए गए हैं:

¹⁹ झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, पतरातू एनर्जी लिमिटेड, कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड और झारबिहार कोलियरी लिमिटेड

²⁰ सामान्य परिपत्र संख्या 28/2020 (एफ नंबर 2/4/2020-सीएल-वी) दिनांक 17 अगस्त 2020 ।

तालिका 1.25 : गैर-ऊर्जा क्षेत्र में कार्यशील एसपीएसई द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति

| क्र.सं | विवरण | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | एसपीएसई की संख्या | 14 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| 2. | चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं के संख्या | 6 | 13 | 11 | 14 | 18 |
| 3. | चालू वर्ष के दौरान लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले एसपीएसई की संख्या | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 4. | चालू वर्ष में अंतिम रूप दिये गए पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या | 5 | 10 | 10 | 11 | 17 |
| 5. | बकाया लेखे वाले एसपीएसई की संख्या | 13 | 16 | 20 | 19 | 22 |
| 6. | बकाया लेखाओं की संख्या | 40 | 46 | 54 | 62 | 66 |
| 7. | बकाया होने की समय-सीमा | 1 से 10 वर्ष | 1 से 08 वर्ष | 1 से 09 वर्ष | 1 से 09 वर्ष | 1 से 10 वर्ष |

(1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान प्राप्त एसपीएसई के लेखाओं के आधार पर)

01 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान, 23 एसपीएसई में से 11 ने 18 वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया, जिसमें वर्ष 2019-20 के लिए एक लेखे और पिछले वर्षों के 17 लेखाएँ शामिल थी। इस प्रकार, 21 एसपीएसई के 66 लेखे बकाया थे। प्रशासनिक विभागों की यह जिम्मेदारी है कि वे इन संस्थाओं की गतिविधियों की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि इन एसपीएसई द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखाओं को अंतिम रूप दिया और स्वीकार किया जाए। बकाया लेखाओं के संबंध में झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव को सूचित किया जाता है।

21 एसपीएसई में से वर्ष 2019-20 के साथ-साथ पूर्व के वर्षों के 66 लेखाओं को अंतिम रूप देने एवं उनकी पूरक लेखापरीक्षा के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सका कि निवेश एवं व्यय का समुचित लेखाकरण किया गया था और राशि का निवेश जिस उद्देश्य के लिए किया गया, उसे प्राप्त कर लिया गया। इसलिए, इन एसपीएसई में झारखण्ड सरकार के निवेश उस सीमा तक राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहा।

1.1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई

सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

अगस्त 2018 को हुई बैठक में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (कोपू) को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अनुच्छेदों के लंबित रहने से अवगत कराया गया। इसके अलावा, 2018-19 के दौरान, कोपू ने अपनी तीन बैठकों में वर्ष 2012-13 और वर्ष 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित दो कंडिकाओं पर चर्चा की। वर्ष 2019-20 के दौरान, कोपू ने

अपनी दो बैठकों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2012-13 से 2015-16 से संबंधित 5 लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर चर्चा की और वर्ष 2020-21 के दौरान 2008-09 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित एक कंडिका पर चर्चा की गई थी।

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

सार्वजनिक उपक्रमों की समिति को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लंबित होने से अवगत कराया गया। 2018-19 के दौरान, सार्वजनिक उपक्रम समिति ने अपनी तीन बैठकों में वर्ष 2008-09 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित तीन कंडिकाओं पर चर्चा की। 2019-20 के दौरान, सार्वजनिक उपक्रम समिति ने अपनी दो बैठकों में 2005-06 से 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित तीन लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर चर्चा की और 2020-21 के दौरान, 2007-08 और 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित दो कंडिकाओं पर चर्चा की गई थी।

कोपू के प्रतिवेदन का अनुपालन

वर्ष 2013-21 के दौरान राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत, वर्ष 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11 और 2012-13 के लिए विभागों (वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, खान और भूविज्ञान, गृह, जेल और आपदा प्रबंधन और उद्योग) से संबंधित कंडिकाओं पर पाँच कोपू प्रतिवेदनों की नौ अनुशंसाओं में से गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई से कोई एटीएन प्राप्त नहीं हुआ था।

| | |
|---|---|
| अध्याय II: अनुपालन लेखापरीक्षा | |
| वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | |
| 2.1 | "झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा विपणन, बिक्री और माल प्रबंधन" पर लेखापरीक्षा |
| 2.1.1 प्रस्तावना | |

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग (विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में निगमित (मार्च 2002) किया गया था। कंपनी की स्थापना वन उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने तथा वन-उत्पाद आधारित उद्योगों के विकास के उद्देश्य से की गई थी। इसके अलावा, अधिकतम वित्तीय लाभ हेतु इसे वन उत्पादन को बढ़ावा देना और लघु वन-उत्पाद (एमएफपी) के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन का व्यावसायिक प्रबंधन करना तथा वन उत्पादों का वैज्ञानिक दोहन करना था।

कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल (बोर्ड) में निहित है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अप्रमुवसं)-सह-प्रबंध निदेशक (एमडी) कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं और निदेशक (विपणन), उप निदेशक (मुख्यालय), उप निदेशक (विपणन) और तीन लघु वन-उत्पाद परियोजना (एमएफपीपी) अंचलों²¹ के महाप्रबंधक द्वारा सहायतित होते हैं। कंपनी में प्रमंडलीय प्रबन्धक (डीएम) के नेतृत्व वाले छः एमएफपीपी प्रमंडल²² हैं जिनमें 44 प्रक्षेत्र कार्यालय²³ हैं।

कंपनी मुख्य रूप से केंदु-पत्ता²⁴ (केएल) के विपणन का कार्य करती है जिसे एक विनिर्दिष्ट वन क्षेत्र (लॉट²⁵) से एकत्र किया जाता है, इसके अलावा, कंपनी विभिन्न स्रोतों यथा- वन प्रमंडलों, व्यक्तियों एवं निर्माण परियोजनाओं से प्राप्त टिम्बर की विक्रय भी करती है।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि को आच्छादित करते हुए विभाग तथा तीन में से दो²⁶ अंचल कार्यालयों, छः में से चार²⁷ एमएफपीपी प्रमंडलों और नौ²⁸ एमएफपीपी

²¹ राँची अंचल (राँची एवं धालभूम प्रमंडल), हजारीबाग अंचल (हजारीबाग, डाल्टेनगंज एवं गढ़वा प्रमंडल) तथा देवघर अंचल (गिरिडीह प्रमंडल)

²² डाल्टेनगंज, धालभूम, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग एवं राँची

²³ राँची: 07 प्रक्षेत्र कार्यालय , हजारीबाग:10 प्रक्षेत्र कार्यालय, गढ़वा: 07 प्रक्षेत्र कार्यालय, गिरिडीह: 09 प्रक्षेत्र कार्यालय, डाल्टेनगंज: 05 प्रक्षेत्र कार्यालय एवं धालभूम: 06 प्रक्षेत्र कार्यालय

²⁴ बीड़ी, एक पतली सिगरेट है, जिसे बनाने के लिए सूखे केंदू पत्ते का उपयोग तम्बाकू के लच्छे को लपेटने के लिए किया जाता है।

²⁵ राज्य के कुल वन क्षेत्र को 300 इकाइयों (2019 ऋतु से 299) में विभाजित किया गया है, जिन्हें लॉट कहा जाता है।

²⁶ हजारीबाग एवं राँची

²⁷ डाल्टेनगंज, धालभूम, हजारीबाग एवं राँची

²⁸ डाल्टेनगंज प्रमंडल: डाल्टेनगंज एवं मनिका; धालभूम प्रमंडल: चाईबासा एवं मानगो; हजारीबाग प्रमंडल: हजारीबाग-I, प्रतापपुर एवं सिमरिया; राँची प्रमंडल: लोहरदगा एवं राँची।

प्रक्षेत्रों सहित कंपनी की लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई कि कंपनी में विपणन, विक्रय और माल प्रबंधन के लिए एक प्रभावी और कुशल प्रणाली मौजूद थी। प्रमंडलों एवं प्रक्षेत्रों का चयन प्रतिस्थापन रहित सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (एसआरएसडब्लूओआर) विधि से किया गया। प्रतिचयनित प्रक्षेत्रों के सभी 59 लॉटों²⁹ की नमूना जांच लेखापरीक्षा में की गई।

दिनांक 27 नवंबर 2020 को विभाग के प्रधान सचिव के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा हुई। 26 अक्टूबर 2021 को अप्रमुवसं-सह-एमडी के साथ एक निकास सम्मेलन आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। विभाग के जवाब को प्रतिवेदन में उपयुक्त ढंग से सम्मिलित कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.2 विपणन एवं विक्रय प्रबंधन

कंपनी का मुख्य व्यवसाय केंदु-पत्तियों (केएल) का व्यापार है और केएल व्यापार का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक संग्रहकों³⁰ (पीसी) की आय में वृद्धि करके तथा व्यापार को बिचौलिया मुक्त बनाने के माध्यम से उनका कल्याण करना है। केएल व्यापार, झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत बिहार केंदु-पत्ता (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम, 1973 तथा झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित (जनवरी 2016) झारखण्ड राज्य केंदु-पत्ता नीति, 2015 (जेएसकेएलपी) के अधीन किया जाता है। ग्रामीण स्तर पर संग्राहक समितियां (सीसी)³¹ होती हैं जो बैंक खाताएं रखती हैं एवं पीसी को संग्रहण मूल्य³² तथा प्रोत्साहन राशि का भुगतान करती हैं। सीसी कंपनी द्वारा वन-उत्पाद पर्यवेक्षक (एफपीओ) के माध्यम से, जो सीसी के सदस्य सचिव होते हैं, सहायतित होती हैं।

तत्कालीन बिहार में, केएल व्यापार के प्रबंधन के लिए बिहार राज्य वन विकास निगम (बिरावविनि) जिम्मेदार था। वर्ष 1995 तक, बिरावविनि वास्तविक संग्रहित मात्रा के आधार पर केएल का विक्रय करता था जो वित्तीय कुप्रबंधन के कारण लाभदायक साबित नहीं हुआ। बाद में, बिरावविनि ने एकमुश्त आधार पर केएल लॉट के विक्रय को अपनाया जो अभी भी लागू है। एकमुश्त विक्रय के लिए, कंपनी प्रतिवर्ष नवंबर-दिसंबर

²⁹ डाल्टेनगंज: 6 लॉट, मनिका: 7 लॉट, चाईबासा: 7 लॉट, मानगो: 12 लॉट, हजारीबाग-I: 7 लॉट, प्रतापपुर: 6 लॉट, सिमरिया: 5 लॉट, लोहरदगा: 4 लॉट एवं राँची: 5 लॉट।

³⁰ स्थानीय लोग जो कें.प. संग्रह करते हैं और संग्रहण केंद्रों पर पहुँचाते हैं, उन्हें एमएफपीपी प्रमंडल के माध्यम से संग्रहण मूल्य तथा अन्य प्रोत्साहनों का भुगतान किया जाता है।

³¹ कें.प. संग्रह करने के लिए झारावविनि द्वारा अधिकृत "सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860" या "स्व-सहायक सहकारी समिति अधिनियम, 1996" के तहत पंजीकृत प्रा.सं. की समिति।

³² विभाग प्रत्येक वर्ष प्रा.सं. को भुगतान किए जाने के लिए बिहार केंदु पत्ती अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत प्रति मानक बोरा (1,000 बंडल जिसके प्रत्येक बंडल में 50 कें.प. रहता है) न्यूनतम समर्थन दर अधिसूचित करता है।

के महीने में ई-निविदा³³ आमंत्रित करती है। सफल बोलीदाता विक्रय समिति³⁴ द्वारा बोलियों के अंतिमीकरण के बाद संबंधित डीएम के साथ इकरारनामा निष्पादित करते हैं। केएल आगामी वर्ष के माह अप्रैल से जुलाई के दौरान संग्रहित किए जाते हैं। संग्रहण के बाद, केएल को सुखाकर गोदामों में रखा जाता है तथा विक्रय मूल्य एवं संग्रहण लागत के भुगतान के उपरांत क्रेताओं को आपूर्ति की जाती है। केएल उठाव से पूर्व क्रेता निर्दिष्ट दर पर गोदामों का किराया एवं पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान भी करते हैं।

इसके अलावा, टिम्बर व्यापार के लिए विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत बिहार वन-उत्पाद (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1984 के तहत विनिर्दिष्ट टिम्बर³⁵ के दर को प्रतिवर्ष अधिसूचित करती है। गैर-विनिर्दिष्ट³⁶ टिम्बर के लिए दरें तय करने हेतु निदेशक मंडल (बोर्ड) सक्षम है। कंपनी प्रमंडलीय डिपो में प्राप्त टिम्बरों की नीलामी करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

2.1.2.1 केंदू-पत्तों की उपज एवं गुणवत्ता कायम नहीं रखा गया

- परिपक्व पत्तियों के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु ओडिशा केंदू-पत्ता नियमावली, 1973 में चरणबद्ध तरीके से केंदू झाड़ियों के कोपिसिंग³⁷ (ठूठ काटने) का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जेएसकेएलपी अथवा अन्य विधानों में केएल की मात्रा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठूठ काटने या अन्य उपयुक्त व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि कंपनी ने केंदू-पत्ता ऋतु 2008 के लिए केंदू झाड़ियों की ठूठ काटने हेतु निर्देश (फरवरी 2008) जारी किया था परंतु बाद में इसे जारी नहीं रखा जा सका। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान भी, जो 2015 से 2019 तक के पाँच केएल ऋतु से आच्छादित थी, ठूठ कटनी नहीं हुई। परिणामस्वरूप, 300 में से 232 (77 प्रतिशत) केएल लॉट की औसत उपज³⁸ अधिसूचित उपज³⁹ से कम थी जिसमें 123 ऐसे लॉट शामिल थे जहां वास्तविक उपज 30 से 89 प्रतिशत कम थी।

विभाग ने तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2021) कि केएल की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए ऋतु 2021 से ठूठ काटना शुरू किया गया है। आगे कहा

³³ जेएसकेएलपी के लागू होने के बाद ऋतु 2016 से शुरू हुआ।

³⁴ विभाग द्वारा गठित छह सदस्यीय समिति जिसमें वित्त विभाग, सतर्कता विभाग, वन विभाग और निगम के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं।

³⁵ साल, सागवान, बीजा, गम्हार, आसन, करम, सलाई और खैर के टिम्बर।

³⁶ सीसम (डलबेगियासिसो) जामुन (सिजीजियम), यूकेलिप्टस (यूकेलिप्टस एसपीपी) आदि।

³⁷ केएल की मात्रा और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केंदू झाड़ियों की छंटाई जिससे कि नई पत्तियां प्राप्त हों।

³⁸ विक्रयित केएल लॉट की वास्तविक संग्रहित मात्रा को पांच केएल ऋतु अर्थात 2015 से 2019 में विक्रयित लॉट की संख्या से विभाजित करके औसत उपज की गणना की गई है।

³⁹ बिहार सरकार ने केएल क्षेत्रों (लॉटों) के लिए अलग इकाइयों और प्रत्येक इकाई के अनुमानित उत्पादन को अधिसूचित (नवंबर 1984) किया।

गया कि इससे क्रेता आकर्षित हुए हैं और पूर्व के वर्षों की तुलना में 2021 के राजस्व में उल्लेखनीय उछाल आया है।

- केएल लॉट की अधिसूचित उपज की मात्रा, जिसके लिए ई-निविदा के माध्यम से एकमुश्त विक्रय मूल्य के निर्णय हेतु उस लॉट का आरक्षित मूल्य प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है, को बिहार सरकार द्वारा 28 नवंबर 1984 को अधिसूचित करने के पश्चात 36 वर्षों के उपरांत भी जुलाई 2021 तक पुनः अधिसूचित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि केएल ऋतु 2015 से 2019 के 1499 में से 495 केएल लॉट (33 प्रतिशत), जिसकी अधिसूचित उपज की मात्रा 12.63 लाख मानक बोरियाँ (बोरी) थीं, बोली प्राप्त नहीं होने (304⁴⁰ लॉट) अथवा उद्धृत मूल्य आरक्षित मूल्य से कम होने (29 लॉट) के कारण बिना बिके रह गए। बिना बिके लॉटों का आरक्षित मूल्य ₹ 74.38 करोड़ था।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2021) कि ज्यादातर केएल लॉट बाजार में खराब माँग के कारण बिना बिके रह गए और इसका अधिसूचित उपज के गैर-पुनरीक्षण से कोई सीधा संबंध नहीं था। जवाब पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कुछ लॉट इस कारण नहीं बेचे जा सके कि प्राप्त बोलियों के उद्धृत मूल्य आरक्षित मूल्य से कम थे।

- प्रति बोरी पिछले तीन वर्षों का औसत विक्रय मूल्य लेते हुए विभिन्न केएल लॉटों की अधिसूचित मात्रा हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्यों में भारी भिन्नता थी। प्रत्येक विशेष केएल लॉट का एकमुश्त मूल्य आरक्षित मूल्य के आधार पर तय किया गया था। झारखण्ड में, 2015 से 2019 के दौरान लॉटों की विक्रय मूल्य, जिसके एकमुश्त मूल्य की गणना अधिसूचित उपज के सन्दर्भ में की गई थी, प्रति बोरी ₹ 497 और ₹ 1,512 के बीच थी। हालांकि, यह देखा गया कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में 2015 से 2019 के दौरान यह प्रति बोरी ₹ 2,656 और ₹ 7,945 के बीच था जो झारखण्ड की तुलना में काफी अधिक था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि ऋतु 2017 के दौरान धालभूम एमएफपीपी प्रमंडल के 46 लॉट का विक्रय मूल्य प्रति बोरी ₹ 166 और ₹ 8,885 के बीच था। कंपनी ने एक ही प्रमंडल के भीतर लॉटों के विक्रय मूल्य में इतने अधिक अंतर के कारणों का विश्लेषण नहीं किया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2021) कि औसत विक्रय मूल्य स्थिर लक्षण के नहीं होते हैं और यह ज्यादातर मौजूदा माँग पर निर्भर करते हैं तथा यह आश्वस्त किया कि कंपनी भविष्य में कीमतों में उतार-चढ़ाव को समाप्त करने के तरीके तलाशने की कोशिश करेगी।

2.1.2.2 निविदा प्रक्रिया में अनियमिततायें

केएल लॉट के लिए ई-निविदा आमंत्रित एवं अंतिमीकृत कई चक्रों में की गई अर्थात् बिना बिके लॉटों के लिए अगले चक्र में फिर से बोलियाँ आमंत्रित की गईं। केएल ऋतु

⁴⁰ केवल 2016-2019 ऋतु के 333 अबिक्रीत लॉट से संबंधित हैं, क्योंकि 2015 ऋतु के अभिलेख/ सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

2016 से 2019 के दौरान बेचे गए लॉटों का विवरण नीचे तालिका 2.1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.1: 2016 से 2019 के दौरान बेचे गए केएल लॉट का विवरण

| ऋतु | लॉट की कुल संख्या | बेचे गए लॉट की कुल संख्या | प्रथम चक्र में बिक्रित लॉट | प्रथम चक्र में एकल बोली पर बिक्रित लॉट |
|------|-------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 2016 | 300 | 282 | 204 | 81 (40 %) |
| 2017 | 300 | 300 | 272 | 29 (11 %) |
| 2018 | 300 | 210 | 140 | 83 (59 %) |
| 2019 | 299 | 74 | 18 | 18 (100 %) |
| कुल | 1199 | 866 | 634 | 211 (33 %) |

(स्रोत: कंपनी की निविदा संचिकाओं से संकलित आँकड़े)

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी द्वारा 211 लॉट (33 प्रतिशत) पहले दौर में ही विक्रय समिति की अनुशंसा पर एकल बोलीदाताओं को बेचे गये। हालांकि, विक्रय समिति द्वारा एकल बोलीदाताओं को लॉट दिए जाने का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सीमित क्रेताओं के साथ केएल का क्रय-विक्रय एक विशेष गतिविधि है तथा लॉटों का बिक्री विक्रय समिति द्वारा तय की जाती है। आगे यह कहा गया कि एकल बोलियाँ अधिक राजस्व प्राप्त करने और पीसी को संग्रहण लागत का भुगतान करने के लिए स्वीकार की गई थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग के निर्देशानुसार (मार्च 2007) एकल बोली के मामले में पुनर्निविदा करनी चाहिए थी।

2.1.2.3 क्रेता को अनुचित लाभ

इकरारनामा के अनुसार लॉट के लिए स्वीकृत एकमुश्त विक्रय मूल्य को ध्यान में रखते हुए प्रति मानक बोरी (बोरी) औसत विक्रय मूल्य पर क्रेता को अधिसूचित उपज की तुलना में संग्रहित अतिरिक्त केएल के 50 प्रतिशत के लिए भुगतान करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार⁴¹ नमूना-जाँचित एमएफपीपी प्रमंडलों में केएल ऋतु 2015 से 2019 के दौरान 1.17 लाख बोरी केएल अधिसूचित उपज से अधिक संग्रहित किए गए थे जैसा कि नीचे तालिका 2.1.2 में दिखाया गया है:

⁴¹ डाल्टेनगंज, धालभूम, हजारीबाग एवं राँची

तालिका 2.1.2: अधिसूचित उपज की तुलना में केएल के अतिरिक्त संग्रहण का विवरण

| ऋतु वर्ष | अतिरिक्त संग्रहण वाले लॉटों की संख्या | लॉट की अधिसूचित उपज का कुल योग (बोरी में) | लॉट की संग्रहित उपज (बोरी में) | अतिरिक्त संग्रहित केएल (बोरी में) | एकमुश्त राशि | अतिरिक्त संग्रहण के लिए 50 प्रतिशत की दर से वसूलित राशि | |
|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|
| | | | | | | (₹ करोड़ में) | शेष 50 प्रतिशत अतिरिक्त संग्रहण के लिए क्रेता को अनुचित लाभ |
| 2015 | 26 | 59,500 | 74,941.622 | 15,441.622 | 3.55 | 0.40 | 0.40 |
| 2016 | 41 | 89,750 | 101,569.857 | 11,819.857 | 11.42 | 0.51 | 0.51 |
| 2017 | 89 | 2,16,000 | 278,987.810 | 62,987.810 | 51.29 | 6.27 | 6.27 |
| 2018 | 40 | 93,250 | 111,111.149 | 17,861.149 | 15.61 | 0.97 | 0.97 |
| 2019 | 18 | 41,150 | 49,910.500 | 8,760.500 | 5.81 | 0.42 | 0.42 |
| कुल | 214 | 4,99,650 | 6,16,520.938 | 1,16,870.938 | 87.68 | 8.57 | 8.57 |

कंपनी ने अतिरिक्त संग्रहित मात्रा के 50 प्रतिशत के लिए वसूलनीय ₹ 17.14 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 8.57 करोड़ की वसूली की। अतिरिक्त मात्रा के शेष 50 प्रतिशत की लागत की वसूली कंपनी इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि इसने 36 वर्षों से अधिक तक के समय में लॉटों के वास्तविक उपज का पुनर्मूल्यांकन कर उपज को पुनराधिसूचित नहीं किया और इस प्रकार क्रेता को अनुचित लाभ प्रदान किया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2021) कि केएल के अधिकतम संग्रहण के लिए इकरारनामा में अनुच्छेद जोड़ा गया था ताकि पीसी को संग्रहण लागत के रूप में अधिकतम लाभ दिया जा सके तथा यह केएल क्रेताओं को उच्च संग्रह के लक्ष्य के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ हो। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संग्रहण लागत सीधे केएल के संग्रहण से संबंधित है और पीसी को अधिक संग्रहण हेतु प्रोत्साहित करने से लाभ अंततः क्रेताओं को हुआ। तथापि, पीसी को अधिक संग्रहण के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं मिला (कंडिका 2.1.3.2)।

2.1.2.4 विक्रय मूल्य की वसूली न होना

इकरारनामा के अनुच्छेद 11 के अनुसार, यदि क्रेता नियत तिथि के भीतर देय राशि जमा करने में विफल होता है या इकरारनामा के किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो प्राधिकृत पदाधिकारी नोटिस देने एवं सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् इकरारनामा को समाप्त कर सकता है। इकरारनामा की समाप्ति के बाद, अधिकारी प्रतिभूति राशि (एसडी) को ज़ब्त कर सकता है, केएल बोरियों के स्टॉक, जिनका भुगतान नहीं किया गया हो, को ज़ब्त कर सकता है, नुकसान की भरपाई हेतु ज़ब्त किए गए स्टॉक को बेच सकता है और ऐसे नुकसान की भरपाई में हुए खर्चों की भरपाई के लिए आवश्यक अन्य कार्रवाई की शुरुआत कर सकता है।

नमूना-जाँचित चार⁴² एमएफपीपी प्रमण्डलों में ऋतु 2015, 2017 और 2018 से संबंधित 55 लॉटों⁴³ के इकरारनामा को प्रमण्डलों द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा ₹ 5.98 करोड़⁴⁴ की प्रतिभूति राशि (एसडी) जब्त कर ली गयी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि निदेशक मंडल (बोर्ड) द्वारा बकाये की वसूली हेतु इकरारनामा अवधि को दो बार क्रमशः जुलाई 2018 और मार्च 2019 तक विस्तार दिए (जुलाई 2018 और अगस्त 2019 के बीच) जाने के बावजूद ऋतु 2017 के 30 लॉटों के क्रेता देय राशि का भुगतान नहीं कर पाए।

लेखापरीक्षा जाँच में आगे पता चला कि वहाँ ₹ 31.36 करोड़ का बकाया था और वन-उत्पाद निरीक्षक (एफपीआई)/ प्रक्षेत्र अधिकारियों ने ₹ 23.46 करोड़⁴⁵ की वसूली के लिए इन 55 लॉट के व्यतिक्रमियों के विरुद्ध दायर (अक्टूबर 2015 और सितंबर 2020 के बीच) किया था। हालांकि, 55 लॉटों में से 49 के मामले में नीलामपत्र वाद जब्त स्टॉक के पुनर्विक्रय से पूर्व दायर किए गए थे। यद्यपि, प्रमंडलों ने जब्त स्टॉक के पुनर्विक्रय से ₹ 5.71 करोड़ की वसूली (जून 2019 और अगस्त 2020 के बीच) की परंतु जुलाई 2021 तक संशोधित नीलामपत्र वाद दायर नहीं किए गए थे। यह भी देखा गया कि नीलामपत्र वाद मामलों के जल्द निस्तारण हेतु डीएम को नीलामपत्र अधिकारी की शक्ति प्रत्यायोजित (जुलाई 2017 और सितंबर 2018 के बीच) की गई थी तथा 55 में से 54 मामले संबंधित डीएम के पास थे। हालांकि, लंबित नीलामपत्र वादों के निस्तारण हेतु ससमय कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई। अतः यथोचित नीलामपत्र वाद कार्यवाही शुरू नहीं करने के कारण अक्टूबर 2021 तक ₹ 17.75 करोड़ अवसूलित रह गए।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2021) कि संशोधित नीलामपत्र वाद दायर किए जाएँगे तथा नीलामपत्र वादों के निस्तारण में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा।

2.1.3 आय सृजन

2.1.3.1 प्राथमिक संग्राहक संग्रहण लागत से वंचित रहे

जेएसकेएलपी की कंडिका 13 के अनुसार, बिना बिके लॉटों के मामले में पीसी को संग्रहण एवं अन्य लागतों का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु विभाग कंपनी को आवश्यक निधि उपलब्ध कराएगा। उचित गुणवत्ता के केएल के संग्रहण एवं भंडारण की ज़िम्मेदारी संबंधित प्रादेशिक वन प्रमण्डलों के क्षेत्र कर्मचारियों को दी गई थी।

⁴² डाल्टेनगंज, धालभूम, हजारीबाग एवं राँची

⁴³ ऋतु 2015: 1, 2017: 30 तथा 2018: 24

⁴⁴ 2015: ₹ 33,750, 2017: ₹ 2.70 करोड़ तथा 2018: ₹ 3.28 करोड़

⁴⁵ ₹ 5.98 करोड़ के एसडी एवं ₹ 1.92 करोड़ पुनर्विक्री मूल्य के समायोजन के बाद (डाल्टेनगंज: ₹ 5.33 करोड़, धालभूम: ₹ 4.17 करोड़, हजारीबाग: ₹4.51 करोड़ और राँची: ₹ 9.45 करोड़)

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऋतु⁴⁶ 2016 से 2019 के दौरान 1199 में से 333 लॉट बिना बिके रह गए। बिना बिके लॉटों की अधिसूचित उपज 8.52 लाख बोरी थी तथा इन ऋतुओं के दौरान अधिसूचित संग्रहण लागत प्रति बोरी ₹ 1,120 और ₹ 1,195 के बीच थी। यद्यपि विभागीय संग्रहण की सुगमता हेतु कंपनी ने विभाग से संग्रहण एवं अन्य लागतों के रूप में ₹ 61.93 करोड़⁴⁷ की माँग (अप्रैल 2016 एवं फरवरी 2019) की, परन्तु विभाग ने निधि जारी नहीं किया जिसका कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। कंपनी ने इन लॉटों के लिए वास्तविक आधार पर निविदा आमंत्रित किए जाने की संभावनाएं भी नहीं तलाश की, जैसा कि 2015 में किया गया था जब नमूना-जाँचित तीन⁴⁸ एमएफपीपी प्रमण्डलों के 64 में से 22 लॉट प्रति बोरी की दर पर बिके थे। निविदा के माध्यम से संग्रहण लागत का दायित्व क्रेताओं पर हस्तांतरित किया जा सकता था। अतः कंपनी केएल व्यापार के प्राथमिक उद्देश्य अर्थात् निविदा के माध्यम से वास्तविक आधार पर अथवा केएल के विभागीय कटाई के माध्यम से संग्रहण लागत के भुगतान द्वारा पीसी के लिए आय सृजन, को नहीं प्राप्त कर सका।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2021) कि निधि इसलिए जारी नहीं की गई थी क्योंकि विभागीय संग्रहण केएल के अल्प शेल्फ जीवन तथा बाजार माँग में अनिश्चितता के कारण हानि का जोखिम भी वहन करता था। आगे यह भी कहा गया कि भविष्य में जेएसकेएलपी वास्तविक आधार पर बिना बिके लॉटों के विक्रय की संभावना तलाशेगा। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि केएल व्यापार का मुख्य उद्देश्य यथा पीसी के लिए आय का सृजन, को प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.1.3.2 प्राथमिक संग्राहकों को अतिरिक्त संग्रहण लागत का भुगतान नहीं होना

जेएसकेएलपी के कंडिका 11.4 के अनुसार, अधिसूचित उपज से अधिक केएल संग्रहण के मामले में कंपनी अतिरिक्त संग्रहण लागत के रूप में केएल व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ में से पीसी को संग्रहित अधिक केएल के 50 प्रतिशत संग्रहण लागत का भुगतान करेगा।

नमूना-जाँचित चार प्रमंडलों⁴⁹ में ऋतु 2016 से 2019 के दौरान 188 केएल लॉटों में पीसी द्वारा अधिसूचित उपज से 1.01 लाख बोरी अधिक केएल का संग्रहण किया गया था जिसके लिए ₹ 5.82 करोड़⁵⁰ की अतिरिक्त संग्रहण लागत देय थी जैसा कि नीचे तालिका 2.1.3 में दिखाया गया है।

⁴⁶ 2015 ऋतु को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि जेएसकेएलपी को जनवरी 2016 में अधिसूचित किया गया था।

⁴⁷ ऋतु 2016: ₹ 1.73 करोड़ तथा 2019 के लिए: ₹ 60.20 करोड़

⁴⁸ डाल्टेनगंज, हजारीबाग एवं राँची

⁴⁹ डाल्टेनगंज, धालभूम, हजारीबाग एवं राँची

⁵⁰ डाल्टेनगंज: ₹ 3.26 करोड़, धालभूम: ₹ 23.97 लाख, हजारीबाग: ₹ 1.65 करोड़ और राँची: ₹ 67.44 लाख

तालिका 2.1.3: मजदूरी की अतिरिक्त राशि का विवरण

| ऋतु | लॉटों की संख्या | अधिसूचित उपज (बोरी) | वास्तविक उपज (बोरी) | अतिरिक्त (बोरी) | संग्रहण मूल्य (प्रति बोरी) (₹) | अतिरिक्त राशि संग्रहण मूल्य का 50 प्रतिशत (₹) | रकम (₹ करोड़ में) |
|------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 2016 | 41 | 89,750 | 1,01,569.857 | 11,819.857 | 1,120 | 560.00 | 0.66 |
| 2017 | 89 | 2,16,000 | 2,78,987.810 | 62,987.810 | 1,140 | 570.00 | 3.59 |
| 2018 | 40 | 93,250 | 1,11,111.149 | 17,861.149 | 1,175 | 587.50 | 1.05 |
| 2019 | 18 | 41,150 | 49,910.500 | 8,760.500 | 1,195 | 597.50 | 0.52 |
| योग | 188 | 4,40,150 | 5,41,579.316 | 1,01,429.316 | | | 5.82 |

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2021 तक पीसी को अतिरिक्त संग्रहण लागत का भुगतान नहीं किया गया जबकि कंपनी इन वर्षों में केएल व्यापार से लाभ अर्जित⁵¹ की थी। पुनः यह देखा गया कि छत्तीसगढ़ में ऋतु 2016-2019 के दौरान संग्रहण लागत प्रति बोरी ₹ 1,500 एवं ₹ 4,000 के बीच था जो झारखण्ड की तुलना में बहुत अधिक था। इस प्रकार, पीसी उच्चतर संग्रहण लागत एवं ₹ 5.82 करोड़ के अतिरिक्त संग्रहण लागत से भी वंचित रहे।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2021) कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं में अतिरिक्त संग्रहण लागत का प्रावधान किया गया है तथा शीघ्र ही इसे पीसी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। संग्रहण लागत में अंतर के संबंध में यह कहा गया कि संग्रहण लागत के दर को अधिसूचित करने हेतु विचारित कारकों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन-उत्पाद (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ लिमिटेड से अनुरोध किया जाएगा।

2.1.3.3 विकास निधि का गैर/गलत-उपयोग

जेएसकेएलपी, 2015 की कंडिका 11.2 के अनुसार, कंपनी को केएल व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत सीसी को हस्तांतरित करना होता है जिसका उपयोग उनके द्वारा विकास योजनाओं एवं केंदु-झाड़ियों के संवर्धन में किया जाना है। उस निधि को बचत बैंक खाते में रखना तथा संयुक्त रूप से सदस्य सचिव (एफपीओ) एवं सीसी के अध्यक्ष द्वारा संचालित किया जाना था। प्रमण्डल को बैंक खातों की समीक्षा करनी थी और विकास योजनाओं को ससमय पूरा करने में सीसी को सहयोग करना था। कंपनी ने विकास निधि का उपयोग इस प्रकार करने हेतु एक दिशानिर्देश जारी की (अप्रैल 2018) ताकि वनवासी वन उत्पाद संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन नियमित रूप से कर सकें और अपनी आय समुन्नत करें। इसके लिए लघु वन-उत्पाद आधारित सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु सीसी को आम सभा की बैठकों में मशीनों एवं उपकरणों की पहचान के साथ-साथ लाभार्थियों के समूह का चयन करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जाँचित चार एमएफपीपी प्रमण्डलों⁵² को केएल ऋतु 2016 से 2018 के लिए ₹ 15.58 करोड़ की विकास निधि (मार्च 2017 और जुलाई

⁵¹ 2016 में ₹ 44.38 करोड़, 2017 में ₹ 57.59 करोड़, 2018 में ₹ 20.67 करोड़ तथा 2019 में ₹ 8.07 करोड़

⁵² डाल्टेनगंज, धालभूम, हजारीबाग एवं राँची

2019 के बीच) विमुक्त की गई थी। ऋतु 2019 के लिए ₹ 75.68 लाख दिसंबर 2020 में विमुक्त किए गए थे। यद्यपि ऋतु 2016 से 2018 तक की निधि 149 सीसी को हस्तांतरित की गयी थी, तथापि यह देखा गया कि ₹ 15.16 करोड़ (97.30 प्रतिशत) का उपयोग मार्च 2020 तक नहीं किया गया था और यह सीसी के पास पड़ा रहा जैसा कि नीचे तालिका 2.1.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.4: ऋतु 2016 से 2018 के लिए प्राप्त और उपयोग की गई विकास निधि
(₹ लाख में)

| प्रमण्डल | सीसी को प्राप्त निधि | | | | उपयोग की गई निधि | | | | अप्रयुक्त निधि | | | |
|------------|----------------------|--------|--------|----------|------------------|------|------|-------|----------------|--------|--------|----------|
| | केएल ऋतु वर्ष | | | कुल | केएल ऋतु वर्ष | | | कुल | केएल ऋतु वर्ष | | | कुल |
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| डाल्टेनगंज | 146.58 | 235.55 | 88.05 | 470.18 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 142.32 | 235.55 | 88.05 | 465.92 |
| धालभूम | 88.39 | 113.39 | 32.72 | 234.5 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 78.53 | 113.39 | 32.72 | 224.64 |
| हजारीबाग | 187.04 | 287.14 | 73.50 | 547.68 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 28.25 | 158.79 | 287.14 | 73.50 | 519.43 |
| राँची | 107.07 | 151.42 | 47.20 | 305.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.07 | 151.42 | 47.20 | 305.69 |
| कुल | 529.08 | 787.50 | 241.47 | 1,558.05 | 42.37 | 0.00 | 0.00 | 42.37 | 486.71 | 787.50 | 241.47 | 1,515.68 |

(स्रोत: नमूना जाँच किए गए प्रमण्डलों से प्राप्त सूचना)

लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह उद्घाटित हुआ कि:

- धालभूम एमएफपीपी प्रमण्डल ने साल/महुआ बीज निष्कर्षण मशीन के प्रतिष्ठापन, चिरौंजी बीज पेराई मशीन, तालाबों के नवीनीकरण, डीजल इंजन का क्रय, साल प्लेट बनाने की मशीन, चबूतरा, कुआँ, यात्री शेड, श्मशान घाट में शेड, चापानल/नलकूप की स्थापना, डीप बोरिंग इत्यादि से संबंधित 30 सीसी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर एमडी से दिशानिर्देश की माँग की थी (फरवरी 2018)। हालांकि, मार्च 2020 तक न तो एमडी और न ही डीएम ने उन प्रस्तावों पर आगे विचार किया जबकि 24 सीसी के प्रस्ताव कंपनी के दिशानिर्देश (अप्रैल 2018) के अनुरूप थे। केवल तीन⁵³ सीसी ने मशीनों तथा संबंधित अनुषंगी-यंत्र के क्रय पर ₹ 9.65 लाख खर्च (जनवरी और मार्च 2020 के बीच) किए।
- डाल्टेनगंज एमएफपीपी प्रमण्डल के 27 में से पाँच सीसी ने विकास योजनाओं के चयन के लिए बैठकें नहीं बुलाई/कीं। सड़क, शेड, चबूतरा, तालाब, पानी-टंकी, चापानल, नलकूप आदि के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों, यद्यपि 16 सीसी द्वारा आम सभाओं में पारित किए गए थे (मार्च 2017 और मार्च 2020 के बीच), को प्रमण्डल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया क्योंकि ये प्रस्ताव लघु वन-उत्पाद के संवर्धन और विपणन की गतिविधियों से संबंधित नहीं थे तथा इसी तरह की योजनाओं को अन्य विभागों द्वारा भी वित्त-पोषित किया जा रहा था। सीसी ने संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए और निधियाँ उनके पास अप्रयुक्त पड़ी रहीं।
- डाल्टेनगंज एमएफपीपी प्रमण्डल में बाँस की खरीद के लिए वित्तीय सहायता/अग्रिम के तौर पर, मितर की सीसी ने 38 पीसी को ₹ 19,000 (जनवरी 2018) तथा सेरेंदाग की सीसी ने एक पीसी को ₹ 600 दिए। विकास निधि का उपयोग जेएसकेएलपी 2015/ कंपनी के निर्देशों (अप्रैल 2018) द्वारा मार्गदर्शित है। विकास

⁵³ खरसांवा: ₹ 3.83 लाख, कुंदरुगुडू: ₹ 2.04 लाख एवं संतरा: ₹ 3.78 लाख

योजनाओं की परिधि में इस प्रकार की वित्तीय सहायता की ग्राह्यता के संबंध में जेएसकेएलपी/ कंपनी के निर्देश मौन थे।

- धालभूम एमएफपीपी प्रमण्डल के तीन⁵⁴ सीसी ने आम सभाओं में बिना कोई प्रस्ताव पारित किए बैंक खातों से ₹ 2.21 लाख की निकासी (अगस्त 2018 और फरवरी 2020 के बीच) की। दो⁵⁵ सीसी ने निकासी के सात से 12 महीने से अधिक समय के बाद बैंक खातों में ₹ 75,000 वापस जमा किए (फरवरी 2020 और दिसंबर 2020 के बीच)। दो सीसी से संबंधित शेष ₹ 1.46 लाख ढाई वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो बैंक खाते में वापस जमा किए गए और न ही उनके लेखाओं में दर्शाए गए। विकास निधि खाते का संचालन संयुक्त रूप से सदस्य सचिव (एफपीओ) एवं सीसी के अध्यक्ष द्वारा किया जाना था और उनकी सहमति के बगैर किसी राशि की निकासी नहीं की जा सकती थी। अतः, सदस्य सचिव एवं सीसी के अध्यक्षों द्वारा विकास निधि के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- जून 2021 तक एफपीओ के स्वीकृत 135 पदों के विरुद्ध मात्र 60 एफपीओ (44 प्रतिशत) थे। नमूना-जाँचित चार प्रमंडलों में 149 सीसी थे जो केवल 36 एफपीओ द्वारा सहायतित थे। एफपीओ की कमी के कारण विकास निधि के बेहतर तथा ससमय उपयोग के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव बनाने में विलंब हुआ।

इस प्रकार, सीसी लघु वन-उत्पादों के संवर्धन एवं विपणन से संबंधित योजनाओं या गतिविधियों का चयन करने में विफल रही जिससे पीसी की आय बढ़ जाए। इसके अलावा, एफपीओ एवं प्रमंडलों ने ₹ 15.16 करोड़ की अव्ययित विकास निधि के उपयोग हेतु सीसी को आवश्यक सहायता नहीं प्रदान की।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2021) कि अव्ययित निधि का उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा तथा और विकास योजनाओं को तैयार करने में सीसी को सुविधा प्रदान करने हेतु प्रमंडलों को निर्देश दिया जाएगा। विकास निधि से अनियमित अग्रिम एवं निकासी के संबंध में कहा गया कि मामले की जाँच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एफपीओ की कमी के लिए उनकी सेवानिवृत्ति को जिम्मेदार ठहराते हुए विभाग द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि एफपीओ की नई नियुक्ति की जाएगी।

2.1.4 माल प्रबंधन

माल किसी व्यापार के सामान्य क्रम में विक्रय के लिए मूर्त संपत्ति होता है। माल का प्रबंधन वन-उत्पाद की गुणवत्ता में हास के जोखिम से परिहार हेतु केएल की ससमय विक्रय सुनिश्चित करता है। नमूना जाँचित प्रमंडलों/ प्रक्षेत्रों के अभिलेखों की जाँच से निम्नलिखित उद्घाटित हुआ:

⁵⁴ कांड़ा (अगस्त 2018 में ₹ 3,000), नारायणबेड़ा (अगस्त 2018 में ₹ 8,040, दिसम्बर 2018 में ₹ 1.35 लाख तथा फरवरी 2020 में ₹ 50,000), सोंगरा (नवम्बर 2019 में ₹ 25,000)

⁵⁵ सोंगरा (फरवरी 2020 में ₹ 10,000 तथा दिसम्बर 2020 में ₹ 15,000) एवं नारायणबेड़ा (सितम्बर 2020 में ₹ 50,000)

2.1.4.1 केएल गोदामों का निर्माण

जेएसकेएलपी के कंडिका 14.1 के अनुसार, केएल के भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए कंपनी को गोदामों का निर्माण करना था और यदि जरूरत हो तो विभाग को तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी के निगमन के बाद कोई गोदाम निर्मित नहीं हुए तथा 2015-20 के दौरान नये गोदामों के निर्माण का कोई प्रस्ताव विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कंपनी के पास 39 गोदाम थे जिनमें से केवल सात गोदाम (3100 एमटी) अच्छी स्थिति में थे, 23 (8700 एमटी) में वृहत् मरम्मती की आवश्यकता थी तथा नौ (2500 एमटी) जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे। हालांकि, कंपनी ने 2015-20 के दौरान क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मती या नवीनीकरण की कोई योजना नहीं बनाई। आगे, यह देखा गया कि कंपनी ने अपने गोदाम केएल क्रेताओं को किराये पर दी थी एवं किराया के रूप में 2015-18 के दौरान ₹ 28.12 लाख की वसूली की थी। नमूना-जाँचित चार प्रमंडलों में अगस्त 2021 तक 35 में से केवल 10 (29 प्रतिशत) विभागीय गोदाम कार्यात्मक थे।

विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2021) कि नए गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा और मौजूदा गोदामों का नवीनीकरण/ रखरखाव चालू वर्ष में किया जाएगा।

2.1.4.2 केएल बोरियों का कम भंडारण

इकरारनामा के अनुसार, क्रेताओं को संग्रहण लागत (अग्रिम में 50 प्रतिशत तथा शेष डीएम द्वारा संग्रहण के आकलन के बाद) का भुगतान केएल उठाव से पूर्व करना था। क्रेता के ससमय संग्रहण लागत का भुगतान करने में विफलता तथा संग्रहित केएल का कब्जा नहीं लेने के मामलों में प्रमण्डल केएल को सुखाने और बोरियों में भरने की व्यवस्था करेगा और इस प्रकार का खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार⁵⁶ एमएफपीपी प्रमण्डलों में, ऋतु 2015 से 2018 से संबंधित 20 लॉटों में 30,169 बोरियों के वास्तविक संग्रहण के विरुद्ध केवल 26,195 बोरियों को गोदामों में भण्डारित दिखाया गया। इस प्रकार, 3,974 केएल बोरियों का भंडारण कम था। इन लॉटों में धालभूम एमएफपीपी प्रमण्डल के दो लॉट शामिल थे, जहाँ 601 बोरियाँ कम थीं। अग्रेतर संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि पीसी ने मई और जून 2018 में संग्रहित 601 बोरियों को नहीं उठाने दिया क्योंकि उन्हें संग्रहण लागत का भुगतान नहीं किया गया था। क्रेताओं द्वारा ₹8.69 लाख के शेष संग्रहण लागत को जमा करने (दिसंबर 2018) के पश्चात् पीसी को संग्रहण लागत का भुगतान दिसंबर 2018 में किया गया। इस बीच, 601 बोरियाँ केंदू-पत्ते सड़ गये। अन्य लॉटों में कमी के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि वांछित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

⁵⁶ डाल्टेनगंज, धालभूम, हजारीबाग एवं राँची

इस प्रकार, प्रमण्डल ने पीसी को समय पर संग्रहण लागत का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया था जैसा कि दो लॉटों के मामलों में देखा गया जहाँ 601 बोरियाँ कैंदू-पत्ते सड़ गये थे।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और आश्वस्त किया (अक्टूबर 2021) कि अब से पीसी को संग्रहण लागत का भुगतान समय से की जाएगी।

2.1.5 अन्य रोचक मुद्दे

2.1.5.1 कार्यकारी परिणाम

कंपनी ने केवल 2016-17 तक ही अपनी वार्षिक लेखाओं को अंतिमीकृत किया था। वर्ष 2017-18 की वार्षिक लेखाएं प्रक्रियाधीन थीं। वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक का कंपनी का राजस्व और व्यय का विवरण नीचे तालिका 2.1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.5: कंपनी के राजस्व, व्यय और शुद्ध लाभ का विवरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वार्षिक लेखे | | | संशोधित बजट प्राक्कलन | | कुल |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | |
| केएल के विक्रय से राजस्व | 50.3 | 120.52 | 169.54 | 171.63 | 56.55 | 568.54 |
| टिम्बर के विक्रय से राजस्व | 2.90 | 7.95 | 6.06 | 6.38 | 2.81 | 26.10 |
| टिकट की विक्रय | 0.42 | 0.51 | 0.45 | 0.03 | 0 | 1.41 |
| कैंटीन सामग्री | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0 | 0 | 0.41 |
| बैंक से ब्याज | 7.08 | 7.30 | 16.82 | 4.74 | 7.55 | 43.49 |
| अतिदेय व्यापार पर प्राप्य ब्याज | 0.02 | 0.02 | 0.24 | 0.76 | 0.72 | 1.76 |
| विविध आय/प्राप्तियाँ | 0.62 | 1.22 | 2.31 | 1.13 | 12.44 | 17.72 |
| कुल राजस्व | 61.47 | 137.64 | 195.58 | 184.67 | 80.07 | 659.43 |
| कुल व्यय | 53.44 | 123.37 | 156.22 | 135.50 | 53.79 | 522.32 |
| शुद्ध लाभ | 8.03 | 14.27 | 39.36 | 49.17 | 26.28 | 137.11 |
| कर व्यय | 2.65 | 4.85 | 13.33 | 14.75 | 7.88 | 43.46 |
| कर के पश्चात् शुद्ध लाभ | 5.38 | 9.42 | 26.03 | 34.42 | 18.40 | 93.65 |
| कर के पश्चात् शुद्ध लाभ का प्रतिशत | 8.75 | 6.84 | 13.31 | 18.64 | 22.98 | 14.20 |

(स्रोत: कंपनी द्वारा दी गई जानकारी)

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- ऋतु 2015, 2016 और 2017 के दौरान 300 केएल लॉटों में से क्रमशः 138, 282 तथा 300 केएल लॉटों का विक्रय हुआ और इस प्रकार 2015-16 से 2017-18 के दौरान केएल विक्रय से राजस्व एवं शुद्ध लाभ में बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई दी।
- ऋतु 2018 के दौरान, 300 में से 210 केएल लॉट बेचे गए जो 2018-19 के संशोधित बजट में राजस्व एवं लाभ में वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुआ। हालांकि, वास्तविक आँकड़े आना अभी बाकी है।
- ऋतु 2019 के दौरान, 299 लॉटों में से मात्र 74 केएल लॉट ही बिक सके जो 2019-20 के अनुमानित राजस्व एवं लाभ में तीव्र गिरावट के रूप में परिलक्षित हुआ।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2021) कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 के वार्षिक लेखाओं को जल्द से जल्द अंतिमीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।

2.1.5.2 व्यापारिक संभावनाएं नहीं तलाशे गए

लघु वन उत्पाद (एमएफपी) का आर्थिक मूल्य वनवासियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ऐसे उत्पादों की बड़ी संख्या बाजार में प्रवेश नहीं करती हैं और ये मुख्य रूप से थोड़े मूल्यवर्धन के साथ स्थानीय स्तर पर खपत की जाती हैं। कंपनी के संस्था-ज्ञापन-पत्र (एमओए) के अनुसार, कंपनी का मुख्य उद्देश्य वन उत्पाद और उत्पादकता में तेजी लाकर परियोजनाओं और गतिविधियों को बढ़ावा देना, विकसित करना और जारी रखना था। कंपनी को वन उत्पादों पर आधारित उद्योगों का विकास और एमएफपी के व्यावसायिक विक्रय एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देना तथा प्रबंधन करना था। इसके अतिरिक्त, अपने सहायक उद्देश्यों के रूप में कंपनी वन विज्ञान, कृषि, बागवानी, फलों, फाइबर, घास, औषधीय पौधों एवं आर्थिक मूल्यों वाली अन्य प्रजातियों की खेती, प्रचार या अन्यथा जिम्मा ले सकती है। अंततः, अधिकतम वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करने हेतु कंपनी को वन उत्पादों के बेहतर उपयोग के लिए वन संसाधनों का वैज्ञानिक दोहन करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पड़ोसी राज्य ओडिशा में ओडिशा वन विकास निगम लिमिटेड ने वन उत्पादों से जुड़ी अन्य गतिविधियों जैसे बाँस एवं साल के बीज का संग्रहण एवं विपणन, शहद का प्रसंस्करण और व्यापार, रबड़ का रोपण और विपणन, काजू, आचारों का उत्पादन और विपणन, जैव-डीजल आदि की तलाश की और प्रारंभ किया। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ वन निगम लिमिटेड ने सिसल रेशो/रस्सी एवं जैव-ईंधन बनाने के लिए क्रमशः सिसल और जैट्रोफा का वृक्षारोपण किया।

मार्च 2020 तक कंपनी ने अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी गतिविधियों में ऐसे विस्तार को नहीं तलाशा, जैसा कि एमओए के तहत परिकल्पित था और अपनी गतिविधियों को केवल केएल एवं टिम्बर के विक्रय तक सीमित रखा, जबकि केएल बाजार में मंदी के कारण राजस्व में घटती प्रवृत्ति को देखते हुए बोर्ड की बैठक (अगस्त 2019) में पारित किया गया था कि अन्य संबद्ध गतिविधियों में विविधता लाते हुए व्यापारिक अवसरों को तलाशा जाए।

इस प्रकार, कंपनी वन संबंधी व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार के संबंध में अपने एमओए का पालन करने में विफल रही और अपनी आय बढ़ाने के साथ-साथ वनवासियों के लिए रोजगार सृजन का अवसर को भी जाने दी।

विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2021) कि एमएफपी संग्रहण के क्षेत्र में विभिन्न सरकारी एजेंसियाँ काम कर रही हैं। हालांकि, कंपनी स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार हेतु अपनी गतिविधियाँ विस्तार करने के तरीके तलाशेगी जैसा कि बोर्ड की बैठक (अगस्त 2019) में पारित किया गया था।

2.1.5.3 उपकर का गैर-प्रेषण

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार की अगस्त 1991 की अधिसूचना के अनुसार टिम्बर की विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य के तीन प्रतिशत की दर से उपकर लगाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने 2007-08 से 2019-20 की अवधि के दौरान टिम्बर विक्रय पर उपकर के रूप में ₹ 1.25 करोड़⁵⁷ की वसूली की थी। हालांकि, कंपनी ने अपनी लेखाओं में उपकर को अपना राजस्व माना और इसे कभी भी संबंधित विभाग को हस्तांतरित नहीं किया। इस प्रकार, कंपनी ने ₹ 1.25 करोड़ के उपकर को अनियमित रूप से रुद्ध रखा।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2021) कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तथ्य यही है कि वसूलित उपकर सरकारी खातों में जमा नहीं हुए।

2.1.5.4 बिक्री आय का सरकारी खाते में गैर-प्रेषण

विभाग द्वारा जारी (फरवरी 2008) निर्देश के अनुसार, टिम्बर के बिक्री मूल्य का 90 प्रतिशत सरकारी खाते में जमा किया जाना था और शेष 10 प्रतिशत कंपनी द्वारा प्रशासनिक शुल्क के रूप में रखा जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-16 से 2020-21 के दौरान कंपनी ने ₹ 24.62 करोड़ पोल और जलावन सहित टिम्बर के विक्रय से प्राप्त किया था। हालांकि, कंपनी ने ₹ 22.16 करोड़, विक्रय मूल्य की 90 प्रतिशत राशि, सरकारी खाते में प्रेषित नहीं की। बल्कि कंपनी की लेखाओं में इसे देय देनदारी के रूप में दिखायी गयी थी।

पूर्व की अवधि में टिम्बर की बिक्री-आय के प्रतिधारण से इंकार नहीं किया जा सकता तथा देनदारी का आकलन करने हेतु लेखापरीक्षा ने वर्ष 2007-08 से 2014-15 की अवधि के ब्यौरे/अभिलेखों की माँग की थी। हालांकि, कंपनी द्वारा ब्यौरे/अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नमूना-जाँचित चार प्रमंडलों⁵⁸ ने 2007-08 से 2014-15 के दौरान पोल और जलावन सहित टिम्बर के विक्रय से ₹ 22.20 करोड़ विक्रय मूल्य वसूल की। इस प्रकार, कंपनी ने विक्रय मूल्य के 90 प्रतिशत की राशि के रूप में ₹ 19.98 करोड़ की देनदारी पैदा की क्योंकि कंपनी द्वारा राशि सरकारी खाते में नहीं जमा की गई। अतः, कंपनी ने विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया और कम से कम ₹ 42.14 करोड़ के सरकारी राजस्व को रुद्ध रखा।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2021) कि राशि को कंपनी की लेखाओं में देनदारी के रूप में रखा गया है तथा मामले को निस्तारित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2.1.6 निष्कर्ष

कंपनी ने केएल की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए केंदु-झाड़ियों की ठूठ-कटाई की वृत्ति नहीं अपनाई। इसके कारण केएल लॉट की अधिसूचित उपज

⁵⁷ वर्ष 2007-08 से 2017-18 तक के आँकड़े वार्षिक लेखाओं से तथा कंपनी द्वारा प्रदत्त 2018-19 एवं 2019-20 के आँकड़े।

⁵⁸ डाल्टेनगंज, धालभूम, हजारीबाग एवं राँची

में कमी आई और 33 प्रतिशत लॉट बोली प्राप्त नहीं होने अथवा उद्धृत मूल्य आरक्षित मूल्य से कम होने के कारण बिना बिके रह गए।। बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए कंपनी ने नवंबर 1984 से 36 वर्षों के बाद भी उपज को पुनराधिसूचित करने हेतु उसका पुनर्मूल्यांकन नहीं किया। एक ही प्रमण्डल के विभिन्न लॉटों में प्रति बोरी केएल के विक्रय मूल्य में अत्यधिक भिन्नताएँ थीं जो ₹ 166 और ₹ 8,885 के बीच थीं। नमूना-जाँचित चार प्रमण्डलों में देय बकाये के लिए संशोधित नीलामपत्र वाद दाखिल न करने के कारण ₹ 17.75 करोड़ की राशि अवसूलित रही।

कंपनी ने 8.52 लाख बोरियों की अधिसूचित उपज वाले 333 केंदु-पत्ता लॉटों की विभागीय कटाई सुनिश्चित नहीं किया और पीसी इन ऋतुओं में अधिसूचित संग्रहण लागत जो प्रति बोरी ₹ 1,120 और ₹ 1,195 के बीच थी, से वंचित रहे। पीसी को अधिसूचित उपज की तुलना में अधिक केएल संग्रहण के लिए ₹ 5.82 करोड़ की अतिरिक्त संग्रहण लागत नहीं दी गयी। विकास योजनाओं एवं केंदु झाड़ियों के संवर्धन के लिए सीसी को दिए गए ₹ 15.16 करोड़ का उपयोग कंपनी सुनिश्चित नहीं कर पायी और राशि सीसी के पास पड़ी रही।

39 में से 32 गोदाम या तो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे या उनमें वृहत् मरम्मत की आवश्यकता थी और कंपनी उस राजस्व से वंचित रही जो इन्हें केएल क्रेताओं को किराये पर देने पर प्राप्त हो सकती थी। कंपनी ने अपनी आय बढ़ाने हेतु अपनी गतिविधियों के विस्तार की संभावना की तलाश नहीं की जैसा कि एमओए के तहत परिकल्पित था और अपनी गतिविधियाँ केवल केएल एवं टिम्बर विक्रय तक ही सीमित रखी। कंपनी ने टिम्बर के बिक्री मूल्य की ₹ 42.14 करोड़ राशि तथा ₹ 1.25 करोड़ के उपकर को सरकारी खातों में प्रेषित नहीं किया।

2.1.7 अनुशंसाएँ

- कंपनी को अवसूलित ₹ 17.75 करोड़ की बकाया राशि की वसूली हेतु लंबित नीलामपत्र वादों पर तत्काल कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।
- कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना बिके लॉटों की विभागीय कटाई की जाए और प्राथमिक संग्राहकों को संग्रहण लागत का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए।
- कंपनी को टिम्बर के बिक्री मूल्य एवं उपकर की राशि ₹ 43.39 करोड़ को अविलंब सरकारी खाते में प्रेषित करना चाहिए।

➤ वनवासियों की आय में वृद्धि हेतु कंपनी को विकास योजनाओं को आरेखित एवं कार्यान्वित करने अथवा लघु वन-उत्पाद आधारित सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने हेतु संग्राहक समितियों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।

राँची

दिनांक 19 अप्रैल 2022

इ-3 2022-11

(इन्दु अग्रवाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 25 अप्रैल 2022



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्टियाँ (भाग अ)

परिशिष्ट- 2.1.1

(कंडिका 2.1.1 में संदर्भित; पृष्ठ 5)

सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा गठित समिति के प्रमुख निष्कर्षों की सूची

- (i) एक ही पता होने के कारण, दोनों कंपनियों (मेसर्स श्रीनाथ और मेसर्स डीके) का नियंत्रण वास्तव में एक ही व्यक्ति के अधीन था और मेसर्स डीके ने एकल निविदा (किसी विशेष उपकरण के लिए) होने से रोकने के लिए एक डमी फर्म के रूप में निविदा में भाग लिया क्योंकि एकल निविदा के निस्तारण के लिए उच्च प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ-साथ दर के औचित्य स्पष्ट करने की भी आवश्यकता होती है।
- (ii) मेसर्स डीके द्वारा निविदा संख्या रिम्स/स्टोर/एम ई(4)/3630 दिनांक 04.06.2018 के लिए प्रस्तुत निर्माता का प्राधिकरण पत्र या तो फर्जी था या हेरफेर के साथ पाया गया।
- (iii) मेसर्स डीके द्वारा उद्धृत दर, मेसर्स श्रीनाथ के द्वारा उद्धृत दरों से हमेशा अधिक था क्योंकि मेसर्स डीके के चयन की स्थिति में, वास्तविक प्राधिकरण के अभाव में उपकरण की आपूर्ति इनके द्वारा असंभव था।
- (iv) दन्त चिकित्सा संस्थान के लिए 239 प्रकार के उपकरणों की खरीद के लिए आमंत्रित किया गया निविदा संख्या 8646 दिनांक 12.12.2017 में उक्त दो निविदादाताओं को 220 प्रकार के उपकरणों की आपूर्ति के लिए तकनीकी रूप से सफल घोषित किया गया था। यद्यपि वित्तीय निविदा का मूल्यांकन नहीं किया गया था, तथापि समिति ने मेसर्स श्रीनाथ द्वारा इनमें अंकित दर, मेसर्स डीके से कम परन्तु बाजार दर से काफी अधिक होने की संभावना व्यक्त किया था।
- (v) दन्त चिकित्सा संस्थान के लिए उपकरण की खरीद के लिए आमंत्रित निविदा संख्या-3422 दिनांक 02.06.2015 में, जहां इन दो निविदादाताओं के अलावा अन्य निविदादाताओं को एल₁ घोषित किया गया वहाँ, एल₁ की दरें, इन दो निविदादाताओं द्वारा दिए गए दरों से काफी कम था। जबकि, अन्य निविदाओं में जहां केवल इन दो निविदादाताओं ने अर्हता प्राप्त की थी, उद्धृत की गईं दरें बहुत अधिक थीं और इन दोनों निविदादाताओं की दरों में अंतर काफी कम था।
- (vi) दन्त चिकित्सा संस्थान के लिए डेंटल चेयर बहुत अधिक दरों पर खरीदे गए जो सामान्य बाजार दरों, जो लगभग 3 से 4 लाख थी, से दोगुने से भी अधिक थे। इसी प्रकार, ₹ 1.95 करोड़ में खरीदी गई चलंत डेंटल वैन, ₹ 40-45 लाख से अधिक मूल्य की नहीं पाई गई।

डेंटल चेयर, आरवीजी, पैनोरमिक एक्स-रे, ओरल एक्स-रे, ईसीजी आदि उपकरण तत्काल या वर्तमान आवश्यकता की तुलना में अधिक संख्या में खरीदे गए।

परिशिष्ट- 2.1.2

(कंडिका 2.1.6 में संदर्भित; पृष्ठ 21)

डेंटल चेयर, डेंटल वैन और आरवीजी के भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियाँ

(क) मूल डेंटल चेयर

विभागाध्यक्ष, डेंटिस्ट्री द्वारा 60 चेयरों (सितंबर और अक्टूबर 2016) और प्राचार्य, दंत चिकित्सा संस्थान, रिम्स द्वारा 50 चेयरों (फरवरी 2018) का अनुमोदित विशिष्टताओं के साथ आपूर्ति एवं अधिष्ठापन को प्रमाणित किया गया। तथापि, 106 चेयरों के भौतिक सत्यापन के दौरान (सितंबर, 2019) लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित खामियों का अवलोकन किया:

- (i) चेयरों के साथ स्वचालित स्पिटून अटैचमेंट स्वीकृत होने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं था। इसके स्थान पर मैनुअल प्रणाली उपलब्ध पाया गया।
- (ii) पानी और कीटाणुनाशक घोल के लिए दो रिजर्वायर स्वीकृत थी लेकिन, कीटाणुनाशक घोल के लिए एक रिजर्वायर चेयरों के साथ उपलब्ध नहीं था।
- (iii) चेयरों के साथ स्वीकृत विशिष्टता 'संवेदनशील न्यूमेटिक वॉल्व के माध्यम से स्वचालित हैंड पीस चयन सुविधा' उपलब्ध नहीं थे।
- (iv) चेयरों के साथ स्वीकृत ऑटोकलेवेबल पैड के स्थान पर स्टील ट्रे उपलब्ध करायी गई थी।
- (vi) सेंसर आधारित अ-स्पर्श प्रणाली ऑपरेटिंग लाइट प्रणाली स्वीकृत होने के बावजूद चेयरों के साथ उपलब्ध नहीं था। इसके बजाय मैनुअल लाइट प्रणाली उपलब्ध था।
- (vii) रिमोट डायग्नोस्टिक्स के लिए 232 सी सीरियल इंटरफेस के डेमो और प्रशिक्षण के साथ सभी उपकरणों के लिए सिंगल फुट कंट्रोल तंत्र नहीं पाया गया।
- (viii) चेयरों के कैलिब्रेशन का प्रमाण पत्र और आवधिक कैलिब्रेशन और निरोधक अनुरक्षण की आवश्यकता वाले उपकरणों की सूची आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान नहीं की गई।

आपूर्तिकर्ता ने रिम्स निदेशको प्रस्तुत स्पष्टीकरण में यह स्वीकार भी किया (जुलाई 2019) है कि सेंसर आधारित नो टच प्रणाली ऑपरेटिंग लाइट, प्रति कुर्सी एक स्टूल और गलत विशिष्टता होने के कारण स्वचालित स्पिटून अटैचमेंट की आपूर्ति नहीं की गई थी। कैलिब्रेशन के संबंध में, आपूर्तिकर्ता ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि निर्माण कंपनी द्वारा चेयरों के शिपमेंट से पहले इसे कैलिब्रेट कर लिया गया था। गलत विशिष्टता के संबंध में आपूर्तिकर्ता के औचित्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निविदा में आपूर्तिकर्ता ने प्रत्येक कुर्सी के लिए निर्माण कंपनी द्वारा जारी स्वचालित स्पिटून अटैचमेंट और कैलिब्रेशन प्रमाणपत्र प्रदान करने की पेशकश की थी।

(ख) उन्नत डेंटल चेयर

अनुमोदित विशिष्टता के साथ 10 चेयरों की आपूर्ति और अधिष्ठापन को विभागाध्यक्ष, डेंटिस्ट्री द्वारा और पांच चेयरों को प्राचार्य, दंत चिकित्सा संस्थान, रिम्स (जून 2018)

द्वारा प्रमाणित किया गया (मार्च 2016) था। इन 15 चेयरों के भौतिक सत्यापन (सितंबर, 2019) के दौरान, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि:

- (i) चेयरों के साथ एकीकृत 17 इंच के एलसीडी/टीएफटी मॉनिटर उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
- (ii) चेयरों के साथ स्वचालित स्पिटून अटैचमेंट प्रदान नहीं किया गया था और इनके लिए मैनुअल प्रणाली उपलब्ध था।
- (iii) चेयरों के साथ गर्म पानी की सिरिंज नहीं दी गई थी।
- (iv) दो रिजर्वायर के स्थान पर, कीटाणुनाशक के लिए एक रिजर्वायर उपलब्ध नहीं कराया गया था।
- (v) संवेदनशील न्यूमेटिक वाल्वों के माध्यम से स्वचालित हैंडपीस चयन की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।
- (vi) कुर्सी के दोनों ओर से कंट्रोल प्रणाली के स्थान पर केवल एक तरफ से कंट्रोल प्रणाली उपलब्ध थी।
- (vii) एलईडी आधारित एक्स-रे और ओपीजी व्यूअर उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
- (viii) स्वीकृत चार स्केलर टिप्स और एक पेरीओ-क्यूरेट टिप्सवाले अल्ट्रासोनिक स्केलर के स्थान पर केवल दो स्केलर टिप्सवाले अल्ट्रासोनिक स्केलर प्रदान किया गया।
- (ix) सिंक सहित मॉड्यूलर फर्नीचर केवल पांच चेयरों के साथ प्रदान किया गया था, जबकि प्रत्येक कुर्सी के साथ इसे प्रदान किया जाना था।

आपूर्तिकर्ता ने भी एलसीडी, गलत विशिष्टता होने के कारण स्वचालित स्पिटून अटैचमेंट, केवल कम तापमान वाले देशों में आवश्यक होने के कारण गर्म पानी की सिरिंज, पुरानी तकनीक होने के कारण और संस्थान द्वारा डिजिटल प्रणाली उपयोग में लाने के कारण एलईडी आधारित एक्स-रे और ओपीजी व्यूअर की आपूर्ति नहीं करना और केवल दो टिप्स वाले अल्ट्रासोनिक स्केलर ही प्रदान करना स्वीकार किया (जुलाई 2019)।

(ग) चलंत डेंटल वैन

जनवरी 2016 में जारी किए गए क्रयादेश के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा उपकरणों और उपस्करों के साथ एक मोबाइल डेंटल वैन की आपूर्ति (फरवरी 2018) की गई। प्राचार्य, दंत चिकित्सा संस्थान द्वारा उपकरणों और उपस्करों के साथ अनुमोदित विशिष्टता के वैन की आपूर्ति के संबंध में अधिष्ठापन प्रमाण पत्र जारी किया (फरवरी 2018) गया था, जिसके आधार पर आपूर्तिकर्ता को ₹ 1.65 करोड़ जीएसटी सहित भुगतान किया (जुलाई 2018) गया। जबकि संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2020) के दौरान, यह देखा गया कि आपूर्तिकर्ता ने अनुमोदित वस्तुओं की आपूर्ति नहीं की थी, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- (i) एक सूची मेक डेंटल चेयर जिसके मूवमेंट का संचालन हाथ एवं पैर दोनों से किया जा सकता था, के स्थान पर मेक्ट्रक्स मेक की दो डेंटल चेयर जिसका मूवमेंट संचालन केवल पैर से किया जा सकता था, प्रदान किया गया।

- (ii) वैन, निविदा दाता द्वारा निविदित और रिम्स द्वारा स्वीकृत उपकरणों की तुलना में 10 भिन्न उपकरणों¹ से युक्त था।
- (iii) आपूर्ति की गई वैन के अंदर कोई केबिन नहीं था, जबकी डॉक्टर/परामर्श, रोगी और दंत जांच केबिनों को ग्लास फाइबर रिन्फोर्सड पॉलीमर सहित साइड वॉल पैनेलिंग के साथ बनाया जाना था।
- (iv) आपूर्तिकर्ता ने मोबाइल वैन में 19 प्रकार² के अनुमोदित वस्तुओं की आपूर्ति/वैन के साथ फिट नहीं किया था।

(घ) आरवीजी प्रणाली

वर्क ऑर्डर और अधिष्ठापन प्रमाणपत्र के अनुसार रिम्स ने मेक- सिराना और मॉडल 'एक्स आईओएस-एक्सजी सुप्रीम' के दस आरवीजी प्रणाली का क्रय (जून 2017) किया। संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2019) के दौरान, यह पाया गया कि 'पेडोडॉटिक्स' और 'ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी' विभागों में स्थापित दो आरवीजी का मॉडल 'एक्सआईओएस-एक्सजी सेलेक्ट' था जबकि अनुमोदित मॉडल 'एक्स आई ओएस-एक्सजी सुप्रीम' था।

¹ 1.5 टन का वोल्टास/सैमसंग मेक एसी के बजाय एक टन के ईबेर पासचेर मॉडल का एक एसी, कंप्यूटर के बजाय लैपटॉप (मेक-डेल), ऑटो क्लेव के बजाय प्रेशर क्योरिंग पॉट, हैण्ड इंस्ट्रूमेंट के पूरे सेट के बजाय केवल 20 एक्सट्रैक्शन फोरसेप्स, हॉंडा मेक के 5.5 के.वी.ए. जेनसेट के बजाय अशोक लीलैंड मेक का 5 के.वी.ए. का जनरेटर सेट, कुर्सी में हाथ और पैर नियंत्रित स्विच के साथ ऑपरेटिंग लाइट के बजाय पैरों से नियंत्रण के बिना केवल हाथों से नियंत्रित सेंसर ऑपरेटिंग लाइट, विद्युत संचालित फुट स्विच के साथ स्टील वॉश बेसिन के बजाय पैरों के नियंत्रण के बिना चीनी मिट्टी के वॉश बेसिन, सेंसर संचालित स्टील बायो-वेस्ट बिन्स के बजाय दो सामान्य प्लास्टिक डस्टबिन, केबिन में आसान पहुंच के लिए बड़े फुट रेस्ट के बजाय आयरन स्टूल और फाइबर रूफ कैरियर के बजाय वैन के शीर्ष पर आयरन रूफ कैरियर।

² एप्रन स्क्रीन प्रावधान, दो रेवोल्विंग चेयर (दंत चिकित्सा और परामर्श केबिन के लिए एक-एक), एक वाल पंखा, एक डिस्टिल्ड वाटर मशीन, एक पैकेटिंग मशीन, एक फोल्डेबल टेबल, एक इनबिल्ट शौचालय केबिन, सभी केबिनों में एकाधिक सेल फोन चार्जर, ओवरहेड टैंक के लिए पानी खींचने के लिए एक मोटर, ड्राइवर के केबिन में दो पंखे, ड्राइवर के केबिन में एयर कंडीशनिंग, आंतरिक प्रकाश और उपकरण के लिए 2.5 के.वी.ए. का एक यू.पी.एस., कंप्यूटर के लिए रंगीन प्रिंटर और यू.पी.एस., सक्शन मशीन, डेंटल चेयर पर कंट्रोल पैनेल/ टचपैड कंट्रोल और दंत कुर्सियों में माइक्रो मोटर के लिए फेदर टच कंट्रोल।

परिशिष्ट- 2.1.3
(कंडिका 2.1.7 में संदर्भित; पृष्ठ 22)

विलंब से आपूर्ति करने के लिए दंड आरोपित न करना दर्शाती हुई सूची

| क्रम सं. | उपकरण का नाम | निविदा सं. | क्रयादेश सं./ दिनांक | कार्यादेश के अनुसार राशि | आपूर्तिकर्ता का नाम | अधिष्ठापित / प्राप्त करने की तिथि | डिलीवरी की समयावधि | विलंब-सप्ताह में | प्रथम चार सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह आधा प्रतिशत | पांचवें से आठवें सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह एक प्रतिशत | नौवें से बारहवें सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह दो प्रतिशत | आरोपित की जाने वाली कुल दंड राशि |
|----------|---|--------------|----------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|--|--|--|----------------------------------|
| 1 | एडवांस डेंटल चेयर (सिरोना) | 3422/2.6.15 | 224/15.1.16 | 42856500 | श्रीनाथ इंजी. सेल्स एन्ड. सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, कोलकाता | 11/5/2016 | 8 सप्ताह | 8.71 | 857130 | 1714260 | 857130 | 3428520 |
| 2 | अन्य बहु प्रकार (11 प्रकार) के दंत चिकित्सा उपकरण | 3422/2.6.15 | 221/15.1.16 | 10154400 | कैलाश सर्जिकल्स प्रा. लिमिटेड, रांची | 25/5/2016 | 8 सप्ताह | 10.71 | 203088 | 406176 | 609264 | 1218528 |
| 3 | एलईडी ओटी लाइट (मार्टिन) | 8371/22.7.14 | 2017/31.3.16 | 2446333 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 10/8/2016 | 12 सप्ताह | 6.86 | 48927 | 73390 | 0 | 122317 |
| 4 | हाई एंड इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक ओटी टेबल | 8371/22.7.14 | 2017/31.3.16 | 1570000 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 10/8/2016 | 12 सप्ताह | 6.86 | 31400 | 47100 | 0 | 78500 |
| 5 | पेरासेफ इंस्ट्रूमेंट कीटाणुनाशक | 8371/22.7.14 | 2017/31.3.16 | 900000 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 10/8/2016 | 12 सप्ताह | 6.86 | 18000 | 27000 | 0 | 45000 |
| 6 | विक्रोन सतह कीटाणुनाशक | 8371/22.7.14 | 2017/31.3.16 | 800000 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 10/8/2016 | 12 सप्ताह | 6.86 | 16000 | 24000 | 0 | 40000 |
| 7 | मल्टीपारा मॉनिटर (बेनीव्यू टी-8) एवं एसेसरीज | 8371/22.7.14 | 2017/31.3.16 | 2832256 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 10/8/2016 | 12 सप्ताह | 6.86 | 56645 | 84968 | 0 | 141613 |
| 8 | ईसीजी मशीन (ट्रिविट्रॉन) | 3422/2.6.15 | 224/15.1.16 | 238050 | श्रीनाथ इंजी. सेल्स एन्ड. सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, कोलकाता | 6/7/2016 | 8 सप्ताह | 16.71 | 4761 | 9522 | 19044 | 33327 |
| 9 | विभिन्न दंत चिकित्सा उपकरण (10 प्रकार) | 3422/2.6.15 | 222/15.1.16 | 8295800 | कॉन्फिडेंट डेंटल इक्विपमेंट लिमिटेड, कोलकाता | 26/06/2016 | 8 सप्ताह | 15.29 | 165916 | 331832 | 663664 | 1161412 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------|---|------------|-----------|--------|---------|---------|---------|-----------------|
| 10 | बेसिक डेंटल चेयर (ऑलसेन) | 145/9.1.16 | 2016/31.3.16 | 34285200 | श्रीनाथ इंजी. सेल्स एन्ड. सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, कोलकाता | 27/9/2016 | 12 सप्ताह | 13.71 | 685704 | 1371408 | 2742816 | 4799928 |
| 11 | बेसिक डेंटल चेयर (ऑलसेन) | 145/9.1.16 | 2016/31.3.16 | 51427800 | श्रीनाथ इंजी. सेल्स एन्ड. सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, कोलकाता | 27/10/2016 | 12 सप्ताह | 18.00 | 1028556 | 2057112 | 4114224 | 7199892 |
| 12 | आर. वी. जी. मशीन (सिरोना) | 145/9.1.16 | 1174/16.2.17 | 9500000 | श्रीनाथ इंजी. सेल्स एन्ड. सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, कोलकाता | 7/6/2017 | 12 सप्ताह | 3.86 | 190000 | 0 | 0 | 190000 |
| 13 | 18 प्रकार के दंत चिकित्सा उपकरण | 145/9.1.16 | 1376/23.2.17 | 4925000 | श्रीनाथ इंजी. सेल्स एन्ड. सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, कोलकाता | 21/6/2017 | 12 सप्ताह | 4.86 | 98500 | 49250 | 0 | 147750 |
| 14 | मोबाइल डेंटल वैन | 3422/2.6.15 | 224/15.1.16 | 14761750 | श्रीनाथ इंजी. सेल्स एन्ड. सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, कोलकाता | 28/2/2018 | 8 सप्ताह | 102.71 | 295235 | 590470 | 1180940 | 2066645 |
| 15 | एडवांस डेंटल चेयर (सिरोना) | 3422/2.6.15 | 6967/10.10.17 | 21428250 | श्रीनाथ इंजी. सेल्स एन्ड. सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, कोलकाता | 29/6/2018 | 8 सप्ताह | 29.43 | 428565 | 857130 | 1714260 | 2999955 |
| कुल | | | | | | | | | | | | 23673386 |

परिशिष्ट- 2.1.4

(कंडिका 2.1.8 में संदर्भित; पृष्ठ 23)

वर्ष 2014-19 के दौरान क्रय किए गए दन्त चिकित्सा उपकरणों की सूची, जिनकी प्रविष्टि भंडार पंजी में नहीं पाई गई

| क्रम सं. | उपकरण का नाम | उपकरणों की कुल सं. | प्रति इकाई दर (मूल कीमत) | कर सहित प्रति इकाई दर | पारित राशि | निविदा सं. | क्रय समिति द्वारा अनुमोदन की तिथि | क्रयादेश सं./ तिथि | आपूर्तिकर्ता का नाम | उपकरणों की संख्या जो किसी भंडार पंजी में दर्ज नहीं पाई गयी | भंडार पंजी में दर्ज नहीं पाए गए उपकरणों की लागत |
|----------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|---|
| 1 | बेसिक डेंटल चेयर (ऑलसेन) | 50 | 1428500 | 1599976 | 79998800 | 145/9.1.16 | 29.3.16 | 8904/28.12.17 | श्रीनाथ इंजी. सेल्स एन्ड. सर्विसेज प्रा. लिमिटेड , कोलकाता | 26 | 41599376 |
| 2 | एडवांस डेंटल चेयर (सिरोना) | 5 | 4285650 | 4799928 | 23999640 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 6967/10.10.17 | श्रीनाथ इंजी. सेल्स एन्ड. सर्विसेज प्रा. लिमिटेड , कोलकाता | 3 | 14399784 |
| 3 | मोबाइल डेंटल वैन | 1 | 14761750 | 16533160 | 16533160 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 224/15.1.16 | श्रीनाथ इंजी. सेल्स एन्ड. सर्विसेज प्रा. लिमिटेड , कोलकाता | 1 | 16533160 |
| 4 | एलईडी ओटी लाइट (मार्टिन) | 1 | 2446333 | 2568650 | 2568650 | 8371/22.7.14 | 16.10.15 | 2017/31.3.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 1 | 2568650 |
| 5 | हाई एंड इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक ओटी टेबल | 1 | 1570000 | 1648500 | 1648500 | 8371/22.7.14 | 16.10.15 | 2017/31.3.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 1 | 1648500 |
| 6 | पेरासेफ़ यंत्र कीटाणुनाशक | 1 | 900000 | 945000 | 945000 | 8371/22.7.14 | 16.10.15 | 2017/31.3.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 1 | 945000 |
| 7 | विक्रोन सतह कीटाणुनाशक | 1 | 800000 | 840000 | 840000 | 8371/22.7.14 | 16.10.15 | 2017/31.3.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 1 | 840000 |
| 8 | मल्टीपारा मॉनिटर (बेनेव्यू) एवं एसेसरीज | 2 | 1416128 | 1486934 | 2973869 | 8371/22.7.14 | 16.10.15 | 2017/31.3.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 2973869 |
| 9 | दन्त चिकित्सा एलीवेटर सेट | 1 | 94000 | 98700 | 98700 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 1 | 98700 |
| 10 | डायग्नोस्टिक किट | 100 | 2920 | 3066 | 306600 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 100 | 306600 |
| 11 | एंडो मोटर | 9 | 41500 | 43575 | 392175 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 1 | 43575 |
| 12 | लैब माइक्रो मोटर | 8 | 13500 | 14175 | 113400 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 3 | 42525 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|--------|--------|--------|-------------|----------|-------------|--|----|--------|
| 13 | मैग्नीफिकेशन लूप | 6 | 20000 | 21000 | 126000 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 6 | 126000 |
| 14 | रबर डैम किट | 10 | 20920 | 21966 | 219660 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 10 | 219660 |
| 15 | सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर | 10 | 45000 | 47250 | 472500 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 6 | 283500 |
| 16 | प्लायर्स सेट | 4 | 168200 | 176610 | 706440 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 4 | 706440 |
| 17 | सर्जिकल उपकरण सेट | 4 | 199400 | 209370 | 837480 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 4 | 837480 |
| 18 | लाइट क्योर | 25 | 7500 | 7875 | 196875 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 10 | 78750 |
| 19 | हैरिसन मॅडीबल होल्डिंग स्पीड लॉक के साथ | 2 | 27400 | 28770 | 57540 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 57540 |
| 20 | आस्च नेसल सेप्टम फोरसेप्स | 2 | 13500 | 14175 | 28350 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 28350 |
| 21 | वाल्भम नेजल सेप्टम | 2 | 13500 | 14175 | 28350 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 28350 |
| 22 | बोन एवं प्लेट होल्डिंग | 2 | 11740 | 12327 | 24654 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 24654 |
| 23 | रिडक्शन बोन होल्डिंग | 2 | 10930 | 11477 | 22953 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 22953 |
| 24 | चिन सेगमेंट | 2 | 18500 | 19425 | 38850 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 38850 |
| 25 | मक्सिल्लारी बोन ग्राफ्ट होल्डिंग | 4 | 3300 | 3465 | 13860 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 4 | 13860 |
| 26 | मॅडीबल बोन ग्राफ्ट होल्डिंग | 4 | 3300 | 3465 | 13860 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 4 | 13860 |
| 27 | स्प्रेअडिंग फोरसेप्सTMJ | 2 | 22900 | 24045 | 48090 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 48090 |
| 28 | जेर्नी रिट्रेक्टर | 6 | 6340 | 6657 | 39942 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 6 | 39942 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|-------|-------|--------|-------------|----------|-------------|--|----|--------|
| 29 | मैकिन्डो रिट्रेक्टर | 6 | 12500 | 13125 | 78750 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 6 | 78750 |
| 30 | चैनल रिट्रेक्टर | 4 | 4900 | 5145 | 20580 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 4 | 20580 |
| 31 | किल्नर रिट्रेक्टर | 10 | 3910 | 4106 | 41055 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 8 | 32844 |
| 32 | किल्नर स्किन रिट्रेक्टर डबल एंडेड | 6 | 3730 | 3917 | 23499 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 6 | 23499 |
| 33 | मैलिएबुल कॉपर रिट्रेक्टर | 3 | 1570 | 1649 | 4946 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 3 | 4946 |
| 34 | ऑस्टिन टिशू रिट्रेक्टर | 10 | 12500 | 13125 | 131250 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 10 | 131250 |
| 35 | स्मिथ स्प्रेडर रिट्रेक्टर | 3 | 25000 | 26250 | 78750 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 3 | 78750 |
| 36 | राईट एंगल (लंगैबैक) रिट्रेक्टर छोटा, मध्यम, बड़ा | 1 | 27200 | 28560 | 28560 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 1 | 28560 |
| 37 | कॉडीलार नेक रिट्रेक्टर | 2 | 18400 | 19320 | 38640 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 38640 |
| 38 | ब्राउन लिंगुअल फ्लैप रिट्रेक्टर | 2 | 3190 | 3350 | 6699 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 6699 |
| 39 | वोल्कमन रिट्रेक्टर | 2 | 3910 | 4106 | 8211 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 8211 |
| 40 | रोवओर्बिटल फ्लोर रिट्रेक्टर | 4 | 16400 | 17220 | 68880 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 4 | 68880 |
| 41 | मक्टोनाल्ड डिस्सेक्टर | 2 | 3910 | 4106 | 8211 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 8211 |
| 42 | वार्डस पेरिओस्तील एलीवेटर | 20 | 9400 | 9870 | 197400 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 20 | 197400 |
| 43 | ब्रिस्टो एलीवेटर(फेन शेपड) | 10 | 4440 | 4662 | 46620 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 7 | 32634 |
| 44 | ब्रयेर एलीवेटर | 10 | 3400 | 3570 | 35700 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 10 | 35700 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|-------|-------|--------|-------------|----------|-------------|--|----|--------|
| 45 | टी हैंडल पेअर के साथ ब्रयेर एक्स बार एलीवेटर | 20 | 10000 | 10500 | 210000 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 20 | 210000 |
| 46 | वार्विक जेम्स एलीवेटर St. Rt. Lt. | 30 | 2800 | 2940 | 88200 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 0 | 0 |
| 47 | रोव ज्यगोमटिक एलीवेटर | 2 | 31000 | 32550 | 65100 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 65100 |
| 48 | किल्नेर ज्यगोमटिक एलीवेटर | 2 | 4540 | 4767 | 9534 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 9534 |
| 49 | कॉपलैंड एलीवेटर | 45 | 3500 | 3675 | 165375 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 44 | 161700 |
| 50 | अल्वेओलर डिस्सेक्टर | 1 | 4540 | 4767 | 4767 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 1 | 4767 |
| 51 | फराबुफ रुजिन | 2 | 4270 | 4484 | 8967 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 8967 |
| 52 | ज्यगोमटिक बोन अवल | 2 | 6500 | 6825 | 13650 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 13650 |
| 53 | मंदिबुल अवल | 4 | 5800 | 6090 | 24360 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 4 | 24360 |
| 54 | हैरिसन बोन हुक | 4 | 3820 | 4011 | 16044 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 4 | 16044 |
| 55 | पोस्विन्नो मलार हुक | 2 | 3820 | 4011 | 8022 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 8022 |
| 56 | बोन कटिंग- सिंगल एक्शन एवं डबल एक्शन | 4 | 34600 | 36330 | 145320 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 4 | 145320 |
| 57 | बोन निब्लेरे | 2 | 34440 | 36162 | 72324 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 72324 |
| 58 | दोय्नेस रिब शियर | 2 | 13540 | 14217 | 28434 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 28434 |
| 59 | रिब कटर | 2 | 45400 | 47670 | 95340 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 95340 |
| 60 | रिब रास्पीटरी | 4 | 4500 | 4725 | 18900 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 4 | 18900 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|---------|---------|---------|-------------|----------|-------------|--|----|---------|
| 61 | फाइन चिसेल डिफरेंट साइज़ | 25 | 3500 | 3675 | 91875 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 5 | 18375 |
| 62 | फाइन ओस्टीओटोम डिफरेंट साइज़ | 20 | 2920 | 3066 | 61320 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 20 | 61320 |
| 63 | नेजल सेप्टम ओस्टीओटोम विथ गार्ड | 10 | 4270 | 4484 | 44835 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 10 | 44835 |
| 64 | फाइन गौज | 25 | 3820 | 4011 | 100275 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 25 | 100275 |
| 65 | तेस्सिएर ओस्टीओटोम | 35 | 12550 | 13178 | 461213 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 35 | 461213 |
| 66 | रामुस स्ट्रीपर | 4 | 8500 | 8925 | 35700 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 4 | 35700 |
| 67 | टेरिगोदी चिसेल | 2 | 11920 | 12516 | 25032 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 25032 |
| 68 | किल्नेर डॉट माउथ गैंग 3 ब्लेड के साथ | 2 | 76000 | 79800 | 159600 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 159600 |
| 69 | डेविस बोयल माउथ गैंग | 2 | 49000 | 51450 | 102900 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 102900 |
| 70 | हेइस्टर जौ ओपनर | 3 | 5800 | 6090 | 18270 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 3 | 18270 |
| 71 | प्लेट पेंडिंग | 3 | 4540 | 4767 | 14301 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 3 | 14301 |
| 72 | स्कू इरैवर | 10 | 8900 | 9345 | 93450 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 10 | 93450 |
| 73 | ड्रिल बिट्स | 1 | 1347000 | 1414350 | 1414350 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 1 | 1414350 |
| 74 | स्कू होल्डिंग एक्स एक्शन | 6 | 2830 | 2972 | 17829 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 6 | 17829 |
| 75 | प्लेट बैंडर फॉर रेकोन प्लेट | 2 | 20920 | 21966 | 43932 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 43932 |
| 76 | रिकंस्ट्रक्शन प्लेट्स ऑफ डिफरेंट साइज़ | 1 | 380000 | 399000 | 399000 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 1 | 399000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----------|----------|----------|-------------|----------|-------------|--|-----|----------|
| 77 | डिफरेंट साइज़ एंड शेप ऑफ प्लेट्स | 1 | 120500 | 126525 | 126525 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 1 | 126525 |
| 78 | डिफरेंट डाय एंड शेप ऑफ स्कू | 1 | 47500 | 49875 | 49875 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 1 | 49875 |
| 79 | स्किन ग्राफ्ट ब्लेड (हमबी चाकू) विथ कंटेनर | 2 | 76000 | 79800 | 159600 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 159600 |
| 80 | फिक्किलंग डेंटल मैलेट | 6 | 900 | 945 | 5670 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 1 | 945 |
| 81 | डिफरेंट साइज़ बॉक्स फॉर प्लेट स्कू एंड ड्रिल बिट्स इंड्रूमेंट्स | 2 | 49000 | 51450 | 102900 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 102900 |
| 82 | आर्टरी फोरसेप्स, पीन, डेलीकेट आदि | 240 | 1930 | 2027 | 486360 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 235 | 476228 |
| 83 | टूथ एंड नॉन टूथ टिश्यू होल्डिंग | 40 | 600 | 630 | 25200 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 34 | 21420 |
| 84 | एडसन डिस्सेक्टिंग फोर्सेप्स | 10 | 1200 | 1260 | 12600 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 8 | 10080 |
| 85 | डिसट्रैक्शन ओस्टोजेनेसिस इंड्रूमेंटसेट कम्पलीट | 1 | 12227100 | 12838455 | 12838455 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 1 | 12838455 |
| 86 | अल्ट्रासोनिक फिक्सेशन सेट | 1 | 1962200 | 2060310 | 2060310 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 1 | 2060310 |
| 87 | एंगल्ड स्कू ड्राईवर अन्गुलुस सेट विथ कम्पलीट एक्सेसरीज | 1 | 373000 | 391650 | 391650 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 1 | 391650 |
| 88 | लेवल वन फिक्सेशन सेट | 1 | 890500 | 935025 | 935025 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 1 | 935025 |
| 89 | हैण्ड इंड्रूमेंट्स | 20 | 370200 | 388710 | 7774200 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 20 | 7774200 |
| 90 | रिट्रेक्टर सेट कम्पलीट (क्लैप, वोल्कमन, कोचर, लंगेन्बैक) | 1 | 903200 | 948360 | 948360 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 1 | 948360 |
| 91 | स्केलर | 20 | 229000 | 240450 | 4809000 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 2 | 480900 |
| 92 | रोवस मक्सिलारी डिसइम्पैकसन फोरसेप्स (जोड़ा) | 4 | 22500 | 23625 | 94500 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 4 | 94500 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|---------|---------|---------------------|-------------|----------|--------------|---|----|---------------------|
| 93 | हितन विल्लिअम्स फोरसेप्स (फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेक्सन) | 4 | 22500 | 23625 | 94500 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 223/15.1.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 4 | 94500 |
| 94 | बर्न आउट फर्नेस | 10 | 52800 | 55440 | 554400 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 221/15.1.16 | कैलाश सर्जिकल्स प्रा. लिमिटेड, रांची | 7 | 388080 |
| 95 | इंडक्शन कास्टिंग मशीन | 2 | 1175000 | 1233750 | 2467500 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 221/15.1.16 | कैलाश सर्जिकल्स प्रा. लिमिटेड, रांची | 2 | 2467500 |
| 96 | रेस्टोरेटिव इंस्ट्रूमेंट किट फॉर अमलगम एंड कम्पोजिट | 40 | 25500 | 26775 | 1071000 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 221/15.1.16 | कैलाश सर्जिकल्स प्रा. लिमिटेड, रांची | 40 | 1071000 |
| 97 | चिन रिट्रेक्टर (मेडसे) | 2 | 2800 | 2940 | 5880 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 221/15.1.16 | कैलाश सर्जिकल्स प्रा. लिमिटेड, रांची | 2 | 5880 |
| 98 | फोर्ड रामुस रिट्रेक्टर (मेडसे) | 2 | 2800 | 2940 | 5880 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 221/15.1.16 | कैलाश सर्जिकल्स प्रा. लिमिटेड, रांची | 2 | 5880 |
| 99 | किल्नेर नेजल रिट्रेक्टर (मेडसे) | 2 | 4500 | 4725 | 9450 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 221/15.1.16 | कैलाश सर्जिकल्स प्रा. लिमिटेड, रांची | 2 | 9450 |
| 100 | होवार्थ एलीवेटर (मेडसे) | 20 | 4200 | 4410 | 88200 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 221/15.1.16 | कैलाश सर्जिकल्स प्रा. लिमिटेड, रांची | 20 | 88200 |
| 101 | सेप्टम एलीवेटर (मेडसे) | 2 | 1900 | 1995 | 3990 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 221/15.1.16 | कैलाश सर्जिकल्स प्रा. लिमिटेड, रांची | 1 | 1995 |
| 102 | वोल्कमन बोन स्कूप (मेडसे) | 2 | 4300 | 4515 | 9030 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 221/15.1.16 | कैलाश सर्जिकल्स प्रा. लिमिटेड, रांची | 2 | 9030 |
| 103 | सक्शन कन्नुला (मेडसे) | 10 | 800 | 840 | 8400 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 221/15.1.16 | कैलाश सर्जिकल्स प्रा. लिमिटेड, रांची | 10 | 8400 |
| 104 | स्पंज होल्डर (मेडसे) | 10 | 2100 | 2205 | 22050 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 221/15.1.16 | कैलाश सर्जिकल्स प्रा. लिमिटेड, रांची | 10 | 22050 |
| 105 | सुचर कटिन्ग सिजर (मेडसे) | 20 | 2100 | 2205 | 44100 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 221/15.1.16 | कैलाश सर्जिकल्स प्रा. लिमिटेड, रांची | 20 | 44100 |
| 106 | एलाइज टिशु होल्डिंग (मेडसे) | 10 | 1900 | 1995 | 19950 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 221/15.1.16 | कैलाश सर्जिकल्स प्रा. लिमिटेड, रांची | 10 | 19950 |
| 107 | टॉवल क्लिप्स (मेडसे) | 20 | 1700 | 1785 | 35700 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 221/15.1.16 | कैलाश सर्जिकल्स प्रा. लिमिटेड, रांची | 20 | 35700 |
| 108 | नीडल होल्डर (मेडसे) | 20 | 2300 | 2415 | 48300 | 3422/2.6.15 | 16.12.15 | 221/15.1.16 | कैलाश सर्जिकल्स प्रा. लिमिटेड, रांची | 20 | 48300 |
| 109 | इंट्रा ओरल कैमरा | 6 | 95000 | 100225 | 601350 | 145/9.1.16 | 2.8.16 | 1376/23.2.17 | श्रीनाथ इंजी. सेल्स एन्ड. सर्विसेज प्रा. लिमिटेड , कोलकाता | 1 | 100225 |
| 110 | सैंड ब्लास्टिंग यूनिट | 2 | 45000 | 47475 | 94950 | 145/9.1.16 | 2.8.16 | 1376/23.2.17 | श्रीनाथ इंजी. सेल्स एन्ड. सर्विसेज प्रा. लिमिटेड , कोलकाता | 1 | 47475 |
| | कुल | 1176 | | | 17,41,74,728 | | | | | | 12,01,95,104 |

परिशिष्ट- 2.1.5
(कंडिका 2.1.8 में संदर्भित; पृष्ठ 23)
संयुक्त भौतिक निरीक्षण में नहीं पाए गए उपकरणों की सूची

| क्रम सं. | उपकरण का नाम | क्रय की गयी संख्या | कर सहित इकाई दर | तिथि जब अधिष्ठापन प्रमाणपत्र जारी किया गया | आपूर्तिकर्ता का नाम | भौतिक निरीक्षण के दौरान पाए गए उपकरणों की संख्या | अंतर | गायब सामानों की लागत | अभ्युक्ति (उत्तर के अनुसार) |
|----------|--|--------------------|-----------------|--|---|--|-----------|----------------------|---|
| 1 | इंट्रा ओरल कैमरा | 6 | 100225 | 21.6.17 | श्रीनाथ इंजी. सेल्स एन्ड. सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, कोलकाता | 5 | 1 | 100225 | एक उपकरण की अनुपलब्धता स्वीकार की गई |
| 2 | सैंड ब्लास्टिंग यूनिट | 2 | 47475 | 21.6.17 | श्रीनाथ इंजी. सेल्स एन्ड. सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, कोलकाता | 1 | 1 | 47475 | एक उपकरण की अनुपलब्धता स्वीकार की गई |
| 3 | सेप्टम एलीवेटर (मेडसे) | 2 | 1995 | 26.5.16 | कैलाश सर्जिकल्स प्रा. लिमिटेड, रांची | 1 | 1 | 1995 | एक उपकरण की अनुपलब्धता स्वीकार की गई |
| 4 | इंडो मोटर | 9 | 43575 | 20.04.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 8 | 1 | 43575 | एक उपकरण की अनुपलब्धता स्वीकार की गई |
| 5 | चिन सेगमेंट | 2 | 19425 | 20.04.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 0 | 2 | 38850 | दो उपकरण की अनुपलब्धता स्वीकार की गई |
| 6 | वाईस पेरिओस्टील एलीवेटर | 20 | 9870 | 20.04.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 18 | 2 | 19740 | दो उपकरण की अनुपलब्धता स्वीकार की गई |
| 7 | हैरिसन बोन हुक | 4 | 4011 | 20.04.16 | विशाल सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड | 3 | 1 | 4011 | एक उपकरण की अनुपलब्धता स्वीकार की गई |
| 8 | बेसिक चेयर्स के साथ आपूर्तित स्केलर | 110 | 6000 | | श्रीनाथ इंजी. सेल्स एन्ड. सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, कोलकाता | 54 | 56 | 336000 | छप्पन उपकरण की अनुपलब्धता स्वीकार की गई |
| 9 | कंप्यूटर डेस्कटॉप एवं कलर लेज़र जेट प्रिंटर इंटर ओरल कैमरा के साथ* | 6 | 51401 | | श्रीनाथ इंजी. सेल्स एन्ड. सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, कोलकाता | 0 | 6 | 308406 | छः उपकरण की अनुपलब्धता स्वीकार की गई |
| | कुल | | | | | | 71 | 900277 | |

* यद्यपि कंप्यूटर के मूल्य निविदा या बिल में उद्धृत नहीं किए थे, इनके लागत अनुमान की गणना अलग से दन्त चिकित्सा संस्थान हेतु क्रय किए गए कंप्यूटर के आधार पर की गयी है।

परिशिष्ट- 2.1.6

(कंडिका 2.1.8 में संदर्भित; पृष्ठ 23)

उपकरणों के सेट की सूची जो भौतिक निरीक्षण के दौरान सेट के रूप में नहीं पाए

| क्रम सं. | उपकरण का नाम | क्रय की गयी संख्या | कर सहित इकाई दर | राशि रुपये में | कार्यादेश के अनुसार एक सेट में नगों की संख्या | रिम्स द्वारा दिया गया उत्तर |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 1 | डायग्नोस्टिक किट सेट | 100 | 3066 | 306600 | उल्लेख नहीं है | विभिन्न विभागों एवं भण्डारों में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित। |
| 2 | सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सेट | 4 | 209370 | 837480 | 93 प्रकार | स्टोर में कुल 141 शल्य चिकित्सा उपकरण पाए गए और शेष उपकरण विभिन्न विभागों को वितरित किए गए थे, जिन्हें संबंधित विभागों द्वारा अपने स्टॉक रजिस्टर में 'सर्जिकल उपकरणों' के नाम पर अलग से दर्ज नहीं किया गया था, जिससे विभिन्न शीर्षकों में वर्गीकृत करना मुश्किल हो गया था। हस्त उपकरणों की आपूर्ति की गई सूची |
| 3 | ड्रिल बिट्स | 1 | 1414350 | 1414350 | उल्लेख नहीं है | दस मिनी आइटम नहीं मिले |
| 4 | डिसट्रैक्शन ओस्टोजेनेसिस इंस्ट्रूमेंटसेट सेट | 1 | 12838455 | 12838455 | 184 प्रकार के डिसट्रैक्टर्स | 32 मिनी आइटम नहीं मिले, 19 मिनी आइटम अतिरिक्त मिले |
| 5 | हैण्ड इंस्ट्रूमेंट्स | 20 | 388710 | 7774200 | 136 प्रकार के उपकरण | स्टोर में कुल 989 हस्त उपकरण पाए गए थे और शेष उपकरण विभिन्न विभागों को वितरित किए गए थे, जिन्हें संबंधित विभागों द्वारा अपने स्टॉक रजिस्टर में 'हैंड इंस्ट्रूमेंट्स' के नाम से अलग से दर्ज नहीं किया गया था, जिससे विभिन्न शीर्षकों में वर्गीकृत करना मुश्किल हो गया था। हस्त उपकरणों की आपूर्ति की गई सूची |
| 6 | रिट्रेक्टर सेट कम्प्लीट (क्लैप, वोल्कमन, कोचर, लंगेन्बैक) | 1 | 948360 | 948360 | 36 प्रकार के उपकरण | 6 आइटम नहीं मिले |
| 7 | एक्सट्रैक्शन फोरसेप्स (मेडसे) | 40 | 29925 | 1197000 | उल्लेख नहीं है | 40 ओरल सर्जरी और पेडोडॉटिक्स विभागों में पाए गए। |
| 8 | अल्ट्रासोनिक फिक्सेशन सेट | 1 | 2060310 | 2060310 | उल्लेख नहीं है | 1 मिनी आइटम नहीं मिला |
| 9 | एंगल्ड स्क्रू ड्राईवर अन्गुलुस सेट विथ कम्प्लीट एक्सेसरीज | 1 | 391650 | 391650 | उल्लेख नहीं है | 3 मिनी आइटम नहीं मिला, 1 मिनी आइटम अतिरिक्त |
| 10 | लेवल वन फिक्सेशन सेट | 1 | 935025 | 935025 | उल्लेख नहीं है | 15 मिनी आइटम नहीं मिले |
| | कुल | | | 28703430 | | |

परिशिष्टियाँ (भाग स)

परिशिष्ट- 1.1.1

(कंडिका 1.1.2 में संदर्भित; पृष्ठ 73 एवं 75)

| क्र.सं | प्रक्षेत्र एवं एसपीएसई का नाम | विभाग का नाम | निगमित होने का महीना एवं वर्ष | वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर अंश-पूजी | | | | वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर बकाया दीर्घकालीन ऋण | | | | मानव-बल (31.03.2019 को कर्मचारियों की संख्या) |
|-------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|-------|--|--------|-------|-------|---|
| | | | | राज्य | केंद्र | अन्य | कुल | राज्य | केंद्र | अन्य | कुल | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (अ) | 5 (ब) | 5 (स) | 5 (द) | 6 (अ) | 6 (ब) | 6 (स) | 6 (द) | 7 |
| I. कार्यरत सरकारी कंपनी | | | | | | | | | | | | |
| अ. सामाजिक क्षेत्र | | | | | | | | | | | | |
| 1 | झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वाहक सिंचाई निगम लिमिटेड | जल संसाधन | मार्च 2002 | 5 | | | 5 | 5.25 | | | 5.25 | 84 |
| 2 | झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड | अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण | मार्च 2012 | 1.01 | | | 1.01 | 0 | | | 0 | 4 |
| 3 | झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जेएसएफडीसी) | वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | मार्च 2002 | 0.55 | | | 0.55 | | | | 0 | 134 |
| 4 | झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) | खान एवं भू-गर्भ शास्त्र | मई 2002 | 2 | | | 2 | | | | 0 | 243 |
| 5 | राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल) | उत्पाद | नवंबर 2010 | 2 | | | 2 | | | | 0 | 52 |
| 6 | झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले | जून 2010 | 5 | | | 5 | 43.96 | | | 43.96 | 277 |

| क्र.सं | प्रक्षेत्र एवं एसपीएसई का नाम | विभाग का नाम | निगमित होने का महीना एवं वर्ष | वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर अंश-पूजी | | | | वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर बकाया दीर्घकालीन ऋण | | | | मानव-बल (31.03.2019 को कर्मचारियों की संख्या) |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|--------------|--|----------|----------|--------------|---|
| | | | | राज्य | केंद्र | अन्य | कुल | राज्य | केंद्र | अन्य | कुल | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (अ) | 5 (ब) | 5 (स) | 5 (द) | 6 (अ) | 6 (ब) | 6 (स) | 6 (द) | 7 |
| 7 | झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संरचना विकास एवं खरीद निगम लिमिटेड | स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण | मई 2013 | 5 | | | 5 | | | | 0 | 5 |
| 8 | झारखण्ड रेल संरचना विकास लिमिटेड | उद्योग | जुलाई 2018 | 5 | | 4.8 | 9.8 | | | | 0 | |
| 9 | झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड | कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण | जनवरी 2016 | 2 | | | 2 | | | | 0 | |
| | सामाजिक क्षेत्र योग | | | 27.56 | | 4.8 | 32.36 | 49.21 | 0 | 0 | 49.21 | |
| ब. प्रतियोगी क्षेत्र | | | | | | | | | | | | |
| 1 | झारखण्ड संचार नेटवर्क लिमिटेड | सूचना तकनीक एवं इ-गवर्नेंस | जनवरी 2017 | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| 2 | झारखण्ड चलचित्र विकास निगम लिमिटेड | सूचना तकनीक एवं इ-गवर्नेंस | सितंबर 2016 | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| 3 | झारखण्ड शहरी संरचना विकास कंपनी लिमिटेड | शहरी विकास एवं आवास | नवंबर 2013 | 45 | | | 45 | | | | 0 | 104 |
| 4 | आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर लिमिटेड | उद्योग | नवंबर 2016 | | | 27.83 | 27.83 | | | | | |
| 5 | झारखण्ड राज्य उद्योगिक संरचना विकास निगम लिमिटेड | उद्योग | दिसंबर 2004 | 15 | | | 15 | | | | 0 | 20 |
| 6 | झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड | शहरी विकास एवं आवास | दिसंबर 2015 | 2 | | | 2 | | | | 0 | 70 |
| 7 | वृहत रांची विकास एजेंसी | शहरी विकास एवं आवास | जनवरी 2003 | 164.14 | | | 164.14 | | | | 0 | 24 |

| क्र.सं | प्रक्षेत्र एवं एसपीएसई का नाम | विभाग का नाम | निगमित होने का महीना एवं वर्ष | वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर अंश-पूजी | | | | वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर बकाया दीर्घकालीन ऋण | | | | मानव-बल (31.03.2019 को कर्मचारियों की संख्या) |
|------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------|---------------|--|----------|-------------|-------------|---|
| | | | | राज्य | केंद्र | अन्य | कुल | राज्य | केंद्र | अन्य | कुल | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (अ) | 5 (ब) | 5 (स) | 5 (द) | 6 (अ) | 6 (ब) | 6 (स) | 6 (द) | 7 |
| 8 | अटल बिहारी वाजपेयी नवोन्मेष प्रयोगशाला | उद्योग | दिसंबर 2018 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड | उद्योग | सितंबर 2016 | 0 | | 0.01 | 0.01 | | | 0.18 | 0.18 | 2 |
| 10 | झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड | शहरी विकास एवं आवास | सितंबर 2016 | 45 | | | 45 | | | | 0 | 4 |
| 11 | झारखण्ड सिल्क वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड | उद्योग | अगस्त 2006 | 10 | | | 10 | | | | 0 | 283 |
| 12 | झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा मामले | मार्च 2002 | 9.5 | | | 9.5 | | | | 0 | 107 |
| | प्रतियोगी प्रक्षेत्र योग | | | 290.64 | 0 | 27.84 | 318.48 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | |
| स. अन्य क्षेत्र | | | | | | | | | | | | |
| 1 | रांची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड | परिवहन | सितंबर 2016 | 13 | | | 13 | | | | | |
| 2 | झारखंड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड (जेपीएचसीएल) | गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन | मार्च 2002 | 2 | | | 2 | | | | 0 | 96 |
| | अन्य क्षेत्र योग | | | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| ऊर्जा-क्षेत्र (कार्यरत कंपनियाँ) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------|---------|---|-------|---------|----------|---|---------|----------|------|
| 1 | तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड | ऊर्जा | नवंबर 1987 | 105 | | | 105 | 665.9 | | | 665.9 | 715 |
| 2 | झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड | ऊर्जा | अक्टूबर 2013 | 40.13 | | | 40.13 | 50 | | | 50 | 130 |
| 3 | झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड | ऊर्जा | अक्टूबर 2013 | 3111.03 | | | 3111.03 | 9320.29 | | 1209.26 | 10529.55 | 3523 |
| 4 | झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड | ऊर्जा | अक्टूबर 2013 | 975.06 | | | 975.06 | 3735.22 | | | 3735.22 | 931 |
| 5 | झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड | ऊर्जा | सितंबर 2013 | 11.7 | | | 11.7 | | | | 0 | 116 |
| ऊर्जा (कार्यरत कंपनियाँ) योग | | | | 4242.92 | 0 | 0 | 4242.92 | 13771.41 | 0 | 1209.26 | 14980.67 | |
| II. गैर-कार्यरत सरकारी कंपनियाँ | | | | | | | | | | | | |
| ऊर्जा-क्षेत्र (गैर-कार्यरत कंपनियाँ) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | पतरातू ऊर्जा लिमिटेड | ऊर्जा | अगस्त 2012 | 0 | | 0.05 | 0.05 | 19.41 | | | 19.41 | 0 |
| 2 | झारबिहार कोलियरी लिमिटेड | ऊर्जा | जून 2009 | 0 | | 1 | 1 | | | 3.92 | 3.92 | 0 |
| 3 | कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड | ऊर्जा | सितंबर 2008 | 0 | | 0.05 | 0.05 | 15.52 | | 11.96 | 27.48 | 0 |
| ऊर्जा क्षेत्र (गैर-कार्यरत) योग | | | | | | 1.1 | 1.1 | 34.93 | 0 | 15.88 | 50.81 | |
| ऊर्जा-क्षेत्र योग | | | | 4242.92 | 0 | 1.1 | 4244.02 | 13806.34 | 0 | 1225.14 | 15031.48 | |
| कुल योग | | | | 4576.12 | 0 | 33.74 | 4609.86 | 13855.55 | 0 | 1225.32 | 15080.87 | |

परिशिष्ट- 1.1.2
(कंडिका 1.1.3 में संदर्भित; पृष्ठ 78, 80 एवं 81)

| क्र.सं. | प्रक्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के नाम | लेखाओं की अवधि | लेखाओं के अन्तिमी कृत होने का वर्ष | नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार व्ययगत पूंजी | वर्ष के अंत में बकाया ऋण @ | वित्त मूल्य/ ब्याज अदायगी | मुक्त संचय | संचयित लाभ (+)/ हानि (-) | टर्न ओवर | शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-) | लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शुद्ध प्रभाव | निवल मूल्य/ शेयरधारक अंशपूंजी | नियोजित पूंजी | (इबीआईटी) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल % | नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का प्रतिशत | ब्याज व्याप्ति अनुपात | ऋण-अंशपूंजी अनुपात |
|-----------------------|---|----------------|------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| लाभ कमानेवाली | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | झारखण्ड राज्य उद्योग संरचना विकास निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2021-22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 2.08 | 1.84 | 0 | 27.34 | 73.44 | 2.57 | 3.50 | | 138.11 |
| 2 | वृहत रांची विकास एजेंसी | 2019-20 | 2021-22 | 164.14 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0.2 | 8.05 | 0 | 167.57 | 198.47 | 10.78 | 5.43 | | 558.07 |
| 3 | झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड | 2018-19 | 2020-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.33 | 40.72 | 21.04 | 0 | 38.33 | 38.33 | 29.88 | 77.95 | | 284.58 |
| 4 | झारखण्ड शहरी संरचना विकास कंपनी लिमिटेड | 2018-19 | 2020-21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.93 | 12.7 | 6.54 | 0 | 60.93 | 1895.54 | 9.12 | 0.48 | | 2046.24 |
| 5 | झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संरचना विकास एवं खरीद निगम लिमिटेड | 2016-17 | 2020-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.42 | 0.34 | 0 | 5.52 | 6.15 | 0.35 | 5.69 | | 23.99 |
| 6 | झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड | 2015-16 | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.39 | 0 | 0.41 | 0.49 | 0.39 | 79.59 | | 81.68 |
| 7 | झारखण्ड रेल संरचना विकास लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | -1.02 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 18.78 | 0 | 0 | | 36.34 |
| | उप-योग | | | 240.94 | 0 | 0 | 0 | 67.94 | 56.12 | 38.2 | 0 | 308.88 | 2231.2 | 53.09 | 172.65 | | 3169.02 |
| हानि उठानेवाली | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | झारखंड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड (जेपीएचसीएल) | 2019-20 | 2020-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.87 | 7.12 | -0.2 | 0 | 17.87 | 438.41 | -0.19 | -0.04 | | |

| क्र.सं. | प्रक्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के नाम | लेखाओं की अवधि | लेखाओं के अन्तिमीकृत होने का वर्ष | नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार व्ययगत पूंजी | वर्ष के अंत में बकाया ऋण @ | वित्त मूल्य/ ब्याज अदायगी | मुक्त संचय | संचयित लाभ (+)/ हानि (-) | टर्न ओवर | शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-) | लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शुद्ध प्रभाव | निवल मूल्य/ शेयरधारक अंशपूंजी | नियोजित पूंजी | (इबीआईटी) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल \$ | नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का प्रतिशत | ब्याज व्याप्ति अनुपात | ऋण-अंशपूंजी अनुपात |
|---------|---|----------------|-----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|----------------|-------------------------|--|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2 | झारखण्ड चलचित्र विकास निगम लिमिटेड | 2018-19 | 2020-21 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -7.75 | 0.42 | -2.78 | 0 | -7.743 | 7 | -2.78 | -39.71 | | |
| 3 | झारखण्ड सिल्क वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड | 2018-19 | 2019-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | -46.18 | 5.62 | -13.04 | 0 | -36.18 | 3.731 | -13.04 | -349.50 | | |
| 4 | झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड | 2018-19 | 2019-20 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | 0 | -0.02 | 0 | -1.79 | 21.294 | -0.02 | -0.09 | | |
| 5 | झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड | 2017-18 | 2018-19 | 35 | 0 | 0 | 0 | -1.02 | 0 | -0.52 | 0 | 33.98 | 36.48 | -0.52 | -1.43 | | |
| 6 | पतरातू ऊर्जा लिमिटेड | 2019-20 | 2021-22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | -16.41 | 0 | -8.32 | 0 | -16.36 | 25.74 | -8.32 | -32.32 | | |
| 7 | झारखण्ड कोलियरी लिमिटेड | 2019-20 | 2021-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.97 | 0 | -0.02 | 0 | -2.97 | 0.95 | -0.02 | -2.11 | | |
| 8 | कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड | 2019-20 | 2021-22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | -23.77 | 0 | -2.53 | 0 | -23.72 | 23.323 | -2.53 | -10.85 | | |
| 9 | झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2021-22 | 3108.93 | 10529.55 | 482.41 | 0 | -7296.5 | 5289.52 | -1131.54 | 0 | -4187.57 | 16033.24 | -649.13 | -4.05 | -134.56 | 3.39 |
| 10 | झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2021-22 | 40.13 | 50 | 6.5 | 0 | -23.76 | 17.44 | -0.87 | 0 | 16.37 | 136.54 | 5.63 | 4.12 | 86.62 | 1.25 |
| 11 | झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड | 2018-19 | 2020-21 | 972.96 | 3735.22 | 304.68 | 0 | -786.58 | 230.01 | -210.6 | 0 | 186.38 | 4918.57 | 94.08 | 1.91 | 30.88 | 3.84 |
| 12 | झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड | 2015-16 | 2018-19 | 8.4 | | 0 | 0 | -2.66 | 0 | -0.36 | 0 | 5.74 | 4135.25 | -0.36 | -0.01 | | |
| | उप-योग | | | 4178.54 | 14314.77 | 793.59 | 0 | -8194.53 | 5550.13 | -1370.8 | 0 | -4015.99 | 25780.53 | -577.2 | -434.08 | -17.07 | 8.47 |
| | कुल योग | | | 4419.48 | 14314.77 | 793.59 | 0 | -8126.59 | 5606.25 | -1332.6 | 0 | -3707.11 | 28011.73 | -524.11 | -261.43 | -17.07 | 3177.49 |

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag/jharkhand/hi>